

स्नेहमयी माँ

के

श्री चरणों में

मेरा निवेदन

ये गोंके संघर्षके पथात् मुक्तिका द्वार खुला है। शताव्दियोंके निरन्तर प्रयत्न करनेके बाद दासताको शुद्धला टटी है। अफड़े हुए अंगोंमें नवीन सूर्तिका, चेतनाका संचार हो रहा है। अवस्थ कंठ वाणी मांग रहा है, स्वतंत्रता देवीकी बन्दना करनेके लिये। रोम-रोम वाणीकी भाँति मुखरित हो उठा है, किन्तु वह स्वयं अवाक् है। उसे वह वाणी चाहिये—जिससे दिग्दिगन्त गंज उठे, समवेत जयपोप हो और वह मुक्ति देवीकी भारती उतारे।

चिरकालसे भारतने स्वतंत्रताकी अर्थना अपनी ही वाणी द्वारा की थी। जिस दिन पराघोन हुआ, उसी दिन निर्वाक् भा हो गया। विदेशी स्वामियोंकी भाषाएँ सीखनी पड़ी थीं और उन्हींके द्वारा उनको मनःतुष्टिका भी प्रयास करना पड़ा। अन्तर्दृष्टिसे अल्प रहा था, शरीर खोखला हो गया था, अग शिथिल हो गए थे, सुगस्कृत मुखरता भीषण मौनमें परिवर्तित हो गई थी, वह गुलाम जो था।

आज भारतको राष्ट्रीयता मिली है। वह एक राष्ट्र है। विगत दासताके कारण अभी उसमें गति भी नहीं आ पाई थी, कि वह विश्वके मुख्य राष्ट्रोंमें प्रतिष्ठित हो गया है। उसका स्थान नगर्य नहो है। उसके सहयोग और असहयोग से कितने ही राष्ट्रोंके भविष्यमें परिवर्तन हो सकते हैं। सहराष्ट्रोंके भविष्य-विधायक भारतके सामने एक समस्या है—अपने ही राष्ट्रका सवालन वह किम वाणी द्वारा करे ?

राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं—

किसी देशका जनसमुदाय आपसमें जिस वाणीके द्वारा अपने भावोंका, विचारोंका आदान-प्रदान करता है, उसको उस देशकी राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस जनसमुदाय एक भाषा-भाषी ही हो। अवश्य ही स्थान भेदके अनुसार विभिन्न बोलियों भी व्यवहृत होती रहती हैं। बोलोंका साधारण सधा-

नेसर्विक निषम यह है कि उठ दूरीके अन्तर पर उसके स्थाने कुछ परिवर्तन देख पड़ने लगता है, विशेषकर उच्चारण और क्रियाके सामान्य भेद हैं। इस स्वाभाविक स्थितिके अनुसार जिस अनुसार में दो स्थानोंका पारस्परिक अन्तर विशेष लम्बा हो जाता है, उसी अनुसार में वहाँकी बोलियोंमें पारस्परिक भेद स्थृत होने लगते हैं—। ऐसिन, कदाचित् ही यह संभव है कि एक भाषा-भाषी क्षेत्रके किन्हीं दो बोलियोंमें कुछ इतना अधिक व्याकरण इत्यादिका फर्ज पड़ जाय कि वे दोनों दो माध्यांशी या दो माध्यांशोंकी विभिन्न बोलियाँ-सी जान पड़ने लगें। भिन्न-भिन्न प्रकारकी बोलियाँ रहने पर भी उनमें अन्यतरिक भवध रहता ही है। इनमें से हिसी एक बोलीको जिसे सहजमें दस देशों जनसमुदाय भगवन् और बोल सुकता है, अनायास ही उन लेता है, और विभिन्न बोलां बोलनेवालोंकी बीच वह भावोंके, विचारोंके तथा कार्यवाहीके माध्यम स्वस्त्र व्यवहारमें लाइ जाने लगती है। छोटेसे निदित्र द्वारा समूद्रमें दो कई भाषाएँ हैं (अगरेबीके साथ ही बेन्द्रा, गंडिक तथा इनकी अपनी बोलियाँ भी हैं)। प्राई, स्पेन, सोवियत स्व., चीन, मेकिस्को मध्य तथा दक्षिणी अमेरिकाके राज्य, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, चेकोस्लोवाकिया, चेल्जिनम, अयलैंड और अफ्रिगनिस्तान आदि कई भाषा-भाषी राज्य हैं। प्रायः देशोंमें इससे अम एक्से अधिक बोलियाँ मिलती होती हैं। किन्तु, उनमें से बहु-जन-प्रथन बोलीका ही विशेष व्यवहार राष्ट्रभाषाके स्थाने होने लगता है। कभी- वह बोली मज जाती है, सुखस्त हो जाती है, नागरिक हो उत्तीर्ण है और तब राष्ट्रभाषाके उपाधि प्राप्त करती है।

राष्ट्रभाषा और राजभाषाका अन्तर—

प्राय राष्ट्रभाषा और राजभाषाने अम उन्नत हो जाया करना है। उपर राष्ट्रभाषाकी चर्चा हो चुकी है। राजभाषाके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है कि जिस विशेष भाषाके माध्यमने शासन व्यवस्था बदली है, उसे राजभाषा कहते हैं। अच्छा तो यह होता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा भिन्न न होकर एक ही हों ; विसुद्ध, साधरण जनन शामन व्यवस्थासे सहज ही में परिवर्तन रखे। अन्यथा, मारे देशांके ही राजभाषा मौकनेके लिये अपनी दक्षिण अवधि बरबर होना पड़ता है।

राष्ट्रभाषाके पीछे सारे देशका चल रहता है, किन्तु राजभाषा तो विशेषतः शासक गृन्द ही के अधीन रहती है। इससे हानि यह दोती है कि प्रजा-शासन व्यवस्थासे अपरिचित होकर दूर जा पड़ती है, और तब वह शासन-कार्य कुछ व्यक्ति-समूह के हाथोंकी जोड़ रह जाती है। इस तरहके शासनकार्यमें कुव्यवस्थाकी आशंका विशेष-रूपसे रहती है। प्रजातंत्रके इस युगमें जबकि प्रजाका प्रत्येक व्यक्ति शासन-कार्यमें दिलचस्पी लेने लगता है (लेना आवश्यक भी रहता है) तब यदि वह अपनी ही व्यवस्थासे अनमिश्व रहे तो उस शासन-कार्यमें निरसन्देह त्रुटियोंका समावेश हो जाता है।

धर्मोक्ते युगमें भारतकी लौकिक भाषा—राष्ट्रभाषा पालि थी। यह सर्वविदित है कि धर्मोक्ते राजभाषाके रूपमें राजकार्यके लिये पालिको ही अपनाया। परिणाम यह हुआ कि राजा और प्रजा दोनों एक दूसरेके निकट आ गये। किन्तु, जब भारतको विदेशी शासकोंके अधीन होना पड़ा, मुलामीकी बेड़ी पैरोंमें पड़ गई, तब विदेशी शासकोंने अपनी-अपनी भाषाओंको भारतके जनसमूह पर लाद दिया। सारे राजकार्य शासकोंकी भाषाओंमें होने लगे। फारसी जो कि भारतभूमीकी भाषा नहीं थी, जब राजभाषा हुई तब स्वभावतः प्रजा भला कैसे शासनका कार्यक्रम समझ पाती? थोड़े लोगोंने अपनी सिद्धिके लिये प्रयास किया तो वे दरवारसे संवधित हो गये। कुछने राजभाषा होनेके कारण सीरा। कुछने साहित्यिक दृष्टिकोणसे पढ़ा। फिर भी भारतका विशाल जनसमुदाय राजभाषासे अपरिचित ही रहा। क्योंकि, वह विदेशी भाषा थी। यही परिणाम हुआ अंगरेजी का। ढेढ़ सौ सालको सरतोड़ कोशिशोंके बावजूद भी आज भारतके कितने व्यक्ति अंगरेजी जानते हैं? इस सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अंगरेजोंने भारतीयोंको अंगरेजी सिखानेके लिये साम, दाम, दृढ़, भेदकी नीतिसे यथावसर काम लिया। वे प्रचारके कार्यमें बड़े कुशल थे। मिशनरी इसके उज्ज्वल प्रमाण हैं। उन्होंने तरह-तरहके लालच दिये। नौकरशाही राजमें अंगरेजी भाषाका ही घोलबाला रहा, फिर भी भारतकी कितनी जनता अंगरेजी सीख रकी? न सीधे सक्तेका कारण स्पष्ट है। पहला तो यह कि वह विदेशी भाषा थी, उसमें सतत प्रयत्र करने पर भी इम अपनेको

नैसर्गिक नियम यह है कि कुछ दरोंके अन्तर पर उषके समें कुछ परिवर्तन देख पड़ने लगता है, निशेषकर रुग्णाल और विषाके घामान्य में है। इस स्थानविच्छिन्न सिद्धान्तके अनुपार जिस अनुपातमें दो स्थानोंका पारस्परिक अन्तर विशेष स्पष्ट होता है जाता है, उसी अनुपातमें यहाँकी बोलियोंमें पारस्परिक भेद स्पष्ट होने लगते हैं॥ लेकिन, अद्याचित् ही यह समझ है कि एक भाषा-भाषी क्षेत्रकी किन्हीं दो बोलियोंमें कुछ इतना अधिक स्पष्टता इत्यादिका फल पढ़ जाय कि वे दोना दो मायाएँ-सी या दो भाषाओंकी विभिन्न बोलियाँ-सी जान पड़ने लगें। भिज्ज भिज्ज प्रकारकी बोलियाँ रहने पर भी उनमें आभ्यन्तरिक सम्बन्ध रहता ही है। इनमेंसे किसी एक बोलीको जिसे सहजमें उग देशादा जनसमुदाय नमम क्षैत्र और घोल मक्ता है, अनायास ही उन लेना है, और विभिन्न बोली बोलनेवालोंके बीच वह भावोंके, विचारोंके तथा कार्यवाहीके माध्यम स्वस्य व्यवहारमें लाइ जाने लगती है। छोटेसे विकिरण द्वौप समूहमें ही कई भाषाएँ हैं (अगरेझोके साथ ही वार्ष, गैलिक तथा इनकी अपनी बोलियाँ भी हैं)। प्रांस, स्पेन, सोवियत रूम चीन, मेडिसिनोंकी मध्य तथा दक्षिणी अमेरिकाके राज्य, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, चकोस्लोवाकिया, बेलजियम, आयर्लैंड और अफगानिस्तान आदि कई भाषा-भाषों राज्य हैं। प्राय देशमें इससे इस एकमें अधिक बोलियाँ मिलती ही हैं। किन्तु, उनमेंसे बहु-जन-प्रधान बोलीका ही विशेष व्यवहार राष्ट्रभाषाके स्पष्टमें होने लगता है। क्षमता वह बोली मज जाती है, सुस्पृह्य हो जाती है, नागरिक हो उठती है और तब राष्ट्रभाषाकी उपाधि प्राप्त करती है।

राष्ट्रभाषा और राजभाषाका अन्तर—

प्रथम राष्ट्रभाषा और राजभाषामें अम उत्पन्न हो जाया करता है। अर राष्ट्रभाषाकी चचा हो जुकी है। राजभाषाके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है कि जिस विशेष भाषाके माध्यमसे शासन व्यवस्था चलती है, उसे राजभाषा कहते हैं। अच्छा तो यह होता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा भिज्ज न होकर एक ही हों, जिससे, साधारण जनना शासन व्यवस्थासे सहज ही में परिचित रहे। अन्यथा, सारे देशकी ही राजभाषा सीखनेके लिये अपनी शक्तिका अपव्यय करना पड़ता है।

राष्ट्रभाषाके पीछे सारे देशका घल रहता है, किन्तु राजभाषा तो विशेषत शासक गृहद्वारी के अधीन रहती है। इससे हानि यह होती है कि प्रजा-शासन व्यवस्थासे अपरिचित होकर दूर जा पड़ती है, और तब यह शासन-कार्य कुछ व्यक्ति-समृद्ध के हाथोंकी चीज रह जाती है। इस तरहके शासनकार्यमें बुद्ध्यवस्थाकी आशका विशेष-रूपसे रहती है। प्रजातश्रेष्ठ इम युगमें जबकि प्रजामा प्रत्येक व्यक्ति शासन कार्यमें दिलचस्पी लेने लगता है (लेना आवश्यक भी रहता है) तब यदि वह अपनी ही व्यवस्थासे अनभिज्ञ रहे तो उस शासन-कार्यमें निरसन्देह त्रुटियोंका समावेश हो जाता है।

अशोकके युगमें भारतकी लौकिक भाषा—राष्ट्रभाषा पालि थी। यह सर्वविदित है कि अशोकने राजभाषाके रूपमें राजकार्यके लिये पालिको ही अपनाया। परिणाम यह हुआ कि राजा और प्रजा दोनों एक दूसरेके निकट आ गये। किन्तु, जब भारतको विदेशी शासकोंके अधीन होना पड़ा, गुलमीकी बेड़ी पेरोमें पड़ गई, तब विदेशी शासकोंने अपनी-अपनी भाषाओंको भारतके जनसमूह पर लाद दिया। सारे राजकार्य शासकोंकी भाषाओंमें होने लगे। फारसी जो कि भारतभूमिकी भाषा नहीं थी, जब राजभाषा हुई तब स्वभावत प्रजा भला कैसे शासनका कार्यक्रम समझ पाती? घोड़ेसे लोगोंने अपनी सिद्धिके लिये प्रयास किया तो वे दरवारसे सब्धित हो गये। कुछने राजभाषा होनेके कारण सीखा। कुछने साहित्यिक दृष्टिकोणसे पढ़ा। फिर भी भारतका विशाल जनसमुदाय राजभाषासे अपरिचित ही रहा। क्योंकि, वह विदेशी भाषा थी। यही परिणाम हुआ अगरेजी का। लेढ़ सौ सालकी सरतोड़ कौशिशोंके बावजूद भी आज भारतके कितने व्यक्ति अगरेजी जानते हैं? इस सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अगरेजोंने भारतीयोंको अगरेजी सिखानेके लिये साम, दाम, दट, भेदकी नीतिसे यथावत काम लिया। वे प्रचारके कार्यमें बड़े कुशल थे। मिशनरी इसके उत्तरवल प्रमाण हैं। उन्होंने तरह-तरहके लालच दिये। नौकरशाही राजमें अगरेजी भाषाका ही घोलखाला रहा, फिर भी भारतकी कितनी जनता अगरेजी सीख सकी? न सीख सकनेका कारण स्पष्ट है। पहला ही यह कि उह विदेशी भाषा थी, उसमें सतत प्रयत्न करने पर भी हम अपनेको

व्यक्त नहीं कर पाते थे। दूसरा, यह कि वह हमारी इन्द्रियों के विद्युत् जबर्दस्ती लादी गई भाषा थी। भारतमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके लिये कहा जाता है कि अगरेजी आनते हैं। किन्तु, इसके लिये उन्हें किंतु वहाँ मूल्य चुकाना पड़ा है—कि, वे आपनी ही भाषामें अधिकारका दावा नहीं कर सकते। यदि इतना ही रहता तो भी कोई बात नहीं थी। जिस अगरेजीके लिये अपनी वर्गिका एक मूल्यवान अश खर्च किया, उस अगरेजी साहित्यके इतिहासमें, अगरेजी भाषियोंने उन्हें किंतु स्थान दिया है। उनका सम्मान केवल उनकी प्रतिभाके ही कारण हुआ।

राष्ट्रभाषार्थी आवश्यकता क्यों है?—

आधुनिक कालमें भारतमें लोगोंको एक सूचनेमें बोलनेके प्रयासका श्रेय अवश्य अगरेजीको मिल गया। साय ही इसके माध्यमसे कुछ जनसमुदाय द्वारे विशिष्ट जनोंकी प्रतिभाका व्याप्त भी कर सका। नवीपली श्री राधाकृष्णनजीकी प्रतिभा सर्वविदित है। भारतको अपने इस प्रकारके रमोंका गौरव है। एक शणके लिये मान है कि यदि वे अगरेजी न जानते और केवल अपनी मानवादी दृष्टिको ही बोली जानते होते तो सपारकी बात तो दूर, भारतके किसी जन उनकी विद्यतासे लाभ उठाते? व्यापक परिचय न हो पाता, ऐसे विडानके ज्ञान-विमर्शसे हम अतिक्ष रह जाते और वह विज्ञान भी अज्ञात रह जाता। राष्ट्रभाषाके द्वारा ही शामिक सीर्टिफिक, राजनीतिक, वात्य एवं आध्यतरिक आदि सब तरहसे सारा देश अपने निकटवर्ती तथा सुन्दर प्रान्तोंसे संबंधित रहता है। निमित्त बोली बोलनेवालों जनताको एक दमोंके घनिष्ठ समर्कमें आनेका सुयोग एक सर्वाधारण मायाके हारा ही प्राप्त होता है। प्रजानन शासनमें प्रजाका राज्य-व्यवस्थाके निकट रहना आवश्यक रहता है, और वह एक मायाके हारा ही समव है। निरअर देशोंमें स्नाशरता फैलानेके लिये है एवं सरकारके शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्यक्रमोंमें वह ही जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान स्तरसे साम उठावे। ऐसी हितिमें मायाका माध्यम होना अनिवार्य ही बढ़ता है।

राष्ट्रभाषाकी ज्ञेन्ता

राष्ट्रभाषा की चर्चा तो बहुधा हुआ करती है, किन्तु कौनसी भाषा विशेष ही राष्ट्रभाषा यन सकती है, यह भी निचारणीय है। किंविषेषताओंके कारण विभिन्न भाषाओंके तथा बोलियोंके बीचसे उसे राष्ट्रभाषाके रूपमें चुन लिया जाता है? राष्ट्रभाषामें कुछ अपेक्षित गुण हैं। विशाल जनसमुदाय जिस भाषाको बोलता है तथा समझता है, उस भाषाका राष्ट्रभाषा बननेवाला कुछ दावा हो सकता है। किन्तु, केवल विराट जनसमुदाय ही सब कुछ नहीं है। यह तो वास्तव गुण है। आभ्यत-रिक गुणके बिना राष्ट्रभाषा बननेवाला दावा ही अपूर्ण है। उक्त भाषामें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि प्रबलित बोलियोंके बोलनेवालोंको सहज ही ग्राह्य हो, बोधगम्य हो तथा उसके द्वारा सब प्रकारके मनोभावोंकी अभिव्यक्ति यथासमव अधिकसे अधिक हो सके। नयेसे नये शब्द, विभिन्न भाषाओंके एवं बोलियोंके उपयुक्त तथा आवश्यक शब्द उसमें सब सकें, और मनोभावोंके, विचारोंके, विभिन्न विषयोंके विशेष शब्द अभिव्यक्तिमें सहायक हों। उसमें टक्सालीपनकी घड़ी आवश्यकता है। प्रकृतिके वाणीरूपी वरदानके द्वारा हम अपने हृदयगत भावोंको प्रकट करते हैं। विभिन्न तथा विशेष ढंगसे उचारण करने पर उसमें विभिन्न अर्थोंका समावेश हो जाता है और उसे भाषाकी सज्जा दी जाती है। यदि, उम भाषामें हमारे मनोभावोंको अधिकसे अधिक अधवा पूर्णरूपसे व्यक्त करनेकी क्षमता न रही तो वह पिछड़ी हुई तथा अपूर्ण भाषा कहलायगी। धीरों सदीके, वैज्ञानिक युगके तथा प्रगतिपूर्ण वर्तमान सरारके आधुनिकनम शब्द जिस भाषाके कोपमें नहीं हैं, निससन्देह वह भाषा अधूरी हो है।

भाषाके पीछे विराट जनसमुदाय एवं क्षमताका घल रहने पर भी यदि वह दुर्लम हो तो सर्वसाधारणका समर्थन अधिक समय तक उसे नहीं प्राप्त हो सकेगा। जनता और सरलताका सबध घटा घनिष्ठ है। जनता मिश्रित लोगोंका समुदाय है। उसमें विभिन्न प्रकारकी मानसिक शक्तियोंका समावेश रहता है। यदि भाषा कठिन हुई तो वह सीमित जनसमुदायकी भाषा हो जायगी। पाणिनिके पूर्व 'स्फूर्त' 'लौकिकी' थी। जनतासे खुलीमिली थी। किन्तु जबसे वैयाकरणोंने उसे नियमोंकी शृंखलामें जकड़ा दुर दिया, और उसमें म्भाषा, क्षिण्डता आगे लगी तथा उसकी व्यापकता नष्ट हो गई।

सीमा सदृचित हो गई और पटितों एवं विद्वानों की परिधिमें हो। मध्यत्र ही गई। अगतामें विद्वानोंकी संख्या अधिक नहीं होती है। किन्तु, उन्हें अज्ञान यनाए २-३ भी बही भारी भूल है। ऐसी भाषा ही उन्हें प्राप्त होगी जिसे वे सहज ही में समझ ले और बोल लें, फिर, दूसरी ओर विद्वान् भी उसमें धपने शान और विज्ञानके विचार भी रख सकें और उसे सब तक पहुँचा सकें। इस प्रकार भाषाओं सरलता भी राष्ट्रभाषाओं अपेक्षित है।

भारतके उत्तर और दक्षिणमें दो कुल की भाषाएँ प्रचलित हैं। उत्तरमें अर्य-कुलकी और दक्षिणमें द्विविहु कुलकी। उत्तर भारतकी भाषाओंमें आभ्यंतरिक संबंध है। 'सबका' सद्यगमस्थल रहा है सस्तृत। दक्षिण भारतकी भाषाएँ—तामिल, सेलेनु, मलायलम और कश्च यथापि अनार्य कुलकी भाषाएँ रहीं, किन्तु इनपर संरक्षितका इतना जबर्दस्त प्रभाव पड़ा कि उनमें सस्तृत शब्दोंका समावेश अत्यधिक ही गया। इस प्रकार सस्तृतने उत्तर एवं दक्षिण भारतको एक दूसरेके साथ अद्भुत रूपसे सम्बद्ध कर दिया। उत्तर भारतकी मुख्य प्रचलित भाषाएँ हैं,—हिन्दी, बगला, मराठी, और गुजराती। पंजाबी एवं उद्धियाके बोलनेवालोंकी सभ्या अपेक्ष हृत क्षम है। उक्त भाषाओंमें अप्रसुमें बहा गहरा सबध है। प्रत्येकका साहिल भी समृद्ध है। एक बा दूसरे पर प्रभाव भी यथेष्ट पड़ा है। हिन्दीके नजसाहित्यका प्रभाव अपने युगमें सारे भारतकी विभिन्न भाषाओंके साहित्य पर अपूर्व रूपसे पड़ा है। बगलामें तो इसकी छाया पर 'बज्जुलि' साहिलका निर्माण ही हो गया। बड़ीरके इहसवालने गुरुदेवको विसृष्ट कर दिया। कितनी ही कविताओंमें उन्हें बड़ीरसे प्रेरणा प्राप्त हुई। बगलाकी सुन्दर हृतियोंका परिचय हिन्दीमें अनुवादके द्वारा हुआ। हिन्दी की मुश्किल मीराने शुजरातीमें लोकप्रिय स्थान प्रदण किया। मराठीके उपन्यासोंने हिन्दी जगतको आकर्षित किया।

हिन्दी साहित्य की समृद्धि—

हिन्दी साहित्यका इतिहास यथेष्ट प्राचीन है। उसके रूप चन्द, कवीर, जागसी, सूर, भीरा, दुलसी, भूषण, विद्वारी, प्रसाद, प्रेमचन्द आदि यथापि नोबेल पुरस्कारकी

भांति किसी पुरस्कारके विजेता तो नहीं थे, किन्तु कोटि-कोटि हृदयोंके विजेता अवश्य थे। विदेशी विद्वान् 'गुलाम भारत' के इन रचनोंको सराहते जरा भी न मिलके। प्रियर्सन, बीम्स, हर्नली आदि विद्वान्, अपने जीवनका अधिकांश समये उनकी ही चरमि विता गए। जिस प्रकार अपने गौरवमय इतिहास की शृष्टिभूमि पर ही एक दलित और पिटड़ा हुआ देश उत्त्यानकी प्रेरणा प्राप्त करता है, उसी प्रकार प्राचीन एवं गौरवमय साहित्यिक इतिहासकी शृष्टिभूमि पर ही कोई भाषा जनसमुदायको अनुप्राणित करती है। भारतके प्राचीन इतिहासने भी गुलामोंकी जंजीर तोड़नेमें मदद की। जिस तरह अशोक, चन्द्रगुप्त, हर्ष आदि हमारे राष्ट्रीय जीवनमें उज्ज्वल हैं, दिशान्त्रमें धूवतारेके समान हैं, उसी तरह कबीर, सूर, तुलसी आदि हमारे मानसिक जगतमें पथ-प्रदर्शकके समान हैं। वे चिरन्तन हैं। चिरन्तन कभी पुरातन नहीं होता, सदा नवीन रहता है। अन्यथा आधुनिक युगमें शुरुदेवको क्षीर, दाढ़, मलकसे प्रेरणा ही किस प्रकार पाते? (मार्ट्टन रिथ्युमें सितम्बर १९३५ में सी० एफ० एन्डूज्जूके एक लेखके भाषार पर)

प्रत्यक्ष विविधतामें आन्तरिक एकता।—

किसी विदेशीको भारत, विभिन्नताओंसे पूर्ण एक देश विचित्र देश प्रतीन होगा। निभिन्न प्रकारके लोग, नानाप्रकारके रहन सहन, आचार व्यवहार, तरहन्तरहकी घोली घोलने वाले यहाँ रहते हैं और फिर भी एक देश बहलाता है। वास्तवमें, वास्तवः ऐसका रूप ही ऐसा है जैसो कि यहाँ की प्राकृति। कहीं रेगिस्तान है तो कहीं ससारमें राष्ट्रके अधिक वर्षा भी हो जाती है, कहीं बर्फ गिरा करती है तो कहीं गर्मीके कारण लोग परेशान रहते हैं फिर भी भौगोलिक सीमा एक है। स्थानानुरूप निवासियोंके आचार व्यवहारमें अन्तर जान पड़ता है, किन्तु सांख्यिक अन्तरांग एक ही है। मनुष्यकी हादिक मनोभावनाओंकी चरम अभिव्यक्ति सर्वीतमें होती है। इस कलाके धोरमें भी भासीय एकता निराले हैंगाही रही। विभिन्न भाषी होते हुए भी प्रूपदमें गवंग आपको हिन्दी पढ़ ही मिलेंगे। प्रातीय भाषाओंमें श्रुपद गानेसी चेष्टा थी, किन्तु रात्रका नदी मिलती। सुशुर उत्तरके हिमालय प्रदेशसे लेझर कन्दाकुमारी तक

भूपदमें पद्धती भाषामें एकता है। गगा भारतमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सर्वजन पूज्य है। सुदूर दक्षिणका निवासी स्नान करते समय “गगो च यमुनेवैव गोदावरी सरस्वती” का पाठ कर गगा स्नान कर लेता है। रामेश्वरम्‌के दर्शनके बिना चारोंधारकी यात्रा दी पूर्ण नहीं होती। सांस्कृतिक एकनाकी रक्षाके लिये ही चारों धारकी मानों कल्पना की गई थी। जब शासन व्यवस्थामें ये विभिन्नतापूर्ण जाति, भाग लेगी तो उन्हें सांस्कृतिक एकनाकी भाँति और कौनसा तरत्व भारतको राजनीतिक एकताके सूत्रमें वाप सकेगा? वाह्य विभिन्नताओंके रहने पर भी राष्ट्र तभी एक कहलाता है जब उष्णका राष्ट्रीय दृष्टिकोण, सकृति, और आचार एक रहते हैं। ये तीनों बेवल भाषाके द्वारा ही एकमें बधी रह सकते हैं। इनके बिना राष्ट्रकी एकता स्थिर नहीं रह सकती है।

विभिन्न भाषाओंके बोलनेवाले—

हिन्दी, बगला, गुजराती, मराठी एव दक्षिणी भाषाओंमें सबसे अधिक सुवोध तथा सबसे अधिक बोली जानेवाली भाषा हिन्दी है।

भाषा	जनसंख्या
हिन्दी-हिन्दुस्तानी	१५०००००००
बगला	३०००६०००
मराठी	२१००००००
गुजराती	११००००००
दक्षिण	११००००००
आमारी-	२००००००
तामिल	२०००००००
कन्नड़	११००००००

उपर्युक्त छोड़ोंसे हिन्दीके बोलनेवालोंकी सख्त्या ही सबसे अधिक है, ग्रन्थ हो जाता है। व्यष्टिर्में यह थीर भी अधिक जनोंके द्वारा काममें लाई जाती है। आजसे नीढ़ वर्णरैक्षों कर्त्तव्यदारिक क्षेत्रमें हिन्दीको ही मारे भारतकी

धन्तर्भन्तीय भाषाका पद गिला । श्री राहुलजीके थम्बइमें हिन्दी साहिल-सम्मेलनके सभापतिके पदसे प्रदत्त भाषणमें (पृ० ६-७) कहा गया है कि “हिन्दीको सारे हिन्द संघके ऊपर लादनेका सवाल नहीं है । यह तो एक सीधी अवधारकी बात है । मुसलमानी शासनकालमें भी कितनी ही हमारी अन्तर्भन्तीय साधु-संस्थाएँ रहीं और वह आज तक चली जा रही हैं । उन्हींको देखिए × × × जाकर पता लगाइए कि मलायारी, तेलगू, नेपाली, बंगाली, पञ्जाबी और सिन्धी साधु-संस्थाओं किस भाषामें आपसमें बातचीत करते हैं ? हिन्दीमें और सिर्फ हिन्दीमें ।” उसीमें “भाषने एक मठके प्रतिनिधिके सम्बन्धमें लिखा है कि सो विषयके बाकू नगरके पास उसने शिलालेख खुदवाया जो हिन्दीमें ही है । इस प्रकार याधुओंके अलाइने भारतके निरंतुश एवं एकछत्र राज्यके युगमें भी ‘प्रान्तीयता तथा अखिल-भारतीयताकी समस्याको हल किया’ और आज भी भारतको एकता पक्षवातीके व्यावहारिक दृष्टिकोणसे हिन्दी ही के पक्षका समर्थन करेंगे । यदि किसी प्रकारकी शाका हो तो ‘तज्जर्ना कर ले । हिन्दी भाषा-भाषियोंकी अलग रखकर पंजाबी, आसामी, बगाली, उडिया, आन्ध्र, तामिल केरली, कर्नाटकी मराठी, गुजराती लोगोंको ही व्यवहारसे इसके बारेमें फैसला करनेके लिये छोड़ दें’ और देख लें कि कौनसी एक भाषा उनके बीच माध्यम-स्वरूप व्यवहृत होती है । गत वर्षके नवम्बरमें (शेष सप्ताह आनन्द बाजार पत्रिका) डा० सुनीतिकुमार चान्द्रज्यनि सिलचरमें एक सभामें अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि आसाम प्रान्तमें बंगला एवं आसामी भाषाकी कई घोलियाँ न्यूज़ाधिक रूपमें व्यवहृत होती हैं । ऐसी अवस्थामें जटिलतासे बचनेका सरल उपाय है कि हिन्दीको ही माध्यम बना लिया जाय ।

राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभाषाएँ ?—

कर्मी कर्मी एकसे अधिक भाषाएँ भी राष्ट्रभाषा हो सकती हैं, कहा जाता है । भारतमें कई स्थानोंसे ऐसे सुनाव पेश भी किये गये हैं, और उसमें स्वीटज़रलैंडका हवाला दिया है । इस सम्बन्धमें श्री राहुल सांकृत्यायनजीने पूर्वोक्त भाषण (पृ० ४) में कहा कि “स्वीटज़रलैंडकी तीन भाषाओंका दृष्टान्त हमारे यहां भी लागू हो सकता, यदि हमारा देश एक तहसील या एक तातुरेके बराबर होता । हमारे यहां जो

क्षेत्रीय भाषा हो गकता है, यह हे सोनियन गंगा, जहाँ ९६ भारती देशी-लिखी जाती है। इदिल भाषाओंमें छो तब भी ६०-८० प्रतिशत सह संस्कृत शब्द मिलते हैं—यहो संस्कृत शब्द को बतारो भाषाओंमें है, किन्तु सोनियनकी मंगोल दुर्धी सम्बन्धी पचासों भाषाओंवा इसी भाषामें कोइ गम्भन्प नहीं। तो भी वहके सोगोने सोपड़ी एक भाषा गानते वज्ह हुओको ही वह रपान दिया, क्योंकि वह ने अनताकी अपनी भाषा थी, और देशमें भी बहुत दूर सक प्रचलित थी। हिन्दोको भी वही रपान है। इसलिए एक भाषा रखते वज्ह हमें हिन्दोको ही देना होगा।”
यदि हिन्दी राष्ट्रभाषा न घनाई जाय तो—

यदि किसी अहिन्दी भाषा अपांत् प्रातीय भाषाको राष्ट्रभाषा घना दिया जाय तो पुछ रामरथाओंकी बुलाना बहा कठिन हो जायगा। ऊर दिए गए आँकड़ोंसे स्पष्ट हो जाता है कि कौनसी भाषा किंतु जो सोगोंके ढारा बोली जाती है। अब यदि कोई भी प्रान्तीय भाषा (हिन्दीके लिया) राष्ट्रभाषा हो जाय तो उसका तात्पर्य यह होगा कि एक अन्यसंस्कृत जनसंख्याकी भाषाको अपेक्षाकृत विराट जनसमुदाय या शेष सारे भारतके सोगोंको सीखना पड़ेगा। विचाल जनसंख्याके साथ ही क्षेत्रके विस्तारका प्रस्तुत भी लुक्का हुआ है। इसलिये हिन्दी को छोड़ अन्य किसी भी प्रान्तीय भाषाके सामने यह समस्या जटिलरमें उत्तरित हो सकतो है। दूसरी समस्या धनके व्यष्टकी भी इस टेक्की न होगी। किसकी अधिक प्रचारका क्षेत्र विस्तृत होगा, उतने ही अधिक धनकी आवश्यकता होगी। भारत कोई छोटासा देश नहीं है। अन्य किसी प्रान्तीय भाषाको सिखानेके लिए अगणित शिक्षकोंकी आवश्यकता पड़ेगी। इसको पूर्ति अपेक्षाकृत छोटे-छोटे दायरोंमें बोली जानेवाली भाषाएं कहीं तक कर सकेंगी, यह भी विचारणेय है। इतना धन, इतने शिक्षक आदिकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक नये उपरेसे काम शुरू करना पड़ेगा। किन्तु, हिन्दीके सम्बन्धमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। पहले की तो जाने दिजिए इमर दो सौ वर्षसे कमसे कम अनजानेमें अनायास ही यह काम स्वतः ही होता रहा है। हिन्दोको भारतमें ग्रामः सर्वत्र ही समझ लेते हैं, और किसी दूर तक बोलकर काम भी चला लेते हैं। केवल भारत ही नहीं, भारतके बाहर भी अन्य स्थानों पर (द१० श्रीमुनीति कुमार चारुज्यकि

उद्यूत लेखमें देखिए) इसका प्रचार है। सराएकी भाषाओंमें योक्ने तथा सदमने वालीही सल्याके दृष्टिकोणसे उसका स्थान तीसरा है।^{*} धन तथा शिक्षकोंकी समस्या भी उसके सामने नहीं रह जाती, कारण व्यापक होनेके साथ ही साथ उसके प्रचारका कार्य भी एक असेंसे हो रहा है। यदि अंगरेजी का प्रशुल्त नहीं रहता तो इतने से प्रचारकी भी आवश्यकता न होती। डॉ. चाहुज्यनि लिखा है कि हिन्दीने वर्तमान अवस्थाको किसी प्रचारके कारण नहीं प्राप्त किया है, घरन २५०० वर्षकी भाषातत्त्वकी ऐतिहासिक धाराका परिणाम है। (अमृत बाजार पत्रिका १५ जनवरी १९४८) विदेशी शासकोंके द्वारा अपरेजीकी भाविति उसे प्रोत्साहन कभी नहीं प्राप्त हुआ।† घरन यह तो सदसे ही जनताकी भाषा रही है और जनसाधारणका बल ही उसका बल रहा है। किसी प्रान्तीय भाषाके राष्ट्रभाषा होनेमें राष्ट्र की शक्ति धन और समय का अव्यय अवश्यम्भावी है।

हिन्दी, हिन्दुस्तानी, उर्दू—

किसीका प्रश्न यह हो सकता कि हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानीमें ही मुग़ला चल रहा है तो राष्ट्रभाषा फिर किसे मानें? प्रस्तुत पुस्तकमें इसके विवेचन पर भी प्रकाश ढाला गया है। हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानीमें वस्तुत कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार आदिसे लेकर अबतक जम्बूदीप, आर्यवर्ती, भारत, मारतवर्ष, ब्रह्मवर्ती,

* × × × And when Hindi is recognised as one of the great international languages, as the third great language of the world in point of numbers of speaking or understanding it taking is place in the U N O × × × (Amrita Bazar Patrika 15th Jan 1948)

† वर्तमान युगमें रेडियो प्रचारका एक मुख्य साधन है। उसके द्वारा यथासम्भव हिन्दीके प्रति दमन नीतिकी ही विदेशी शासकोंने अपनाया। उससे हिन्दी को कुछ हानि अवश्य पहुँची, और यही उनकी मशा भी थी। कारण, हिन्दीकी शक्तिका उन्हें अनुमान था, और उन्हें आशाका थी कि उसका प्रचार भारतीय एकत्राकी दृष्टि में सहायक होकर युलाम भारतको उनके पजोसे मुक्ति पानेमें सुविधा प्रदान करेगा।

हिन्दिया, हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान, हिन्द आदि एक ही देश भारतके पर्यायवाची हैं, उसी प्रसार यही की प्रमुख सथा प्रतिनिधि भाषाके ही उपर्युक्त भिन्न भिन्न नाम हैं। श्रीपद्मसिंह शासनीके इस सबधर्मे विचार प्रयान देने योग्य हैं। 'यद्यदनाम हिन्दुस्तानी' शीर्षक लेखमें 'हिन्दुस्तानी' सबधी भ्रमका निराकरण किया गया है। उर्द्दके लिए तो सभी विदान् तथा गोरतके श्रेष्ठ व्यक्तिगण एक ही मतके हैं कि उर्द्द, हिन्दीकी एक शैली भाषा है। इसे तो जर्देस्ती धार्मिक तथा अन्यान्य अवालित रगोंमें रगा गया है। परिणाम यह हुआ कि भ्रमवश उर्द्द, और हिन्दीके बीच भेदकी दीवार ख़दी हो गई और व्यर्थ ही उर्द्द, मुसलमानोंकी भाषा कही जाने लगी। लेकिन, हिन्दुस्तान के प्रामाणें हिन्दी, उर्द्द, और हिन्दुस्तानीका स्फुरण नहीं है। शहरोंमें ही इसका झन्द देता जाता है। पहिले जवाहरलाल नेहरूने अपनी Discovery of India (हिन्दुस्तान को कहानी) में मौलाना अबुलअलाम आज़ाद द्वारा व्यवहृत उर्द्दके सबधमें कहा है कि उनकी उर्द्द, अत्यन्त ही दुर्व्वह है और भारतीय मुसलमान विद्वान भाषाके इस रूपसे उनसे असहमत हैं। श्रीचार्द्वली पांडेयजीका भी इस सबधका विवेचन ध्यान देने योग्य है। कहनेका तात्पर्य यह है कि एक भाषा जिसे मासकी अशिरित जनता तो समझ जाती है उसे जर्देस्ती उर्द्दका नाम देकर मतभेद बढ़ाकर चालू करनेकी व्यष्टि क्यों की जाय। बगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, या दक्षिण भारतके प्रान्तोंको लेकर देखिए तो प्रकट हो जायगा कि वहाँकी मुसलमान जनता धार्मिक और सांस्कृतिक अवधारों पर अपने सम्प्रदायके विशेष शब्दोंका प्रयोग करती हुई भी प्रान्तीय भाषाका व्यवहार करती है, उसमें प्रचलित दुर्व्वहसे दुर्व्वह सत्त्वत शब्दोंके व्यवहारसे भी विचलित नहीं होती, किन्तु इसके विपरीत हिन्दी क्षेत्रकी मुसलमान जनता धर्म और सम्प्रदायके नाम पर सरलसे सरल, प्रचलित सरलन के शब्दों पर ध्वनिति करती देखी जाती है। यह क्यों? अपने-आपने धार्मिक शब्द विशेषका प्रयोग जब होता ही है तब भाषभेदकी सुष्ठि करना क्या उचित है? जिस प्रकार उर्द्द, हिन्दीकी एक शैली है, जिसे विशेषतः मुसलमान तथा हुद्द द्विन्दुओं ने शौक्षण्य अपनाया, उसी प्रकार अन्य भाषाओंमें भी यही बात लागू होती है। घण्टामें किटुने ही फारसी और अरबी शब्द मिल गये हैं, काज़ो नज़हल इसकाम

की तो एक विशेष शैली ही है—तो क्या उसे बङ्गलादे मिथ एक भाषा कहना उचित होगा ? कबीर, जायसी, रहीम, रसयान आदि सुसलमान ही थे किन्तु उनके सामने हिन्दी उर्दूके भेदकी समस्या तो कभी नहीं थी। अकबरके युगके अरबी फ़ारसी शब्दोंको गोस्वामी तुलसीदासजीने रामायणमें एवं अपनी अन्य इच्छाओंमें अद्वितीय कर लिया तो क्या रामायणकी हिन्दीकी संपत्ति नहीं कही जाय ? ‘गतीय’ ‘नेवाज’ आदि उनके बड़े प्रसिद्ध शब्द हैं, फ़ारसी अरबीके होते हुए भी वे हिन्दीके हैं, क्योंकि वे उसमें खप गए, उसके शब्द भण्डारमें आ गए, और शैली विशेषके रूपमें प्रयुक्त भी होने लगे ।

साम्प्रदायिक भगवेके पल्लेमें बाधकर हिन्दी और उर्दूकी समस्याको निरर्थक प्रश्न दे दिया गया । समझौतेकी नीव पर ‘हिन्दुस्तानी’ नामकी शरण भी ली गई । किन्तु यात बननेकी अपेक्षा विगड़ती ही चली गई । हिन्दुस्तान तो यास्तविक रूपमें हिन्दुस्तानकी भाषाको कह सकते हैं, जैसा कि नेहरूजीने कहा है । * इन दिनों ‘हिन्दुस्तानी’ नाम एक विशेष धर्मोंमें प्रयुक्त किया जाने लगा है । हिन्दीमें अरबी, फ़ारसी शब्द सम्प्रदाय विशेषकी तुष्टिके लिये भरे जाने लगे । बापूकी सुरक्षा एवं निष्कपटताकी आड़में कुछ लोगोंने अपनी प्रमुखताके लिये इस आन्दोलनकी सुष्टि की । राजनीतिक क्षेत्रमें समझौता किया जा सकता है, किन्तु जब संस्कृतिका प्रदर्शन आता है तो विषय विचारणीय हो उठता है । राजनीति परिवर्तनशील है संस्कृति चिरन्तन है । चिरन्तनका प्रभाव स्थायी होता है । स्थायी व्यापारोंमें किसी प्रकारका आदेश अथवा बलप्रयोग हितकारी नहीं होता है । संस्कृति, भाषा, सभ्यता आदि जिनका सम्बन्ध मानसिक जगतसे रद्दता है उनका प्रवाद स्वच्छन्द होता है । उसमें किसी प्रकारका अस्वाभाविक बन्धन स्थृहणीय नहीं है । बन्धनकी प्रतिक्रिया जब उसमें होती है तब बाध तोड़कर आसपासकी चीजोंको भी बहा ले जाती है । कोतिनाशा उत्तालतरहपूर्ण गङ्गाका रूप धारण कर लेती है । जिस प्रकार नदी घड़े-घड़े पदार्थोंकी कठोर चट्टानोंको काटती हुई, उबड़-खाथड़ जमीनके धीरसे

* हिन्दुस्तानकी कहानी (Discovery of India) में ।

मार्ग द्वा रामतल भूमि पर रहती हुई विशाल जलराशिमें मिल जाती है, उसी प्रद्यार भाषा भी कठोरता, हुम्हता, छिट्ठा, विप्रमता आदिके मध्यसे होती हुई रामतलकी और पहाती जानी है और किर समुद्रकी भाँति विशाल जनगमुदाय उसका स्वागत करता हुआ उसे भासा ऐता है। ऐतुके द्वारा नदीके इस पारसे उत पार जाया जा सकता है, बोधके द्वारा किसी-हिस्ती स्थान पर योथा भी जाता है, किन्तु लगवी गतिमें किसी प्रकारकी वाधा नदी दाली जा सकती है। फिर भी, नदीसे प्रतिपल शंका बनी ही रहती है कि इन बंधनोंको किसी दृष्ण भी वह तोड़ सकती है। प्राहृतिके ऊपर विभ्रय प्राप्त करनेका दम्भ यथा है। किसी मुहूर्त भी हम पराजित हो सकते हैं और अब पराजय होती है, तब नाश ही होकर रहता है। भाषा भी प्राहृतिक देन है। इसमें अन्धन न ढालना ही ध्रेयस्कर है। व्याकरण आदिका अन्धन भी वह उतना ही स्वीकार रहती है, जितना कि वह चाहती है। अति ही जानेपर संस्कृत या अर्थीकी तरह व्याकरणके शिक्षकोंमें युरी तरह कम जानेके काद अपने एवामाविक विकाससे वचित हो जाती है। हिन्दीकी 'सर्वमन्वय शक्ति' तथा 'सर्व सम्प्रहण'-शक्ति अपरिमित है। वह स्वतः ही शब्दोंको अग्रना रेती है। जनताके निकटतम हो पहुँचनेका प्रयास सदासे उसका रहा है। दो सौ कर्प पहले हिन्दीकी ब्रजबोली में उसके साहित्यकी रचना होती थी, किन्तु उसे आगतप्राय वैज्ञानिक युगका आभास मिल गया। उसे अनुमान हो गया कि यह युग जीवनकी विविधताओंसे तथा विचारोंकी व्यापकतासे पूर्ण होगा। मुद्रण कलके कारण जीवन द्रुतगतिपूर्ण हो उठेगा। उस अवस्थामें ब्रजभाषाकी कोमल-कान्त-पदावली जीवनके कठोर सत्यके भारको बहन न कर सकेगी। गदाका ही माध्यम उपयुक्त होगा। निदान, हिन्दी में यही बोलीको अपनाया, और यद्य उसमें निश्चर उठा। हिन्दीकी यह भी विशेषता है कि समयकी आवश्यकताके अनुसार यह अपना हम धारण कर रहती है। यह संयुक्तप्रान्तकी भाषा है, और उसपर अपने प्रान्तकी उस विशेष शिष्टाका प्रभाव भी योष्ट पढ़ा है, जिससे कि संयुक्तप्रान्तका निशासी अन्य प्रान्तके किसी व्यक्तिसे मिलनेके पश्चात् इसी कोशिशमें रहता है कि आगन्तुकके व्यवहार तथा बोलीकी उसकी सुविधाके लिये अपना ले, जिससे अतियि विशेषको अपूर्विधा न हो, हिन्दीने

अनायास हो अपने कमके अनुसार प्रांतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओंके अभिव्यक्ति-पूर्ण विशेष शब्दोंको अपना लिया है।

आज, लोगोंको हिन्दुस्तानी इसीलिये असह्य हो उठी है कि उसमें उसकी स्वामाविक विशेषताके रहते हुए भी जवर्दस्ती शब्दोंसो भरा जा रहा है। संस्कृत-गमित हिन्दी भी उसी प्रकार असहनीय है, जिस प्रकार फारसीनिष्ठ हिन्दी। इन दोनोंका यह रूप केवल प्रतिक्रियाके कारण ही हुआ है। यदि अरबी, फ़ारसी के शब्दोंको भरना छोड़ दिया जाय, तो संस्कृत शब्दोंका हठ भी स्वभवतः छोड़ा जा सकता है। फिर भी एक बात कहनी ही पड़ेगी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता इतनी उच्च रही है कि वर्तमान युगके प्रयुक्त अनेक शब्द हमें संस्कृतके भंडारसे प्राप्त हो सकते हैं, और वे भारतके प्रत्येक प्रान्तमें प्रचलित तथा प्राच्य हैं और रहेंगे। उसके लिये हमें विदेशी भाषाओंसे भिन्ना ढेनेको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आजके बहु प्रचलित शब्द (जैसे, टिकट, ट्रैन, पुलिस, बम इत्यादि) तथा विशेष शब्दोंको विदेशी होने पर भी सुविधाके लिये हम प्रहण कर सकते हैं और करते रहे हैं। इसमें किसी ग्रकारकी आपत्ति होनी भी नहीं चाहिये।

उर्दूको सम्प्रदाय विशेषको भाषा कहना व्यर्थ है। पहले ही कहा जा चुका है कि प्रान्तीय भाषाओंका व्यवहार वहाँके सभी सम्प्रदायके निवासी समाज रूपसे करते हैं। उर्दूके लिये किसी सम्प्रदाय विशेषका मोह या बन्धन नहीं है। पूर्वी पाकिस्तानके निवासी बंगलाभाषी हैं, वहाँके मुसलमानोंने विशेष रूपसे उर्दूको राष्ट्रभाषा के रूपमें मानना अस्वीकार किया है। यही मात्र अन्य प्रान्तोंके लिये भी लागू होती है। उर्दूके प्रति इस प्रकारका मोह तो अप्राप्तमक है। हिन्दी और उर्दूके सम्बन्धमें बनी हुई आजकी तथाकथित 'हिन्दुस्तानी' को लोग कितना समझते हैं, उसका अन्दाज़ तो बापूके कचरापाड़ा बाले भाषण (१९४७ के अगरतलके तीसरे सप्ताह में प्रदत्त भाषण) से लग सकता है। बापू उन महान व्यक्तियोंमें से हैं, जो मन, वचन तथा कर्मसे एक ही रहते हैं। उन्होंने जब 'हिन्दुस्तानी' का 'प्रयोग' आरम्भ किया है-तो निस्सन्देह उनसे बढ़कर उसका प्रतिपादन भी कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने अन्द्रश्य विशेष धर्योंमें प्रयुक्त 'हिन्दुस्तानी' का ही व्यवहार उपर्युक्त अवसर पर किया

था। किन्तु उनके उस भाषण को भी लोगोंको समझनेके लिये मुहरावदी शब्दको अनुवाद करना पड़ा। पापूदा पवित्र उद्देश्य किसे नामसन्द होगा? फिर भी, भाषा की मिति पर रामप्रदायिक एकता की कल्पनाको अनावश्यक स्पष्ट महत्व दिया जा रहा है। उर्दू सो कोई भिन्न भाषा ही नहीं है। उसका शब्द भड़ार एवं व्याख्यण सो हिन्दीके आधार पर है। सम्मिश्रणका प्रश्न कहाँ आता है? शैलीके लिये किसे जो प्रसन्द था वे व्यवहार करनेकी स्वतंत्रता है। साहिल्यकार या कलाकारदे लिए किसी प्रकारका आदेश लाभदायक नहीं होता है। तथ राष्ट्र हिन्दीके किस स्पष्टको 'स्टैंडर्ड' माने? यह प्रश्न किसी देशमें किसी सरकार या जनसाधारणके द्वारा हल नहीं हुआ करता। भाषाको उसका 'स्टैंडर्ड' स्पष्ट उपके समर्थ लेखक ही दिया करते हैं। हमें भी यह ज़िम्मेदारी कलाकार तथा अपने लेखकों पर ही छोड़नी चाहिए।

(राष्ट्रभाषाकी भावि राष्ट्रलिपि की एकता भी अल्पन्त भावश्यक है। जिन कारणों से एक ही भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है, तथा भारतके लिए हिन्दीको ही राष्ट्रभाषा माना जा सकता है, उन्हीं कारणोंसे एक ही लिपि राष्ट्रलिपि हो सकती है तथा गारतको राष्ट्रलिपिका सम्मान देवनागरी ही प्राप्त कर सकती है। उसकी वैज्ञानिकता एवं सुन्दरता को समर्त सासारणे निस्क्रीच स्वेच्छा किया है। भला ऐसी अमृत्यु वातुके अधिकारी होकर अन्य वैज्ञानिक एवं अपूर्ण लिपिकी शारण देना युद्धिमानीका काम तो नहीं कहा जा सकता। इस शातान्दीके प्रारम्भमें जस्तिस शारदाचरण मिनने एक लिपि विस्तार आन्दोलन किया था। कलकत्तेसे 'देवनागर' पञ्चांश प्रकाशन किया था। भारतकी एकता मुद्रण करनेके सम्बन्धमें आपकी धारणा थी कि भारतमें एक लिपिका प्रयोग हो, इससे बहुतसे भेदभाव दीप्र हो दूर हो सकेंगे। श्री सावरकरजी ने भी अपने रत्नगिरिके चन्द्री-जीवनमें देवनागरी एवं एक लिपिके सम्बन्धमें कुछ विचार एवं कार्य किए थे। इस दिशामें अभी भी निरन्तर काम किया जा रहा है। इसके सिवा, भारतकी प्रान्तीय भाषाओंने इस लिपिको अपना लिया है। मराठी एवं गुजरानी अधिकतर इसी लिपिमें लिखी जाने लगी है। सहृत्के कारण देवनागरी अहर तो प्राथ्य अधिकाश भारतीय जानते हैं, एवं पाठ्याल्य जगत भी इससे मुगरिचित है। अत लिपि छिसानेकी समस्या प्राय हल सी हो जाती है। सासारमें कहीं भी एक

राष्ट्रमें दो राष्ट्रलिपियों सुननेमें नहीं आई। कहा जाता है कि दोनों लिपियोंका शान होना चाहिए। यों तो शौकसे चाहे कोई कर्द भायएं एवं लिपियां सीर ले, किन्तु अनिवार्य स्पर्से एहसे अधिकके लिए और देना व्यर्थ ही शक्तिका क्षय करना है। फिर ऐसी लिपि (उद्धृत्यात् मूलतः अरबी) लादी जाय जिसकी अपूर्णता प्रसिद्ध है तथा जिसे 'खुद बहुतसे इस्लामी देशोंसे देश निकाल दिया जा चुम्हा है'। बापू स्वयं भारतमें द्विजातीयताके सिद्धान्तको नहीं मानते, तथा यदि इस प्रकार दो भिन्न संस्कृति एवं जातीयताकी लिपियों उनके मतानुसार जबर्दस्ती भाज प्रचलित कर दी जाय, तो क्या भविष्यके भारतमें द्विजातीयताको स्थायीत्व नहीं प्राप्त होगा? जिसे वे एक हाथसे हटा रहे हैं, उसे दूसरे हाथसे रहाते भी जा रहे हैं!

राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रलिपिका प्रश्न कुछ नया नहीं है। राष्ट्रकी सेवा करनेवाले तथा मनीषियोंको सदा इसका सम्मान करना पड़ा है। सच्चने समानरूपसे अनुभव किया कि भाषाकी एकताके बिना राष्ट्रकी एकता स्थिर नहीं रह सकती। श्री अरविद, वकिमचन्द्र, रमेशचन्द्र दत्त, थीनिवासशास्त्री, दयानन्द सरस्वती आदिने अनुभव किया था कि अपनी प्रांतीय भाषाओंकी रक्षा करते हुए हिन्दीको राष्ट्रभाषा स्वीकार करने पर ही भारतकी एकता तथा सच्ची राष्ट्रीय साधना संभव हो सकती है। प्रस्तुत पुस्तक में भारतके विधायक तथा मनीषियोंके विचार एकत्रित किए गए हैं। भारतीय भाषाओंकी वास्तविक स्थिति क्या है, कौनसी भाषा राष्ट्रभाषाके योग्य है, एवं हिन्दीके पक्ष, विपक्ष तथा निष्पक्ष मत क्या हैं आदि एक साथ ही प्राप्त हो सकेंगे। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिको एक उचित राय कायम करनेमें सुविधा होगी। राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपिके सम्बन्धमें कई संस्थाओंने तथा कई विद्वानोंने विवेचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं। उनके द्वारा उनके व्यक्तिगत विचार तथा व्यक्तिविशेषके दृष्टिकोण ही सामने आते हैं। किन्तु अपने लिए मैंने यही ठीक समझा कि केवल अपने तर्क या अपना समर्थन ही सामने न रखकर यदि कौन क्या करता है, वहां सकू तो निर्णय ठीक किया जा सकेगा। अतः भारतके राजनीतिके, समाजके, तथा साहित्यके थेष्टु एवं मान्य व्यक्तियोंके विचार यथासंभव उन्हींके शब्दोंमें दिए गए हैं। मेरा यह दावा नहीं है कि इस पुस्तकमें मैंने राष्ट्रभाषा एवं लिपि सम्बन्धी समस्त विद्वानोंके समरूप

विचार एकत्रित हिए हैं। वैक्ष, दर्शनान भाले के स्थानों से तथा इन्होंके पुष्ट विचार सबके लागुण रखनेवा प्रयत्न हिला है।

इस पुस्तकमें जिन मनीषियोंके विचार तथा विचारोंसे ऐसा दिखा गए हैं, वे मेरा पन्द्रहांश्च श्रीमार कर्म, छाप ही जिनकी सद्दर्शनता, उद्योग एवं गुमताके बिना इस पुस्तक का प्रकाशन हजारी दीप्तिकाले साप होना संभव नहीं था वे भी मेरा पन्द्रहांश्च प्रदृष्ट करें।

यंगीय हिन्दी परिपद
कलकत्ता
१९ अक्टूबर १९४८

}

कमला देसी गर्ग



विषय-सूची

→ ← → ←

विषय

		पुष्ट
१.	गार्सों द तासी	१
२.	श्री केशवचन्द सेन	१
३.	„ भूदेव मुखर्जी	३
४.	„ धर्दानन्द	३
५.	„ गणेशर्षकर विद्यार्थी	४
६.	„ पश्चिम शर्मा	६
७.	„ सी० एफ० एन्डूज	७
८.	„ रवीन्द्रनाथ ठाकुर	२९
९.	„ सुभाषचन्द घोष	३०
१०.	„ श्रीनिवास शाही	३५
११.	महात्मा गांधी	३७
१२.	पण्डित जवाहरलाल नेहरू	५०
१३.	„ डा० राजेन्द्र प्रसाद	६०
१४.	„ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	५०
१५.	डा० राजन	८४
१६.	श्रीमती अनन्दजम्माल	८३
१७.	डा० श्री इयामाप्रसाद मुखर्जी	८५
१८.	आचार्य श्री काका कालेलकर	८६
१९.	डा० ताराचन्द	९५
२०.	„ कन्दैयालाल झुंशी	१०३

विषय	पृष्ठ
२१. श्री वियोगी द्वारा	१०६
२२. „ धालहृष्ण रामर्जुन 'नवीन'	११४
२३. „ सम्पूर्णानन्दजी	१२८
२४. „ अग्निकांशसाद् वाजपेयी	१३६
२५. डा० अमरनाथ माता	१४१
२६. „ धीरेन्द्र वर्मा	१४६
२७. „ सुनीतिकुमार चान्दुर्ज्या	१५९
२८. „ ललिताप्रसाद सुकुल	१६९
२९. „ चट्टबल्ली पाण्डेय	१७२
३०. „ मौल्यी महेश प्रसाद	२२४
३१. डा० रघुवीर	२२७
३२. , भद्रन्त आनन्द कौशलत्यायन	२३४
३३. „ रामकृष्ण शुक्र 'शिलीमुख'	२३९
३४. „ द्यामनारायणजी	२४३
३५. गोधंजी तथा टंडनजीका पत्र-व्यवहार	२५३
३६. „ प्रभाकर माचवे	२६६
३७. „ प० इन्द्रविद्यावाचस्पति	२७०
३८. „ मलीहावादी शाहव	२७२
३९. „ विविध समाचार पत्रोंमें	२७५
४०. „ भारतीय भाषाओंका मानचित्र	२८३



हिन्दी ही क्यों ?

गार्सी द तासीं —

[अबसे १६८ वर्ष पहले अर्थात् १७५० ई० में गार्सी द तासीं ने 'हिन्दवी' तथा 'भाषा' शब्द हिन्दीके अर्थमें प्रयुक्त किया था और उसे देश भरकी प्रचलित माषा माना था । यह सर्वविदित है कि हिन्दीका एक और नाम भी 'भाषा' के नामसे प्रचलित था । तुलसीदासजीने भी कहा है 'भाषा भणति थोर मति मोरी' । अतः 'हिन्दवी' का अर्थ तासीं साहशने 'भाषा' अर्थात् हिन्दीके ही अर्थमें माना है स्पष्ट हो जाता है । —]

× × × ×

मैं ने तदरीके लिये वह जगन अलियार की है, जो हिन्दुस्तानके तमाम सूर्योंको जगान है, यानी हिन्दवी, जिसे भाषा कहते हैं, क्योंकि इसे आम लोग बख्ती समझते हैं और वडे तबके के लोग (भद्र व्यक्ति) भी पसन्द करते हैं । × × ×

(क्रौंच विद्युत् गार्सी द तासींके पांचवें भाषणसे—'हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी', स्वर्गीय पदित प्रभसिह शर्मा—हिन्दुस्तानी एकेडमी पृ० नं० १८) ~

श्री केशवचन्द्र सेन—

[बंगालके सांस्कृतिक तथा राजनीतिक निमणि कर्ताओंमें श्री केशवचन्द्र सेनका नाम प्रमुख व्यक्तियोंमें है । उन्होंने भी ७१ साल पहले राष्ट्रीय एकत्रके लिए हिन्दीकी आवश्यकताको अनुमत किया था । तब

* उपर्युक्त पुस्तक उन्होंने 'हिन्दुस्तानी एकेडमी' के लिए लिखी थी । अतः उपर्युक्त अनुवाद जिसमें 'उर्दू' का रंग गहरा है, एकेडमीकी भाषा विषयक नीतिकी पाबन्दीहा नमूना मालम होता है ।

उद्दू, या हिन्दुस्तानीका प्रश्न तो उठना ही नहीं बरन् अन्य भाषाओंका भी राष्ट्रभाषा घननेका दावा करना उत्तम श्रीमान होता है।]

× × × ×

८६ यदि एक भाषाके न होनेके कारण भारतमें एकता नहीं होती है तो और चाहा ही क्या है !—तब ऐसे भारतवर्षमें एक ही भाषाका व्यवहार करना ही एकमात्र उपाय है। अभी इतनी ही भाषाएँ भारतमें प्रचलित हैं, उनमें हिन्दी भाषा ही सर्वत्र प्रचलित है। इसी हिन्दीको यदि भारतवर्षकी एकमात्र भाषा स्वीकार कर लिया जाय, तो सहज ही में यह (एकता) समझ हो सकती है। किन्तु राज्यकी सहायताके बिना यह कभी भी सम्भव नहीं है। अभी अमेज हमारे राजा हैं, वे इस प्रस्तावसे सहमत होंगे, ऐसा विश्वास नहीं होता। भारतवासियोंके बीच फिर फूट नहीं रहेगी, वे परस्पर एक हृदय हो जाएंगे, आदि सोच कर शायद अप्रेजेंट्सके मनमें भय होगा। उनका ख्याल है कि भारतीयोंमें फूट न होने पर, निटिश समाज्य भी स्थिर नहीं रह सकेगा। × × × ×

× × × भाषा एक न होने पर एकता सम्भव नहीं है। (श्री केशवचन्द्र सेन —मुलभ समाचार १८७५ ई०)

× × × ×

यदि भाषा एक ना हड्डे भारतवर्षे एकता ना है, तबे ताहार उपाय की ? समस्त भारतवर्षे एक भाषा व्यवहार करा इं उपाय। एখন जतोगुलि भाषा भारते प्रचलित आहे, ताहार मध्ये हिन्दी भाषा ही प्राय सर्वत्र प्रचलित। एइ हिन्दी भाषाके यदि भारतवर्षे एकमात्र भाषा करा जाय, तबे अनायासे शीघ्र समझ हड्डे पारे। किन्तु राजार साहाय्य न पाहडे कखनोइ समझ हड्डे ना। एखन इगरेज जाति आमादेर रुजा। ताहारा जे ए प्रस्तावे सम्मत हड्डेन, ताहा विश्वास करा जाय ना। भारतवासीदेर मध्ये अनैक्य थाकिवे ना, त हारा परस्पर एक हृदय हड्डे, इहा मने करिया हृय तो इगरेजेर मने भय हड्डे। ताहारा मने करिया थारेन जे, भारतवासीदेर मध्ये अनैक्य ना थाकिले, निटिश समाज्य दिवर थाकिवे ना। × × × भाषा एक ना हड्डे, एकता हड्डे पारे ना ! ”

(श्री केशवचन्द्र सेन—मुलभ समाचार—१८७५ ई०)

श्री भूदेव मुखर्जी—

[प्रायः ५० वर्ष से भी अधिक हुए श्री भूदेव मुखर्जी ने भी निम्नलिखित वक्तव्य के द्वारा सूचना दी थी कि भारत की राष्ट्रमापा यदि कोई हो सकती है तो वह हिन्दी ही है। इनके वक्तव्य से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी में कोई अन्तर नहीं है। यहां तक कि मुसलमानोंने भी इसके प्रचार में सहायता की थी। यह कहना असंगत न होगा कि कशी कशी से यह भी आजान्त आनी है कि बंगला राष्ट्रमापा हो। इस उद्दरण के द्वारा उस आजान्त का उत्तर मिल जाता है।]

१६५ | रत्नो प्रचलित भाषाओंमें हिन्दी-हिन्दुस्थानी ही प्रधान है, एव मुसलमानोंको कृपासे वह सारे देशमें व्याप है। अतएव यह अनुमान किया जा सकता है कि इसीका (हिन्दी का) अवलम्बन कर किसी सुदूर भविष्यमें सारे भारतवर्षकी भाषा सम्मिलित रह सकेगी।

('अचर-ग्रन्थ, ५ वा सस्करण, चिन्सुरा बगला सबत् १३२८, पृ० स० १९०')

'भारतवासीर चलित भाषा-गुलिर मध्ये हिन्दी हिन्दुस्थानीई प्रधान, एव मुसलमान दिगोर कल्याणे उहा समस्त-महादेश-ब्दापक। अतएव अनुमान करा जाइते पारे जे, उहाके अवलम्बन करिया-इ कोनो दूरवर्ती भविष्य काले समस्त भारतवर्षे भाषा सम्मिलित याकिये।' (अचर-ग्रन्थ, ५ वा सस्करण चिन्सुरा बगला सबत् १३२८ पृ० स० १९०)

श्री श्रद्धानन्द—

[श्री श्रद्धानन्दजीके वक्तव्य से यह निर्विगाद रूप से स्पष्ट हो जाता है, कि 'हिन्दी' के भीतर कुछ ऐसे गुण हैं जो उसकी सार्वभौमिकता के दावेको स्थिर कर सकते हैं। धार्मिक, सास्कृतिक तथा राजनीतिक ऐक्यकी ध्वनि इसमें स्वयं ही प्रतिध्वनित होनी है।]

भू गलपुके चतुर्थ हिन्दी साहिल-समेलनके समाप्ति महात्मा मुंशोहम जी (यादको स्वामी ध्रदानन्दजी) थे, उन्होंने सरने भाषणमें हिन्दीके स्थानमें सर्वत्र आर्य-भाषा शब्दका ही प्रयोग किया है, और इस शब्दके प्रयोगके लौचित्यका यह हेतु दिया है—

“मैं कहे थार ‘आर्य-भाषा’ शब्दका प्रयोग किया है। जिसे आप हिन्दी कहते हैं, उसे मैं आर्य-भाषा कह कर मुक्करता हूँ। इसका मुख्य कारण तो यह है कि भारतके ही एक पूर्व माननीय सभासभिके कथनानुसार इस भाषाही बुनियाद उस समय पहुँचुकी थी, जब यह देश हिन्दुस्थान नहीं, बरन् आर्यवर्त कहलाता था। इस भाषाको दूस के बल हिन्दुओंकी ही भाषा नहीं बनाना चाहते, प्रधुत सारे देशी राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, जिसमें जैन बौद्ध, मुसलमान, इसई सभी सम्मिलित हैं, इसलिए मैं इसे आर्य-भाषा कह कर मुक्करता हूँ।” (चतुर्थ हिन्दी-साहिल-समेलन मागल्युरका कर्त्य-दिवरण, भाग प्रथम, पृष्ठ—१५।)

*

थ्री गणेशशंकर विद्यार्थी—

[निम्नलिखित लेखमें स्वर्गीय विद्यार्थीजी हिन्दीको मारतकी (बलिद वे तो समस्त जनसार पर इसके प्रभावकी कल्पना करते हैं) राष्ट्रभाषा मानते हैं। आपका दृष्टिक्षेप केवल राजनीतिक ही नहीं, बरन् प्रथानाथः सांस्कृतिक ही है। यद भी एक मूल्यवान तथा विचारणीय दृष्टिक्षेप है। राजनीति परिवर्तनशील है, संस्कृति स्वायी होती है। इसीलिए भंस्कृतिकी ध्यानमें रखने हुए ही राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें विचार करना उत्तम होता है।]

राष्ट्र भाषा का उज्ज्वल स्वर

हिन्दी को अपने पूर्ण-संवित पुन्य का बल है। यशा के बहुत बड़े विशाल खण्डमें वित समय गर्वाया अन्धकार था, लेय अङ्गन और अर्पणमें हूँये हुए थे, दिस-बन्धुव और लोह-कल्पणा भव भी दूसके मनमें उदय नहीं

हुआ था, उस समय हरा देशसे यदूर देश देशान्तरी में पैद़कर बौद्ध भिषुओंने यहेच्यदे देशोंसे लेफ्ट अनेकानेह उपत्यकाओं, पठारों और तत्कालीन पहुचसे बाहर गिरि-गुहाओं और समुद्र-तटों तक जिस प्रकार धर्म और अहिंगाका सदिश पहुचाया था, उसी प्रकार अदूर भविष्यत् में उन पुनीत सदेशवाहकोंकी सतति सार्वत और पाली की अपना हिन्दी द्वारा भारतवर्ष और उसकी सुस्कृति के गौरव का सदेश एशिया महाद्वारण के प्रत्येक राज मध्य पर सुनावेगो। मुझेतो वह दिन दूर नहीं दिखाई देता, जब हिन्दी साहित्य, अपने सौष्ठवके कारण जगत् साहित्यमें अपना विशेष स्थान प्राप्त करेगा और हिन्दी भारतवर्ष ऐसे विश्वाव देशकी राष्ट्र भाषाकी हैसियत से, न केवल एशिया महाद्वीपके राष्ट्रोंकी पवायतमें, किन्तु सासार भरके देशोंकी पवायतमें, एक साधारण भाषाके समान न केवल बोली भर जायगी, किन्तु अपने घलसे, सासारकी बड़ी-बड़ी समस्याओं पर भरपूर प्रभाव डालेगी ।

यद्यपि हिन्दीके अस्तित्व पर अब इस प्रश्नारके युले प्रहार नहीं होते, किन्तु उके मुद्रे प्रहारोंकी कमी भी नहीं है, जो उस पर और इस प्रकार देशकी सुस्कृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। साहसके साथ और उस अगाध विश्वासने साथ, जो हमें हिन्दी भाषा और उसके साहित्यके परमोन्नत भविष्यत् पर है, हमें इस प्रकारके प्रहारोंका सामना करना चाहिये और जितने घल और किया शीलनाके साथ हम एसा करेंगे, जितनी हुत गनिके साथ हम अपनी भाषाकी नृटियोंको पूरा करेंगे और ३२ करोड़ व्यक्तियाकी राष्ट्र भाषाके समान बलशाली और गौरवयुक्त बनावेंगे, उतनी ही शीघ्र हमारे साहित्य-सर्वोंकी रसियाँ दूर-दूर तक समस्त देशोंपर पढ़कर भारतीय सुस्कृति, ज्ञान और कलाका सदेश पहुचावेगी, उतने ही शीघ्र हमारी भाषामें दिये गये भाषण सासारका विविध राजस्थलियोंमें गुजरित होने लगेंगे और उनसे मनुष्य जाति मात्रको गति मति पर प्रभाव पढ़ता हुआ दिखाई देगा, और उनने ही शीघ्र एक दिन और उदय होगा और वह होगा तब, जब हस देशके प्रतिनिधि उसी प्रकार, जिस प्रकार आयरैण्डके प्रतिनिधियाने इंग्लैंडसे अन्तिम सधि करते और स्वाधीनता प्राप्त करते समय, अपनी विश्वत 'गौलिङ'

में सधिगत पर इस्लामिक क्रिये थे, भारतीय स्वाधेनता के हिस्तो स्वाधीनता पत्र पर हिन्दी में अपने इस्लामिक हत्ते हुए दिखाई देगी । *

श्री पद्मसिंह शर्मा—

[निजलिखित उद्घृत अंशमें स्वर्गीय श्री पद्मसिंह शर्माजीने हिन्दीके मित्र-मित्र नामोंके कारण भ्रम हो जानेके विषयमें बड़ा ही तात्त्विक विवेचन किया है । नामजी विभिन्नताके कारण वस्तुमें अन्तर नहीं 'पड़ता है । वस्तु प्रकृत है, अन्तर्भाव भी एक है केवल विभिन्नता है नामों की, और लोग इसका दुरुपयोग कर बैठते हैं अपने अवसरकी प्राप्तिके लिये । इस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणका मी, राष्ट्रभाषाके संबंधमें निर्णय करनेके पहले विचार कर लेना बद्यन्त आवश्यक है । नामोंकी विभिन्नताके कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता है, इसका विवेचन प्रो० ललिता प्रमाद सुकुलके लेख 'वदनाम हिन्दुस्तानी' में भी किया गया है ।]

× × × ×

७। ती भेदसे ठंड हिन्दी, शुद्ध हिन्दी और तिचही हिन्दी इत्यादि भाषाके कुछ अट्टमें नाम और भी घर लिये गये हैं, जिनका उल्लेख उच्छ लेहकोंने किया है, पर इनका अन्तर्भाव इन्हीं पूर्वोक्त नाममें निहित हो जाता है । इसलिये इनका पृष्ठव् विचार करनेको आवश्यकता नहीं ।

सभामें एक वस्तुके अनेक नाम होते हैं । प्रत्येक नामका उच्छ न उच्छ कारण भी होता है । सिर भी नमनेमें वस्तुमें भेद नहीं हो जाता—उस उस नाम होने पर भी चौंड एक ही रहता है । नाम एक प्रकारके उपाधि है, जिसे तात्त्विक दृष्टिसे वेदान्तमें मिथ्या बतलाया है । सिर भी व्यवहार में बहुशा यह नाम

* स्व० गोप्यजी के एक भाषण से ।

(बीर अंजुन १४ अक्टूबर १९४५)

मेद ही मतमेद और साम्प्रदाय-भेदका कारण बन जाता है। एक दृष्टिके विज्ञ-मिद नामोंको लेकर उपासक लोग अपसमें लड़ने-भगाइने लगते हैं और नाम भेदके ही कारण अपने उपास्य या दृष्टिके स्वरूप भेदकी न्यायी कल्पना कर लेते हैं। इस प्रकार एक ही वस्तु नाम-भेदके कारण अनेक रूप धारण कर लेती है। अन्तमें नाम भेदकी यही मिथ्या आंति-उपासुकोंके कलहका कारण बन जाती है।

हमारी हिन्दी भाषा एक थी, और एक है; पर हिन्दी और उर्दूके नाम-भेदसे उसके दो जुदा जुदा रूप माने जाने लगे। उसके उपासकोंने, अपनी-अपनी रचि और संस्कृतिके अनुसार, उसकी विभिन्न आकार प्रकारकी दो गृहिणीयां यनाकर राही कर दी हैं। भाषा देशको एकत्रके सूत्रमें वीधनेका, जातीयताका—कारण होती है, लेकिन दुर्भाग्यसे यहाँ रुल्टी बात हो रही है। एक ही भाषा, मिथ्या नाम भेदके कारण भव्यकर सम्प्रदाय-भेदका कारण बन रही है। संसारमें और कहीं ऐसा अनोदार उदाहरण ढूँढ़ भी न मिलेगा। यह जितने आश्चर्यकी बात है, उतनी ही दुर्भाग्य और दुःख की भी। नाम-भेदके कारण भाषामें भेद कैसे पह गया—हिन्दी और उर्दूको जुद जुदा करनेवाले कारणों पर ठंडे दिलसे विचार करनेकी ओर, हो सके तो उन्हें दूर करनेकी वही जहरत है।

('हिन्दी, उर्दू, और हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानी' एकेडमी १९३२)

श्री सी० एफ० एन्ड्रूज—

[दीनबंधु श्री सी० एफ० एन्ड्रूजको भारतीय अन्य समस्याओंके साथ भाषा समस्याने भी आकृष्ट किया था। उन्होंने भी एक भाषाकी आधिकारिकताका अनुभव किया। इसके लिये उन्होंने हिन्दी हिन्दुस्तानीको अपनाना उचित समझा। एन्ड्रूज साहब अपनी उदार मनोवृत्तिके कारण अरबी, फारसी, तामिल, तेलेगू, बंगाल इत्यादि भारतकी सभी भाषाओंके शब्द हिन्दुस्तानीमें देखना चाहते थे। फिर भी एक ही भाषा चाहते थे। यथार्थमें उनका यह सुझाव अत्यन्त सुन्दर है। किन्तु, एक बात खटकती-सी

है, वह यह है कि उन्होंने 'हिन्दुस्तानी' कह कर एक नवीन भाषाकी वर्लपना कर ली। प्रचलित हिन्दी-हिन्दुस्तानीकी ओर सम्भवतः उनका ध्यान ही नहीं गया। हिन्दीका टक्कमाली पन बड़ा प्रसिद्ध है। यह उसकी स्वामाविक विशेषता है कि अन्य भाषाओंकी अपेक्षा वह अत्यन्त शीघ्र और सुगमतासे पिरेशी तथा अहिन्दी शब्दोंको अपना ले रही है। चार सौ वर्ष पहले लिखी गई 'रामायण' इस व्यंगनकी पुष्टि करती है। किसी बनावटी भाषाकी सुष्ठुपि करना, उसमें अस्वामाविक रूपसे शब्दोंकी भरमार कर जनता पर लादना आदि प्रयास व्यागे चलकर व्यर्थ हो जाते हैं। साधारणतः माता तो अपनी सुविधानुसार जननके द्वारा ढलनी तथा विभिन्न भाषाओंके शब्दोंको अपनानी हुई भावोंको व्यक्त करती है। यह उसकी स्वामाविक क्रिया है। इसे जटिलता किसी नए सांचेमें ढालनेकी चेष्टा न करना ही श्रेयस्कर है।]

आधुनिक भारतकी भाषा-समस्या

प्रस ज्ञानीमें प० जवाहरलाल नेहरू कामेसके प्रेसीडेन्ट थे, 'वेस्टिक हिन्दी' के नामसे उन्होंने एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी थी। उससे प्रेरित होकर सौ० एन्ड्रूज साहबने एक लेखमालाके रूपमें भारती भाषा समस्याके बारे अपने विचार प्रकट किये थे। वे कहते हैं कि "जवाहरलालजीकी त्रिपु मुस्लिमका का भीने जिक किया, उसमें ठीक हो इस बात पर जोर दिया है कि भारती भाषा विषयक समस्या इतनी कठिन नहीं है, जैसी प्रायः लोग करना चाहिया है।" मदरि भारतवर्ष एक देश नहीं, बरकर महादीप है और भाकार-प्रशारमें परियोग मुरोग खेला लक्ष्या-चौका है ही, लेकिन व्रतिदिव्या अनुभव कम अधिक्षेजनक नहीं होता है अब हम देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारमें हमें भाषा विषयक कोई विशेष अड्डन नहीं उठानी पड़ती है। योरोपीय देशोंका भारतीय विज्ञान कर यह कहता हि भारतवर्षमें १४० विभिन्न भाषाएँ प्रचलित हैं, केवल अद्वितीय ही नहीं वह निरपेक्ष भ्रम पैदा करने वाली बत्तें हैं। ऐसी वेगर पैराडी बड़ोंहासीपा तत्त्वज्ञ यह गिर्द करनेहां होता है कि भारतवर्ष कभी एक राष्ट्रहा स्वयं भर्ती

कर सकता है, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। क्योंकि, पोली और भाषामें अन्तर है और यदि ये भेद समझमें था जाय तो प्रधान भारतीय भाषाओंकी सह्या पहुत थोड़ी है। राष्ट्रभाषा या जनभाषाकी प्रधान अहंकर्णे पुछ बांशोंमें उत्तर और दक्षिणकी बोलियोंको लेकर और दूसरी उत्तरमें प्रचलित दो प्रबल धार्मिक संस्कृतियोंके कारण है। हिन्दू और मुस्लिम धर्म शताव्दियोंसे चले थे रहे हैं और दोनोंका आधार हिन्दी और उर्दू पर भिज उपसे स्थित है। हिन्दू अपने धर्म-ग्रन्थोंको संस्कृतमें लिखा हुआ पाते हैं, इस नाते भाषाके विषयमें सदा उनको निमाह संस्कृतकी ओर जाती है। बंगला, मराठी, गुजराती इस धर्ममें हिन्दीसे पुछ पहुत भिज नहीं है। उसी प्रकार मुसलमान अरबीकी ओर झुकता है, क्योंकि उसके धार्मिक ग्रन्थ सब अरबीमें हैं। इस प्राचीन अरबीके प्रभावसे जिसमें 'कुरान' लिखी गई है, फारसी, परस्प, और उर्दू खाली नहीं। इसका प्रभाव मुसलमानोंकी लिपि पर भी पढ़ा। पिछले वर्ष जब मैं भारतवर्ष लौटा तो हिन्दी और उर्दूके तुम्हुल दून्हको देखकर मुझे पुछ कष्ट हुआ। लेकिन सन्तोष इस बातका है कि देख रहा हूँ अब लोगोंने समझ लिया है कि यह विवाद वास्तविक रूपमें अध्ययनोन्मुख है, इसमें मन-मुटाव और मसादेकी गुणायश नहीं। अब चूंकि शाति स्थापित हो चुकी है मैं समझता हूँ कि इस आवश्यक प्रश्न पर मैं कुछ महत्व पूर्ण प्रकाश ढाल सकूँगा।

जब मैं केविंबमें था तब श्रो० ई० जी० ब्राउनने एक व्याख्यानमाला प्रारम्भ की थी, जिसका शौर्यक था फारसीकी 'आर्य-पृष्ठ भूमि'। इसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि प्रारसी इस्लामी भाषा होते हुए भी अपने दांचेमें अरबीकी अपेक्षा उत्तर भारतकी आर्यभाषासे अधिक मिलती जलती है, क्योंकि अरबी तो 'सेमेटिक' भाषा है और उसके मूँऱ तत्व भी सेमेटिक हैं। प्राचीन फारसी भाषाके शब्द और उसको लिखि जो 'अवेस्ता' में प्राप्त है उनमें और संस्कृतमें बहुत अधिक समता है और यह अनिवार्य रूपसे पारस और भारतके बीच एक निकटता स्थिति कर देती है।

अनेक खारणोंसे हिन्दीको ही भारतकी राष्ट्रभाषाके योग्य समझते हुए उन्होंने कुछ दलीलें दी हैं और अपने दागसे यह सिफारिश की है कि केवल उर्दू या फारसी

द्वी नहीं बल्कि उत्तर और दक्षिणके अन्य प्रान्तोंमें बोली जानेवाली विविध भाषाओंके प्रचलित शब्द भी हिन्दीमें लेकर चलू कर लिए जाए, ताकि वहाँके निवासियोंकी हिन्दीके अपनानेमें अधिक सुविधा हो। जगह-जगह पर अग्रेजीके अनावश्यक प्रचलिन होनेकी छन्दोंने कही आलोचना की है और उन्हं वह दिन दूर नहीं देख पड़ना जब वह हिन्दुस्तानवाले अपनी इस भाषा विषयक मुहताजी पर शायद लज्जित होंगे और हिन्दीको राष्ट्रभाषाके स्पर्में अपनाकर अपनेको धन्य मानेंगे।

(अमृत बजार पत्रिका, अगस्त ३, १९३८)

The Language problem of Modern India.

(By C. F. Andrews)

A pamphlet written some time ago by Pundit Jawaharlal Nehru when he was president of the Congress has stimulated me to write on the language problem of modern India, as it has been brought before me during half a life of residence in that country. In the following articles, I propose to carry the subject one step further from my own experience.

The pamphlet I have referred to rightly asserts that the language problem of India is by no means as difficult as people have been led to imagine. India is a continent, as big as the whole of Western Europe, yet it is wonderful to find out by actual experience how very seldom human intercourse is blocked in any province by the mere obstacle of language. Indeed, all the constant iteration by European writers, about there being 'over a hundred and forty different languages in India', is not only wrong in

fact, but also very misleading. Indeed, it is often intended to prove that India can never be a Nation. Yet the truth is just the opposite. For the main Indian languages (as contrasted with dialects) are few in number. The one sharp division of common speech is between the northern and the southern group. There is also a further difficulty in the north, with which the present articles will chiefly deal. Two great religious cultures, Hinduism and Islam, stretching back for many centuries, have to be carefully considered side by side, for they carry different language problems with them. The Hindu naturally looks back to his own scriptures, written and recited in Sanskrit. This ancient classical speech stands behind a whole series of Indian languages in the north such as Bengali, Hindi, Marathi, Gujarati etc. The Muslim, on the other hand, naturally looks back to his own scriptures which are written and recited in Arabic. This Arabic classical language of the Holy Quoran influenced Persian, Pushto, Urdu, and to a lesser extent the common speech of Sind. It has also influenced their script.

When I returned to India last year I was somewhat distressed to find that a controversy has arisen as to the influence and expansion of these two northern groups which have Hindi and Urdu as their background. It has been a great relief to me to see that the great unwisdom of quarrelling over such an academic question has now been widely recognised. The whole matter may at last be discussed without any angry feelings being roused.

ही नहीं बरन उत्तर और दक्षिणके अन्य प्रान्तोंमें थोली जानेवाली विविध भाषाओंके प्रचलित शब्द भी हिन्दीमें लेकर ब ल कर लिए जाएं, ताकि वहाँ स्थितियोंको हिन्दीके अपनानेमें अधिक सुविधा हो। जगह-जगह पर अप्रेज़ोंके अनावश्यक प्रचलित होनेकी उग्होने कड़ी आलोचना की है और उन्हें वह दिन दूर नहीं देख पक्ता जब कि हिन्दुस्तानवाले अपनी इस भाषा विषयक मुहताजी पर शायद लजित होंगे और हिन्दीको राष्ट्रभाषाके रूपमें अपनाकर अपनेको अन्य मानेंगे।

(अमृत घजार पत्रिका, अगस्त ३, १९३८)

The Language problem of Modern India.

(By C. F. Andrews)

A pamphlet written some time ago by Pandit Jawaharlal Nehru when he was president of the Congress has stimulated me to write on the language problem of modern India, as it has been brought before me during half a life of residence in that country. In the following articles, I propose to carry the subject one step further from my own experience.

The pamphlet I have referred to rightly asserts that the language problem of India is by no means as difficult as people have been led to imagine. India is a continent, as big as the whole of Western Europe, yet it is wonderful to find out by actual experience how very seldom human intercourse is blocked in any province by the mere obstacle of language. Indeed, all the constant iteration by spear writers, about there being 'over a hundred and forty different languages in India', is not only wrong in

fact, but also very misleading. Indeed, it is often intended to prove that India can never be a Nation. Yet the truth is just the opposite. For the main Indian languages (as contrasted with dialects) are few in number. The one sharp division of common speech is between the northern and the southern group. There is also a further difficulty in the north, with which the present articles will chiefly deal. Two great religious cultures, Hinduism and Islam, stretching back for many centuries have to be carefully considered side by side, for they carry different language problems with them. The Hindu naturally looks back to his own scriptures written and recited in Sanskrit. This ancient classical speech stands behind a whole series of Indian languages in the north such as Bengali, Hindi, Marathi, Gujarati etc. The Muslim, on the other hand, naturally looks back to his own scriptures which are written and recited in Arabic. This Arabic classical language of the Holy Quran influenced Persian, Pushto, Urdu, and to a lesser extent the common speech of Sind. It has also influenced their script.

When I returned to India last year I was somewhat distressed to find that a controversy has arisen as to the influence and expansion of these two northern groups which have Hindi and Urdu as their background. It has been a great relief to me to see that the great unwisdom of quarrelling over such an academic question has now been widely recognised. The whole matter may at last be discussed without any angry feelings being roused.

and Hindi is a Hindi language Urdu has nothing to do with Islam. In fact, it was the Hindi Finance Minister of Akbar that founded and put into use Urdu. Even to day in the Punjab Urdu is used both by Hindus and Muslims. In whatever script it is written, Hindustani is the language of India as its very name implies. Therefore, all agitation in regard to this is based on misconception".

After Dr P. Subbarayan, Education Minister, had replied to the debate the demand was put to the vote of the House and carried — United Press.

(Amrita Bazar Patrika- 1938)

तिलक घाट पर हिन्दीके समर्थनमें एक विहट जन सभाके सम्मुख माननीय श्री राजगोपालचारी मद्रासके प्रधान मन्त्रीने घोषित किया था कि "मद्रास लेजिस्लेचर के दोनों भवनोंने गुणरूपसे विचार करनेके पश्चात् हिन्दुस्तानीके पक्षमें निर्णय किया है। यदि हम इससे पीछे हटते हैं तो दम उरकारमें स्थान पानेके योग्य नहीं हैं। × × ×

Presiding over the huge gathering at the TilaL ghat organised in support of the Madras Govt's decision to introduce Hindi in Secondary schools the Honble Mr Rajagopalachariar, the prime minister, declared, "Both the houses of Madras legislature have after full consideration decided in favour of introducing Hindustani and if we shirk our duty to translate the verdict we do not deserve our place in the Government × × ×

(Calcutta Hindi Club Bulletin September 1938)

डा० राजन —

[डा० राजनके निम्नलिखित विचारसे प्ररुद्ध हो जाता है कि हिन्दी ही एकमात्र भाषा है जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कार्य सुचाह रूपसे चल सकता है। अबसे दस साल पहले ही उन्होंने अनुमान किया था कि जब “भारत के मार्यविधाता राष्ट्रकी बाणी हिन्दीमें व्याख्यान देते होंगे, उस समय हिन्दी न जानने वाले सदस्य वहाँ बैठकर क्या करेंगे ?” भारतकी राजनीतिक शृङ्खलामें हिन्दी एक वह अविच्छिन्न कड़ी है, जिसे निकाल देने पर सारी भारतीय संस्कृति और राजनीतिक एकता विद्यर जाएँगी ।]

मैं सुरक्षी हिन्दी प्रचार सभाके एक अधिवेशनमें डा० राजन ने भाषण देते हुए

कहा था कि जिस समय मद्रास प्रान्तकी सरकारने अपने रूलोंमें हिन्दी शिक्षा अनिवार्य कर दी थी, उस समय विरोधी पक्षने इसका जबर्दस्त विरोध किया था। उनकी एक या शायद सबसे अधिक जोरदार दलील यह थी कि मद्रास प्रान्त की सरकारके मन्त्री मर्लम एसे कितने व्यक्ति हैं जो हिन्दी जाननेवाला कर रहते हैं ? और, जब वे स्वयं इस भाषाको नहीं जानते तो उन्ह क्या अधिकार है कि प्रान्तके बच्चों पर इस प्रकारका अल्पाचार करें ? इसकी आलोचना करते हुए डा० राजनने कहा था कि उपर्युक्त दलील कितनी लचर है, इसका अन्दराजा दखोते राम सहता है कि विरोधीपक्षने यह भी न समझा कि मधियोग्य हिन्दी न जानना यही तो सबसे बड़ा कारण है, जिसने उन्ह प्रेरित किया कि वे हिन्दीको शिक्षाक्रम में अनिवार्य घना है। अज जिस हीनताका अनुभव मन्त्रीमटल कर रहा है, वह कैसे गवारा कर सकता है कि प्रान्तको भाषी उतार्न इस हीनताका शिक्षार घनी रहे। हिन्दी जान्दो-लम्होंकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैं देखता हूँ वजह यहीय जागरणकी भाष्याओं द्वारा इसका अभाव समन्वय है। यह जान्दारन के बड़ दर्शिण दो ही चाह नहीं बतान, यदि उसके दो ल कर देना जाय तो उचित्यार्थी है।

प्रातीय भाषाभासे या छिपीकी मातृभाषाएं हिन्दी प्रचार जान्दो-लम्हों को इनिषेप नहीं, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया था वे अभ्यसे उत्तम दृष्टि वर्ष पहुँचे थे।

प्रलक्ष देख रहे थे कि राष्ट्रकी स्वाधीनता अवश्यभावी है और स्वाधीन भारतमा राज्यशासन एक सधके ही रूपमें होगा। उसकी ओर लक्ष्य करते हुए उन्होंने निर्भीकतासे घोषित हिंदा भा कि उस सधकी भाषा केवल वही हो सकती है जो देश के अधिकारी लोगकि द्वारा समझी या बोली जाती है। और वह भाषा न कन्नड़ है, न तामिल और न अगरेजी। बरन् वह होगी केवल हिन्दी या हिन्दुस्तानी। सधके मैसूर प्रातके भावी सदस्योंकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा कि जिस समय राष्ट्रसधकी बैठकमें राष्ट्रके भाग्यविधाता राष्ट्रकी वाणी हिन्दीमें व्याख्यान देते होंगे, उस समय हिन्दी न जानने वाले यहाके सदस्य वहा बैठ कर क्या करेंगे? इसीलिये उन्होंने कहा कि म ज्ञार देता हूँ कि इस शोचनीय परिस्थितिसे बचनेका केवल एक उपाय है कि राष्ट्र-भाषा हिन्दी शोप्रसे शीघ्र सीख ली जाय। मैसूरका निवासी यदि मुझसे पूछे कि उसे हिन्दुस्तानी क्यों सीखनी चाहिये, तो म उससे इतना ही कहूँगा कि वह मैसूरकी उत्तर दिशामें कुछ मील ऊर चला जाय और वह स्वयं अनुभव कर लेगा कि वहाका सारा जनसमुदाय जिन भाषाओंमें अपने जीवनका व्यापार समादित करता है, वे हिन्दीके ही एक न एक रूप हैं और उसके साथ उसका निर्वाह बिना हिन्दी सीखे समव नहीं।

Hindi—Common Language of India.

Dr. Rajan's Address at Mysore.

The Hon. Dr T S S Rajan, Minister for public Health, Madras Government, presided over the prize distribution function held here in connection with the Summer Camp for Hindi at the Town Hall. A large gathering of ladies and gentleman was present.

The Hon. Dr T S S Rajan, in the course of his speech, observed that nowadays there were summer classes for various activities in life, like summer classes for rural education work, for physical education and for music,

डा० राजन—

[डा० राजनके निम्नलिखित विचारसे प्रकट हो जाता है कि हिन्दी ही एस्ट्रमात्र भाषा है जिसके द्वारा अन्तप्रान्तीय कार्य मुचाह लृपसे चल सकता है। अबसे दस साल पहले ही उन्होंने अनुमान किया था कि जब “भारत के मान्यविधान राष्ट्रकी बाजी हिन्दीमें व्याख्यान देते होगे, उस समय हिन्दी न जानने वाले सदस्य वहाँ बैठकर क्या करेंगे ?” भारतकी राजनीतिक शृङ्खलामें हिन्दी एक वह अविच्छिन्न कड़ी है, जिसे निकाल देने पर सारी भारतीय संस्कृति और राजनीतिक एकता विघ्न जाएँगी ।]

प्रत्यक्ष देख रहे थे कि राष्ट्रकी स्वाधीनता अवस्थामात्री है और स्वाधीन भारतका राज्यदासन एक सधके ही रूपमें होगा। उसकी ओर लक्ष्य करते हुए उन्होंने निर्भीकतादेख पोषित किया था कि उस सधकी भाषा केवल वही हो सकती है जो देश के अधिकारा लोगोंके द्वारा सभकी या चौली जाती है। और वह भाषा न कल्पन है, न तामिल और न अगरेजी। बरन वह होगी केवल हिन्दी या हिन्दुस्तानी। सधके मैसूर प्रातके भावों सदस्योंकी ओर इशारा बरते हुए उन्होंने पूछा कि जिस समय राष्ट्रसधकी बैठकमें राष्ट्रके भाग्यविधाता राष्ट्रकी वाणी हिन्दीमें व्याख्यान देते होंगे, उस समय हिन्दी न जानने वाले यहाके सदस्य वहां बैठ कर क्या करेंगे? इसीलिये उन्होंने कहा कि मैं ज़ोर देता हूँ कि इस शोचनीय परिस्थितिदेख बचनेका केवल एक उपाय है कि राष्ट्र भाषा हिन्दी शीघ्रसे शीघ्र सीख ली जाय। मैसूरका निवासी यदि मुझसे पूछे कि उसे हिन्दुस्तानी क्यों सीखनी चाहिये, तो मैं उससे इतना ही कहूँगा कि वह मैसूरकी उत्तर दिशामें दुछ मील ऊर चला जाय और वह स्वयं अनुभव कर लेगा कि वहाका सारा जनसमुदाय जिन भाषाओंमें अपने जीवनका व्यापार सम्पादित करता है, वे हिन्दीके ही एक न एक हृप हैं और उसके साथ उसका निर्वाह बिना हिन्दी सीखे सभव नहीं।

Hindi—Common Language of India.

Dr. Rajan's Address at Mysore.

The Hon Dr T S S Rajan, Minister for public Health, Madras Government, presided over the prize distribution function held here in connection with the Summer Camp for Hindi at the Town Hall. A large gathering of ladies and gentleman was present.

The Hon. Dr T S S Rajan, in the course of his speech, observed that nowadays there were summer classes for various activities in life, like summer classes for rural education work, for physical education and for music,

and he might add to this list the summer classes for Hindi. He did not know of summer was the season specially suited for the Indians for acquisition of knowledge. These activities were, he added, indication of an awakening of National life throughout the length and breadth of the country while officialdom took rest, public life and nationalism sought various avenues of self expression. One such activity which bore the stamp of a national character was this summer course for Hindi.

I was rather strange, Dr Rajan continued, that he should address a Kanarese audience in a foreign language. But that seemed inevitable. They might be interested to know, he said, that the Government of Madras had made the study of Hindi compulsory in three forms of the middle-classes. Sometime ago, a curious questionnaire was raised in one of the papers, not very friendly to Hindi movement, to the effect as to how many of the Ministers in the Government of Madras knew Hindi. Logic would have it that the Government that had forced Hindi on a population through their schools should themselves be conversant with the language which they were imposing upon the people. But this logic was one which none of them thought worthy of any attention. Now everyone knew that the Hindi movement was in its infancy and the very fact that the Ministers themselves were not quite conversant with that language should how much they felt the necessity for learning that language. By so doing, they had indicated to the future citizens of the country that the common language of India would hereafter be Hindi or

Hindustani One of the basic structures in a nationalistic endeavour was a common language which should be understood by the people of the country from one end to the other That was the fundamental principle on which the Hindustani movement was based

Dr Rajan, continuing, observed that language was the expression of thought and even animals, birds-and all created beings would find their own language The speaker explained how this language had developed in a particular manner and according to environments He also explained how the language of the eye was more powerfull than even words, particularly when the eyes of two lovers met

Proceeding, Dr Rajan, invited the attention of the people to the fact that in a country which was much smaller than four districts of Mysore (Switzerland), four different languages were being spoken and taught In modern education, one who knew more than one language was considered to be a thoroughly educated and cultured man In England, they would find that Greek, Latin and German were being taught in all the schools In a small country like Denmark children were obliged to learn three languages Another fundamental principle, to which he would call their attention, was that language did not retain the same type or pattern as it was originally framed They would find proof of this in any of the languages of this country like either Tamil or Kannada or even English The Tamil of to day was not the Tamil language of five

hundred years ago The English that every one of them spoke and wrote was not the English of five hundred years ago

Dr Rajan emphasised that language grew along with mankind One could easily find out the process of absorption and developments taking place in the languages of the world No man or woman with common sense could say that his or her language was pure or perfect Therefore, it was that the study of languages was interesting and in a way it was an index of human progress Taking the history of Mysore State and the languages spoken here, the Hon Dr Rajan said that, if Kannada did not absorb in itself all those new features which one saw all round then that language would cease to become a progressive one It was from this point of view that the speeches looked upon this Hindustani movement, consonant with the spirit of nationalism developing as comprehensive All India movement, consonant with the spirit of nationalism developing in this country

If Mysore showed this eagerness for the study of Hindustani, Dr Rajan continued, he saw in it the desire of the people of this State to share in the full national life of the country Yesterday it was a pleasure for him to witness the proceedings of the Representative Assembly which were conducted in their mother tongue Although the session began in all form with English language, it was indeed a great pleasure for him to see that, after the first performance was over, the whole Assembly went back

to the 'lap of the mother and revelled itself in the language of its mother.'

Continuing, Dr. Rajan said "I heard your illustrious Dewan Sir Mirza M Ismail's address to the members of the Representative Assembly. It was a pleasure for me to see that the idea of Federated India appealed to the Dewan in such enthusiastic manner. Such energy and enthusiasm for the Federation of this country is certainly justified in the State of Mysore. But I may tell you that the language of the Federation is going to be one that every one can understand and it cannot be either Kannada or Tamil or even English, but it is going to be Hindustani. Imagine the plight of Mysore Councillors proceeding to the Imperial capital at Delhi and trying to understand the proceedings and participating in or following them. You may take it from me that the language of the Federal Assembly which will be the real Assembly of the nationalistic elements of our country shall be Hindustani and no other language."

The Hon Dr Rajan, continuing observed that, when he said these things it should not mean he did not like the English language at all! In fact, he studied English even at the neglect of his own mother tongue, and even at the neglect of Hindustani which he was preaching so loudly. His ideas of unity, nationalism and patriotism were all derived from the study of the English language. He was thankful to that language to that extent. But he refused to recognise it as his mother tongue, not only of his province but also of the whole of India. "It is the

language of my bondage", he said "I therefore feel small that my country is still humiliated I feel that the people of this land are still humiliated and I shall feel humiliated until the country is able to express its thoughts in its own mother tongue Therefore, while talking of the language, it has become incumbent on every citizen to study the language of not only of this province but the whole country to which he belongs That is why I feel so pleased to see so many boys and girls taking part in these activities—more girls than boys in this national endeavour A few days ago speaking to women of Mysore, I laid great emphasis on the efforts made by women towards the national regeneration of this land and if our women would take to the mother tongue also, I am pretty certain of the future of this country'

Dr Rajan further suggested that men should be elected to the Mysore Representative Assembly and women of Mysore should go as representatives to the Federal Central Assembly He was perfectly certain that their women folk could give a good account of themselves if not better than men in these assemblies He had always this feeling that the national reconstruction work in India to day would have had a better future and a more sustaining future if only the movement had been entirely in the hands of women of the country Then there would less of talk less of difference of opinion less effusion and noise and there would be plenty of constructive effort He was very glad to find a friendly and sympathetic atmosphere in Mysore for the study of Hindustani Fortunately no political

conflict had been brought into this national reconstruction effort. If the Government of Mysore were waiting for indication of the popularity of Hindustani in this province, they might rest assured that this evening's function of the Hindi Prachar Sabha of Mysore would show that people as a class, men and women, desired to study this language. If Mysore wanted to participate in the Federation of India, this State must realise the significance of this language, namely, a knowledge of Hindustani being as much a qualification for Federation as any other political qualification. If Mysore could aspire for a seat in the Councils of the Indian nation, if she should have representation in all those educational and academic endeavours of Indian nation, this State would soon find the knowledge of Hindustani an absolute necessity, for not only to Mysore but for all parts of this land which had not got Hindustani as its common language. If they wanted any evidence as to why Hindustani should be preferred to other languages, he would only ask them to go a little to the north of Mysore and there they would find that a majority of the people spoke this language in one form or another and that it was easily understood by a large number of people from the Himalayas to Cape Comorin.

Continuing Dr Rajan said that he did not say that Hindustani would ever take the place of the mother-tongue, but what he would emphasise was that it would be the language of inter-provincial communication, the language of Indian Nationalism. It would be the language, as it was to-day, of two great limbs of the Indian race—the

Hindu and the Muslim Therefore, if there was a language that could claim to be called the common language for India, and if anyone was asked about the one language that all could understand then it must be the proud privilege of every Indian to say it was Hindustani:

Continuing the Hon Dr Rajan pointed out that emancipation of India was not entirely a political question, he believed that India has a national culture and tradition which she had, yet to give to the world The basic cult of love, of free thought, and of free interpretation constituted a rich heritage of the Indian nation India had never shut out the refugees who swarmed here ages ago The standing historic symbol of the Indian generosity was the large Persian race in India Muhamadens of Arabia Turkistan and Persia had come and settled down in this land as brothers and the Indian civilisation had thus got the benefit of the impact of Islamic culture The persecuted Jews of Europe were now enjoying in India the hospitality which has denied to them in many parts of the civilised world Indians might have lost their political freedom might have been enslaved for centuries and might be physically powerless But this broad and national sentiment of hospitality was always there, in tune with the simple ideals of her people All these great thoughts and living sentiments had got to be transmitted to other nations of the world, Were they going to give it, Dr Rajan asked in about 150 different languages or were they going to give it in one language of the entire nation ? The answer was they would do so only through Hindustani:

Viewed from any point of view, political, educational, national, Dr Rajan concluded, they would find the claim for spreading Hindustani language in this country was one that no sane man could dispute. He then congratulated the Hindi Prachar Sabha on the successful work they had been carrying on and also the Mysore Government for the encouragement they were giving for the study of Hindi, and expressed the hope that he was looking forward to the day when it would be made a compulsory study in all the schools of the State.

Mr Ambik Subramania Iyer proposed a vote of thanks and the function concluded.

थ्रीमती अम्बुजस्माल—

[थ्रीमती अम्बुजस्मालके इस मापणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण भारत, राष्ट्रभाषा हिन्दीके लिए क्या सोचता है ।]

अम्बुजस्माल द्वयों और चहिनों, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके प्रवर्तक तथा भन्य मित्रोंने इस हिन्दी प्रचारके आठवें सम्मेलनकी अध्यक्षा चुनकर मुझे खा बड़ा भादर दिया है और सभी प्रचारक प्रचारिकाओंसे परिचय प्राप्त करनेका मौका प्रदान किया है, उसके लिये मैं उनका बड़ा एहसान मानती हूँ। × × × ×

× × × हिन्दी भाषाके प्रति मेरा जो ग्रन्थ है, मेरे दिलमां जो आशा बैंध गयी है कि हिन्दीके द्वारा ही भिज्ञ भिज्ञ प्राप्त एक सूखमं विशेष जा सकते हैं और इस माध्यमके द्वारा ही भिज्ञ भिज्ञ भाषा भाषीके हृदयमं ऐक्षयकी भावना जागृत हो सकती है। उससे प्रेरित होकर और इस ख्यालसे कि जो भाइ और बहन आज अपने राष्ट्रके इस जहरी काग में तन मनवे लगे हुए हैं, उनका वचन मानना मेरा फर्ज है, मैंने इस पदको स्वीकार किया है। × × ×

× × × कुछ दिनसे चन्द्र तामिल भाषा-प्रेमी हिन्दीके खिलाफ बड़ा आनंदोलन मचा रहे हैं। उनकी दलील है कि अनिवार्य पढ़ाईसे तामिल भाषाको बहुत हानि होगी। इस तरह नव व्याजेकी कोई ज़स्त मुस्त तो नहीं मालूम पह़ती।

जो राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है, जो अपने ही देशके आम लोगोंकी एक सर्वसामान्य तथा सरल भाषा है, जो हिन्दुस्तानमें अधिकसे अधिक बोली जाती है, उसमें भासूली ज्ञान प्राप्त करनेके लिये एकाध बरस तक दिनमें पचास-तीस मिनट खर्च करनेसे क्या तामिलका बड़ा नुस्खान हो जायगा? कभी नहीं। बल्कि यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हिन्दी प्रचारने प्रत्याके मनमें अपेक्षा नोटको कुछ हर तक हृदयकृ उष्णके प्राणको खतरेसे उतार लिया है। क्योंकि अगर अभी हमारे दिलमें देशके प्रति, अपकी मानृभाषाक प्रति अपनी पुरानी सत्त्वतिके प्रति, कुछ प्रेम कुछ आदर रह गवा है तो वह उन महापुरुषोंके प्रयत्नका ही फल है, जिन महापुरुषोंने देशमें राष्ट्रीयताका भाव फैलाकर, देशकी आजादीके लिये सनाजको उन्नतिके लिये, कुछ काम करके दिखा दिया है।

देवनागरी लिपिके बारेमें भी यहाँ कुछ चर्चा करना असन्तु न होगा। कुछ लोगोंकी राय है कि हिन्दी सीखनेके लिये देवनागरी लिपि सीखनेकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह भाषा रोमन, या मानृ भाषाही लिपिके जरिये सिखाई जा सकती है, मगर ऐसी समझने इससे लाभ तो कुछ न होगा; हाँ, नुस्खान हो सकता है।

मेरा यह अनुभव है कि नागरी लिपि सीखनेमें पन्द्रह दिनसे अधिक समय नहीं लगता है। लिपि सीख लेने पर भाषा सीखना कहीं मुश्किल हो जाता है। वही भाषा दूसरी लिपिये सीखनेसे अन्तर समय अधिक लोगा। भाषाही सुन्दरता प्रदूष करना बड़िन हो जायगा और हम मूल प्रभ्योंकी खूबीको समझनेसे विकृत रह जाएंगे। इस लिपिको सीखनेके लिये थोक्स समय लगाना बड़ सौना नहीं, इन्हि भाषा-शृणुको महलको खड़ा करनेकी नींव ढालना है।

जर मैं हिन्दौ-प्रेनियासे तथा इस सभाके प्रचारकोंसे यह निवेदन करना चाहती हूँ कि हिन्दीके प्रति मूठे भय जो भाज कुछ लोगोंके मनमें पैल रहे हैं, उनका प्रतिकार करते हुए भी किंचि तरह मानृभाषा-प्रेमियोंका दिव न दुखावें।

जो भाई सुदूर भिज-भिज प्रान्तोंमें जाकर हिन्दीके क्षेत्रमें अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे मैं यह आशा रखती हूँ कि वे उस प्रान्तकी पुरानी सहृति, रस्मोरिवाज, चाल-चलन आदिको ख्यालमें रखकर अपना काम चलायें और आप उद्ध प्रान्तीय भाषा सीखकर उसका बादर करें।

सभी हिन्दी प्रचारकोंसे मेरा यह समझ अनुरोध है कि वे अपनी जिम्मेदारीको अच्छी तरहरे रायमें। हिन्दीका अपना ज्ञान दिन-दिन यदानेकी कोशिश करें, पढ़ानेके आधुनिक ढगको अखित्यार करें। हमेशा इस धुनमें रहें कि किस तरह हिन्दी सीखनेवालोंकी कठिनाइयोंको आसान किया जा सकता है। सक्षेपमें आप सबे अध्यापक, सचे सेवक बननेकी कोशिश करें। आपके रहन सहन, चरित्र और सेवा-भावसे लोगोंको प्रभावित होना चाहिये। आपके इस प्रयत्नसे आपका नाम होगा और राष्ट्रका काम।

आप मिशनरी हैं। आपका मिशन है भाइत राष्ट्रको एक जीवन देना। आपका यह मिशन बहुत ही महत् है, अत आपको भी महान् बनना पड़ेगा। आपको त्याग करना पड़ेगा। मुहे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने व्रत पर तब तक अटल रहेंगे जब तक कि आपका उद्देश्य पूर्ण न हो जाय। भगवान् आपको अपने इस सुदृश्यमें सफलना दें।

(आठवें दक्षिण भारत हिन्दी प्रचारक सम्मेलन मद्रासके अध्यक्ष पदसे प्रदत्त भाषण २८-१२-३७)

दा० श्री श्यामाप्साद मुखर्जी—

[दा० श्री श्यामाप्साद मुख्योपाध्यायजीके इस वक्तव्यके द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि वे भी हिन्दी सीखना। प्रत्येक भारतीयके लिए आवश्यक समझते हैं। आपने रोमन लिपिका प्रतिपादन किया है, मगर इसे व्यवहारमें लाना कोई भी भारतीय पसन्द नहीं करेगा, जब कि उसे संसारकी सर्वथेषु तथा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि प्राप्त है।]

× × × कुछ दिनसे चन्द तामिल भाषा-प्रेमी हिन्दीके खिलाफ बढ़ा भान्डोलन मचा रहे हैं। उनकी दलील है कि अनिवार्य पढ़ाइसे तामिल भाषाको बहुत हानि होगी। इस तरह भय खानेकी कोई ज़हरत मुस्ते तो नहीं मालूम पड़ती।

जो राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है, जो अपने ही देशके आम लोगोंकी एक सर्वसामान्य तथा सरल भाषा है, जो हिन्दुस्तानमें अधिकसे अधिक बोली जाती है, उसमें मामूली ज्ञान प्राप्त करनेके लिये एकाध बरस तक दिवसे पचीस-तीस बिनट खर्च करनेसे क्या तामिलका बड़ा नुकसान हो जायगा? कभी नहीं। बल्कि यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हिन्दी प्रचारने प्रज्ञके मनमें अप्रेज़ि मोहको कुछ हद तक दृष्टांक वस्त्रके प्राणको खतरेसे उबार लिया है। क्योंकि अगर अभी हमारे दिलमें देशके प्रति, अपनी मातृभाषाके प्रति अपनी पुरानी सहकृतिके प्रति, उछ प्रेम कुछ आदर रह गया है तो वह उन महापुरुषोंके प्रश्नका ही फल है, जिन महापुरुषोंने देशमें राष्ट्रीयताका भाव फैलाकर, देशकी आजादीके लिये समाजकी उत्थापिके लिये, कुछ काम करके दिखा दिया है।

देवनागरी लिपिके बारेमें भी यहाँ कुछ चर्चा करना असरगत न होगा। कुछ लोगोंकी राय है कि हिन्दी सीखनेके लिये देवनागरी लिपि सीखनेकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह भाषा रोमन, या मातृ भाषाकी लिपिके जरिये सिर्याई जा सकती है, मगर मेरी समझमें इससे लाभ तो कुछ न होगा, दौरा, नुकसान हो सकता है।

मेरा यह अनुभव है कि नागरी लिपि सीखनेमें पन्द्रह दिनसे अधिक समय नहीं लगता है। लिपि सीख लेने पर भाषा सीखना कहीं मुलभ हो जाता है। वही भाषा दूसरी लिपिमें सीखनेसे अन्ततः समय अधिक लगेगा। भाषाही मुन्द्रता प्रदण करना कठिन हो जायगा और हम मूल अन्यांशी खूबीको समझनेसे वचित रह जायेंगे। इस लिपिको सीखनेके लिये थोड़ा समय लगाना बहुत खोना नहीं, बरिकि भाषा-शानके महलको खदा करनेकी नीय ढाकना है।

अब मैं हिन्दी-प्रेमियोंसे तथा इस सभाके प्रचारकोंसे यह निवेदन करना चाहती हूँ कि हिन्दीके प्रति भूठे भय जो आज कुछ लोगोंके मनमें पैल रहे हैं, उनका प्रतिवाद करते हुए भी कियी तरह मातृभाषा प्रेमियोंका दिल न दुष्टावें।

जो भाई सुदूर भिज्ज-भिज्ज प्रान्तोंमें जाकर हिन्दीके क्षेत्रमें अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे मैं यह आशा रखती हूँ कि वे उस प्रान्तकी पुरानी संस्कृति, रस्मोरिकाज, चाल-चलन आदिको-छायालमें रखकर अपना काम चलायें और आप उद्ध प्रान्तीय भाषा सीखकर उसका आदर करें।

सभी हिन्दी प्रचारकोंसे मेरा यह साम्राज्य अनुरोध है कि वे अपनी जिम्मेदारीको अच्छी तरहसे संभालें। हिन्दीका अपना ज्ञान दिन-दिन बढ़ानेकी कोशिश करें, पढ़ानेके आधुनिक ढंगको अद्वितीयरूप से करें। हमेशा इस धूनमें रहें कि किस तरह हिन्दी सीखनेवालोंकी कठिनाइयोंको आसान किया जा सकता है। संक्षेपमें आप सच्च अध्यापक, सच्चे सेवक बननेकी कोशिश करें। आपके रहन-सहन, चरित्र और सेवा-भावसे लोगोंको प्रभावित होना चाहिये। आपके इस प्रयत्नसे आपका नाम होगा और राष्ट्रका काम।

आप मिस्त्री हैं। आपका मिशन है भाउत राष्ट्रको एक जीवन देना। आपका यह मिशन बहुत ही महत है; अतः आपको भी महान् बनना पड़ेगा। आपको स्थान करना पड़ेगा। मुझे पूरी विश्वास है कि आप अपने ग्रन्त पर तब तक अटल रहेंगे जब तक कि आपका उद्देश्य पूर्ण न हो जाय। भगवान् आपको अपने इस सदुदेश्यमें सफलता दें।

(आठवें दक्षिण भारत हिन्दी प्रचारक सम्मेलन मंदिरके अध्यक्ष पदसे प्रदत्त भाषण २८-१२-३७)

३० श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी—

[३० श्री श्यामाप्रसाद मुखोपाध्यायजीके इस वक्तव्यके द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि वे भी हिन्दी सीखना प्रत्येक भारतीयके लिए आवश्यक समझते हैं। आपने रोमन लिपिका प्रतिपादन किया है, मगर इसे व्यवहारमें लाना कोई भी भारतीय पसन्द नहीं करेगा, जब कि उसे संसारकी सर्वध्रेष्ठ तथा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि प्राप्त है।]

Hमोर्मे स्थित दग्धलिया द्वारा आयोजित एक साहिलिक सभामें शिल्प उद्योगके मंत्री डा. दयामाप्रसाद मुख्यमने कहा था कि 'यद्यपि प्रत्येक भारतीयको हिन्दी सीखनी चाहिए, तथापि अपनी प्रान्तीय भाषाओंकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ।' प्रत्येक प्रान्तकी सरकार अपनी प्रान्तीय भाषाओंको प्रोत्साहन देनी तथा रोमन लिपिको अन्तर्राष्ट्रीय भाषाके आदान प्रदानके लिये अपनाएगी । X X X
(डा. दयामाप्रसाद मुख्यमन—२५ नवम्बर, '४७, अमृत बजार पत्रिका)

INTER-CHANGE OF THOUGHTS

Provinces Urged To Adopt Roman Script

Dr S P Mookherjee, Minister for Industries and Supplies, Government of India, addressing a literary conference organised by the Bengal residents of New Delhi this evening, congratulated the West Bengal Government on adopting Bengali as the Court Language of the Province. Dr Mookherjee also urged other Provincial Governments to encourage the development of their respective Provincial languages and suggested introduction of Roman script for the purpose of inter changing India's thoughts and culture with foreign countries.

"Though every Indian should learn to speak in Hindi", Dr Mookherjee said, he must not disregard his own Provincial language and should try to enrich it X X X

(Amrit Bazar Patrika, Nov 23rd 1947)

आचार्य श्री काका कालेलकर—

(आचार्य कालेलकरजीके नियंथ तथा मत्पादके निश्चिदित अशोसे समझनेमें देर न लगेगी कि सन् १९१७ से लेकर (अवश्य ही उसके बहुत पहले से भी) विछले कुछ बर्पों तक अर्थात् अपने जीवनके अधिकाश समय

तक आपने हिन्दीका यथार्थ मूल्य समझा था। उस समयके तथा अधके विचार तथा कार्य-क्रममें उल्लेखनीय अन्तर है। जीवनके दीर्घांशके अनुमवको ठीक समझा जाय अथवा आजके राजनीतिक युगमें कुछ-कर-गुज़स्तेको १० १६ ३६ का भाषण देते समय तक हिन्दी और हिन्दुस्तानीमें कोई अन्तर नहीं था, किन्तु सहसा इधर पिछले दिनोंकी राजनीतिक कलाश(जियोंने आपको 'हिन्दी' और 'हिन्दुस्तानी' के महागमीर अन्तरका इलहाम करा दिया !]

भारतवर्षकी राष्ट्र-भाषा

हमारा आशय—

(१) हमारा प्रयत्न भारतवर्षको एक भाषा-भाषी बनानेका नहीं है। हमारा आशय यह नहीं है कि हिन्दुस्तानके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंकी भाषाएँ नष्ट हो जायं और एक ही भाषा रहे। भारतवर्ष जैसे विशाल राष्ट्रकी सर्वाङ्गीण उन्नतिके लिये भिन्न-भिन्न गुण-स्वभाव वाली जातियोंकी जितनी आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता भारतीय संस्कृतिको सबंतोमुखी विकासके लिये भिन्न भिन्न भाषाओंकी भी है। किन्तु जिस प्रद्वार भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंमें विचरण करने वाला मन एक ही है, फिर भी उसके कारण सारे शरीरमें एकस्पता और एक प्राणका संचार होता रहता है, उसी प्रकार आज भारतवर्षमें एक राष्ट्रीयताकी भावनाको जागृत और व्यक्त करने के लिये एक राष्ट्रीय भाषाकी अल्पान्त आवश्यकता है। इसका यह अर्थ नहीं कि यह आवश्यकता आज ही उत्पन्न हुई है। बहुत प्राचीन कालसे भारतमें प्रयत्न-पूर्तक राष्ट्रीय भाषाका निर्माण और विकास किया गया है। जब भारतीय राष्ट्र सशक्त था, सुसंरक्षित था, अखिल जगत्में थेषु था, तब भारतवर्षके उत्तमोत्तम विचार, भाष्योंके काव्य और उनका तत्वज्ञान, उनके पराक्रमोंके वर्णन और उनके शास्त्रीय अविकारों और दोष आदिका गारा इतिहास एक शुद्ध उदात्त और संस्कृत भाषामें लिखा जाता था; और इसी कारण उस भाषाको देववाणीका गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुआ था। × × ×

× × × आज राष्ट्रीय जीवन पिरसे जीरके साथ कुक्कार मालेका प्रयत्न कर रहा है, जिसे व्यक्त करनेके लिये राष्ट्रीय भाषाकी आवश्यकता उत्पन्न हुई है और हमारे सामने यह अपन्त ध्यावदारिक प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि वह राष्ट्रीय भाषा कौन-सी हो सकती है ! जो इस महान् विद्वान्तको मानते हैं कि राष्ट्रीय की उन्नति दखली पूर्णपरम्पराके अनुसार ही हो सकती है, उन्हें यह लिद बताने की आवश्यकता नहीं है कि आजकी हमारी राष्ट्र-भाषा सकृत भाषाकी परम्पराके अनुसार ही होनी चाहिये । × × ×

राष्ट्र-भाषा घनाम अप्रेजी—

× × × अप्रेज लोग यहाँ अपना घर बना कर नहीं रहे हैं । व तो यहाँ केवल शासकके रूपमें रहते हैं । व भारत यन्तान नहीं बनना चाहते और इसीलिये उनकी भाषाकी जड़ भी यही कभी नहीं जयेगी । जिस प्रकार अप्रेजोंको सस्कृतिका प्रभाव दम पर पड़ता है, किर भी अप्रेज लोग हमारे साथ रहते नहीं, हममें मिलते-जुलते नहीं, उसी प्रकार अप्रेजी साहित्य और अप्रेजोंकी विचार-शैलीका प्रभाव भले हम पर पड़े, किन्तु यह समझ नहीं कि अप्रेजी भाषा हिन्दुस्तानकी राष्ट्र-भाषा बने और बन कर रहिए रहे । राष्ट्र-भाषा तो हिन्दी ही बन सकती है । × × ×

उसकी सर्व व्यापकता—

× × × यह सिद्ध हो जानेके बाद कि देशी भाषाओंमें से ही कोई एक भाषा राष्ट्र-भाषा बननी चाहिये, हिन्दीका अविक समर्थन करनेकी बहुत आवश्यकता ही नहीं रहती । अभव, असमवशा विचार तो केवल मुश्खित लोग हो करते हैं । अन-साधारण तो इस प्रश्नका बहुत पहलेसे हल कर चुके हैं । यह प्रतीत होने पर भी कि अमुख बात यह है, वैठे-वैठ दधकी पाक्याशक्यताका विचार करते रहना तो हमारी कायरताका सबक है । इष तरहके चिन्तनमें समयकी बरकादो तो बही लोग करते हैं, जो प्रायः निर्जीव हो चुके हैं । इमानदारोंके साथ सारे हिन्दुस्तानमें झोड़ीबानकी नौकरी करने वाला हमारे एक 'भैया' भी तो अपने उदाहरणसे ही यही सिद्ध करता है कि हिन्दी सब जगहकी और सब लोगोंकी भाषा बन सकती है ।

हिन्दुस्तानके अनेक पंथोंके साधु-गण्ठोंने भी इस प्रश्नको दृढ़ किया है। किसी भी साधुसे आप चात करिये, वह आसे हिन्दीमें ही बोलेगा, किर भले वह बंगाली या मद्रासी ही क्यों न हो। हमारे यात्रियोंके अनुभवसे भी हिन्दी ही राष्ट्र-भाषा ठहरती है। बैलाशसे रामेश्वर तक और द्वारिकासे कामाक्षी तक आपका सब काम हिन्दी द्वारा भली-भाति चल सकता है।

प्रौढ़ साहित्य—

माना कि हिन्दुस्तानके अधिकांश लोग हिन्दी जानते हैं, किर भी युछ लोग पूछते हैं कि हिन्दीमें वह प्रौढ़ साहित्य कहा है कि जिससे वह राष्ट्र-भाषाका थेष्ट पद प्राप्त कर सके ? लेकिन यह सवाल ही गलत है कि हिन्दीमें प्रौढ़ साहित्य कहा है ? आप सृष्टि-वर्णनकी किसी कविताको लें, शहर, वीर, कृष्ण, भक्ति या अन्य कोई रस लें, दुनियाकी किसी भी भाषासे हिन्दी इस विषयमें पीछे न रहेगी। जिस भाषामें तुलसीदासने अपनी रामायण लिखी, जिस भाषामें कशीरने एकेस्तरी भक्ति-मार्गका प्रतिपादन किया, जिस भाषामें कृष्णके प्रति गोपियोंका प्रेम व्यक्त हुआ है, जिस भाषामें विचार-सागर जैसे वेदान्त-रत्नोंकी रचना हुई है, जिस भाषामें सूरदास का कवित-सागर हिलोरें ले रहा है और जिस भाषामें भूषण कविने गो-नान्दण-प्रतिपालक शिवाजीके प्रतापका वर्णन किया है, कौन कहेगा कि उस भाषाका साहित्य प्रौढ़ नहीं है ? हो सकता है कि आधुनिक विज्ञान और अन्य शास्त्रीय शोधों पर हिन्दीमें पुस्तकें न हों, और इतिहास और राजनीतिकी मीमांसा करनेवाले ग्रन्थ भी उसमें न हों ; लेकिन यह हिन्दीका दोष नहीं है। हमारे जीवनकी मध्ययुगीन एकाग्रिता ही इस स्थितिके लिये जिम्मेदार है। हमारे जीवनके व्यापक बनते ही हिन्दी भाषा चातको चातमें इस और भी जोरोंसे अप्रसर हो जायगी। जिस भाषाने साहित्यके एक विभागमें अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य और उत्कर्ष सिद्ध किया है, उस भाषाके लिए यह शक्ता करना उचित ही नहीं कि वह अन्य विभागोंमें पिछड़ जायगी। बढ़नेंकी सेवा—

× × × × बंगालकी अनेक विद्रोहपूर्ण पुस्तकोंके हिन्दी रूपान्तर हुए हैं। ईदररचन्द्र विद्यासागर, चक्रिमचन्द्र चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस, रवीन्द्रनाथ ब्रह्म

आदि बंगालके पड़ित और साधु अब हिन्दीका वेष धारण करके हमसे बातलिप करने लगे हैं। महाराष्ट्रके ज्ञानेश्वर और रामदास आदि भी हिन्दीमें अपने उपदेश हमें सुनाने लगे हैं। महाराष्ट्रके साथ ही तिळकका 'गीता रहस्य' उत्तरी हिन्दुस्थानको भी प्राप्त हुआ है। सरदेसाईके अनेक वर्णों की इतिहास-मेमासका फल हिन्दीकी एक जनुवाद द्वारा ही प्राप्त हो चुका है। गुजरातके 'सख्तीचन्द्र' जैसे प्रन्थ भी हिन्दीका नाम पहनकर गुजरातके विद्वान्मार्गीकी प्रतिभाका परिचय दे रहे हैं। और, पठिभारकी पुस्तकोंके अनुवादने हिन्दी भाषी जन-साधारणको 'सर्वंकी कुंजी' दी दी है। महात्मा गांधीका 'आरोग्य-साधन' भी हिन्दी वालोंके लिए सुखभ हो गया है।

छत्रपतिका राष्ट्र-भाषा प्रेम—

यद्यपि महाराष्ट्रमें हिन्दुस्थानकी राष्ट्र-भाषाके सम्बन्धमें कोई विशेष चर्चा नहीं होती है, तो भी महाराष्ट्रके लिये तो उसके आदि सस्थापकने इस प्रदेशको बहुत पहले से हल कर रखा है। हिन्दीके नवालोंमें से एक रत्न भी, भूपण कविको अपने दरमारमें युलाकर और उन्हें अपना राज-कवि बनाकर जब थी शिवाजी महाराजने उनको कन्याकुमारीसे हिमालय तककी यात्राके लिए भेजा, तभी उन्होंने हिन्दीको राष्ट्र-भाषाका स्थान दे दिया था, और यही कारण है कि इस गुरामें भी सातवलेकर और दिवेल, पराढकर और आगरकर, सगे, साठे और गडे—जैसे महाराष्ट्री भी निरन्तर हिन्दीकी सेवा कर रहे हैं और यह बात कोई आजकी और नहीं बात नहीं है। नामदेव, आदि महाराष्ट्रके साधुओंने भी हिन्दीमें पद्य-रचना की है। महाराष्ट्रके साधु नामदेव जातिके दर्जी थे, लेकिन उनकी हिन्दी कविता सिक्ख लोगोंके परिम धर्मशन्धोंमें सम्मिलित कर ली गई है।

गुजरातके हिन्दी-प्रेमी ऋचि—

मीहचाई, अचो, दयाराम, दलगतराम आदिने भी गुजरातकी ओरसे हिन्दीकी सेवामें अपना दिस्ता अंत लिया है। गुजरातमें तो प्रेमानन्दके समयसे पहले लोगोंकी यही धारणा थी कि प्रन्थकी रचना तो भाषा, अर्थात् ब्रजभाषामें हो ही सकती है। प्रेमानन्दके बाद गुजराती भाषामें भी काल्य-रचना होने लगी; फिर भी प्रायः प्रत्येक प्राचीन कविने हिन्दीमें भी कुछ न कुछ लिखा ही है।

वह धन्वन्तरि—

यह सब तो हिन्दीकी सेवाकी बात हुई। लेकिन जो हिन्दी एक असेंसे उपेक्षित और क्षीण ही रही थी, उसे स्वाभिमानकी अमृत-संजीविनी पिलाकर उसमें नव-जीवनका सचार करानेवाला धन्वन्तरि तो गुजराती ही एक समूत था, यह जानकर किस गुजरातीको अभिमान न होगा? स्वामी दयानन्दजीने हिन्दीको भार्यभाषाका गौरवयुक्त अभिभावन प्रदान करके पंजाब जैसे पिछड़े हुए प्रान्तमें भी उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की है।

इस प्रकार गुजराती, महाराष्ट्री और बंगाली लोगोंने हिन्दीको अपनाकर उसकी जो सेवा की है, उससे उसकी प्रान्तीयता नष्ट हो गई है, और क्या शब्द-ग्राचुर्यमें, क्या वाक्य-रचनाको विविप्तामें, और क्या विवेचन पद्धतिके सौष्ठुरमें, दूर तरह, हिन्दी आज गम्भीर ललित, विसुलार्धवाही और राष्ट्रीय बनती जा रही है। × ×

हमारा कर्तव्य—

अतएव अब कायर पुरुषोंको परेशान रखनेवाली अनन्त शकाओंसे अपना पिढ़ छुड़ाकर आज तो हमें प्रधान-रूपसे यही विचार करना चाहिये कि राष्ट्र-भाषाके रूपमें हिन्दीका प्रबार किस प्रकार सत्त्वर गति से हो। हिन्दुस्तानकी कौनसी भाषा राष्ट्र-भाषा बन सकती है, या हिन्दी राष्ट्रभाषा बनने योग्य है या नहीं, इसका तो विचार करना ही अब निरर्थक है। देशमें प्रायः सभी जगह थोड़ी-बहुत हिन्दी तो समझी ही जाती है, किन्तु वर्तमान परिस्थितिको ध्यानमें रखते हुए आज तो इस बातके लिए प्रबल प्रयत्न होने चाहिये कि हम उस हिन्दीमें ही अपने हृदयके सब उदात्त विचारों और गृह भावोंको व्यक्त कर सकें, जो भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके पारस्परिक व्यवहारको बढ़ाकर राष्ट्रीय-संघटनको अधिक हृद बनानेवाली, संस्कृति-साहित्यकी उत्तराधिकारिणी, हिन्दू-सुसलमानको समानरूपसे अपनी प्रतीत होनेवाली और इस देशकी अपनी भाषा है। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हमारे पाठ्यक्रमोंमें हिन्दीको पहल्य स्थान मिलना चाहिये। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षाके लिये हिन्दीका एक आवश्यक विषय ही माना जाना चाहिये। किर प्रत्येक प्रातवासी को राष्ट्रकी सेवाके लिये अपनी भाषाके उत्कृष्ट प्रयोगका हिन्दीमें अनुवाद करनेका प्रयत्न करना चाहिये। हरएक भारतवासीको यदि निश्चय कर लेना चाहिये कि जब

मातृभाषामें बातचीत करना संभव न हो, तब अप्रेज़ीके यद्देहे हिन्दैसे ही वह अरना काम चलावेगा। अखिल भारतीय प्रदनोंकी जो चर्चा आज अप्रेज़ीमें होती है, वह अब आमफृहम हिन्दीमें होनी चाहिये। जो संस्थायें रव्र प्रान्तोंमें समाज स्ससे काम कर रही हैं, उन्हें अरना सारा कारोबार हिन्दीमें ही चलाना चाहिये। उदाहरणके लिये ऐसी संस्थाओंमें काशीके हिन्दू विस्त्रिविद्यालय, गोखलेजीके भारत-सेवक समाज, ताताके शास्त्र-शोधक विद्यापीठ, भारतवर्षीय महिला-विद्यापीठ, सकल-धर्म-परिषद्, राष्ट्रीय महासभा आदि-आदिका नाम लिया जा सकता है।

प्रान्तीय शिक्षाके लिये स्थापित संस्थायें प्रातीय भाषाने शिक्षा दें, किन्तु अत्युचित शिक्षाके लिये स्थापित अखिल भारतीय संस्थाओंमें तो शिक्षाका माध्यम हिन्दी ही होना चाहिये। हमारे मुसलमान और ईसाई भाइयोंके हितके लिये कुरान और बाइबिलके अतिशय सरल अनुवाद हिन्दीमें शीघ्र ही प्रकट हो जायें, तो क्या ही अच्छा हो ?
सरकार बनाम राष्ट्र-भाषा—

इतना कर चुकनेके बाद हम सरकारसे भी प्रातीय कारोबारमें प्रातकी भाषा और देशके सामाजिक शास्त्र-कार्यमें हिन्दैका ही उपयोग करनेको प्रार्थना कर सकते हैं, और वैष्ण करनेके लिये वह वाय भी की जा सकती है। सरकारसे हम यह भी आग्रह कर सकते हैं कि उसके जगलन्विभाग में, वैदिक-विभागमें, पुरातत्त्व विभागमें, और जलवायु-विज्ञान विभागमें हिन्दुस्तानके धनसे अनुसधान और आविष्कारका जो भी कार्य हो रहा है, वह सब हिन्दुस्तानके किसानों और व्यापारियोंके उपयोगके लिये हिन्दीमें ही प्रकाशित किया जाय। लेकिन इसके लिये हमें लगानके साथ सदत पूरी कोरिया करनी होगी। हाय पर हाय धर बैठे रहने और निराशाके उड़गार प्रकट करनेसे कोई अर्थ न सरेगा। भारम्ब कर देनेसे ही सब कुछ ही सकता है। अगर प्रयत्न करेंगे, तो यह भी अवश्य ही प्राप्त होगा।

वदविदादों या शान्तिक प्रमाणों द्वारा स्वरज्यके लिये अपनी योग्यता दिख करनेसी अपेक्षा तत्त्व तो यह है कि हम राष्ट्र-हितके उन कामोंको लगाए हाथमें लें, जो अल्पन्त आवश्यक हैं, और जिन्हें सरकार कर नहीं रही है। जब सरकार हमारे इन कामोंको असम्भव कर देगी, तब देख लिया जायगा। हिन्दीको राष्ट्र-भाषा

का पद देना, उसको प्रचार बढ़ाना और उसके साहित्यमें शुद्ध करना यह तो सरकार का भी कर्तव्य है। यदि सरकार स्वदेशी अर्थात् राष्ट्रीय होती, तो वह अमर्त्य ही ऐसा करती। मौजूदा सरकार यह सब नहीं कर रही है, इसलिये जो लोग स्वराज्यके अभिलाषी हैं, उन्हें चाहिये कि वे इस कार्यको अपने हाथमें लें, और स्वराज्यके लिये अपनी योग्यता छिद्र कर चतावें। अर्थात् इस योग्यताका निर्णय पहले स्वयं हमें अर्थात् लिये कर देना चाहिये। फिर तो सरकारको भी उषका विद्वास हो जायगा। इस सिद्धिके लिये हिन्दीके प्रनीतिका यह सुर्खण अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हमें दुनियाको यह यता देना है कि हम जो चाहते हैं, सो कर भी सकते हैं। इसके द्वारा हमें अपने सामर्थ्यकी और अपनी संकल्प-शक्तिकी आत्मप्रीति होगी, और होगी अभीष्ट भंगलफल की प्राप्ति भी। तथास्तु ।

[‘भारतवर्षकी राष्ट्रभाषा’, आचार्य धी. कांडा काठेलकर, स्वागत-समिति हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, इन्दौर सन् १९३५, काठेलकरकीने इस निवारण १९१७ ई० में गुजरातकी शिक्षण परिवदमें पढ़ा था। अपनी प्रस्तावनामें इसका उल्लेख किया है।]

हिन्दुस्तानी और लिपि

× × × साहित्यका बाह्य तो भाषा है। हम अपना कार्य किस भाषामें करेंगे? हम अपनी कार्यवाही किस लिपिमें लिखेंगे? जिन्होंने इस प्रगतिश्च आरम्भ किया है वह इस निधय पर आ गये हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी हिन्दुस्तानी में ही हमारा सारा व्यवहार चलेगा। यों तो प्रान्तीय भाषाओंका और साहित्यका संगठन होनेसे इसका कार्य उन्नत होन्तोमें वहकी भाषा शीर्ष लिपिमें ही चलेगा। हमारा प्रयत्न है कि प्रान्तीय भाषाओंकी वर्णमाला एक ही होनेसे, तथा सबको नागरी लिपिका परिचय होनेसे वे अपना प्रान्तीय कार्य अपनी भाषा और नागरी लिपिमें करें। ऐसा होनेसे एक प्रान्तके कार्यको दूसरे प्रान्तमें हम आसानीसे समझ सकेंगे और हमारा संगठन अधिक युल्म होगा। एक लिपिका प्रश्न दरएक प्रान्तीय भाषाको अपने इच्छातुसार हल करना है।

हम हिन्दी का ही माध्यम प्रसन्न करते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, कारण तो यह है, कि यह माध्यम स्वदेशी है। करोड़ों भारतवासियोंकी जन्मभाषा हिन्दी ही है। दूसरा कारण यह है, कि सब प्रान्तके सतन्कवियोंने सदियाएं हिन्दीको अपनाया है। यागके लिये जब लोग जाते हैं तब हिन्दीका ही सहारा लेते हैं। परदेशी लोग जब भारतमें त्रमण करते हैं, तब उन्होंने भी दखलिया है कि हिन्दीके सहारे ही वे इस देशको पश्चात् सकते हैं। असलमें तो हिन्दी भाषा है ही लचीली, तनुश्चित बच्चाकी तरह बढ़नेवाली और इसकी सर्वसमाहक शक्ति तथा समन्वय दर्शि भी अछीम है। जिस भाषाको आज अपने तेरह उपनिभाग समालने पहते हैं उसको राष्ट्रभाषाकी मूर्मिका धारण करनेमें कोइ कठिनाई न होगी।

पिछले बोडे वर्षोंमें हिन्दीने बगला, मराठी, शुभएतो आदि प्रातीय साहित्योंसे अपना साहित्य कम समृद्ध नहीं किया है। आदान प्रशानमें हिन्दी सिद्ध-हस्त प्रमाणित हो चुकी है। हम हिन्दीको जो कुछ देते हैं वह उसे सदृशित और परिवर्धित करके दशकों काने-कोनेमें पहुँचा देती है। भारतीय साहित्य परिपदकी प्रगृहित दृष्टि होनेसे हिन्दी अपना सेवा कार्य और भी अधिक कर दिखायगी। ऐसी राष्ट्र सेवा करके ही राष्ट्रभाषाका गौरवान्वितपद उसने हासिल किया है। हिन्दी से शक्ति रहनेका कोइ कारण ही नहीं है। हम उसकी राष्ट्रसेवासे प्रातीय भाषाओंका गौरव तथा सामर्थ्य बढ़ा हुआ अवश्य देखेंगे।

जब हिन्दी हिन्दुस्तानीमें हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार चलेगा तब हमें सब प्रातींके लिये सुलभ राष्ट्रभाषाका सर्वाधारण स्वरूप भी गढ़ना होगा।

राष्ट्रीय हिन्दीमें समस्त भाषाओंके शब्दोंका कुछ स्थान मिलेगा ही। हम इसी क्षम विद्युत्तर नहीं चाहते। राष्ट्रीय शब्द इसी भी भाषा या बालोंके ही, अधिकार लोग जिन्हें समाज सर्व व सब शब्द राष्ट्रीय ही हैं। × × ×

(भारतीय साहित्य परिपद-प्रथन अधिवेशन नागपुर १९३६ स्वागताव्याप्त भी आम्हारेव काढेलकरके भाषणसे ।)

३१० ताराचन्द—

[३१० ताराचन्दजीने निम्रलिखित लेखमें (विश्वगाणी अक्टूबर १९४४) हिन्दीकी असुविधाओंके प्रति यथेष्ट प्रकाश डाला है। यह भी दृष्टिकोण राष्ट्रमायाके लिए अत्यन्त आवश्यक है। उनके तरफ़का उत्तर तथा हिन्दीकी त्रुटियाँ (३१० ताराचन्दके दृष्टिकोणसे) प्रो० लिताप्रसाद सुकुलजीके 'माया के डिक्टेटर' नामक लेखमें प्राप्त होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि डाक्टर साहन 'हिन्दुस्तानी' (नेशनलिस्ट उर्दू) के सबसे प्रमुख पृष्ठपोपक हैं। भायाकी 'विज्ञता' के सम्बन्धमें आपके लेखका एक और भी उत्तर श्री इश्वरनारायणजीके लेख 'हिन्दुस्तानी और डाक्टर ताराचन्द' में प्राप्त होगा। पूँज्य बापूद्दो 'हिन्दुस्तानी' सन्धन्धी, तथा भाया विपरक सुझाव सम्भवतः डाक्टर साहनके द्वारा ही प्राप्त होते होंगे। श्री चंद्रशेखर पांडेजीके लेखमें भी ताराचन्दजीके भ्रमका निराकरण किया गया है।]

३१० ताराचन्दका हिन्दीके विरुद्ध विप वमन

हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी बत्तीसवीं बालाना बैठक २५ सितम्बरसे २६ सितम्बर तक जयपुरमें हुई। सम्मेलनके जलसंभीं जो तकरीरें हुईं उन पर ध्यान देनेकी ज़हरत है, क्योंकि उनसे हिन्दुस्तानमें रहनेवाले गिरोहोंके मनोंके छुकाव पर रोशनी पढ़ती है और मालूम होता है कि देश किस चालसे किस मज़िलको तरफ जा रही है। अखबारोंमें श्री गोस्वामी गणेश इत सम्मेलनके समाप्ति, श्री कन्हैयालाल मुन्शी राष्ट्रभाया परिपदके समाप्ति, श्री सत्यप्रकाश सम्मेलनके विज्ञान विभागके समाप्तिके भावण करीब-करीब पूरे निकले हैं और सर मिर्ज़ा इस्माइल दीवान जयपुर, श्री पोद्दार स्वागत कारिणी समितिके समाप्ति, और पहित मायनलाल चतुर्वेदीके भावणोंके अश छ्ये हैं। इन्हींसे सम्मेलनकी जेहनीयतका अन्दोंजा होता है।

सम्मेलनकी कार्रवाईका आरम्भ सर मिर्ज़ा इस्माइलकी तज़रीरसे हुआ। उनकी तकरीरका स्वर कोमल और मध्यम था। उन्होंने हिन्दी और उर्दू दोनोंके साथ

अपनी सहानुभूति ज्ञाहिर की, लेकिन एक ऐसी भाषणकी ज़हरत बताई जो हिन्दू मुसलमानों दोनोंको प्यारी हो। अपसोरको बात है कि सर मिज़र्की आया सम्मेलनके घनघोर गरजते चाढ़लोंम अनमुनी गृजकी तरह समा गई। हाँ प० मालव लाल चतुर्वेदीने उन्ह चेतावनी दी कि हो न हो आन्तिरकार हिन्दीको ही राष्ट्र-भाषा भासना पड़ेगा।

चेतावनीके बाद भाषणोंका समुन्दर उबल पड़ा। सम्मेलनके अखाइमें पहलवान अपने कर्तव्य दिखाने लगे। लेकिन सब भाषणोंम एक रायकी अलाज सुनाई दी। अपने-अपने डगसे साहित्यके हरेक महारथीने एक ही लक्ष्य पर निशाह जमाई। इस लक्ष्यके तीन पहल ध्यान देने लायक हैं। पहला तो यह कि हिन्दीको अपने दुदमों से सुझावला करना है, उर्दू और हिन्दुस्तानीके काटोंको अपने रास्तेसे निकाल फेंकना है और इन्हे मिटा कर राष्ट्र-भाषाके सिंहासन पर आरूढ़ होना है। दूसरा यह कि हिन्दीको सल्लूतमयी, सस्कृतनिष्ठ, सस्कृतसे अभिज्ञ बनाना है। तीसरे यह कि हिन्दी-उर्दूके सवालको हिन्दू मुसलिम समस्याका, सम्रदायी कशमकशका सापन बनाना है और इसी निशाहसे इष्टके हल पर गौर करना है।

उर्दू और हिन्दुस्तानीके खिलाफ मोर्चा—

उर्दू और हिन्दुस्तानीके खिलाफ मोर्चेबन्दीकी टरफ सबसे ज्यादा जोख्योरसे श्री गोस्यामी गणेशदत्त समेलन समाप्तिने ध्यान दिलाया। आपके भाषणक्य आया हिस्सा इधी दुखेहोंकी कहानी सुनानेमें रख्च हुआ। आपको यकीन है कि हिन्दुस्तान और उसके स्वोंकी सरकारें और कुछ देशी राज मिल कर एक वह भारी पड़्यन्त्रको

रमा" का ढौल डाल्या था और जिसके नेम्बरोंकी फेहरिश्नमें पं० जवाहरलाल नेहरू, वायू राजेन्द्रप्रसाद, मौलाना अबुलक़लाम आजद शामिल हैं।

गोस्वामीजीका दिल यह देता कर कांप उठता है कि उर्दूकों पंजाब, पच्छम उत्तरी सरलदो स्वें, सिध और काश्मीरमें पढ़ाईका जरिया ठहराया जा रहा है, कैसे शौककी बात है कि उन इलाकोंमें जहाँ पंजाबी, पश्तो, सिधी और काश्मीरी जो उर्दूकी तरह फारसी, अधीके लम्जोंकी बहुतायत है, वहाँ उर्दूको जगह दी जाय। कैसे आनन्दकी बात है कि तामिल, तेलगू, मरयायम और कन्नड़के देशमें जहाँकी भाषाएं द्राविड़ी हैं जिनमें संस्कृतगा टेशमात्र है, संस्कृतमय हिन्दीकी परीक्षाओंमें बैठने वाले छात्र दिनोंदिन यह रहे हैं। हैदराबादकी रियासतमें मराठी, कन्नड, तामिल और तेलगू बोली जाती है। वहाँ अगर उर्दूकी चर्चा हो तो शर्मकी बात है, हिन्दी फैले तो अहोभास्य। सच है अपनी आंखका रोक नहीं सूझता, दूसरेकी आंखकी किकरी दिखाई देती है।

अंग्रेजीमें एक कहायत है कि झड़को बार-बार दोहरानेसे वह यच प्रतीत होने लगता है। विद्वारकी हिन्दुस्तानी कमेटीके सम्बन्धमें यह भूठ सैकड़ों बार दोहराया गया है कि कमेटीकी बनाई पुस्तकोंमें सीताको बेगम और रामको बादशाह कहा गया है। कमेटीको तरफसे साफ़ रफ़जोंमें कहा जा चुका है कि यह सरासर घलत है। लेकिन गोस्वामीजीने इस भूठके दोहरानेमें जारा संकोच नहीं किया। एक ज़िम्मेदार आदमीके लिये यह विलकूल अनुचित है।

संस्कृतमयी हिन्दीको उत्तेजना—

हिन्दीको संस्कृतमयी बनानेकी सभी भाषणोंमें उत्तेजना दी गई। श्री कन्हैया-लाल मुन्दी जिनका नाम उनकी विचारधाराको उल्लङ्घना देता है, रांकृतीयतके बड़े हामी हैं। उनकी दलील बड़ी रोचक है, लेकिन सदेहोंको दूर करने वाली नहीं। उनके कहनेके मुताबिक हिन्दीको राष्ट्र-भाषा बनाना नहीं है, वह तो राष्ट्र-भाषा है ही। सबूत यह है कि हिन्दुस्तानकी तारीखमें शुरुसे मध्यदेशकी बोली राष्ट्र-भाषा रही है। संस्कृत पहली राष्ट्र-भाषा थी, वह मध्यदेशकी प्राकृतसे निकली थी। उसके बाद मध्यदेशकी शौरसेनी प्राकृत और अपमंशका सारे उत्तरी हिन्दुस्तान पर

अमर रहा । यह तरह चौदहवीं सदी ईस्वी तक ज्ञानके ज़ेप्रमें मध्यदेशमा बोल-
याला रहा । चौदहवीं सदीसे उन्नीसवीं तक मुख्यमानोंकी हुम्मतकी बजहरे प्रारंभी
का यह दिन्दुस्तानकी बोलियों पर चढ़ा, पर अप्रेंटोंकी बढ़ीलत हिन्दी अपने मुख्य-
मानी असरको छोड़ आने असली रग यानी यस्कृतोयतकी तरफ आ गई है । इस-
लिये जैसे चौदहवीं सदीसे पहले वह मध्यदेशकी बोली होनेके कारण राष्ट्रभाषा थी,
बच भी अपने पुराने रूपको भारण कर लेनेसे उग्री पुरानी हैसियत लौट आई है ।
जो सदासे राष्ट्रभाषा रही है, उसे नये सिरेसे राष्ट्रभाषा बनानेका सबाल ही नहीं
उठना । वह तो राष्ट्रभाषा है ही । फिर यस्कृतकी इनायतसे पहले भी उसमें
अद्वी (सादित्यक) भाषाके गुण थाये थे, अब भी सकृत ही की मददसे वह ऐसी
निखर सबर सकृती है जैसा कि राष्ट्रभाषाके लिये होना सुनासिर है । सकृत और
हिन्दीका रिस्ता स्वाभाविक है । दिन्दीकी सकृतनिष्ठ बनाना इस दृष्ट नहीं, हिन्दी
की असली शुद्धताको दोबारा कायम करना है । हिन्दीको अपने पूर्ण रूप (सकृत)
के नज़रीक लाना है ।

डाक्टर सत्यग्रामने इसे और भी सफाईके साथ बयान कर दिया । वह कहते
हैं कि सकृतकी सभी सज्जाएँ (शायद कियाएँ, विशेषण, सर्वनाम जब्य वगैरह
भी) हिन्दीकी मोरास हैं । बाहरके लफज़ जो समय-समय पर हिन्दीमें आ गये हैं,
उन्हें निकाल कर अपने सनातन अमरकोपके शब्द ले लेना उचित ही है और हिन्दी
की रस-धाराके अनुकूल भी ।

हिन्दी नहै भाषा है—

अब इन युक्तियों पर ठढ़े दिलसे गौर कीजिये । पहले तो इतिहासकी बात
लीजिये । वह हिन्दी, जिसके सादित्य सम्मेलनमें गोस्वामी गणेशदत्त, थो के० एम०
मुन्ही और डाक्टर सत्यग्राम शरीक थे, बिलकुल नहै भाषा है । भाषा यानी
अद्वकी ज्ञानकी हैसियतसे उचीसवीं सदीसे पहले इसका नाम और निशान भी नहीं
था । इस नहै हिन्दीकी युनियाद रखने वालोंमें या तो उद्दृ पासीके व्यालिम दिलीके
रहने वाले मुन्ही राधामुखलाल नियाज और मुन्ही इन्द्राजला खां इन्द्रा थे, या फिर
पोर्ट विलियम काकिंजके मुन्ही—लूल, तदल मिथ कौरह जिन्होंने बालेजके

अप्रेज प्रोफेसरोंके कहनेसे नई हिन्दीमें प्रेमरागर, नास्केतोपाल्यान आदि पुस्तकें लिखी ।

यह नई हिन्दी वही उर्दू है, जिसकी नदी चौदहवीं सदीसे आज तक बहूट रीति से बह रही है । इस नई हिन्दी और उस पुरानी उर्दूके भुनियामध्य और ग्रामरके नियमोंमें एकलवता है । केवल नई हिन्दीने पुरानी उर्दूके शब्द-भाषामेंसे उन शब्दोंको निकाल दिया है जो मुसलमानोंके गेलसे उस सही बोलीमें शामिल हो गये थे, जिसकी नींव पर हिन्दी और उर्दूकी इमारतें रही हैं ।

अब अगर भाषा विज्ञानकी निगाहसे हिन्दी, उर्दू और संस्कृतके सम्बन्ध पर गौर करें तो माझम होगा कि हिन्दीकी यस्तुतियत कितनी बनायटी चीज़ है । हिन्दी और उर्दूका सांचा संस्कृतसे बहुत अन्तर रखता है । मिसालके तौर पर भुनियोंको लाजिये । संस्कृतके साधारण तौर पर तेरह स्वर माने जाते हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ए, ओ, औ । अनुनासिक, छुत, घौरह इनसे अलग हैं । हिन्दीमें इन स्वरोंमेंसे पांच (अ, ऋ, ए, ए, औ) लौप हो गये हैं और कमसे कम दो नए आ गये हैं, ऐं (वेर), ओं (और) । इसी तरह व्यञ्जनोंमें भी हेर-फेर हुआ है । संस्कृतके ३३ व्यञ्जनोंमेंसे करीब ४ गायब हो गये हैं और करीब ११ नये शामिल हो गये हैं । गायब होने वालोंमें युछ तो अनुनासिक है और एक मूर्धन्य य । हिन्दी और उर्दूकी करीब-करीब एक ही भुनियों हैं । लेकिन इससे ज्यादा अद्भुत बात यह है कि इन में भुनियोंसे जो शब्द बनते हैं उनकी तरकीबका ठग बदल गया है । संस्कृतमें सयुक्त अश्वरोंका इस्तेमाल बहुत है और ऐसे अन्तर शब्दमें पहले, बीचमें और अन्तमें बिना किफके इस्तेमाल होते हैं । हिन्दी, उर्दू और वह खड़ी बोली जिसके यह दोनों अद्वी स्प हैं सयुक्तों से घबराते हैं, खासकर शब्दोंके आरम्भमें । दूसरी विशेषता संस्कृत की यह है कि दगमें हलन्त शब्द या शब्दांश कम हैं, स्वरान्त अधिक हैं । हिन्दी उर्दूमें इधके खिलाफ हलन्तोंकी बहुतायत है ।

हिन्दी उर्दूके निकट और संस्कृत दूर—

हिन्दी और उर्दूके ग्रामरके नियम एक समान हैं और वह संस्कृतके नियमाएं

बिलुल जुता है। मिथाल के लिए सस्ततमें खत्ताके तीन बचन हैं, हिन्दी उर्दू में दो। सस्ततमें छ करक है, हिन्दी उर्दूमें दो या तीन। कियाओंके स्त्रोंमें तो संस्कृत हिन्दीमें जमोन आसमानका फर्क है ही। पुनियों और आमरी नियमोंके लिहाजसे जितना ही हिन्दी और उर्दू एक दूसरेके नजदीक है उतना ही वे दोनों सस्ततसे दूर हैं।

थी कन्दैयालाल मुन्दी यह तो ठीक कहते हैं कि सस्तत मध्यदेसी भाषा है। यह भी ठीक है कि सस्तत एक समय हिन्दुस्तानकी पट्टों लिखी समाजकी भाषा थी। बौद्ध कालको छोड़कर हिन्दुस्तानकी तारीखके बाकी पुराने जमानेमें सस्तत राज दरवारोंको भाषा थी। लेकिन इसे राष्ट्र भाषा इसलिये नहीं कह सकते कि पुराने जमानेमें युल हिन्द एक राष्ट्रकी हैसियत नहीं रखना या। साम्राज्य तो जल्द बने, लेकिन एक हिन्दुस्तानी राष्ट्र और एक हिन्दुस्तानी समाजके विचार कभी पेंदा नहीं हुए। इस बात पर आज भी बहुध जारी है कि हिन्दुस्तान एक राष्ट्र, एक कौम, एक समाज है, जैसे इंग्लैण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, या हिन्दुस्तानमें कई राष्ट्र, कई कौमें, कई समाज हैं, जैसे यूरेल, अमरीका, एशियामें।

सस्तत कुल हिन्दीकी भाषा भानो वा सकती है। राष्ट्रीय भाषा नहीं। यह ऐसा ही है जैसे लातोनी (Latin) कुल युक्ती भाषा रही है पर राष्ट्रीय भाषा नहीं। आज सस्ततका सम्मान इसलिए है कि वह हिन्दू सम्प्रदायमें देववाणी समझो, जाती है। इस भाषामें इस खास सम्प्रदायकी पूज्य धर्म पुस्तकों हैं। मुशीजोका यह कहना कि नस्तत आज भी राष्ट्रभाषा है और हिन्दुस्तानके रहनेवालोंकी एक राष्ट्रीयताके रिश्तेमें बाधनेका जरिया है, सचके गले पर छुरी केरता है।

सस्ततमयी नहीं हिन्दीके बारेमें यह कह सकते हैं कि वह मध्यदेसी भाषा है। लेकिन जितना ही उसे सस्ततमय बनाया जायगा उतनी ही वह भी एक सम्प्रदायकी भाषा होती जायगी, उतना ही उसको राष्ट्र-भाषा कहनेवेका अधिकार कम होता जायगा।

उर्दू राष्ट्र-भाषा हो—

उर्दू, सस्कृत और हिन्दीको तरह मध्य देशी भाषा है। उसका साहित्य हिन्दोंके साहित्यसे बहुत पुराना है, ब्रह्म और अवधीके साहित्यसे भी पुराना है। उर्दू हिन्दू-मुसलमानोंके मेल जोलसे बनी है। उसके साहित्यके निर्माणमें हिन्दुओंका धर्म हिस्सा है। पन्द्रहवीं सदीसे अधिक सदीके आरंभी तक उर्दू ही हिन्दू-मुसलमान शिष्टोंकी भाषा थी। आज भी उसका इक है कि वह राष्ट्र-भाषा यानी हिन्दुस्तानके सभी निवासियोंकी चिल्ड सम्प्रदायी तपीकरण भाषा भाषा मानी जाय। लेकिन उर्दू-लिखनेवालोंके कुछ गिरोहोंने उसमें ऐसी अखबी फारसीकी ठूस-यस शुल्कर दी है कि उसके वह गुण जिन्होंने उसे आमफौज और लोकप्रिय बनाया था लोप होते जाते हैं।

हिन्दोंको सस्कृतमें और उर्दूको फारसी अखबीमें इधरे हुए देस्तकर कुछ लोगोंका रखाल हुआ कि लिखावटका वह टग चलाए जिसमें भफारफी न हो, जो ज्यादाते हिन्दुस्तानियांकी समझमें आ जाय और जिसमें अपनी असली धुनिधारा और ग्रामर के नियमोंके मुताबिक अफज़ाका इस्तेमाल हो। इसी हिन्दी उर्दूके बोचकी ज़गानका नाम हिन्दुस्तानी है।

मुन्नशोजी की सख्त भूल है भगर वह यह समझते हैं कि हिन्दी स्वभावसे सस्कृतनिष्ठ है। यह ऊपर बता दिया गया है कि हिन्दोंकी धुनिया और ग्रामरी कायदे सस्कृतसे बहुत दूर हैं। हिन्दों ही नहीं बिहारी, नेपाली, बगाली, आसामी, उड़िया, मराठी, गुजराती, राजस्थानीकी धुनियां और ग्रामर सस्कृतसे कोयों दूर चली गई हैं। द्रविड़ भाषाओंका तो कहना हो क्या है। एक बात जल्द है। सम्प्रदायी खीचतानने पुरानी थोती रस्मों रीतियोंमें दोषारा जान डालनेका रुज़हान पैदा कर दिया है। हिन्दीको सस्कृतजूमा बनानेका मेलान (प्रवृत्ति) बढ़ रहा है। हिन्दुस्तान की सभी भाषाओंमें लिखनेवालोंकी निगाह आगे नहीं देखती, पोछ तकती हैं। इसका नतीजा तो वह होता मालूम होता है कि जैसे यू० पी० में हिन्दी उर्दूका भगवान् चल रहा है वैसे ही मगाहे बगाली, गुजराती, मराठी, पजाबीमें चलने लगेंगे। हिन्दुओंकी बगाली, गुजराती, मराठी, पजाबी अलग होगी मुसलमानोंकी अलग।

मि० मुन्द्रोका रथाल है कि हिन्दीमें बल, सिगर, सवार सस्कृतकी बदौलत है। और जितनी ही सस्कृत भाषा और सस्कृत सभ्यतासे लियेगी उतनी ही उच्ची होगी। साथ ही वह हम इस खन्नेरसे चौकड़ा करना चाहते हैं कि जबाने बनानेसे नहीं बनती, यह किसीके हुक्मके अधीन नहीं होती। मि० मुन्द्रीके विचारके मुताबिक इसे ये महँने है कि अगर हिन्दी समैलनकी आजासे साइन्सकी परिभाषाए सस्कृत से ले ली जाय या सस्कृतके आधार पर बना ली जाय तो उनमें उस्तूलका उत्तरपतन नहीं होता, लेकिन अगर परिभाषाए किसी और भाषासे बनाइ जाव तो यह बनावटी इन्जिनियरी है। मिसालके लिए अगर आप लिखें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तो हिन्दीका स्वाभाविक विकास होगा और अगर आप लिखें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या अचल, दोयम, सोयम, चहारम, तो वह बोंगा धोंगी ठूस टास समझी जायगी। सस्कृतके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थकी आवार्ज ऐसी रसीली हैं कि तवियतको शुद्धगुदा देती हैं, फारसीके अचल, दोयम, सोयम, चहारम इतने भाड़े हैं कि वह न सिर्फ बैनसूब जाती (अन्तर प्रान्तीय) भाषा के लिए जर्हीन और कुरुम हैं, वह उद्दृ बालने वालोंके लिए भी पिताभाने हैं। क्या अनूठे सिद्धान्त हैं! कैसी ठास दलीलें हैं।

सम्प्रदायी समस्या—

ऐकिन हाथोके दौत दिखानेके और हैं यानक बोर। इन सब उपर्युक्त और दलीलोंकी आलमे जा असलिकर है वह कुउ और ही है। मि० मुशीने उसे भी खोल कर कह दिया है : वह कहते हैं, “हम एक पक्का लिए भी न भूलना चाहिए कि हिन्दी उर्दूका सबाल जा विशपलपसे देशक सामने है, भाषाका उत्तर नहीं है। वह तो सम्प्रदायी समस्या है, जिसे भाषाके सबालका स्पष्ट दें दिया गया है।” इन बातोंसे साफ जाहिर है कि हिन्दीको सस्कृतनिष्ठ बनानेका कारण भाषा और साहित्य का गुणार नहीं, सम्प्रदायी भाषाएँ अपनी माँगको कहा और कंचा बनाना है ताकि फँसलेके बफ़ माड़ तोल करनेमें ज्ञापदा रहे। यह निराली मत्र (तर्क शास्त्र) है। हिन्दू मुसलमानोंके फँगाड़का उद्यनेक लिए यह नाति बन गई जाता है कि भगवान्को गूह उत्तर करा, फँगोंको एवं बगाओं, सम्प्रदायी भाषाओंको छट्टसे कटूर

सम्प्रदायी रागठनको मज़बूत से मज़बूत पनाओ। चौज-योधो काटोके, और आशा करो फल फूलोको। यद्य सारांशर ध्रम है, उन्माद है, निर्धक चेष्टा है।

इस्तेलस्त थो मुदालस्त थो जूँ।

(सासाहिक भारत)

श्री कन्दैयालाल मुन्शी —

[श्री मुन्शीजीने 'संस्कृतनिष्ठ' भाषास्त्रो राष्ट्र-भाषा। बनानेकी सलाह दी है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिये हैं। उन आंकड़ोंमें ध्रम होनेकी सम्भावना तो अल्प ही है। यदि ये सल्ल हैं तो प्रचलित हिन्दी-भाषामें जगद्दस्ती, विशेषतः फारसी इत्यादिके अप्रचलित शब्दोंको भरना अदूर-दर्शिताका ही गोतर है।]

श्रीयुत के० एम० मुन्शीका भाषण—

३ दयपुरमें होने वाले ३३ वें हिन्दी सम्मेलनके अवसर पर श्री मुन्शीने

समाप्ति पदसे जो भाषण दिया, उसके कुछ अशा निष्ठ लिखित हैं :—

इससे पूर्व भी गुजरातने इष्व सम्मेलनको दो समाप्ति दिये थे। एक गुर्जर-नरेश सवाजीराव गायकवाड और दूसरे विस्वनन्द महात्मा गांधी। परन तो मैं नरेश हूँ और न नेता। मैं तो आप सबकी तरह सरस्वतीके मन्दिरका एक सामान्य पुजारी हूँ। मेरे अपने जीवनकी उन घडियोंको सबसे अमूल्य घडिया गिनता हूँ, जिनमें मैं अपनी साहित्य-शक्तिको भारतीके चरणमें समर्पित करता रहा हूँ। मेरे तो एक रक्त साहित्यकार हूँ।

आज मेरे दृढ़गमें खिन्नताका सचार हो रहा है। महात्मा गांधीजी आज सम्मेलनसे अलग हो गये हैं। इन्दीरमें वही मुहे सम्मेलनमें लाये गए। उनकी प्रेरणा और सहयतासे मैंने स्वर्णीय त्रेमचन्द्रजी के साथ 'हस' चलाया था।

मैंने महात्माजी तथा टडनजीका पत्र-व्यवहार ध्यानपूर्वक पढ़ा। इसमें दो अटल श्रद्धावान् पुरुषोंकी धर्मनिष्ठा झक्कती है। गांधीजी मानते हैं हिन्दी और उर्दूका

समन्वय न केवल इष्ट है, बरन् शास्य भी है। टण्डनजी मानते हैं यह शास्य नहीं, सम्मेलनके लिये इष्ट भी नहीं।

गांधीजी तो आदर्शके साथ हैं। 'वह उसे सिद्ध करनेके लिये अपनी समग्र शक्तियोंको एकाग्र करनेमें अपने जीवनकी सार्वकृता समर्पते हैं। उन्हें हिन्दूकी राष्ट्रीयताचा युजन करना है। इसका पाया हिन्दू-मुस्लिम एकता पर रखनेके लिये उन्होंने भागीरथ तपथर्यां की है। उनका मन्त्रव्य है—'राष्ट्र-भाषा वह है जिसमें नागरी और उर्दू-लिपिको स्थान दिया जाता है और जो भाषा न फारसी है, न सरकृतमयी है।' श्री टण्डनजीने जबाबमें लिखा—'सम्मेलन हिन्दीकी राष्ट्र-भाषा मानता है। उर्दूको वह हिन्दीकी दौली मानता है जो विशिष्टजनोंमें प्रचलित है।' भाषाकी स्वभावसिद्ध लिपि नागरी ही हो सकती है, यह भी उनका मन्त्रव्य है।

हिन्दूकी राष्ट्र भाषा नागरी है (नागरीमें लिखी जाने वाली हिन्दी) है। यह इस सम्मेलनका मुख्य सिद्धान्त है। ३३ वर्षोंसे इसी विद्वास और प्राण पर उनका यह जीवन निर्भर है।

गांधीजी राष्ट्र-घटा हैं। हिन्दू-व मुसलमान दोनों दो लिपिया सीख और हिन्दुस्तानीके व्यवहारसे एकता सिद्ध करें, ऐसा मार्ग वह दर्शा रहे हैं।

जहाँ तक मैं देख सकता हूँ ये दोनों सत्य भिन्न-भिन्न हैं। इनका समन्वय सहल नहीं। परन्तु—

'स्वधमें निभन्न थ्रेयः'

सम्मेलन क्या करे—

सम्मेलन और गांधीजी दोनों अपना-अपना स्वर्गम पारस्परिक उदारतासे अनुसरण करें, इसीमें मुझे लाभ दिखाइ देता है। यदि सम्मेलनका सब खण्ड होगा तो गांधीजी उसे स्वीकार करेंगे और जो सम्मेलन समझेगा कि उनका सब यरा है तो उसे स्वीकार करनेमें सम्मेलनको सकोच नहीं होगा। गांधीजीने सम्मेलनसे ल्याग पत्र दिया है पर वह उसे छोड़ नहीं गये हैं। उन्होंने स्वयं लिखा है—'जैसे मैं क्यधेक्यमें निकला तो क्यग्रेसकी ज्यादा सेवा करनेके लिये, उसी तरह अगर मैं सम्मेलनसे निकल्य तो भी सम्मेलनकी अपांत् हिन्दीकी ज्यादा सेवा करनेके लिये निकलूँगा।'

गृ पन्द्रह सौ वर्षोंके साहित्यके रचयिता हिन्दू हैं, मुस्लमान हैं, सिन्धु हैं। यह सरलतासे समझ जा सकता है। (बोलियोंमें अन्तर होते हुए भी) इसकी भाषा तथा साहित्य विप्रक मौलिक तत्त्व एक ही है। १३वीं शदीके पहले ये गुण आप्रवासी थे, उसके बाद वज्रभाषामें थे, आज हिन्दीमें हैं। इस रीतिचे यदि हम भिन्न-भिन्न भाषा और साहित्यका लघुतप निकलें, तो हिन्दी निकले।

उन्नीस सौ इकत्तीसकी जनगणनाको ध्यानमें ले तो ३८,९८,८८००० मरुष्य हिन्दी और बममें हिन्दी और बमी भाषा बोलते थे। इनमेंसे २५, ३७, १२००० सस्तृन-कुलकी भाषाओंको व्यवहारमें लाते थे। ४,६७,१८००० सस्तृत-प्रधान द्रविड़ी भाषाको काममें लाते थे। -इस वर्षकी गणनाको लें तो एक सौ भारततात्त्वियोंमें—

- (१) ९९ प्रतिशत भारतीय भाषाएँ बोलते हैं।
- (२) ३५ प्रतिशतकी भाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी है।
- (३) ३४ प्रतिशतकी भाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानके साथ गम्भन्य रखती है।
- (४) १३ प्रतिशत सस्तृत-प्रधान भाषाएँ बोलते हैं।
- (५) ६ प्रतिशत-प्रचुर भाषाएँ बोलते हैं।
- (६) ३३ प्रतिशतकी भाषा देवनागरी लिखिमें लिखी जाती है।
- (७) २७ प्रतिशतकी भाषा देवनागरीके किसी स्वरूपमें लिखी जाती है।
- (८) २० प्रतिशतकी भाषा द्रविड़ी लिखिमें लिखी जाती है।
- (९) इन आकड़ोंकी छोटीछोटी देखते हुए जो भाषा सस्तृनप्रधान हो, वही राष्ट्र-भाषा हो राखती है।

(१०) हिन्दकी प्राचीन राष्ट्रभाषाओंकी अखण्ड पीढ़ीमें हिन्दी उत्तर आती है। इसको शब्द-समृद्धि ८८ प्रतिशत बोलनेवालोंके लिए बहुत कुछ परिचित है। इनके बोलनेवाले तथा सरलतासे बोल सकनेवाले उनहृतर प्रतिशत हैं।

राष्ट्र भाषा—

फलतः हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो राष्ट्रभाषा है ही।

हिंदी राष्ट्रभाषाको भाज समस्त भारत स्वीकार कर रहा है। ऐतिहासिक कारणों से यह भाषा ही राष्ट्रभाषा होनेके लिए निर्मित हुई है।

१. इसका बाजाह स्वस्य हिन्दुस्तानी समस्त भारतमें समझो जा सकती है। इसी स्पष्टमें प्रातः प्रातमें वह जुदा जुदा ला रेती है। इस व्यवहार का मूल असली अपनी दामें है। इसको गढ़न दिशी-प्रदेशमें होनेके कारण यह हिन्दू-सुसालमानों के व्यवहारका राधन है।

२. उत्तर भारतकी समस्त भाषाओंकी एकता जैसे सन् १८०० से पूर्व ब्रजभाषामें प्रतिवित वी, वैसी ही आओ इसमें प्रतिवित है।

३. इसमें नेतृमिक लक्षण हैं। सख्तकी समृद्धि होनेके कारण यह हिन्दकी सख्त-प्रवृत्त भाषाओंका समम हो सकती है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले भी इसे सरलतासे स्वीकार कर सकते हैं।

४. नागरी लिपि हिन्दमें प्रतिशत ६०के लिए परिचित है। इधरिए इसे राष्ट्र-भाषाके स्थानें स्वीकार करनेमें रुमसे कम प्रयत्नकी जरूरत पड़ती है।

राममोहनरायने बगाली गद्य की नीव टाली, इसकी अभिवृद्धि हुई। वकिल और खोदने इसे अपूर्व लालित्यसे भरा—सख्त की समृद्धि से।

मराठी लो, कन्नड़ लो, तेलगू लो, मलयालम लो—अरे तामिळ भी लो, सख्त की शक्ति यिना इनमें समृद्धि और सरसता आ ही नहीं सकती। यह कोई नई बात नहीं। यदि मैं विकास प्राप्त करता हूँ तो अपनी शक्तियोंके प्रतारसे ही। इसी प्रकार भारतीय भाषा विकास पाये, सख्तकी मददसे ही—इससे कोई मार्ग नहीं।

हिंदी, सख्त यिना समृद्ध नहीं हो सकती। गरुदसी ऐणाके दिना यह सरसनामा पादन नहीं बन सकती। सख्त इसकी जननी है। इस जननोंसे मुख्य दारम नहीं आती। मैं अपनी इन भाषाओं से प्रेरणा लेता हूँ, दस्तिएँ मैं छिटीसे माफ़ी नहीं मानता—मारूँगा भी नहीं।

व्यवहारमें—

अब मैं व्यवहारके प्रश्नों पर आता हूँ। हिन्दी राष्ट्रभाषा हो तो मुसलमानोंका क्या ? पंजाबके हिन्दुओंका क्या ? उर्दूका क्या ? यह प्रश्न भाषा-विश्लेषको नहीं ; यह तो राजनीतिक प्रश्न है। राष्ट्रीय दृष्टिके हिन्दू-मुसलिम-विरोधको द्यालेके लिए इस प्रश्नकी चर्चा होती है। आजके जमानेके सभी प्रश्न राजनीतिक अमरोंके चक्र में पड़कर गढ़ले हो जाते हैं। मैं अब वास्तविक दृष्टिके द्वारा प्रश्नकी उत्तरीन करना चाहता हूँ।

आज राजकारणमें दिदू-गुसलिम एकता जट्ठी दोनों मुद्दिल है।

हिन्दुओंके लिए फारसी-अरबीकी समृद्धि पानी कठिन है ; मुसलमानोंको संस्कृत की समृद्धि मिलनी मुदिल है।

अरबीशाही उर्दूको हिन्दुओं द्वारा स्वीकार करवानेमें, मुसलमान अपनी साम्राज्यिक विजय मानने लगे हैं। इस प्राचारकी उर्दू स्वीकार करनेमें हिन्दुओंका सम्मान भरा होता है।

हिन्दू-संस्कृत-विद्वान् हिन्दुस्तानीको जो राष्ट्रभाषा मानें तो राष्ट्रीय साहित्यकी अभियुक्ति पौङ्कियां तरु कुचित हो जायगी। मुसलमान और पञ्चाबके हिन्दू जो अफारसी हिन्दी लिखते हैं, तो मुन्दर साहित्यकी रचनान कर सके।

पर जल्दत इस बातको है कि हिन्दी उर्दूका प्रश्न राजनीतिक क्षेत्रसे हटाकर साहित्य क्षेत्रमें ले जाया जाय। कांग्रेसजी नीतिके अनुसार हिन्दी-हिन्दुस्तानी व्यवहारकी राष्ट्रभाषा रहे और राजनीतिमें हिन्दी और उर्दू दोनों शैलियोंको बिना दीमा-टिप्पणी, बिना सकोच लिखनेकी छूट दी जाय। ऐसा करनेदेर दो में से एक शैलीका उपयोग करना चाहिये, या दोनोंका मिश्रण करना चाहिये, यह दुखिया स्वयं मिट जायगी। भारतको आजको परिस्थितिमें हिन्दी और उर्दू दोनोंके विकासका अवसर है। एक न एक दिन इन दोनों विकसित शैलियोंका एकीकरण स्वयंमेव होगा। आज होना असम्भव है। इनका समन्वय आज हो जाय और हिन्दू-मुसलमान एक भाषा स्वीकार करें, यह मेरी दृष्टिमें शक्य नहीं।

पर महात्माजी मानते हैं कि आज हिन्दी उर्दूका समन्वय शक्य है और इष्ट भी है। यदि महात्माजी अशाक्यको शक्य बना सके तो हमें उसका सामग्र करना ही होगा। मेरे जीवनकालमें यदि यह चमत्कार हो जाय तो मैं जीवन धन्य समझूँ। इतनी तो मैं आदा रख सकता हूँ कि दोनों प्रजातियोंके लिए स्थान है। दोनोंके बीच मैं विरोध या वैमनस्य हो जाय तो जहर हानि होगी। महात्माजीके इस सिद्धान्तको माननेवाले और समेलन परस्पर सहिष्णुतासे अपने अपने धर्मका अनुसरण करें।

हिन्दी राष्ट्रभाषा हो, यह एक बात है। पर व्यवहार और सजनीतिके लिए भी मुझे 'भारती' भाषा चाहिये—जिसे सभी भारतीय लिखें; जिसमें सब बोलें, जिसमें समस्त भारत साहित्यका सुनन करें। जैसे इटलीन्डकी भाषा थप्रेजी, फ्रान्सकी फ्रैंच, वैसे ही भारतकी भाषा 'भारती' कव बने इसको मुझे मखना होती है। हिन्दी 'भारती' रूप कव ले, मैं इसकी बाट जोह रहा हूँ।

जैसे अपने शके सत्ताइस• रूप थे, वैसे ही शुरूमें इसके भी सत्ताइस रूप हों। इस 'भारती' भाषाका विचास करनेके लिये हिन्दी भाषा नायियोंको उदारतासे दूसरी भाषाओंकी विशिष्टताये अपनानी पड़ेंगे।

(बीर अंजन २१ अक्टूबर १९४५)

श्री वियोगी हरि—

{ श्री वियोग हरिजीने अपने भाषणमें हिन्दीको राष्ट्रभाषा और नागरी लिपिको राष्ट्रियि माना है। 'हिन्दुस्तानी' (आजकलके अर्थमें प्रयुक्त) के नाम पर हिन्दी और उर्दूका महा परिवाम निन्दनीय है। गांधीजी भी, जिन्होंने देशद्वी अनुद्धनीय सेवा की है, वे भी यदि इस प्रधारकी अस्वामिक भाषाके पृष्ठ पोरक हैं तो वे देशको महान हानि पहुँचा रहे हैं। हिन्दीकी समस्यादो साजनीतिक समस्याका निर्यक रूप दे दिया गया है। अतः इसका समन्वय साजनीतिसे गहरा दोता जा रहा है। जनताजी माग है हिन्दी राष्ट्रभाषा हो, न कि 'हिन्दुस्तानी' (गांधीजीके प्रयुक्त अर्थोंमें)।

यदि जनताकी मांग पूरी न की गई तो सरकारको जनताके विरोधका समना करना पड़ेगा।]

सम्मेलन हिन्दीको, उसके प्रचलित रूपमें राष्ट्रभाषा और नागरी लिपिको राष्ट्रलिपि मानता है। उसको इस मान्यतामें शुद्ध और पूर्ण राष्ट्रीय दृष्टिकोण रहा है। जहाँ तक हिन्दीके बोलनेवा सम्भव नहै, विभिन्न हिन्दी भाषी प्रदेशोंमें भी उसके अनेक रूप प्रचलित हैं। लिखी भी वह कई लैलियोंमें जाती है। एक शैली उसकी उर्दू भी है, जिसका चलन विशिष्ट जनोंमें पाया जाता है। सबूत हमने इस विशिष्ट शैलीको बहिष्कृत नहीं किया है; ऐसा करनेकी हमारी कभी मता भी नहीं। किन्तु सम्मेलनने हिन्दीकी उसी भारणा-शैलीको राष्ट्र-भाषा माना है, जिसमें क्वीर, रैदास, जायसी, तुलसी, सर, मीरा, गुरुनानक, रहीम, रसखान, हरिश्चन्द्र, मैथिलीशरण, प्रसाद, पंत आदि कवियों और सन्देशोंने तथा राजा शिवप्रसाद, बालछण्ड मट्ट, प्रतापनारायण मिथ, महीबीरप्रसाद दिवेदी, रामचन्द्र शुक्र, प्रेमचन्द्र आदि लेखकोंने राष्ट्रके विचारों और भावोंको भिन्न-भिन्न कालों और अलग-अलग परिस्थितियोंमें स्वाभाविक रीतिसे व्यक्त किया है।” अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके ३४ वें भविष्येशनमें ध्याक्ष पदसे भाषण देते हुए राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपिके सम्बन्धमें श्री वियोगी हरिने उमर्युक्त विचार व्यक्त किये।

‘हिन्दुस्तानी’ अन्दोलनकी ओर सकेत करते हुए श्री वियोगी हरिने कहा कि “अच्छा तो यह होगा कि हिन्दी और उर्दूको अपने-अपने रस्ते बढ़ने और फैलने दिया जाय। समन्वयका में भी विरोधी नहीं, प्रेमी हैं। किन्तु जिस प्रयत्न द्वारा हमारी भाषाकी प्रगतिका अग-भग होता हो, उसे असुन्दर और विषम बनाया जाता हो, उस प्रयत्नको चाहे जो नाम दिया जाये, पर उसे समन्वय या सार्वजनिक प्रयत्न नहीं कहा सकता। राजनीतिक और साम्प्रदायिक प्रश्न हमारी भाषा पर दबाव नहीं ढाल सकते।”

रेडियोकी भाषा सम्बन्धी नीतिकी तीव्र आलोचना करते हुए श्री वियोगी हरिने कहा कि “रेडियोकी वर्तमान हिन्दी-घातक नीतिका अन्त तुरन्त होना चाहिये।”

भाषणका संक्षिप्त अंश—

सम्मान्य स्वागताभ्यक्ष, देवियो और सज्जनो ! रामेलनके सभापतिके आसन पर बिध कर आप लोगोंने मेरा जो इतना बड़ा सम्मान किया है; उसके लिये मैं किन शब्दोंसे धन्यवाद दूँ ? 'एक चले पिर छन्ह खरदे'—यह सुना तो बहुत था, पर ग्रत्यक्ष इसे आश्र देखा । ऊरचद प्रार्थना अब यही है कि इग महान आदान पर आप लोगोंने सुसे बिठाया है, तो मेरी सारी नुटियोंको, भूलोंको अपने उदार स्वभावसे अन्त तक निभावे भी रह ।

सिन्ध-भूमिको अद्वानजलि—

सम्मेलनका यह अधिकेशन ऐसे प्रान्तमें हो रहा है जहा हिन्दी बोली नही जाती, किन्तु समझ ढेते हैं और जहाकी लिपि भी दुर्भियसे अखो लिपिका परिवर्द्धित सस्वरण है । सिन्धी भाषा पर ऐतिहासिक उतार-चढ़ावोंका काफी प्रभाव पड़ा है, पर अन्य जनेक भारतीय भाषाओंकी भाति सिन्धी भी प्रगतिसे सकृत और प्राकृत-मूलक है । सिन्ध प्रदेशकी प्राचीनतम सभ्यताका तो कहना ही क्या । वहाही रास्तृतिक समृद्धिकी साक्षी सासारको आज भी सहस्रों वर्षके पुराने भौद्वजोदाङोंकी भग्नावशेष दे रहे हैं । नुरबेदने, महाभारतने तथा पुराणने इस वार्यवासकी महिसा का भूरि-भूरि गान किया है । आज इस पुण्य प्रदेशकी इस प्राचीनतम आर्यभूमिको मेरे धदार्घवंक प्रणाम करता हूँ ।

राष्ट्र भाषाका स्वरूप—

सबसे पहले मैं राष्ट्र-भाषाके सम्बन्धमें कहना चाहता हूँ । सम्मेलनका मत स्पष्ट है । वह हिन्दीको, उसके प्रचलित स्पर्धे राष्ट्र-भाषा और नागरी लिपियो राष्ट्र लिपि मानता है । हमारे देशमें भाषा कभी वाद-विवादका विषय नही बनी थी । उस पर कभी राज्य-सत्ताका अकृता नहीं रहा ।

साम्प्रदायिक एक्य साधनको दुनमें भाषाओ जान-जान कर विगाइना किसी भी दृष्टिसे समीचीन नही । धेमेल शब्दोंको कान उमेठ कर जबरदस्ती ऐसी जगह बिठाना, जो उनके लिये भौजू न हो, एक व्यर्थका प्रयास है । कभी इस तरह सहज,

सुधोग और सामान्य भाषा यनी है ? इस फेरमें पढ़ कर भाषाको हिन्दीको भी और उर्दूको नी अस्वाभाविक और अगुन्दर क्यों बनाया जा रहा है ?

राष्ट्रकी भावनाओंको जगाने और एक छोरसे दूसरे छोर तक फैलानेमें हिन्दीका सबसे अधिक दायर रहा है । फिर हिन्दीको इसी तरह सम्प्रदायकी भाषा कहनेका कौन साहस करेगा ? किसको हिन्दुस्तानीसे भी उसे कोई सटका नहीं ।

धी वियोगी हरिने आगे कहा कि, “यदि हिन्दुस्तानी नामसे भाषाके उसी स्पष्ट को प्रहण किया जाता हो, जिसे कि हम आज राष्ट्र-भाषाके स्पष्टमें स्वोकार कर रहे हैं, तो हिन्दीका हिन्दुस्तानी नामकरण करनेमें हमें राकोच नहीं होगा, यद्यपि नया नामकरण विलकुल व्यर्थ है प्रश्न तो अखलमें भाषाके स्वरूपका है ।”

रेडियोकी हिन्दुस्तानी—

अध्यक्षने आगे कहा कि “इस सिलसिलेमें मेरा ध्यान स्वभावतः उस हिन्दुस्तानी पर भी जाता है जिसका प्रसार और प्रचार रेडियो पर किया जा रहा है । राष्ट्र-भाषा हिन्दीकी रेडियोकी इस भाषा नीतिसे काफी अहित हुआ है । हमारी अन्तःकालीन सरकारने अब तक इस दिशामें कोई कदम नहीं उठाया । रेडियोकी वर्तमान हिन्दीधारातक नीतिका अन्त तुरन्त होना चाहिये । सम्मेलनने जिस सद्भावपूर्ण न्यायकी आशासे बहिष्कार आन्दोलन उठा कर सहयोगका हाथ बढ़ाया था, उसका सही उत्तर उसे अब तक नहीं मिला । हिन्दो जगतमें फिर अन्दर-अन्दर रेडियो विभागकी इष्ट उपेक्षा नीतिसे असन्तोष और द्वेष बढ़ रहा है । प्रश्न भारत सरकार इस प्रकार इस प्रकार असन्तोषका बढ़ने रहना राष्ट्रके हितमें अच्छा समझती है ।

सम्मेलन और गांधीजी—

धी नियोगी हरिने कहा कि “गांधीजीने राष्ट्र-भाषा हिन्दीकी भ्रनुपम सेवा की है । सम्मेलन उनका सदा छुप्पी रहेगा । आज दुर्भाग्यसे भाषाके प्रश्न पर हमारा उनके साथ मतभेद हो गया है । मतभेद प्रकट करते समय हमारी तर्क-शैली और भाषामें अविनय नहीं आना चाहिये । हमें यह न भूलना चाहिये कि गांधीजीके

लाग-प्रगत अर्थ सम्बन्ध का परित्याग नहीं है। उन्हींके दावोंमें उनके सम्बन्ध
से जिकलनेवा भर्ज, 'सम्मेलन' की अवधि, हिन्दीकी ज्यादा रोबा है।"

(भारत २७ दिसम्बर १९४६)

गत ७ नवम्बरको (१९४७) काशी नागरी प्रचारिणी सभा भवनमें एक विशाल
जन-समुदायके समने भी वियोगेहरिजोने निम्नलिखित विचार प्रगट किये—

यदि विभान परिषद हिंदीको राष्ट्रभाषा तथा नागरी लिपिको राष्ट्र लिपि नहीं
स्थीर करती है तो आगामी नुवाबमें देशको आयलैंडकी भावि इसी विषय पर
लड़ता पड़ेगा। पूज्य महात्मा गांधीजी हमारे राष्ट्रप्रेषु नेता, 'हिन्दुस्तानी' जिसका
राष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा साहित्य सङ्क्षित है, प्रचारकर निस्सदेह देशका अहित कर
रहे हैं। हिन्दीका स हित्य उत्तम है तथा दृष्टिकोण भी व्यापक है। यह अन्तर्राष्ट्रीयतामें
विश्वास करती है, इसके विवरीत उद्दूस इन विशेषताओंका अमाव है। यह उपयुक्त
नहीं होगा कि हिंदी माता है और उद्दूसकी मुत्री है। यह कहना गलत है कि
यह हिन्दुओंकी भाषा है। अपिनु यह हमारे देशवासियोंमें अधिकादा लोगोंको
बोधगम्य है। × × ×

× × × राजनीतिक नेताओंसे अनुरोध है कि वे हिन्दीको राष्ट्रभाषा तथा नागरी
को राष्ट्रलिपि मानें।

(दैनिक 'लीढ़र' से)

Banaras, Nov 7, '47. If the Constituent Assembly of India does not recognise Hindi as a national language and Nagri as the national script of the country the country will have to fight the coming election on this very issue as was in Ireland. The revered Mahatma Gandhi, the supreme leader of our country, is definitely doing a great disservice to the Nation by preaching Hindustani among the people in spite of its having a poor literature and lack of national outlook. Thus observed Sri Viyogi Hari, a

veteran Hindi scholar and the president of the All India Hindi Sahitya Sammelan, while addressing a huge gathering at the Nagri Pracharini Sabha Hall recently Pandit Ram Narain Misra presided

Sri Vyogi Hari further added that Hindi has got a rich literature with a liberal outlook. It believes in internationalism, on the contrary Urdu literature lacks in these qualities. It will be no exaggeration if we call Hindi as the mother language and Urdu its daughter. It is wrong to say that it is the language of the Hindus but it is spoken and understood by the majority of our countrymen.

The English knowing public of our country takes great pride in boasting the English journalists and the foreign men of letters and raising memorials in their honour though our Hindi Scholars and Indian journalists have in no way less contributed to the upliftment of our society and have always suffered a great deal for the emancipation of our country and man kind. But these days are not far off when their services will also be recognised by our country and they will not have to suffer with inferiority complex before the political leaders of the country.

Appealing to the political leaders of the country he said that they should accept Hindi the National language and Nagri as the National script of our country and relieve the Nagri Pracharini Sabha, Hindi Sahitya Sammelan and other similar organisations from enlisting support for placing Hindi language on the citadel of the national

language and allow them to do their best to enrich the Hindi language.

In the end he complimented the Nagri Pracharni Sabha and its organizers for the great service which they rendered to the cause of Hindi Literature and its language
 (Leader)

श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'—

[श्री 'नवीन' जी ने निम्नलिखित लेख 'हिन्दुस्तानी कभी नहीं' में उस हिन्दुस्तानी अथवा हिन्दीका विरोध किया है, जिसमें फारसी शब्दोंको अस्वाभाविक रूपसे मरा गया है। हिन्दी तथा उदूके बीच एक झगड़ेकी सृष्टि हुई और उसे आज राजनीतिक रूप देकर 'हिन्दुस्तानी' नाम समझौतेके लिए दिया गया। यद्यपि 'नवीन' जी 'हिन्दुस्तानी' का विरोध करते हैं, किन्तु उस हिन्दुस्तानीका नहीं जो हिन्दीका पर्यायवाची है ।]

हिन्दुस्तानी कभी नहीं

 तर भारतमें हिन्दी और उर्दूका विवाद बहुत पुराना हो चुका है। सन् १९१९ में महात्मा गांधीके भारतीय राजनीतिक सेनामें अवतरण तथा उनकी इस घोषणाके पधात कि भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दी हिन्दुस्तानी है, हिन्दी-उर्दू विवाद प्रायः नष्ट होता अवगत हुआ। किन्तु हाल ही में विरोधकी ज्ञालयें पुनः प्रबलित हो उठी हैं और आज इस अनुमन तरकीए-उर्दू, हिन्दी-साहित्य-समेलन तथा दागरी प्रचारिणी सभाको हिन्दुस्तानीके सम्बन्धमें एक दृष्टरेका उपरांत विरोध करते देखते हैं ।

प्रश्न उठता है कि यह विरोध पुनः क्यों उठ खड़ा हुआ ? इसका उत्तर भी स्पष्ट है। पहले महात्मा गांधीने हिन्दीको ही भारतकी राष्ट्रभाषा उद्घोषित किया

था और अहिन्दी प्रान्तो—मद्रास, बड़ाल, आसाम, सिन्ध आदि में उसके प्रचारके लिए प्रयत्न भी किये थे। इसके परिणामस्वरूप मुसलमान सशक्ति हो उठे और उन्होंने अपरोक्षतः महात्मा गांधी तथा कांग्रेस पर यह दोष लगाना आरम्भ कर दिया कि वे भारतीय मुसलमानोंकी भाषाको नष्ट करनेके लिए प्रयत्नशील हैं, तथा यहांके मुसलमानों पर हिन्दी उनकी इच्छाके विरुद्ध उन पर लादी जा रही है। इन आक्षेपोंका उद्देश्य सफल हुआ और तुरन्त ही भाषाकी एक सर्वमान्य संज्ञाका अन्वेषण होने लगा और इस प्रकार उर्दूकी सहायतासे 'हिन्दुस्तानी' राष्ट्रीय-भाषाके पद पर प्रतिष्ठित हुई। अनेक काग्रेसजन इस नामको समन्वयरूप मानते हैं। किन्तु यह अंतिपूर्ण धारणा है। वह भाषा जिसे पं० जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद तथा आचार्य नरेन्द्रदेव अ० भा० राष्ट्रीय महाराभाके अधिवेशनोंमें बोलते हैं, विशुद्ध प्रांजल उर्दू है। इसीको 'हिन्दुस्तानी' भी कहा जा सकता है जो कि वास्तवमें उर्दूका ही एक अन्य नाम है। किन्तु नाम बदल देने मात्र ही से भाषाका स्वरूप नहीं बदल सकता। एतदर्थं यदि कोई यह समझता है कि फारसी, अरबीकी शब्दबलोंसे युक्त उर्दू भारतकी राष्ट्रभाषा हो जायगी तो वह भ्रममें है। ऐसा विचार करनेके मेरे पास पर्याप्त कारण हैं। भारतीय भाषाओंके नवशोकोंदेखनेसे पता चलता है कि अधिकांश प्रान्तीय भाषाओंका समन्वय आर्यभाषा वर्गसे है। बंगालसे बम्बई प्रान्त तक जितनी भी प्रान्तीय भाषाएँ तथा उपभाषाएँ बोली जाती हैं, उनका संस्कृतसे ऐतिहासिक सम्बन्ध है। मराठी, गुजराती, हिन्दी, बिहारी, बगाली, राजस्थानी, आसामी आदि समस्त भाषाएँ संस्कृतसे ही निकली हैं। इसलिये इनमें संस्कृतके शब्दोंका अधिक्य स्वाभाविक ही है। ऐसी हालतमें भारतकी जनभाषा वही हो सकती है, जिसे सारा देश समझ सकता हो और जिसका प्रचीन कालकी 'अपनी श' 'शौरसेनी' तथा अन्तिम स्पर्श संस्कृतसे निकटतम सम्बन्ध हो। हिन्दो ही ऐसी एक मात्र भाषा है और इसलिये वह भारतकी जनभाषा बन सकती है। हिन्दोके स्थान पर हिन्दुस्तानीको घोषनेके प्रयत्नका कड़ा विरोध किया जायगा। इसलिये कांग्रेसकी या तो भाषा सम्बन्धी वाद-विवादमें ही नहीं पड़ना चाहिये अधवा उसे साहसपूर्वक हिन्दीको अपनाना चाहिये।

वाद-विवादके फलस्वरूप प्रान्तीय भाषाओंको भी काफी धक्का लगा है। बिहार, युक्तप्रान्त और सी० पी० के अधिकारी निवासियोंकी भाषा हिन्दी ही है, किन्तु हमारे राजनीतिक चिंताओंके 'हिन्दुस्तानी' के प्रति जर्दलू जोशने इन प्रान्तीय भाषाओंको काफ़ी धृति पहुँचाई है।

भारतकी आम भाषाको फ़ारसी और अरबीका जामा पहिना देना असुगत और अथावद्वारिक ही नहीं, विक्ति अमानवीय भी है। जब कि विभिन्न प्रान्तोंके निवासी सस्कृतसे उत्पन्न भाषाओंका ही प्रयोग करते हैं और जब कि महाराष्ट्र, गुजरात और बड़ाल अदिके मुसलमान भी अपने दैनिक प्रयोगमें सस्कृत-प्रथान प्रान्तीय भाषाओंको ही उपयोगमें लाते हैं, तब किर इन्हें जोश और दण्डके साथ, जिसे कि किसी महान् उद्देश्यकी प्राप्तिमें लगाना चाहिए ना, हमारी भाषाओं विगाहनेका प्रयत्न क्यों किया जा रहा है?

हिन्दुस्तानीका एक दूसरा पहलू भी है और यह पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान हिन्दुस्तानीमें इस अपने दृष्टव्य भाव और भावनाओंको व्यक्त ही नहीं कर सकते। दृश्यनिक विचार और भावपूर्ण कल्पनाएँ रुखी प्राणदीन और दैनिक प्रयोगमें आने वाली भाषा द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती।

इसलिये हिन्दुस्तानी-प्रचार-समाजके प्रयत्न निश्चय ही असफल हागे।

(वीर अर्जुन १४ अक्टूबर १९४५)

राष्ट्र भाषा भारतीय संस्कृतिकं अनुरूप हो—

समुक्त प्रान्तीय हिन्दी साहिल सम्मेलनके स्थानमें होनेवाले सभन अधिकारितके समाप्ति प० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने जो भाषण दिया है वह इस प्रकार है—

सम्मान्य स्वागतार्थक महोदय एव निमों।

आज हृदयमें वही वेदना, वही व्याख्या, वही पौढ़ा है। भारतीय मानव भाज उपमानव बन रहा है। उषा एव विदेषकी उजाला भइक उठी है। निम्नतम ननो-विद्यरोंका धूत्र सब दिशाओंको आकर्षन्त किये हैं।

आज भारतीय सन्त परम्पराकी, नीच भ्रमन्धता जुनीती दे रही है। यह शनु-भावना, यह धूणा यदृ वर्वरता, यह असानगृहि मानव-रक्ष-रडित अपने विहराल दट्टोंगे खें, बेटियों और निरीहोंके दावोंसे दावे हुए अट्टहास कर रही है। शेष सलीम चित्ती, कबीर, नानक, तुलसीकी परम्पराको दलकारकर वह कह रही हैं, “कहा है तेरा वह राम-रहीमही एकतावाला उद्घोधन ! क्या हुआ तेरा वह इकतारा जिसे बजा-बजाकर सर्वधर्म-थदा-भावके गीत गाये जाते थे ?”

तात्कालिकता एवं सामयिक आवश्यकताके आधार पर साहित्य-सूजन करनेके सिद्धान्तका अनुगमन करनेमें सदा यह भय बना रहेगा कि कहीं हम अपनी नाककी सीधे किंचित् भी अधिक आगे देख सकनेमें असमर्प तो नहीं हो जायेगे ? और इसी कारण, इधर कई वर्षोंसे मैं अपने साहित्यकारों तथा आलोचकोंके समझ अपना यह विचार उपस्थित करता आ रहा हूँ कि हमें केवल-मात्र तात्कालिकता, केवल-मात्र सामयिकवाद विशेषताके आधार पर साहित्य-निर्माण करनेका हठ नहीं करना चाहिये। ऐसा हठ भयावह है।

साहित्यकार सम्प्रदायवादमें न पड़े —

यदि केवल तात्कालिक आवश्यकता, यदि सामयिक युग-धर्म ही मेरी साहित्य-गृहियोंको प्राणोदित करनेके अधिकारी ही तब मैं क्या धूणा, बिद्धेप, वर्वरता, तिर्दयता और निर्ममताके ही गीत गाऊँ ? क्या मेरे वे गीत मानवको ऊँचा उठाने वाले मानवको ऊँ गमनकी ग्रेणा देने वाले होगे ? यदि नहीं तो क्या मेरा साहित्य केवल-मात्र मेरे जगन्य शर्मोंका पुज होकर ही नहीं रह जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकारके वर्गवाद या सम्प्रदायवादमें पढ़कर हमें साहित्यका—अर्थात् अपने अन्तस्तलमें बैठे हुए सत्य-क्षियन्नुन्दर का गला नहीं ढाँटना चाहिये।

इस, राष्ट्र भाषा हिन्दीके सेवकोंका उत्तरदायित्व बहुत अधिक हैं। हमारी साहित्य परम्परा और हमारी सन्त-परम्परामें कोई भेद-भाव नहीं रहा है। स्मरण रहे कि यदि हम अपनी परम्परासे विचलिन होते हैं तो हम न केवल अपने उज्ज्वल साहित्यक इतिहासके प्रति बरन, अपने वर्तमान और अपने भविष्यके प्रति भी धोर

विश्वासघात करते हैं। देवोभूत्वा देवंयजेत्—स्वयं देव-स्वस्त्र होकर ही अपने आराध्य देवकी अर्चना करनी चाहिये। माता सरस्वतीकी आराधना करतेवालेके हृदयमें सरस्वती-वाहन हंसकी-सी शुभ्रता और नीर-झीर-समर्थता यदि न हो तो मारा की पूजा कैसे होगी? हम यदि साहित्य-स्त्रष्टा हैं तो हम प्रण करें कि आजकी इस पश्चु बना देनेवाली भवानक परिस्थितिमें भी हम पश्चु नहीं बनेंगे और हम भानव को पश्चु बननेको प्रेरणा नहीं देंगे। इतका यह अर्थ कहरापि नहीं है कि हम कायर अक्षर्मण्य, आरु श कुमुम चुनने वाले, यथार्थताएं अनभिज्ञ, गगन-ब्रह्मारी बन जाओं। इसका अर्थ केवल यह है कि हम भानवको उसका मानवत्व प्रदान करनेकी ओर अप्रसर हों। भानवके अन्तस्तालनिवासी गुहाभानवको उत्कर्पणके, विरासके मार्गकी ओर अप्रसर बढ़नेमें ही सच्चा पुरुषार्थ है। यही धेयका मार्ग है। इसीके द्वारा प्रेष की भी संपूर्ति हो सकती है। इसी प्रकार योग-क्षेमक वहन हो सकता है। साहित्य निर्माण करते समय यही प्रेरणा हमें प्राणोदिन करती रहे—यही मेरा विनम्र अनुरोध और मेरी विनम्र प्रार्थना है।

भाषा विषयक मतभेद—

गत वर्ष दिल्ली श्रातोय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभापति-पदसे बोलते हुए मैंने हिन्दी उद्दू और हिन्दुस्तानीके विषयमें तथा सरकारकी रेडियो-भाषा सम्बन्धी नीनिके विषयमें अपने विचार बहुत सार्वतात्पूर्वक घ्यक कर दिये हैं। अनः मैं इस विषयमें उठ खेदक बात तो आपके समुख रख नहीं सकता; पर इतना अवश्य कह देना चाहता हूँ कि हमारे देशमें भाषा विषयक यह मतभेद हमारी ऐतिहासिक बिड़ब्बना है। वह खेदक विषय है कि हमारं देशके मुसलमान नाईं न जाने क्यों वह समझ बेठ है कि भारतवर्षसे बाहरकी भाषाएँ भारतीय भाषाओंको अपेक्षा उनके अधिक निकट हैं। बात जैसी है, उसे बेउ हो समझ लेनी चाहिये। आबका भारतीय मुसलमान यानी पड़ा-लिखा, नवोन ठप्पेका मुसलमान अनारतीय किंवा भारतीय नस्कृति का विरोधी है। और आपके भारतीय मुसलमानमें जा यह भारतीय-ग्रंथिरोपी न नग-प्रनिध दियलाइ रही है, वह उठ नहे नहीं है। नाया-विद्यागके दृतदस्त पर यदि हम विचार करें तो हमें पता लगेगा कि उसका सब्ला भारतीयता-विशेषी मुस्लिम

भावनामा ही प्रतिरूप है। इस समयमें इस प्रश्नके ऊपरोहमें न पढ़गा कि भारतीय मुसलमान समाजको भारतीयता-विरोधिनी मनोरुत्तिके ऐतिहासिक कारण क्षा हैं? यिनां किसो ऐतिहासिक विवेचनके बाद में गतवर्ष दिल्लीमें व्यक्त किये गये विचारोंको ही दोहराता हूँ तो आपको मेरा मन्तव्य पष्ट रूपसे अवगत हो जायगा। इस देशमें इस्लामने अभारतीय स्वरूप धारण किया है, और दिन प्रति दिन भारतीयता विरोधका यह रग और गहरा होता जा रहा है।

मैंने कहा था कि “भारतीय मुसलमान, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय वौरपुष्यों और नारतीय परम्पराओंको विजातीय समझना ही अपने इस्लाम के प्रति भक्तिरब्यभिचारिणीका आवश्यक तत्व मानता है। अतः वह भारतीय भाषा को अपनी भाषा नहीं मानता। यह दुर्भाग्यका विषय है। पर है यह सत्य, यथार्थ बात। आज तुकींचा मुसलमान अपनो तुकीं भाषासे अरबीके शब्द बीत-बीन कर निकाल रहा है। आज ईरानका मुसलमान अपनी फारसी भाषासे अरबीके शब्द निकाल कर अपनी भाषाको शुद्ध एव सस्कृत कर रहा है। पर आजका भारतीय मुसलमान इस प्रभावके बश होकर कि अभारतीयता इस्लाम-भक्तिकी दोतक है, अपनी उर्दू भाषामें अरबी शब्दोंको शुसेड़ रहा है। यह हमारी विडम्बना है। भारतीय मुसलमानोंकी इस मनोरुत्तिके कारण हम हैं—हम उच्च वर्णके हिन्दू, जिन्होंने अपने धार्मिक सकोचके कारण तथा अपनी सड़ो-गली परियाटी पूजाके कारण, आपनी संस्कृति को अपने मनोभावोंको विकृत कर दिया और जिसका परिणाम यह हुआ कि अन्य धर्मविलम्बी जन हमारे शुद्ध स्वरूपको देख ही न पाय। कारण कुछ भी हो, भारतीय मुसलमानोंकी इस अगाधीय अवज्ञा अभारतीय, किंवा भारतीयता विरोधी प्रगृहितके अतितत्वको स्वीकृत करके ही हमें आगेरो भाषा सम्बन्धी नीतिशा निर्णय करना है।

अमारतीय मनोभाव—

हमारे देशवासी भाइयोंकी—अर्थात् हमारे मुसलमान भाइयोंकी—भाषा सबधी नीति दूस बातका एक और प्रमाण है कि उनका मनोभाव अभारतीय है। उर्दू भाषाके विकाश और उसके भारम्भका कमगत इतिहास इस बातका साक्षी है कि

उर्दूके उन्नायकोंने एतत् देशीय शब्दों—संस्कृत किया प्रान्तीय भाषाओंमें व्यवहृत होनेवाले शब्दों,—के बहिर्कारकी भीति पर ही उर्दू ए सो-अलाका प्रसाद निमित्त करनेकी छान ली थी। अदीब लम्सुल्क नवाब सेयद नसीरखानके 'मुगल और उर्दू' नामक ग्रन्थका एक उद्धरण पं० चन्द्रबली पाण्डेयने अपनी 'उर्दू कब और कैसे बनी' नामक मुस्तिकामें अचित किया है। नवाब सेयद नसीरखान महाशयका कथन इस प्रकार है :—

उमदतुल मुल्कों और उमराके मशविर से ऐहलीमें एक 'उर्दू अंजुमन' कायम की। उमके जलसे होते, जबानके मसयके छिह्ने, चीजोंके उर्दू नाम रखे जाते, लफजों और सुहाविरों पर बदसें होतीं, और बड़े रगड़ों-झगड़ों और छान-चीनके बाद 'अंजुमन' के दफ्तरमें वह तहकीकतुदा अन्यका व सुहावरात् कल्प यंद होकर महफूज किये जाते। और बड़ी नियहलमुतो सरीन, इनकी नकल हिन्दके उमराव स्साके पास भेज दी जातीं और वे उसकी तकलीफको फस्त जानते और अपनी-अपनी खगह उन लफजों और सुहाविरोंको फैलाते ॥"

इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि उर्दू भाषाको विच्छिन्न करते समय उसके नियमांताओं के मनमें इस देशको बहिर्भूत बरनेकी भाँता थी। यदि हम सहरके उस शेष्ठो याद करें जो उन्होंने नासिक के समन्धमें कहा था तो हमारा यह यदेद और भी दड़ हो जाता है। सहर महाशय अंगुत नासिक की प्रशासामें कहते हैं।

मुल्कुले शीरजको है रक्त नासिकका सहर ।

इस्कहा उसने किये हैं कृचहाए लखनऊ ॥

चिचित् सोचिए तो छिना बहा अभारतीय अभ्यास भारतीय-तिरोधी नवोभाव है। नासिकको प्रशासा इसलिये को पढ़े कि उन्होंने लखनऊको गोलियोंकी इस्तदान मना दिया। अर्थात् अपनी रचनाओंमें उन्होंने इतना अधिक एतत् देशीय शब्द-बहिर्भूत छिपा और घरसी घब्बोंकी इसी दृष्टियाँ की कि लखनऊकी गोलियाँ इस्तदान मन गईं। ऐसा तात्पर्य यह है कि उर्दूके विद्वान्की यह गति यों ही चलती रही।

हिन्दीका स्वरूप क्यों बिकृत किया जाय—

मैं इस बातका पोर विरोधी हूँ कि हिन्दुस्तानी नामक फिसी कपोल-कल्पित भाषाके द्वजनके नाम पर हिन्दीका स्वरूप बिकृत किया जाय। प्रश्न सीधे-सा है—
क्या आप हम राजनीतिक, अर्थ शास्त्रीय, वैज्ञानिक, गणित विषयक, उद्यानिति शास्त्रीय आदि शब्दोंको सहृदातसे लेनेको तैयार हूँ ? अथवा क्या ये नित नव, हिन्दु सतत प्रयोगोंमें आनेवाले, शब्द अर्थी या फारसीसे लिये जायेंगे ? मेरे देशकी ऐतिहासिक परिपाटी सहृदात, जन-हृषि एव जन-दित भावनाका यह आदेश है कि वर्तमान आवश्यकता एव वर्तमान विचार-धाराको व्यक्त करेनेवाले, अभिन्न शब्द सहृदात अथवा देशी भाषाओं से ही आये।

आज हमारे देशकी राजनीतिक एव सामाजिक परिवर्तियाँ अत्यन्त तीव्र गति से परिवर्तित हो रही हैं। आज तो हमारे सम्मुख यह प्रश्न उठना ही नहीं चाहिये कि हमारे इस भारत देशकी राष्ट्र-भाषा क्या हो ? हिन्दुस्तानी नामक भाषाका हमारे जीवनमें, हमारी ऐतिहासिक भूखलामें, हमारी सहृदातमें, हमारी जन-हृषिमें कोई स्थान नहीं है। हिन्दुस्तानी नामक कपोल कल्पित भाषा एक ऐसा उपर्यासासंद प्रयास है, जो सांस्कृतिक सम्मेलनके नाम पर वास्तवमें सहृदात संकर्यको प्रणोदित करता है। प्रश्न यदृ है कि हम अखंकी तथा फारसीके शब्दोंमा प्रचलन क्यों सहन करें ? हम इस प्रकारकी विजातीयताको क्यों प्रोत्साहित करें ? क्या हमारी भाषामें हमारी सहृदात वाणीमें, यह क्षमता नहीं है कि वह अभिन्न विचारोंको आत्मसत्त् कर लेनेके उपर्यात उन्हें व्यक्त करें ? किसका साहस है जो यदृ कहे कि हमारी भाषा, हमारा शब्दकोप —दग्धि है ? हमारी यदृ मान्यता है और हम साहसके साथ यदृ प्रतिपादित करते हैं, कि हम प्रत्येक प्रकारके वैज्ञानिक, राजनीतिक, न्याय-विधान-विषयक आधिक, सामाजिक, व्यापारिक, दार्शनिक, साहित्य संबंधि एव ललितकला विषयक अभिन्न विचारोंको सहृदात द्वारा पूर्णरूपसे व्यवहृत कर सकते हैं। इस सम्बन्धमें किसी भी निष्पक्ष शब्द-शास्त्रोंको रचनात्र भी सन्देह नहीं है। अतः जो लोग हिन्दुस्तानी नामक कल्पित भाषाका राग अलापते हैं, वे वास्तवमें भाषा विषयक प्रश्नके मद्दत्वको समझे बिना ही ऐसा करते हैं। प्रचलिन

शब्दों के आधार पर भाषाओं परिवर्तित न करनेकी थात भी मेरी समझमें नहीं आ रही है।

आज हमारी न्याय-विधान क्रियक शब्दावली फ्रांसीके अस्त्राभाविक प्रभाव से बोझिल हो गई है। हम इस बातको क्यों सहन करें ? क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे साहित्यमें, हमारे प्राचीन समाज-विधानमें, न्यायालयोंमें प्रयोग होनेवाले प्रत्येक शब्दके लिये, स्थूल शब्द विद्यमान है ? तथ, हम आज उन शब्दोंकी पुनः प्रतिपादके लिये क्यों न आन्दोलन एव प्रयास करें ? हम युक्त प्रान्तीय सरकारके कृतज्ञ हैं कि उसने प्रातःकी भाषा हिन्दी स्वीकृत कर ली है। हम उसे धन्यार्थ देते हैं। परन्तु हमोरा निवेदन यह है कि यह स्वीकृति मात्र ही पर्याप्त नहीं है। इस सिद्धान्त-मान्यताको कार्यस्थलमें परिणत करनेके लिये हमारी प्रातीय सरकारको एक समितिका निर्माण तुरन्त ही करना चाहिये और इस समितिके अधीन समस्त शासन सम्बन्धी शब्दोंके हिन्दी रूपान्तरका कार्य कर देना चाहिये। यह कहना कि वरे भाई जो कानूनी शब्द प्रचलित हो गये हैं उन्हें यथावत उन रूपने दो, एक भ्रान्त वार्ता है। प्रबलनके नाम पर और प्रबलन भी ऐसा जो बलात् चालू किया गया हो— हम इस प्रकारकी विजातीयताको सहन नहीं करेंगे।

बहुधा हिन्दुस्तानीके पश्चिमी सरलता एव बहुजन-युक्ति आलानाकी दुर्दशा देते हैं। यह सरलता बाला तर्क हमारी समझमें कभी नहीं आया। यह माना कि आज हमारा जन-समूह निरवार है, उसका शब्दकोष सीमित है एव उनका मानस-दिण-मडल अत्यन्त सद्गुचित है। यह भी माना कि आज वह स्थूल निष्ठ भाषाओं समझमें कठिनहै अनुमत करता है। तब क्या इसका यह अर्थ है कि वह फारसी-निष्ठ भाषा समझ सकता है ? गत शताब्दियोंके शब्द-सौकर्यके कारण यह ही सकता है कि उत्तर भारतके दिल्ली एव नोएलके जास पासके कुछ गांवोंके निवासी फारसी अर्थी शब्दोंसे किंचित परिचित हो गये हों। पर क्या हम उन यत शताब्दियोंके इस अत्यन्त सीमित अभिशापको अपनी खोपड़ी पर स्थाने रहे ? नहीं। हम यह न करेंगे। यदि आज हमारा जनसमूह सकुचित एव सीमित विचारों बाला है, तो क्या इस कारण हम अपनी भाषाको सदा दरिद्र बनाए रखें ? क्या हम अपने मानवको

सदा अशान-तिमिरास्त थी रहने दें ? क्या हम उसे नये विवार न दें ? क्यों हम उपका शब्द-भाष्टर न बढ़ाएं ? क्या हम उसके संस्कृति-संस्कृत्यों प्रोत्साहित करते जाएं ? “कहिए किला, मिजाज मकझस ! आदाव धर्जे ।” मैं पूछता हूँ यह कौन-सी सुन्धता, कौन-सी संस्कृति, कौनसी परिपाठी है ? क्या इसीको हम संस्कृति-संस्कृत-लनके नामसे पुकारें ? सप्तवादिता क्षमा की जाय, यह संस्कृति सम्मेलन नहीं है, यह हमारी दासता-जन्म विवशताकी विशानी है ।

गान्धीजीका विरोध—

मुझे भव्य दुःख है कि मैं अपने नेता एव आधारदेव गान्धीजी द्विदुस्तानी काली बातको अनुचित समझने पर गाध हूँ। मेरो युद्ध गोधोको इस बातको स्वीकृत नहीं करती। गान्धीजीके विचारोंके विशद अपना भत प्रतिशादित एव प्रकट करना मेरे ऐसे जनके लिये कितना कष्टकर है, इस बातको मेरे वे समानपर्मां ही रामभू सहने हैं, जिन्होंने गोधोकी एक सुरक्षानके लिए अपने स्वर्ण धौवनको उत्तर्संग कर दिया है। मेरे लिये गोताका स्वित प्रश्न, सन्यासी, प्रिणुणातीत, भक्त एव शानी कल्पनाके परे को बस्तु थे। गान्धीजीके चरण-दर्शन करके ही मैं गोताकारको तत्सम्बन्धी नान्यताद्यो गम्भव एव व्यवहार्य मान सका हूँ। गान्धी मेरे जीवनमें और मेरे जीवन लक्षावधि जनोंके जीवनमें क्या रहा है और क्या है—यह मैं क्या चताऊँ ? जो महामानव अनायास ही मेरे हृदय-रिहासन पर प्रतिष्ठित ही गया है, जिसे मैं अपना मुक्ति-मन्त्र-दाता मानता हूँ, जिसे मेरी भावना एव मेरी युद्ध सुगावतारके स्वर्ण स्वीकृत कर दुक्की है, जिसके चरणानुगमन करनेका यत्किञ्चित् प्रयास जीवन-सफलताका सन्तोष प्रदान करता है, वह महापुरुषके विचारसे सहमत न हो सकना मेरे लिए कष्ट-प्रदृ अपमन है। किन्तु आज इस भावा विषयक नीतिके सम्बन्धमें गान्धीजीका विरोध करनेके लिए विवश हूँ। मैं समझता हूँ कि गान्धी ‘द्विदुस्तानी’ का उद्देश्य करके देशको ध्रान्त दिशाकी ओर ले जा रहा है। मेरे लिये, हम सभके लिये मारका विषय अल्पन्त महत्वर्ण है। इस सम्बन्धमें किसी प्रकारका कोई समझौता नहीं हो पक्ता। आज भारतवर्ष स्वतन्त्र है। मेरे लिये स्वतन्त्रताका तोड़पूछ नहीं रहेगा, यदि इस स्वतन्त्र बातावरणमें सुन्दे भारतीय संस्कृतिके अनुसव अन्ते उगाज एवे राघ

के विकास का अवसर तब तक नहीं मिल सकता, जब तक कि मेरे राष्ट्र की भाषा का प्रश्न मेरे राष्ट्र की सास्कृतिक परम्पराके अनुसार निर्णीत नहीं होता। इस भारत राष्ट्र की सास्कृतिक परम्परा संस्कृत भाषानिष्ठ है। इसका प्रमाण यदि आप चाहें तो आप इस राष्ट्र के सरकार, प्राकृत, पाली, वैशाली, अपचंश एवं ज्ञानपदीय साहित्यका व्याघ्रावलोकन कर लें। आज भी हमारी प्रातीय भाषाओंमें सहृदनिष्ठ शब्दोंका बहुत्य है। अतः यह स्वयंसिद्ध बात है कि भारत राष्ट्रकी सहृदति परम्पराकी रक्षा केवल उसी भाषा द्वारा हो सकती है जिस भाषाका स्रोत सहृदत भाषा हो और जिसका अश्वर-अभिव्यञ्जन देवनागरी लिपि द्वारा हो। रमण रहे कि जब तक हम इस प्रश्नको ठीक तरहसे नहीं सुलझा लेंगे, तब तक हम अपने राष्ट्रीय जीवनकी अन्य गुणियोंको न सुलझा सकेंगे।

हमें अपने देशमें अपनी परम्परा-अनुमोदित भाषा—हिन्दी भाषा—के द्वारा ही अपना सास्कृतिक उत्थान करना है। हमें अपने देशवासी मुसलमान जर्नीजो हिन्दी भाषाके द्वारा ही शिखित करना है। हमें उन्हें इसी भाषाके द्वारा अपने देश—अर्थात् उनके देश—को प्राचीन गरिमाका गौरवानुभव करना है। हमें उन्हें राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, अशोक, चन्द्रगुप्त, गगा, यमुना, विन्ध्य, हिमाचल आदिमें अपनपौछा अनुभव करना है। यह कार्य सहृदनिष्ठ हिन्दी भाषाके द्वारा ही हमें करना है। अनः आज हम उर्दू अथवा हिन्दुस्तानीके जालमें क्यों फ़से? कोई भी महान् सास्कृतिक यज्ञ ऐसी भाषाके द्वारा समर्पण हो ही नहीं सकता जो विदेशी भाषाओंके शब्द-भाष्ड-जारकी ओर टकटकी लगाये देखती रहे और उसके द्वार पर शब्दोंके लिये हाथ पसारे खड़ी रहे। यदि हमें अपने राष्ट्रकी हिन्दू-मुसलिम बालोंको यह सिखाना है कि “भगवान् कृष्णचन्द्र पूर्ण पुरुषोत्तम थे”, तो इस बातकी कौनसी आवश्यकता है कि हम उर्दू लिपिमें उन्हें सिखाएं कि “ज्ञनाच किशनचन्द्र साहब एक मुक्तमल आला इन्सान थे?” और फिर यह भी तो सोचिये कि ‘ज्ञनाच किशनचन्द्र साहबकी मुक्तमल आला इन्सानियत’ उनके ‘पूर्ण पुरुषोत्तमत्व’ की तर्जुमानी कहाँ तक करती है? इसलिये हम कहते हैं कि भारतीय सहृदतिमें रथाक्षयित हिन्दुस्तानी भाषा और उर्दू लिपिका कोई स्थान नहीं है।

विधान परिपद् और कांग्रेस दलका प्रस्ताव—

दमारे सम्मुख अभी तक हिन्दी भाषाको तथा देवनागरी लिपिको भारतकी राष्ट्र-भाषा एवं राष्ट्र-लिपिके स्वर्णमें स्वीकृत करनेका प्रस्ताव अर्खाहृत अवस्थामें ही पढ़ा हुआ है। आपमें से अधिक्षतरु अथवा यों कहूँ कि सभी महानुभाव यह बात तो जानते ही हैं कि भारतीय विधान परिपदके कांग्रेस दलने आपके हाय देवक का यह प्रस्ताव मान लिया है कि भारतकी राष्ट्र-भाषा हिन्दी तथा राष्ट्र-लिपि देवनागरी हो। परन्तु अभी तक यह प्रस्ताव विधान-परिपद द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है। विधान-परिपदके भागमी अधिवेशनमें यह प्रस्ताव विचारार्थ उपस्थित किया जायगा। अद्याप्त बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डनके प्रयत्नों एवं भिन्न-श्रांतोंके हिन्दी-प्रेमी सदस्य बन्धुओंके सहयोगसे यह प्रस्ताव विधान-परिपदमें भी स्वीकृत हो जायगा, ऐसी आशा तो है। पर रद्द-रद्द कर मनमें एक लटका भी उत्पन्न हो जाता है। गांधीजी आज भी हिन्दुस्तानी तथा देवनागरी एवं उर्दू-लिपियोंकी बात कहते चले जा रहे हैं। और उनके एतत् विषयक अनुगामी जन हम लोग पर आपनेय नयन बाणोंकी वर्षा कर रहे हैं। ऐसे समय आपका—युक्त प्रान्तीय हिन्दी सम्मेलनका—यह कर्तव्य है कि बगाल, मद्रास, बम्बई, पजाब तथा अन्य सभी प्रान्तोंके विधान-परिपद् सदस्यों को हिन्दी तथा देवनागरीके पक्षको बातें समझायें और इस प्रकार आप हम हिन्दी-देवनागरी-समर्थकों को बल प्रदान करें। आपमेंसे कुछ महानुभाव तथा अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके भाषा शास्त्र पडित नेतागण विधान-परिपदके समय दिली पधारें और भिन्न-भिन्न प्रांत-चालिंगोंसे समर्पक स्थापित करें। हिन्दी-हिन्दुस्तानी-विवादका स्पष्टीकरण करने वालों पुस्तिकाएँ अप्रेजीमें भी तेशर की जानी चाहियें। हम हिन्दी तथा देवनागरीके पक्षमें प्रबल आन्दोलन करना चाहिये। स्मरण रखिये कि बिना एक समर्थित एवं शक्तिशाली आन्दोलनके हम विधान-परिपदमें अपनी बात न मनवा सकेंगे। इस कारण आप सब भिन्नोंको सजग एवं सतर्क रहने की परम आवश्यकता है।

विधान-परिपदके कांग्रेस दलमें एक प्रलय यह उठ पाज हुआ है कि हिन्दी देवनागरीका प्रस्ताव कांग्रेस-दलने जब बहुमतसे स्वीकृत कर लिया है, तब कांग्रेस दलके

सदस्योंको विधान-परिषद् में मनमाने टंगसे मत देनेकी स्वतन्त्रता हो या न हो ? कांग्रेस दलके विधान परिषदीय वे सदस्य जो हिन्दी-देवनागरीके समर्थक हैं, यह चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर दलके सदस्योंको प्रस्तावके पश्चात् मत देनेका आदेश दिया जाना चाहिये । प्रस्तावके विश्वासे मत देनेवाले अत्यमतीय सदस्योंको यह स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिये कि वे विधान परिषद् में भी मत देते समय विश्वासे में अपनी सम्मति प्रकट करें । प्रस्ताव-विरोधियोंका वह मनन्य है कि यह भाषा-विषयक प्रश्न ऐसा महत्वपूर्ण एव तात्परक है कि उसका सीधा सम्बन्ध उनके आत्मिक आन्तरिक विद्वासके साथ है, अतः विरोधी सदस्योंको अन्तस्थ आत्मिक विद्वासके प्रतिकूल मत देनेके लिये विद्वा करना घोर अन्याय होगा । विधान-परिषदस्थ कांग्रेस दलकी समाके सभापति आचार्य ठुगलानी सदस्योंको मतदान स्वतन्त्रता देनेके पश्चात् प्रतीत होते हैं । हिन्दी देवनागरी वाले प्रस्तावको सफलतापूर्वक पास करानेके लिये यह आवश्यक है कि न्यूनात्म्यून कांग्रेस-दलमें इस विषयमें फूट न पड़े । हमारी समझमें इस गुण्यीका एकमात्र मुलमध्यव हमें तो यही प्रतीत होता है कि विधान-परिषदस्थ कांग्रेस दल अपने उन सदस्योंको, जो इस प्रश्नको आत्मिक-विद्वास-मूलक मानते हैं, केवल इन्होंना स्वतन्त्रता दे दें कि वे विधान-परिषदमें बोटके समय तटस्थ रह जाय । किसी भी अशरणमें ऐसे सदस्योंको प्रस्तावके विश्वासे बोट देनेकी स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती । मेरा तात्पर्य यह है कि इस समय हमारे सामने अनेक कठिनाईयाँ हैं और जब तक हमारे हिन्दी-भाषी कर्मठ विद्वज्ञ विधान-परिषद के समय हमारी सदायताको नहीं छाँसेंगे, तब तक इस प्रश्नको हिन्दी देवनागरीके पश्चात् निर्णीत कर देना अत्यन्त कठिन—कदाचित् असम्भव भी होगा ।

पाकिस्तानने अपनो राष्ट्रभाषा चर्दू उद्घोषित कर दी है । पाकिस्तानकी विधान-परिषद्ने चाहे इस विषयमें कोई निर्णय न दिया हो, पर पाकिस्तानी विद्युत-उद्घोष-विभागने हिन्दुस्तानीके स्थान पर उद्घोषमें समाचारोंकी घोषणा करनी प्रारम्भ कर दी है । हम पाकिस्तानका अनुदरण नहीं करना चाहते । पर, हिन्दुस्तानीके भावरणमें हम विजातीयताको प्रथम देनेके घोर विरोधी हैं । इसलिये हमाप्य यह विधित मत है कि हिन्दीको राष्ट्रभाषा और देवनागरीको राष्ट्र लिपिके स्पष्टमें स्वैकृत

करने ही में भारत राष्ट्रसंघका कामाज है। भाषा और लिपिके साथ विद्यावाच करना राष्ट्रकी परम्परा एवं संस्कृतिके साथ विद्यासभ त करनेके सदृश है।

यान्ततः, हिन्दुस्तानी भाषा है क्या ? भारत सरकार द्वारा निर्मिता विद्युत्-उद्घोष-परामर्श-दात्री-समितिने हिन्दुत्तानीकी व्याख्या करनेमा प्रयास किया था। उसके मतानुसार हिन्दुस्तानी वह भाषा है, जो साधारणतः उत्तर-भारतमें समझी और बोली जाती है। और जो उर्दू ओर देवनागरी दोनों लिपियोंमें लिखी जाती है। मेरे निकट वह परिभाषा एक भ्रष्ट परिभाषा है,—अब इसलिये कि यह अवैज्ञानिक एवं अवास्तविक है। यह जार्ज मियर्सनके सदृश भाषा-तत्व-विद्यारद्दोष द्वारा भारतमें हिन्दुस्तानी नामकी कोई भाषा नहीं मिले। इतिहासकी दृष्टिऐ से हिन्दीकी अर्थात् हिन्दी तो भाषा है,—पर हिन्दुस्तानीका तो कहीं अस्तित्व है ही नहीं। इसलिये, इस प्रकारके आमके नामके चक्करमें फसकर, हिन्दी भाषाके साथ अन्याय करनेको प्रयत्निको ओत्साहन करते जाना कहाका न्याय है।

हमारा अखिल भारतीय हिन्दी सहिल रामेलन तथा हमारे भिन्न-भिन्न प्रान्तस्थ प्रान्तीय हिन्दी साहिल्य सम्मेलन, अथवा यों कहूँ कि हम हिन्दी भाषा गणीजन, कदापिकाल उर्दू भाषाके विरुद्ध नहीं हैं। यदि हमारे देशके कुछ निवासी अमवश्य किंवा प्रमादवश हिन्दीका, अर्थात् भारतीय परिपाठी एवं संस्कृतिका, विरोध करें तो करें। हम, भारतके लिये नितांत अव्याभाविक उनकी उर्दूका विरोध नहीं करते हैं। हमने तो उर्दूको भी हिन्दीकी एक शैली ही माना है—हाँ, शैली ऐसी अवश्य जो भारतीयतासे विभित्ति एवं विजातीयतासे विजित है। हम चाहते हैं कि अपने स्थान पर उर्दू फ़ले-फूले। ताकि हम इस बातका पाप समर्थन नहीं कर सकते कि हिन्दुत्तानीके उद्यवशमें उर्दू पत्ते। उर्दू अपने वास्तविक, यथार्थ, यथावत् रूपमें उभति भले ही करे। हिन्दुस्तानीके नाम पर, वह हिन्दीके विकासके मार्गमें आड़े न आंवं, वही हम चाहते हैं।

हमारा यह विद्यास है कि हम हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपिके द्वारा अपने देशके उस जन-समूहको जो अभीतर अपनेको हमें, इस देशसे, इस देशकी परम्परा

और परात्रिषे, भिन्न समस्या रहा है, अनेंगे आत्माप्रत्‌कर उनेंमें समर्थ होने। हिन्दुस्तानी नामक धर्मित भाषाके माल्यमधे यह कार्य गम्भाइत नहीं हो सकता।

एक बात भीर यह है। हिन्दी भाषा है, यह इसकी राष्ट्रियता एक अविच्छिन्न अंग है। जब तक भरतीय जन-गणोंके हृदयोंमें अपनी परम्परा, अपनी गत्य-रित मुन्द्रा गारुदि एवं अपने उमड़वल अठीतके प्रति धदा विश्वास एवं व्यास्था हो, जब तक दूसारे हृदयोंमें यह एवं पैर्य हो, जब तक हममें कर्मठज्ञ का छिपाका भी अंश हो, तब तक हिन्दी मर नहीं सकती। मैं तो स्वप्रदृष्टी हूँ। मैं उस भविष्यहा स्पष्ट देख रहा हूँ, जब भारतीय मुगलबान, अपनी वर्तमान वास्तव निश्चाको परित्यज करके ठठ यहा होगा और यह देखेगा कि वास्तविक भारतीयताका महण करनेके पधार ही वह खो, अच्छा मुगलबान बन सकता है। और तब वह 'अय हिन्द' के उद्घोषसे दिग्दिगतको ग्रहणित काता हुआ भारतीय इतिहायमें एक नये अध्यायका प्रारम्भ करेगा। समरण रखिये हिन्दी सी दर देखके हिन्दू मुसलमानोंकी समुक्त सम्मिलित भाषा है। इकारी हिन्दी केवल सह और तुलती ही की नहीं है; वह अन्तर्राष्ट्रीय साकारात्मा और रसायन की भी है। अतः इस बातका हम सदा समरण रखें कि हिन्दीका पक्ष समर्थन करते समर हम सदृचित सम्प्रदायिकहाको न अपना लें।

(भारत—२६ अक्टूबर १९४७)

श्री सम्पूर्णानन्दजी—

[श्री सम्पूर्णानन्दजीके इस मापणसे स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी राष्ट्र-भाषाकी अधिकारिणी अपने गुणोंके कारण ही है, न कि किसी प्रकार के पश्चादके कारण। इसके द्वारा अन्य धार्मिक समुदायके लोगोंको किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुँचेगी। इसकी 'सर्व संप्राहक (१) शक्ति तथा समन्वय शक्ति' असीम है। 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर आजकल जिस कृतिम भाषाका प्रयोग किया जा रहा है वह राष्ट्रके लिए व्याधिके समान कष्टदायक है।]

हिन्दी समूचे देशकी राष्ट्रभाषा है

शीर्षे में होने वाले सबुका प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सत्रन
अधिवेशनमें स्वप्रताप्यात्मके पदसे माननीय भौ सम्पूर्णनन्दजीने जो भाषण
दिया है, वह इस प्रकार है —

हिन्दीके प्रेमियो !

सम्मेलनका यह अधिवेशन विशेष परिप्रतिमें हो रहा है। जो आजसे बारह
मईमें पढ़िले यहुत लोगके लिये स्वप्रदा भी विषय नहीं था वह आज धुव सत्य है।
भारतवर्ष स्वतंत्र है। दुर्भाग्यवशात् देशके दो ढाके हो गये हैं, फिर भी जिस
भागमें हम रहते हैं वह स्वाधीन है और हमको अब भी आशा है कि एक न एक
दिन विभाजनका अन्त द्वोगा। सामूहिक रूपसे न सही पर वैयक्तिक रूपसे हिन्दी
साहित्यके कई प्रमुख सेवकोंका स्वाधीनताके युद्धमें अप्रगम्य स्थान रहा है। हमारे
मनोनीत सभापति प० बालकृष्णजी इस कवनके जबलन्त उदाहरण है। ऐसा होना
स्वाभाविक था। साहित्यिकके चेत प्रदेशमें चतुर्दश भुवन समा जाते हैं, परन्तु वह
स्वयं भूगोक्त निवासा होता है। यह भले हो छिसी आदश जगत् की कल्पना करे
परन्तु इस जगतका रेताकन इस वास्तविक जगत्के अट्ठास और कन्दन, भूर और
तृप्ति, अन्युदय और शोपणकी भूमिकामें ही हो सकता है। पराधीनतामें उत्तरीका
भी गला घुटवा है, हँसीकी आँड़में हँशाई भाकती है, आशा पलायनका व्याधय बन
जाती है। अत साहित्य सेवी स्वभावत स्वाधीनता चाहता है। सम्मेलन राज-
नीतिक सद्या नहीं है। परन्तु मेरमन्ता हूँ कि यह बात तो निश्चक कही जा
सकती है कि हम सब स्वाधीनताका स्वागत करते हैं और इस क्ष-प्राप्त स्वाधीनताकी
रक्षाके लिये अपनी ओरसे सतत यत्नशील रहेंगे।

सरस्वतनका स्थान हिन्दीने लिया है—

जिन वाराणसीमें हम आज मिल रहे हैं, उसका भारतीय सकृतिके इतिहासमें
स्थान है। ऐसा कह सकते हैं कि वाराणसीका इतिहास वेदोत्तरवालीन भारती
सकृतिका इतिहास है। वेदोत्तरवालीन कहना भी अक्षरश्च यथार्थ नहीं है। कुछेक-

कालकी सस्कृतिका उद्गम और विश्वास तो सिंघु और सरस्वतीके अन्तर्वेदमें हुआ परन्तु यजुवेदके ब्राह्मण यह स्पष्ट बतलाते हैं कि विद्या, राजशक्ति और सस्कृतिका केन्द्र पूर्व दिशाकी ओर खिसक आया था और काशी उस समय तक सांस्कृतिक धाराएँका उज्ज्वल नक्षत्र बन चुकी थीं। सस्कृत भाषा इस सस्कृतिका गोचर रूप है। मनुष्य मात्रके लिये स्कृतिदायिनी, कल्याणकारिणी और शान्तिप्रदा है। इसी प्रकार सस्कृत भाषा भी अमर है। जो लोग उसको मृत भाषा कहते हैं वह भूल करते हैं। परन्तु यह ठीक है कि कुछ अशोमें सस्कृतका स्थान हिन्दीने लिया है। यों तो सभी नारतीय नापाएं सस्कृतकी देन हैं परन्तु मुख्य दायित्व हिन्दी पर ही है। वह करोड़ों मनुष्योंकी मातृ भाषा है और कोई माने या न माने समूचे देशके लिये राष्ट्रभाषा है। अतः राष्ट्रकी सस्कृतिका वही मुख्य वाष्णवमय प्रतीक है। इस सस्कृतिको कई आवान्तर धाराओंने पुष्ट किया है। साहित्यके क्षेत्रोंही लें तो हम जायसी, कवीर, रहिमन, रसखान को कदापि नहीं छोड़ सकते, वह किसी एक घम, एक सम्प्रदाय मानसे सम्बन्धित नहीं है, किर भी यह मानना ही होगा कि इसका मूल व्योत, इसका चिर-नूतन आधार, तो वही है जहासे हमारे कठपि पूर्वजोंको सामग्रामकी प्रेरणा मिली है। हमारे ऊर बहुत बड़ा दायित्व है। जिस पीठ पर से विशिष्ट, विश्वामित्र, सृगु, अगिरा, व्यास, बाल्मीकि, 'इमा वाच कल्याणी भाव-दानि जनेभ्यः' का उपदेश दिया या, जिस मच परसे कालिदास, भवभूति, माघ, वाण, तुलसी, सूरु, श्वीर, मीराकी वाणीने समाजको ऊर उठाया या उसी पर भाज हिन्दीका साहित्यकार बैठा है। वह भले ही भविष्यतके गगनमें लम्बी ढङ्गन ले। भले ही दूर देशोंके विद्वानोंके उपदेशोंसे जपनी बुद्धिको परिष्कृत करे, परन्तु उक्तको यह समझ लेना चाहिये कि वह मद्दती परम्पराकी देन है। उस परम्पराका उच्छव करके बंह दूटे हुए चारोंकी भाति क्षण भर चमक कर सदा के लिए बिलीन हो जायगा। कमसे कम हत्ती शत तो नहीं ही भूलनी चाहिये। हमारे आचारोंने ऐसा माना है कि काशका उद्देश्य शिवतरक्षति अर्याद् शिवद्य विस्तार है और शिव वहो है जहा सख है, अभेद है, दितीया द्वे भय भवति। भाज स्वामीनानके उपर कलमें हमें यह बात दृढ़तासे इद्यगम् कर लेनी है। व्यधित जगत्के लिये हमारा वही स्नेह द्वेष द्वेषा चाहिये।

हिन्दुस्तानी—

मुझे हिन्दीके भविष्यके विषयमें कोई चिन्ता नहीं है। राजाध्य न होते हुए भी हिन्दी पनपी है, आगे भी अपने गुणोंके बल पर उत्तरि करेगी। म जानता हूँ कि कुछ लोगोंको 'हिन्दुस्तानी' ने बात-व्याख्यिकी भाँति प्रस लिया है। उनमें महात्माजी जैसी दूरदर्शिता नहीं है, समबेदन नहीं है, तितिथ्या नहीं है, तपस्या नहीं है, सत्य-निष्ठा नहीं है, किसी भी असमें महत्ता नहीं है। वह महात्माजीके बतलाये पथ पर अन्य बातोंमें दूँ तरु चलनेमें असमर्थ है, परन्तु हिन्दुस्तानी शब्दको उन्होंने पकड़ लिया है। ऐसे मनुष्य दयाके पात्र हैं। भारतके जिस भूखण्डमें हम रहते हैं वह किसीके साथ अन्याय नहीं करना चाहता। यहाँके अधिकतर निवासी हिन्दू हैं परन्तु वैद सुसमानोंकी सस्कृति पर आपात नहीं करना चाहते। मुसलमानका धर्म सुरक्षित है, उससे कोई नहीं कहता कि वह धर्मकृत्योंमें अरबीको छोड़ दे। इतना ही नहीं, यदि वह समझता है कि उसकी कोई अपनी पुढ़क सकृति है और उस सस्कृतिके व्यक्त करनेका माध्यम उर्दू है, तो वह सुझाए उर्दू पढ़े-पढ़ावे। परन्तु यह कहाँका न्याय है कि १४ प्रतिशतकी भाषाको ८६ प्रतिशतकी भाषाकी बराबरीकी जगह दे दी जाय। रिटर्नरलैंडका उदाहरण यहाँ नहीं बैठता। न तो यहाँका इतिहास वैसा है, न समुदायामें वैसा अनुपात है, न हिन्दू, मुसलमान, फैंच, जमैन, इटालियनकी भाँति भिन्न जातियाँ हैं। एक ही यिताकी सन्तान हिन्दू और मुसलमान दोनों ही सुकरते हैं। मनुष्य अपने जीवनमें ही हिन्दूसे मुसलमान और मुसलमानसे हिन्दू हो सकता है। यदि बात रिटर्नरलैंडमें नहीं होती। यहाँ धर्म परिवर्तन तो हो सकता है परन्तु किसीके लिये अपने जर्मन या फैंच या इटालियन होनेए पि छुड़ाना उतना सुगम नहीं है। अत हमारे यही उर्दू, हिन्दीके समरूप नहीं हो सकती। अच्छज भारतमें भी वह हिन्दीके बराबर नहीं हो सकती थी, अब पाकिस्तान बननेके बाद तो उसका अनुपात प्राप्त पद और भी गिर गया। हमारे ग्रान्टमें तो बराबरीका प्रश्न उठता ही नहीं। अब उर्दूको छोड़ कर हिन्दुस्तानीको लीजिये। यह हिन्दुस्तानी क्या है? यदि इस पदका अभियेय हिन्दी या उर्दूमें एक है तो कौन? उर्दू हमारी मुख्य भाषा हो नहीं सकती। हिन्दी नाममें कोई

दोष नहीं देख पता । एक समय या जब हम मेलके लिये हिन्दी नाम छोड़ कर हिन्दुस्तानी नाम भी सौंचार कर पढ़ते थे, पर अब वह दिन गए । जिससे मेल करना या यह तो हमको छोड़ कर चला गया । उसने नया देश ही बना लिया है । यदि हिन्दुस्तानी दोनोंसे भिन्न कोई पृथक् भाषा है, तो हमें कृत्रिम भाषा न चाहिये । यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हम अपनी भाषासे उन शब्दोंको हटान् नहीं निकालने जा रहे हैं जो दैर्घ्यों वर्णोंमें उसके लग जन गये हैं । जितना समन्वय प्राप्तिक है उतना हमारी हिन्दूभैरू है । इतना हम और सपष्ट कर देना चाहते हैं कि यद्यपि उक्त ही सुविधाके लिये हिन्दू सुख्तमानोंकी जनप्रदाओंका व्याप्रय देना पड़ता है, परन्तु हम यह नहीं मानते कि हिन्दी ऐसले हिन्दुओंकी भाषा है, वह इस प्रान्तके अधिकतर निवासियोंकी भाषा है, जिनमें हिन्दू, मुस्लिमात, इसाई भी हैं ।

जहाँ कुछ लोगोंके लिये हिन्दुस्तानी नातव्याधि है, वहाँ कुछ दूसरे लोगोंके लिये ही नहीं हो रहा है । उक्त रहना डिक्ट है परन्तु सरकारी अतिमानता मात्रसे रोग है । कुछ लोगोंको सर्वज्ञ हिन्दुस्तानी ही देख पड़ती है । उनको प्रतिकृति यहाँ प्रतीत होता है कि हिन्दी पर युउ या प्रकट प्रदार हो रहा है । न उनको हिन्दी के आन्वन्तर, नैश्चिय गुणों पर भरोसा है, न अपने जरर भरोसा है, न दूसरे भारतीयोंके हिन्दी प्रेम व गुणों पर भरोसा है । स्वाधीनताची घोषणा हो गयी, पार्चिस्तान बन गया । हमारे प्रान्तोंकी सरकारोंको चलानेवालोंमें अधिकाश हिन्दू है, जिनको भी हिन्दीसे योग्यता स्नेह होगा ही । परन्तु हिन्दीके ये भयपूर्त संबंध सदृष्ट नहीं होते । उनकी समझ में यह बात आती ही नहीं कि अपने ही आदमियों को, जो व्याज दायित्व के स्मार्नों पर हैं, व्याज हेतु नासमझ, भीड़, दुर्बल या कष्टकर हम हिन्दू छों चेष्टा नहीं कर सकते । प्रहरीओं को सत्ता प्रहारको रोकनेवा अच्छा उपाय नहीं है ।

हिन्दी प्रान्तकी राजभाषा बनी—

कोई प्रहार कर रहा हो या न कर रहा हो हमारे प्रान्तको—और इस प्रान्तीय सम्बेदनका क्षेत्र तो यह प्रान्त ही है—मुख्य भाषा तो हिन्दी है और हेतु । हिन्दी

ही हमारी चर्चा, हमारे भावनाओं आचाराओं, आदर्शों का प्रतीक है। उसी के द्वारा हमारे उज्ज्वल अतीत और उज्ज्वल अनागत के समन्वयकी यथार्थ अभिव्यक्ति हो सकती है, अब वह ग्रान्तकी राजभाषा भी हो गयी है। मैकड़ी बदों के बाद वह दिन देखनेष्ठो आया है। इसकी वात है कि इन्हिं भय और आशा को युछ लोगोंको इस वातकी महत्वाको समझनेसे बचित छर दिया है। केवल राजभाषा बन जाने से किसी भाषाका अभ्युदय निश्चित नहीं हो जाता, पर राज्यपदकी उपेशा भी नहीं की जा सकती। अब हमारा काम है कि एक शोर तो इस वातसे यथान्वय लाभ उठावें दूसरी ओर हिन्दीको-सर्वांग सुन्दर और परिपूर्ण बनानेका यत्न करें।

यदि हिन्दीको सभारण व्यवहार, काव्य और दर्शनके लिये ही नहीं प्रस्तुत किजान, अर्थशास्त्र, गणित जैसे शास्त्रोंके अध्ययनाभ्यापनका भी माध्यम बनना है, यदि उसे सरकारी विभागोंके जटिल कामोंके उपयुक्त बनाना है, यदि उससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारमें काम लेना है, तो हमें उसके ओर बहुत ध्यान देना होगा। समृद्ध हमारा आकार (१) है परन्तु आकारसे काम लेनेमें भी बुद्धिमत्ता चाहिये। अभी तो हमने शब्दोंसे ठीक-ठीक ऊम ठीक-ठीक व्यक्त नहीं कर पाते। मोटर और बैलगाड़ी के टकरानेसे दो ढाक गाइयोंके लड़ जाने तक सकामक रोग या दोगे से २.....३ व्यक्तियोंके मरनेसे १०००-२००० के मरने तक हम सर्वत्र एक ही विशेषण का प्रयोग करते हैं। कोई समाचार पत्र उद्योग लीजिये। वह कहो “भीषण” मिलेगा। ‘कार्टम्स’ और आकट्टायके अर्दमेदको न समझने या व्यक्त न करनेएं तो जो अति होती है वह चाहे सद्य भी हो पर जब हम अच्छी लेखनियोंसे और प्रतिष्ठित पत्रोंमें डिप्लोमेटिको कूटनीतिज्ञ और ‘डिप्लोमैटिक रिव्यूशन’ को कूटनीतिक सम्बन्ध लिखा देखते हैं तो काम उठते हैं। हमारी भाषा ऐसी दरिद्र नहीं है, परन्तु हमको सावधानसे अपने भाडाएं ढुढ़ना होगा कि कहा क्या धरा है।

हम संस्कृतसे शब्द लें—

एक और वात है। यह कहा जाता है कि सस्ततमवी हिन्दी देशकी भाषा नहीं हो सकती। जो लोग ऐसा कहते हैं वह यह भी स्वीकार करते हैं कि अरबी-फारसी-

मयी उर्दू भी उतनी ही अग्राह्य है। इसीलिये वह सीधी सादी बोली हिन्दुस्तानीका समर्थन करते हैं। साधारण बोलीको हिन्दी क्यों न कहा जाय यह बात में टोक नहीं समझता, परन्तु नामको जाने दीजिये, भाषाके स्वस्पदों लैजिये। वहुतसे कामोंके लिये तो साधारण बोलीसे काम चल जायगा परन्तु गम्भीर विषयोंके पठन-पाठनके लिये, सरकारी कामोंके लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारके लिये, तो उसमें शब्द नहीं है। कहीं से नये शब्द लेने हो होंगे। फिर हम सस्तुतके सिवाय और कहाँ से शब्द ले सकते हैं? सस्तुत न केवल बगल्य व गुजराती, मराठी, तामिल, तैलगृ, मल्यालमके लिये आकर भाषा है वरन् आज उसके आधार पर लंग और श्याम दरक अपने यहीं शब्द सृष्टि कर रहे हैं। यह सस्तुतमयी भाषा निश्चय ही उठ कठिन होगी परन्तु इनका उपयोग भी तो विशेष स्थलों पर ही होगा, धारे-धीरे मुरोंग भी हो जायगी। यह कौन नहीं जोनता कि अगरेजीमें लिखित दर्शन और विज्ञानकी पुस्तकों वहुतसे मुरटित अगरेजीके लिये भी दुरोंग होती हैं। सभी भाषाओंमें ऐसा होता है।

परन्तु एक बातमें हमको साक्षात् भी रहना है। भाषाको हवात् दुरुह बनाना उसको कृत्रिम बनातो है। हमको लोक वाणी, जनताको शोलो, गौव वाजारकी कहावतों और मुहावरोंको अपनाना चाहिये। उनमें जनताकी अनुभूतिया भरो पढ़ी है। उनसे भाषाको शक्ति और स्फूर्ति मिलेगी, जनतासे दूर पह कर हिन्दी भी उर्दूको भाँति परायी हो जायगी।

इस सम्बन्धमें एक बात आपके सामने खड़गा चाहता है। हमारी भाषामें नाम धानु बनानेकी शक्ति अब नहीं रही। इसे फिरसे लगा चाहिये, अप्रेजीमें वह गुग है, आम बोलीमें है, सस्तुतमें है। मोटर पर चलनेके लिये अप्रेजीमें 'तु मोटर' धानु बना लिया है। अभिमान करनेको देहाती भाई सेवियाना कह लेते हैं। जहाँ हमकं इतना लम्बा वाक बोलना पड़ता है, 'वह हिटलर जैसा आचरण करता है', वहाँ सस्तुत में 'हिटलरहते' कहा जा सकता है। किसी विद्युनको सहस्र करके नाम धानुओं के निर्माण और व्यवहारका मार्ग प्रशस्त करना चाहिये, इससे उपकार होगा।

हमारे प्रान्तमें थर चाहे किसी दलकी सरकार हो, परन्तु हमको यह विश्वास रखना चाहिये कि उससे हमको हिन्दी साहित्यके विस्तार और उन्नतिमें सहायता हो भिट्ठेगी। वर्तमान सरकार ने हिन्दीको राजभाषा घोषित हो नहीं कर दिया है, बरन् इस बातके लिये बराबर यज्ञ हो रहा है कि घोषणा कार्यान्वित हो। सभी विभागों द्वारा लिये उपयुक्त शब्दोंकी खोज हो रही है। हम आशा करते हैं कि घोषे दिनोंमें सभी दफ्तरोंमें सभी काम हिन्दीमें होने लग जायगे।

देवनागरी-लिपि—

हिन्दीके साथ देवनागरी लिपि भी आती है। या तो कोई भी भाषा किसी भी लिपिमें किसी न किसी अवसर पर लिखी जा सकती है, परन्तु जितनी प्रचलित लिपियाँ हैं, उनमें देवनागरी अनुशम है, फिर भी समयानुसार उसमें कुछ परिवर्तनकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। लिपिमें परिवर्तन करना दोष नहीं है। इस लिपि ने बहुतसे परिवर्तन देखे हैं। आचार्य नरेन्द्रदेवकी अध्यक्षतामें एक कमेटी काशी-नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अनुमोदित तथा अन्य सभों प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार कर रही है।

इसके आगे कुछ कहना स्वयंत्राध्यक्षके क्षेत्रकी सीमाका अतिक्रमण करना होगा। मैं इस पुनर्नेत नगरमें आप लोगोंका स्वागत करता हूँ। हिन्दीके इतिहासमें हमारा भी स्थान है। हिन्दी साहित्य-गगनके दो परमोउच्चल नक्षत्रा, कवीर और तुलसीने यहाँसे सुधाकी वर्षी की थी, दोनदयाल गिरि, भारतेन्दु, रत्नाकर, प्रसाद, ग्रेमचन्दनने यहाँसे हिन्दीके भष्डारको भरा है। काशीकी नागरी प्रचारिणी सभाकी सेवाओंको हिन्दी-सासार भूल नहीं सकता। हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी नीव डालनेका श्रेय भी काशीको है। यह प्रसन्नताकी बात है कि प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन ऐसे अवसर पर यहाँ मिल रहा है। यह हमारे लिये हर्ष और गर्वकी बात होगी कि सद्योजात स्वतन्त्रयुगके अनुरूप हिन्दीका भन्देश प्रान्तको पहुँचे यहाँसे भिलेगा।

थी अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी—

[थी अम्बिका प्रसाद वाजपेयीके इस लेखमें राष्ट्रभाषाके ममत्वमें अनेक मूल्यवान सूचनाएँ प्राप्त होंगी। हिन्दी और उर्दू दोनोंको सीखने तथा सियानेके पीछे जो रहस्य छिपा था उसका उद्घाटन कर आपने यधार्घको प्रकट कर दिया है। इससे प्रमाणित हो जायगा कि दोनों लिपियों तथा दोनों भाषाओंमेंसे किसे राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपिका स्थान प्रदण करना चाहिए। 'हिन्दुस्तानी' का वर्तमान उद्योग व्यर्थ है, इसपर भी थी वाजपेयीजीने प्रकाश डाला है।]

राष्ट्रभाषा का प्रश्न

Q|| रातकी राष्ट्र भाषाके प्रश्न पर देशमें वैसा ही मतभेद है, जैसा स्वराज्य पर। यद कहा जा सकता है कि स्वराज्य पर कोई मतभेद नहीं है और मुस्लिम लैंग वाले भी स्वराज्य चाहते हैं। पर यद पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लैंग और उसकी नीतिके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्दक पाकिस्तान चाहते हैं और कहते हैं कि इसीसे हिन्दुस्तान भी स्वतन्त्र हो जायगा। इस प्रश्नर इनके मतसे पाकिस्तान स्वार्थ अर्थात् पाकिस्तानके लिये और अन्यर्थ अर्थात् हिन्दुस्तानके लिये भी है। परन्तु इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता।

राष्ट्र-भाषा राष्ट्रकी भाषा होती है। पर जहाँ एक पक्ष कहता है कि वह हिन्दी है, वह पाकिस्तानी पक्ष कहता है कि उर्दू है और उर्दू ही होनी चाहिये। महात्मा गांधी पहले हिन्दीके पक्षमें थे और उनके प्रबलते मद्रासमें हिन्दी साहिल-सम्मेलन द्वारा हिन्दीका प्रचार भी हुआ था। परन्तु दूसरे उनके मतमें परिवर्तन हो गया है और अब वे मध्यम-मार्गमें न उर्दू, न हिन्दीके पक्षपाती बन गये हैं और उन्होंने नहीं पिचड़ी-भाषा हिन्दुस्तानीके प्रचारार्थ सभा बना ली है। वे समझते हैं कि हिन्दुस्तानी ही राष्ट्र-भाषा होगी और सभ लोगोंके हिन्दी और उर्दू लिपियाँ सीख लेनेसे कोई भगड़ा न रह जायगा।

महात्मा गांधी देशकी विभूति हैं और जो कुछ कहते हैं, उसे बहुगत हिन्दू नतमतरु स्वीकार कर लेता है। परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो यह हल नहीं है, क्योंकि जिनकी भाषा हिन्दी या उर्दू नहीं है, उन्हें चार सीखती होगी। (१) अपनी (२) हिन्दी (३) उर्दू (४) अंगरेजी। केवल लिखिया सीखनेसे काम न चलेगा। इसके सिवा हिन्दी—उर्दूका महज केवल उत्तरमें ही है, उसे देशव्यापी कर देनेसे लाभ होगा या हानि यह भी विचारणीय है। और भी, जिस काढ़ेको मिटानेके लिये यह दवा तैयार की गयी है, उसे कोई ४५ साल पहले सर ऐंटनी (थार्को लार्ड) मैकडानेलने खिलानी चाही थी। परन्तु जिन्हें खानी चाहिये, उन्हाने नहीं खायी और इसलिये रोग भी दूर नहीं हुआ। कहा जा सकता है कि इस अवधिमें दुनिया बहुत दूर चली गयी है। हमारा कहना है कि और चाहे जिस विषयमें भले ही चली गयी हो, इस विषयमें यदि पीछे नहीं हटी, तो आगे भी नहीं चही।

इस समय भारतमें अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं जिनका वर्गीकरण मोटे हिसाबसे मुख्यतः आर्य, अनार्य, द्राविड़ और यूरोपियन नामोंसे किया जा सकता है। यूरोपीयन भाषाओंमें अंगरेजी मुख्य है। यद्यपि यह राजभाषा है और इसकी शिक्षाके लिये बहुत बड़ा आवृत्तन है, तथापि इसकी जड़ देशमें नहीं है और इन्हें उद्योगके बाद भी इसका प्रचार नहींके बराबर हो है। यूरोपियनोंको मिलाकर भी यहा १९३१ की गणनाके अनुसार ३१९३४९ ही अंगरेजी भाषी हैं। अनार्य भाषाएँ कोल, भील, मुढ़ा आदि आदिम निवासियोंको हैं। साहित्य और प्रचारको दृष्टिसे राष्ट्र भाषाके विचारमें इनका कोई स्थान नहीं है। द्राविड़ भाषाएँ कोई ५-८ करोड़से अधिक लोगोंमें प्रचलित नहीं हैं। आर्य भाषाएँ ही भारत-व्यापिनी हैं और कोई ३० करोड़ लोग इन्हें बोलते हैं। इनका सस्कृतसे घनिष्ठ सम्बन्ध है और धर्मभाषा होनेके कारण सकृदाका द्राविड़ भाषाओं पर भी विशेष प्रभाव है।

आर्य भाषाओंमें मध्य देशकी भाषा ही बहुत लोकप्रिय है और उससे सलम उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाधोंके लोग न्यूतापिक रूपसे उसे समझ और बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके बोलनेवालोंकी सख्ता भी कमसे कम

१५-१६ करोड़ है। (१९३१ की गणना के अनुसार १२१२४२२२९ है उर्द्धवाला) इसे उर्द्द्व और हिन्दीवाले हिन्दी कहते हैं। या तो उर्द्द्व मूलभार, कियापुद विभक्तिचिह्न, सर्वनाम और अन्यथ प्रायः सभी हिन्दीके हैं, तथापि पारसी लिपि, मुसलमानी विचारों और पुराने हिन्दी शब्दोंके विविधार तथा नये शब्दोंके समावेश से हिन्दीये यह दिनों दिन दूर पहली चरों जाती है। अब तो यह है कि उर्द्द्वके विद्वानोंकी दृष्टिमें हिन्दी 'मुस्लिम अल्लाज़का नज़मूआ' (अशिष्ट शब्द समझ) है और महज़ बाज़ारी जावान है।

पहले कहे विद्वानोंने उर्द्द्व दिनों के बीचको साइं पाठनेके लिये अनेक यज्ञ किये, पर सब व्यर्थ सिद्ध हुए। पर अब महात्मा गांधी उसका फिर उद्योग कर रहे हैं, परन्तु सफलताकी आशा नहीं है, क्योंकि उर्द्द्वके मुसलमान विद्वान ही उनकी नीतिके विरोधी हैं। वे अखंकी पारसी, तुर्की आदि भाषाओंके शब्द लेंगे, पर हिन्दी, सर्कुत आदि के न लेंगे। तब भाषा सम्बन्धी समन्वय कैसे होगा? परन्तु मुसलमान और उनके कुछ समर्थक हिन्दू समन्वय नहीं चाहते, हिन्दीया भास्त्र समर्पण चाहते हैं। यह हिन्दीवाले कभी सह नहीं सकते। इसलिये सबसे अच्छा मार्ग है कि हिन्दी और उर्द्द्वदोनों जपने-अपने छह पर आगे बढ़ें। यही नौ० शिवलीकी भी राय थी।

पर राष्ट्रभाषाका क्या होगा? जहा तक गांधीजीका प्रयत्न है वहाँ तक तो सफलताकी आशा नहीं है, क्योंकि वे अपने विशेषज्ञोंकी सम्मतिसे इस उद्योगमें लगे हैं और वे विशेष अज्ञ हैं। राष्ट्रभाषा तो हिन्दी है ही और रहेगी भी, वह किसीके यज्ञसे उर्द्द्व नहीं हो सकती। इसका कारण है और वह यह, कि उर्द्द्वका सम्बन्ध पश्चिमी युक्त प्रदेश और पूर्वी पञ्चाबसे ही विशेष है। पञ्चाबमें उर्द्द्व लिखनेकी भाषा और पञ्चाबी बोलनेकी भाषा है। सिक्खोंमें लिखने पढ़ने और बोलनेकी भाषा पञ्चाबी ही है। बदाके मुसलमानोंकी ही लिखने और साहित्यकी भाषा उर्द्द्व है। हिन्दुओंमें हिन्दी और उर्द्द्व दोनोंमें लिखा पढ़ी जा व्यवहार चलता है। सीमा प्रदेशके कुछ परिचमी जिलोंमें भी पञ्चाबी और उर्द्द्व चलती है। बस उर्द्द्वका क्षेत्र इतना ही है। इसके विपरीत हिन्दी पञ्चाबके कुछ जिलोंकी भाषा है।

और पजावी हिन्दू और विशेषकर स्थियाँ और लड़किया हिन्दी ही पढ़ती हैं। पजावमें मुसलमान ५१ प्रतिशत समझे जाते हैं और यदि गैर-मुसलिम ४९ प्रतिशत रह गये, तो प्रायः आधे हिन्दी और पजावीके हिसायती समझने चाहियें।

अब युक्त प्रदेशकी अवस्था देखिये। पश्चिमके कुछ शहरोंमें ही उर्दू चलती है। देहातोंमें सर्वत्र हिन्दू-मुसलमान सब एक ही तरह की देहाती बोली बोलते हैं। यदि उर्दू राष्ट्रभाषा होती, तो देहातोंमें भी बोलो जाती। हिन्दी ही देहाती हिन्दू-मुसलमान समझते हैं। शहरी मौलवियाना उर्दू बिना पढ़े कोई नहीं समझ सकता। युक्त प्रदेशमें मुसलमानोंकी सख्ता १४ प्रतिशत समझे जाती है। इनमें यदि आधे शहरी समझ लिये जाय, तो देहाती मुसलमानोंके लिये उर्दू दुखोंध ही रह जाती है। महात्मा गांधी यह नहीं चाहते कि लोग उनकी हाँ में हाँ मिलावें, इसलिये हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप हिन्दुस्तानी नामसे जिस भाषाका प्रचार करना चाहते हैं, वह राष्ट्र भाषा नहीं हो सकती। और आपको जिसने यह बताया है कि वह वही है जिसे हिन्दू मुसलमान पहले बोलते थे, उसने सख्तका अपलाप किया है। हम पूछते हैं कि यदि हिन्दुस्तानी हिन्दू-मुसलमान दोनोंकी भाषा थी, तो क्यों नहीं रही?

वास्तवमें हिन्दू-मुसलमान दोनोंकी भाषा हिन्दी थी। अन्तर इतना था कि मुसलमानी हिन्दीमें मुसलमानी-अरवी, फारसी, तुकी आदि शब्द अधिक थे। परन्तु पीछे मुसलमान मौलवियाने अपनी भाषासे हिन्दो शब्द चुन-चुन कर निकाल दिये और इस तरह उर्दू हिन्दीसे अलग हो गई। यदि कोई कहे कि फिर युक्तप्रदेश में उर्दूका बोलवाला क्यों है, तो इसका उत्तर यह है कि वह अदालती भाषा है और इसलिये इसका महत्व है। यहाँ तो म्यूनिसिपैलिटियोंमें भी उर्दू ही चलती है। इसलिये उर्दूकी जो स्थिति है, उसे भाषाको दृष्टिये नहीं, सम्प्रदाय व समाज विशेषकी दृष्टिये महत्व मिला है।

महात्मा गांधीने दो बातें कही हैं। एक यह कि हिन्दो और उर्दू दोनों लिपियाँ लोगोंको सीखनी होगी दूसरी यह कि हिन्दुस्तानी वही भाषा हासी, जो साधारणतः हिन्दू और मुसलमान दोनों बोलते हैं। शायद यहीजोको किसीने नहीं बताया

और बतावे तो उनकी पोल ही सुल जाती कि कोई ४५ साल पहले युक्तप्रदेशके लैफिटनेंट गवर्नर सर ऐडनो पैट्रिक (बादको लार्ड) मैकडनेल्से आज्ञा दे दी थी कि सरकारी कर्मचारी जो भाषामें लिखापढ़ी करते हैं, हिन्दी-उर्दू दोनों सोचें। परन्तु उर्दूखालेने कोई परवाह नहीं की और फल यह हुआ कि समस्त आदि दोनों लिपियोंमें छाने पर भी उर्दूमें ही भरे जाते हैं और मुलिखके तो सभी कागज उर्दूमें छपे रहते हैं और उर्दूमें ही लिखे जाते हैं। गांधीजी इसकी क्या व्यवस्था करेंगे, यह देखना है।

जो भाषा सर्वसाधारण हिन्दू-मुसलमान चमकते हैं, वह तो हिन्दी ही होगी। मुसलमानी दबदेंका उससे बहिष्कार न किया जायगा, परे इनकी भरमार भी न होने पायेगी। यह उर्दूके हिन्दायतियोंको पसन्द नहीं है। ऐसी लवस्थामें समान भाषा की चर्चा दी व्यर्थ है। यदि कहा जाय कि मौ० अब्दुल हक, मौ० नक्की और डा० ताहिरचन्दने इसे नज़र किया है, तो इसका उत्तर यह है कि ये सभी उर्दूके पश्चिमांशी हैं और इस समय समान भाषाके पश्चिमांशी इसीलिये बन गये हैं कि इसी बहाने और नहीं को उर्दू लिपिका ही प्रचार कर लंगेंगे और लिपिके द्वाय ही चर्तमान उर्दूने भाषाका लग प्राप्त किया है, उसके द्वाय वह उर्दू-भाषा बन जायगी।

हिन्दी क्यों उर्दू-भाषा है और रहेगी, इस विषयमें कुछ कह कर हम यह लेख सुमास करना चाहते हैं। एक तो हिन्दी नागरियोंमें लिखी जाती है, जिससे प्रत्येक हिन्दू घोष्णाचतुर परिचिन है और इस प्रकार हिन्दीकी लिपि स्वभावतः उर्दू-लिपि है। दूसरो बात यह है कि हिन्दी कोई १५ करोड़ लोगोंकी भाषा है। इसमें जहाँ बोली या रेखा भी नहीं आती, बल्कि राजस्थान, बिहार और युक्तप्रदेश ही नहीं, मध्यमारत्तकी बोलियोंमें भी समावेश हो जाता है। वरदान रहने वाल्य मगव में जाकर बदाकी बोलोंकी समझ लेता है और अपनी ही बोलोंमें बहाके आइमियोंको समझ देता है। साराज उर्दूको जह द्वामें और हिन्दीकी हिन्दुस्तानकी मिट्टीमें है। इस हिन्दीको नेहरूनें कोई कठिनाई नहीं है। लिपि पड़नेय कष्ट में नहीं दें। उन्देंको हाथिये प्रारंभिय भाषाओंसे इन्हाँ परिषट नम्बन्प हैं। उर्दूके भाषमें

ऐसा कहा है ? इसीलिये हिन्दो ही राष्ट्र भाषा है और रहेगी, न हिन्दुस्तानी होगी और न उर्दू ।

राष्ट्र-भाषाके लिये यदि किसी प्रयत्नका प्रयोजन है तो आर्य-भाषाओंके एक कोप का । एक शब्द जितनी अधिक भाषाओंम चलता होगा, उतना ही राष्ट्र भाषाका शब्दलब उसमें अधिक होगा । ऐसे समस्त शब्दसे वनी हुई राष्ट्रभाषामें सबको अपनपौँडा अनुभव होगा, कोई यह न समझेगा कि हम पर दूसरी भाषा लादी जा रही है । आवश्यक होने पर अन्य भाषाओंके विशेष भावयोतक शब्द भी लिये जायेंगे । इस प्रकारको भाषा ही राष्ट्रभाषा होगी । हम आशा करते हैं कि राष्ट्र-भाषाके प्रेमी ऐसे कोपके सकलनका उद्योग करेंगे और हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानीके पच्छेमें न पड़ेंगे । इसके लिये जो कमेटी बनायी जाय, उसमं कलकत्तेके डा० सुनोतिकुमार चाटुर्जी, अहमदाबादके अध्यापक बेचरदास जोशी और पूजेके श्री वैशभायन अवश्य रखे जायें ।

(हिन्दुस्तान १९ मार्च १९४५)

डा० अमरनाथ भा—


[निम्नलिखित भाषणमें डा० अमरनाथ ज्ञा ने मातृभाषाको पहले स्थान दिया है उसके पश्चात् हिन्दी अथात् राष्ट्रभाषाको । इसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रातीय भाषाओंके सम्बन्धमें भी यही सिद्धान्त लागू किया जा सकता है । अत राष्ट्रभाषा और प्रातीय माषाकी समस्या रह ही नहीं जाती ।

हिन्दी और उर्दूकी व्याग्रहारिक बोलीके रूपमें विशेष कोई भी अन्तर नहीं है । हिन्दीकी विशेष प्रकारकी शैलिया है । अवश्य ही दोनोंके साहित्यमें पृष्ठभूमिका अन्तर है । अपनी-अपनी रचिके अनुसार साहित्य अध्ययन किया जा सकता है । डा० अमरनाथ ज्ञाने संस्कृत निष्प हिन्दी का समर्थन किया है । इससे उनका तात्पर्य है कि प्रचलित रूपमें जिस हिन्दीका व्यग्रहार होता है वही राष्ट्रभाषा हो । उनका आशय यह कठापि

- नहीं है कि जवर्दस्ती संस्कृतके अप्रचलित शब्द भरे जाय, कारण वे स्वयं ही इस वाच्यतामूळक प्रयोगका विरोध 'हिन्दुस्तानी' में करते हैं। उसमें अप्रचलित फारसी शब्दोंको जवर्दस्ती भरनेके कारण ही वे उसे 'भद्री उदू' रुहते हैं।

'जनपदीय भाषाओं' अर्थात् बोलियोंका तथा माधाओंका अन्तर स्पष्ट न होनेके कारण प्रायः व्यर्यकी समस्याओंकी सृष्टि हो जाती है। निम्न-लिखित लेखमें भी 'जनपदीय भाषा' को (अर्थात् बोली को) माधा कहा है। बोली तथा माधाद्वा अन्तर आगे चलकर प्रो० लिखिता प्रसाद सुकुलके लेख 'हिन्दी ही क्यों' में स्पष्ट हो जायगा।]

संस्कृतमयी हिन्दी भारतकी राष्ट्रभाषा होगी

 दैदरबाद राज्यमें हिन्दो प्रचार समा जिन उठिनाइयोंसे हिन्दी प्रचारका कार्य कर रही है उनसे मैं भलोभाति परिचित हूँ। यहाके कार्यकर्ताओं का साहस साहस्रीय और कार्य प्रदृशकीय है। हैदरबादमें होमेवाले हिन्दो प्रचार के कार्यसे देशके अन्य प्रांतोंपर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। हैदरबादमें हिन्दीके कार्यमें बहुत सी दृश्यवटे हैं और यहाके कार्यकर्ताओंको यह आशा नहीं करनी चाहिए कि ये कठिनाइयाँ शोष हो समाप्त हो जायगी। उनके सामने जिस प्रकारकी कठिनाइयाँ हैं, उनसे निकली-मुक्ती ही—चाहे भाग्नामें उम कमों न हो—यहाको प्रारंभ भाषाओंके सामने भी है। मैं यह बात लाट कर देना चाहता हूँ कि हैदरबादने दर्दूँख अधिकार उठ मुहिमि नहीं रह सकेगा। यद्यकी उर्दू भारतों तथा कारबोंसे इतनी लड़ तुक्की है कि उसने अगला अस्तित्व हा खो दिया है। केष छो सहायताके बिना उपम समझा बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी असम्भव हो गया है। हैदरबादमें उर्दू जितनी जटिल और दुर्दृढ़ बता है, उसनी और कहीं नहीं। यह दुर्दृढ़ और जटिल उर्दूके लिए हितकर सिद्ध नहीं होगा। यदों भी उसका यह नया हा है। उर्दूका साधारण जनतासे कोई मनरूप नहीं रह गया है और आर केंग यह विद्वान रखें कि मध्यमे कोई भी भाषा तरबूत जीतिव नहीं रह सकती,

जबतक कि उसका सार्वजनिके जीवनसे सम्बन्ध न हो।' प्रयाग विश्वविद्यालयके उपकुलपति धीरभरनाथजी भाने हिन्दी प्रचार समा हैदराबाद (दक्षिण) द्वारा दिये गये अग्निनन्दन पत्रका उत्तर देते हुए उपर्युक्त उद्गार प्रकट किये। डाक्टर भाने अपने भाषणमें राष्ट्रभाषापाकी विवेचना करते हुए कहा 'वही भाषा देशकी राष्ट्रभाषा बन सकती है, जिसका सम्बन्ध इस देशसे हो और जिसका शब्द-भाष्ठार उधार न लिया हो, तथा स्वाभाविक हो। डाक्टर भा ने आगे चलकर कहा—यदि इस प्रकार की कोई भाषा हो सकती है तो वह हिन्दी है। राष्ट्रभाषा बननेके लिये हिन्दीको सच्चे अपेक्षामें सख्ततत्त्वन्या होना चाहिये।' (हिन्दुस्तान)

शिकोहाबाद सयुक्त प्रातीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके छठे वार्षिक अधिवेशनके सभापति डाक्टर अमरनाथ भा एम० ए० डि० लिंड, वायस चासलर प्रयाग विश्वविद्यालयने अपने भाषणमें कहा :—

सभापतिका स्थान मुझे देकर सम्मेलनके अधिकारियोंने मेरा सम्मान किया है, मैं उनका आभारी हूँ। राष्ट्रभाषापाकी जो कुछ सेवा मैं कर सकूँगा, उसमें आपके सहयोगकी आवश्यकता है। आपके उद्यम, आपके उत्साह, आपकी कार्यपदुत्ता पर राष्ट्रभाषापाकी उन्नति निर्भर है। इस प्रांतमें राष्ट्रभाषापाका प्रश्न कठिन नहीं है। यद्यकी भाषा तो हिन्दी है ही। परन्तु यहाकी मातृ-भाषा हिन्दी है इस कारण राष्ट्रभाषा और अन्य प्रातीयोंकी भाषाओंके प्रति आपका कर्तव्य उत्तरदायित्वपूर्ण है।

पहिले मातृभाषा और फिर हिन्दी—

हिन्दी-जगतमें जनपदीय भाषाओंके सम्बन्धमें बहुधा चर्चा हुआ करती है। भारतर्पे एक बहुत बड़ा देश है और इसमें अनेक भाषाएँ सदासे प्रचलित हैं। इतनी भाषाओंका रहना और इन सबका हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानना महत्वकी बात है। कई भाषाये सख्तसे अपनी तुलना करती हैं। कईमें उच्चोटिका साहित्य है। उच्चों वर्गोंसे इनमें साहित्यकी रचना होती जाई है। हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी नीति प्रातीय भाषाओंके प्रियकर्त्ता नहीं है। परन्तु विवाद यों खड़ा हुआ है कि हिन्दीको कुछ सन्निकट भाषाएँ हैं, जिनसे स्वातन्त्र्यकी आशंका है।

पूछा जाता है कि क्या बुन्देलखण्डी अवधी, राजस्थानी, ब्रजभाषा हिन्दी से भिन्न हैं और क्या इनके श्राव्याहन से हिन्दी की धृति नहीं होती। इस प्रश्नका सम्बन्ध उत्ता यह है कि प्रत्येक व्यक्तिका यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह अपनी मातृभाषा अध्ययन करे और इसीमें उसको प्रारम्भिक शिक्षा हो। मातृभाषा प्रारम्भिक शिक्षणका माध्यम हो, इस विचारसे सभी शिक्षक उद्दमत होंगे।

राष्ट्रभाषामें ही दूसरी ओर उच्च श्रेणीकी शिक्षा होनी चाहिये, परन्तु साध ही अन्य भाषाओंमें भी साहित्य रचना होती रहे, यह बाज़ीराय है। उदाहरण रूपमें ब्रज-साहित्य इतना मुन्दर है और ब्रजभाषा इतनी मधुर है कि इस साहित्यका भविष्यमें अस्तित्व हो न रहे, इसको कौन साहित्य ट्रेमी अगीकार करेगा ? हिन्दी साहित्य सम्मेलनका कर्तव्य है कि वह इस साहित्य और इसी भाति और साहित्यकी भी उन्नति में सचेष्ट रहे।

हिन्दी उर्दू दोनों—

राष्ट्रभाषा हिन्दीका स्वरूप वही होगा, जिसमें समस्त भारतवर्षके निवासी सुगमतासे अपने विचारोंको व्यक्त कर सकेंगे। इस देशकी सुख्य भाषाओंमें सस्तृत शब्दोंका वाहन्य है और सस्कृतमयी हिन्दीको ही तब प्रान्तोंके रहने वाले अपनायेंगे। रही समस्या उर्दूको। यह समस्या तो केवल सयुक्तप्रान्त और पश्चात्यकी है और यहाँ भी शहरों तक ही सीमित है। देहलीमें तो सबकी ओली एक ही है।

यही यह कहना अनुचित न होगा कि जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक शिक्षक व्यक्ति हिन्दी और उर्दू दोनों पढ़ें। उर्दूका साहित्य अच्छा है, उर्दूकी भाषा अच्छी है। उर्दूका जात होना उपकारक सिद्ध होगा। उर्दू एक बहुसुख्यक समाजकी भाषा है। हिन्दी और उर्दूके जानसे देनां भाषाओंकी शुद्धि हो सकती है, परन्तु यथापि प्रारम्भिक कार्यमें उर्दू इस देशको यथार्थ भाषा थी और उर्दूके आदि कवियोंने इस देशकी सस्तिको सुरक्षित करनेका प्रयास किया था। यथापि देशके साथ कहना पड़ता है कि कालक्रमसे उर्दू केवल पारस्परी एक अग हो गई और उर्दू साहित्यमें भारतीय जोवन और भारतीय सस्कृतिकी कहीं भलच नहीं भाती है, किर भी उर्दूको भी उपर्याति करनेका अधिकार है और इसकी यतिको रोकना अनुचित है।

हम इसकी समृद्धि चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यह भी फूले-फले। उर्दूसे हमें द्रेप नहीं है। किसी सादित्य रसिकको किसी भाषा अपवा सादित्यसे द्रेप नहीं रह सकता।

हिन्दुस्तानी मही उर्दू है—

रही वात 'हिन्दुस्तानी' की। यह कौन भाषा है और कही की है, इसकी है? इसका सादित्य कहा है? इस भाषामें कौन लिखता है? अर्थ शास्त्र, राजनीति, विज्ञान, दर्शन इत्यादि विषयों पर प्रन्थ किस भाषामें लिखे जाते हैं? हिन्दुस्तानीके गढ़नेका प्रयोजन क्या है? प्रचलित भाषाओंको विछुत करना कौनसी बुद्धिमत्ता है? क्या हिन्दुस्तानीमें भावुकता आ सकती है? क्या इसमें गृह विषयोंको व्यक्त करनेकी क्षमता है? हिन्दुस्तानीके जो धोड़ेरे उदाहरण हम देख सकते हैं, उसको तो मही उर्दू कहनेमें हमको सकोच नहीं है। उर्दूके वास्यमें हिन्दीके दो-एक शब्द रख देना, भाषा शैलीके साथ परिहास करना है। हिन्दुस्तानी आन्दोलनसे हिन्दी सशार तो असतुष्ट है ही, उर्दू जागत भी प्रसन्न नहीं है। उचित यही है हिन्दी और उर्दू दोनोंकी मति अविरुद्ध रहे। × × ×

देवनागरीकी विशेषता—

इधर कुछ दिनोंसे हमें यह भादेश मिलने लगा है कि प्रत्येक विद्यार्थीको दो लिपियाँ सीखनी आवश्यक होना चाहिये। हिन्दी लिपि और उर्दू लिपि। हिन्दी लिपि और उर्दू लिपि कोई लिपि नहीं है। अमारी लिपि और फारसी लिपि है। देशकी और प्रधान लिपिया ये हैं—बगला, गुजराती, गुरुमुखी, तामिल, तेलगू, कझाड़ी, मलयालम। इनमें देवनागरीकी ही प्रधानता है। किर यदि नागरीके साथ कोई और भी लिपि सीधे सके तो अच्छा अवश्य है। परन्तु हमारी लिपि वैज्ञानिक ढंगसे इतनी शुद्ध और व्यवस्थारिक दृष्टिसे इतनी सखल है कि इसका त्याग हमारे लिये अनावश्यक है, अहितकर और असम्भव है। प्रत्येक प्रान्तमें नागरी और फारसी दोनों लिपियोंको अनिवार्य बनाना च्यों पर बहुत बड़ा बोझ ढालना है। कुछ विद्यार्थीका मत है कि रोमन लिपिका ही प्रचार होना चाहिये। मैं इधर सदमत

नहीं हैं। रोमनमें इतनी कमिया है कि हम अपनी भाषाको इस लिपिए लिख कर अपने शब्दोंका शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकेंगे। देवनागरीकी विशिष्टता यह है कि जैसी यह लिप्ती जाती है वैसा ही इसका उच्चारण दोता है, यह विशेषता न रोमनमें है और न फ्रांसीसें।

(देविक हिन्दुस्थान २६ अप्रैल, १९४६)

श्री धीरेन्द्र वर्मा—

[श्री धीरेन्द्र वर्माके निम्नलिखित लेखोंके द्वारा स्पष्ट हो जायगा कि उद्दृ और हिन्दीमें क्या अन्तर है, दोनोंका जन्म किस प्रकार और किन परिस्थितियोंमें हुआ, इस प्रकार उनका विकास हुआ तथा हिन्दीका क्या तकाजा है? हिन्दीका समर्थन करते हुए आपने उसकी मांगके प्रश्नको सास्कृतिक बताया है प्रत्येक भाषामें एक न एक कठिनाई रहती है। किन्तु वह कठिनाई उसीके लिए होती जो उस भाषासे अपरिचित है। हिन्दीमें लिंग इत्यादिको जटिलताका उद्देश किया जाता है। किन्तु एसी जटिलताएं प्रत्येक भाषामें वर्तमान हैं। वर्माजीने इसका 'हिन्दी भाषा और नागरी लिपि' में विवेचन किया है।]

हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

२५ परे देशकी हिन्दै-उर्दू समस्या उन मद्दतपूर्ण समस्याओंमेंसे एक है, जिसके निर्णय पर देशकी भावी उन्नति बहुत बुध निर्भर है।

आधुनिक साहित्यिक हिन्दीके परमें कड़ बातें कही जा सकती हैं—

१—शब्द भाषाओंके लिये सहजतकी ओर लुरनेसे हिन्दी भारती भी अन्य समस्त आधुनिक आर्य-भाषाओं, जैसे बङ्गला, मराठी, गुजराती आदिके निकट रहती है, क्योंकि ये समस्त भाषाएं भी सहजतसे ही अपना शब्द कोप भर रही हैं।

२—नवे विवारोंके प्रकट करनेके लिए बने बनाये प्राचीन सहज शब्दोंको उबड़नेमें सुनीता रहता है। तद्भव, देशी अपना निर्देशी शब्दाङ्क लूंदना कठिन होठा

है, फिर अमर ठीक शब्द मिलते भी नहीं। आधुनिक भारतीय भाष्य-भाषाओंके शब्द समूहको बचानेके लिये सस्ततका शब्द-समूह एक अक्षय तथा स्वाभाविक भण्डार है।

३—सस्तत शब्दोंके प्रयोगसे शैलीमें प्रौद्यता तथा गरिमा भा जाती है और भाषानें एक साहित्यिक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। दिनुस्तानी शैलीमें यह बात नहीं आती। साधारण सासारी आदमी इसकी महत्ताको भले ही अनुभव न करे, किन्तु साहित्यिक पुरुष इस सम्बन्धमें उपेक्षा नहीं कर सकता।

४—उज्जोसवी शातान्दीसे दिन्दी शैलीके सम्बन्धमें सस्तत मिथित हिन्दी और दिनुस्तानी लिखनेके प्रयोग होते आ रहे हैं। इस प्रतियोगितामें निदिचत स्पष्ट सस्तत-गमित शैलीकी ही जोत रही है। यिछले पचास-साठ वर्षोंमें हिन्दी शैली स्थिरसी हो गयी है। अतः फिर नये सिरेसे व्यर्थको वही पुराने प्रयोग क्यों आरम्भ किये जावें ?

५—अन्तमें मारतीय मूल साहित्यिक भाषा सस्ततके निकट रहनेसे हमारा सम्बन्ध प्राचीन मारतीय सस्ततिसे अधिक दृढ़ तथा अदृढ़ बना रहता है।

अपर दिये हुए तर्कोंमें बहुत कुछ तथ्य हैं, किन्तु इसके विरुद्ध भी कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं।

यद्युल्लुल सत्य है कि शब्द भण्डारके लिये सस्ततकी ओर जुकनेसे हिन्दी भारतकी अन्य आधुनिक भाष्य-भाषाओंके निकट रहती है, किन्तु अन्तर्ग्रान्तीय सम्बन्धके अतिरिक्त हिन्दीका एक प्रान्तीय पहलू भी है, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रभाषाके पहलूके सामने हिन्दीके प्रान्तीय भाषाके पहलूको प्रायः भुला दिया जाता है। खड़ी बोली हिन्दीका घर सयुक्त प्रान्त है तथा सयुक्त-प्रान्त, विहार, राजस्थान, मध्य भारत और दिनुस्तानी मध्य प्रान्तके हिन्दुओंकी यह साहित्यिक भाषा है। इन प्रान्तोंके मुसलमानों और पजाब तथा दिल्लीके हिन्दू और मुसलमान दोनोंकी साहित्यिक भाषा यही बोली हिन्दीकी बहिन उर्दू है, जो सस्तत-गमित न होकर फारसी-अरबी-मिथित है। अब प्रश्न यह हो जाता है कि हिन्दीको सस्तत गमित करके हिन्दी भाषी प्रदेशकी जनताके एक बड़े समूहसे तथा पड़ोसके पजाब और दिल्ली

प्रान्तोंकी प्रायः समस्त यही लिखी जनताकी भाषासे दूर करके सुदूरवर्ती बगाल, गुजरात, महाराष्ट्रकी भाषाओंके अधिक निकट रखना अधिक हितकर होगा या हिन्दुस्तानी शैलीकी ओर भुक्तव वरके बाला, गुजराती आदि भाषाओंसे दूर होकर अपने घरके लोगोंको उर्दू भाषाके अधिक निकट रखना अविकृत होगा । यह न भूल जाना चाहिये कि भारतीय सुसम्मानी सस्कृतिश्च केन्द्र हिन्दी-भाषी प्रदेश ही है । आगरा, लखनऊ, सयुक्त प्रातमें ही हैं, यहां ही सुसलमानी विशाल राज्य बने विगड़े हैं और उनके खबहर अवतक विलुप नहीं हो पाये हैं । अत हिन्दीको जितना अधिक उर्दूसे मिलने जुलनेका अवगत मिलता है उनका गुजराती, बगला आदिको नहीं मिलता । इन अन्य भारतीय भाषाओंके आगे हरा तरहकी समस्या आती ही नहीं, अत हिन्दीको इस समस्याको सुलझानेमें इन भाषाओंकी परिस्थिति विशेष सहायक नहीं होती ।

फिर हिन्दी-उर्दू समस्या केवल प्रातीय समस्या ही नहीं है । यह एक भारतीय पहल भी रखतो है । यदि राष्ट्रभाषा हिन्दी सरकृत-गम्भिर हुई तो यह सच है कि गुजराती, बगाली, मराठी, तथा मद्रासी भाष्योंको ऐसी हिन्दीके समझनेमें सुभीता होगा, किन्तु सात आठ करोड़ सुसम्मान भाष्योंके प्रतिनिधियोंके लिये तो ऐसी हिन्दी सस्कृतके बराबर हो जायगी । उनकी उर्दूके निकट तो हिन्दुस्तानी हिन्दी ही रह सकेगी । फिर यह वर्ष ऐसा नहीं जिसे सस्कृत शब्द-समूहको सिद्धण रखना आवश्यक हो । उर्दू धोरे-धीरे समस्त भारतीय सुसलमानोंको साहित्यिक भाषा होती जा रही है । बगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आदि सुदूरवर्ती प्रान्तोंकी सुसलमान जनता धर्ममें इत्तम्य धर्मको मानते हुए नहीं, भाषाकी दृष्टिसे अपने-अपने प्रान्तोंकी भाषा पढ़ती लिखती धी, किन्तु अब प्रायः हरएक प्रांतके सुसलमानोंको प्रटीसि जानी प्रातीय भाषाको छोड़कर उर्दूको अपनानेकी ओर ही रही है । इस प्रटीसिसे हिन्दी, बगला, गुजराती आदि और उर्दूके धीनमें भेदको नोटि भी अधिक कँची तथा रुक्क होती जा रही है ।

यह हिन्दी-उर्दूको द्विभाषा-समस्या हिन्दी-भाषी प्रदेशों, विशेषतया सयुक्तप्रान्तक लिये बहो विकृत समस्या है । निकट भविष्यमें जब भारतकी प्रातीय भाषाओंमें

प्राइमरी एस्कॉले से छेकर यूनिवर्सिटी तक ती पढ़ाई होगी, उरा समय यूनिवर्सिटी के अध्यापक किस भाषामें अपने मुसलमान और हिन्दू विद्यार्थियों को इतिहास, तर्कशास्त्र, बनस्त्रति-शास्त्र आदि विषयों पर व्याख्यान दिया करेंगे ? हमारे प्रान्तमें हिन्दू और मुसलमानों की समस्त शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएँ बिलकुल अलग हों, यह भी तो महीन विचित्र बात होगी । प्रान्तीय सरकार अपना कारबार भले ही हिन्दू और उर्दू दोनों भाषाओं में करती रहे, किन्तु प्रान्तीय कांसिलमें किस भाषामें प्रस्ताव रखे जाया करेंगे और किस भाषामें उन पर वाद-विवाद होगा ? किस लिपि और भाषामें समस्त सरकारी और गैरसरकारी दफ्तरोंमें लिखा-पढ़ा हुआ करेगी ? वास्तवमें परिस्थिति यही उलझनकी होगी ।

मुसलमानी दौर-दौरेके कारण कुछ दिनों पहले उर्दू राजभाषा थी । राज-काजसे सम्बन्ध रखने वाले हिन्दू भी उर्दू सीखते थे । उस समय सस्कृत पडितोंकी और नागरी शियों तथा तिजारत पेशे वालोंकी भाषा समस्ती जाती थी । राज-नीतिक परिवर्तनोंके साथ-साथ उर्दूका यह विशेष पद नष्ट हो गया । तथा पढ़े-लिखे हिन्दुओंकी नई पीढ़ियोंमें खड़ी बोली हिन्दीका पठन-पाठन बढ़ने लगा । इस समय पश्चिमी संयुक्तप्रांतके कुछ हिस्सों तथा लपतनज्ञके इर्द गिर्द कुछ खानदानोंको छोड़ कर संयुक्तप्रांतकी शेष समस्त पढ़ी-लिखी हिन्दू जनताकी तथा पड़ोसके प्रांतों की हिन्दू जनताकी भी साहिलिक भाषा हिन्दी हो गयी है । यद्यपि इस भूमि-भाषामें समस्त पढ़े-लिखे मुसलमान भाइयों तथा बहुत तेजीसे पढ़ते हुए पुराने प्रभावों से प्रभावित कुछ हिन्दू घरनोंकी साहिलिक भाषा अब भी उर्दू बनी हुर्दै है । ऐसी परिस्थितिमें भाषा-सम्बन्धी कठिनाईका होना स्वामानिक है ।

अपने प्रान्तकी मुसलमान भाइयोंकी साहिलिक भाषा—उर्दूके निकट रहनेके अतिरिक्त हिन्दीकी हिन्दुलानीकी ओर ड्रुकाव रयनेके पक्षमें एक तर्फ यह भी दिया जा सकता है कि ऐसा करनेसे हिन्दी सर्वसाधारणको पहुँचके अन्दर रहेगी । संयुक्तप्रांतके गांवों, छस्यों तथा शहरोंको साधारण जनता सस्कृत-पर्मित भाषाको उतनी आसानीसे नहीं समझ सकती, जितनी आसानीसे वह त्रचलित तद्भव तथा विदेशी शब्दोंसे युक्त सरल हिन्दीको समझ सकती है । साधारण जनता फरस्ती-मिथित

उर्दूको भी नहीं समझ सकती। हिन्दी और उर्दूमें जो भाषा भी जनता तक अपनी पहुँच चाहती है, उसे अपनेको सरल बनाये रखना चाहिये। इस तरफ़में बहुत तथ्य है, किन्तु यह चात बेवल समाचार पत्रोंमें, उपन्यासों तथा साधारण नाटकों आदिको भाषाके सम्बन्धमें लागू हो सकती है। जब कभी गम्भीर विषयों पर कलम उठानी पड़ेगी, तभी फारसी या सरकृतका सहारा लेना अनिवार्य हो जायगा। जनताके हितकी दृष्टिसे इसमें विशेष अङ्गचन भी नहीं, क्योंकि यह प्रथ-समूह सर्वसाधारणके लिये नहीं होता है और न साधारण जनता तक उसको पहुँच करानेकी आवश्यकता ही पड़ती है। हिन्दीको जनताकी पहुँचके अन्दर रखनेमें हिन्दीका ही हित है। किन्तु इससे हिन्दी-उर्दू समस्या दूल नहीं होती।

बहुत दिनों तक गम्भीरतापूर्वक विचार करनेके बाद मैं इस निश्चित निर्णय पर पहुँचा हूँ कि हिन्दी और उर्दू साहित्यिक भाषाओंको भविष्यमें मिला कर अब एक भाषा नहीं किया जा सकता। जैसा मैं ऊर कह चुकाहूँ, बोल-चाल या साधारण साहित्यकी हिन्दी उर्दूको जनताकी पहुँचकी दृष्टिसे सरल बनाये रखनेमें इन्हीं भाषाओं का हित है। ऐसो सरल हिन्दी और उर्दूका एक दूसरेसे अधिक निकट रहना स्वाभाविक है, किन्तु हिन्दी और उर्दूमें दिन-दिन ऊँचीरे ऊँची थेणीका कार्य होना है, अतः ऐसे ऊँचे पायेकी साहित्यिक हिन्दी और उर्दूका एक दूसरेसे, आजकी अपेक्षा भी अधिक दूर हो जाना बिलकुल स्वाभाविक है।

मुख्यमान भाइयोसे यह आशा कहना कि वे प्रातःकी अधिकांश पढ़ी-लिखी जनताकी भाषा—हिन्दीको सीख सकेंगे, दुराशा-मान है। हिन्दी, उर्दूकी मिडिल परीक्षाओंसे लेकर हिन्दी एम० ए० की परीक्षाओं तक मिडिल और हिन्दी एम० ए० के मुख्यमान विद्यार्थियोंको सख्ता देख कर भविष्यकी प्रगतिया पता रख चल सकता है। रहीम और जायसी आदिका नाम लेकर मौखिक सहानुभूति दिखलाना दूसरी बात है। यह सब है कि उर्दू पढ़ने वाले हिन्दू विद्यार्थियोंको सख्ता अभी भी चर्चासे है, किन्तु यह दिन-दिन घट रही है। बर्तमानकालद्वारा पारिवर्तित परिस्थितिमें हिन्दुओंसे यह भी आशा नहीं की जा सकती कि ये पढ़ेछी तरह बहुत दिनों तक उर्दूको ध्यनाये रहें। तीचेहो कक्षाओंमें नागरी और उर्दू लिपि तथा एक दो

दूसरी भाषाको कितावें प्रत्येक हिन्दी या उर्दू जानने वालेहो पढ़ा देनेसे भी साहित्यिक हिन्दी या उर्दूके भेदकी समस्या हल नहीं होती ।

मेरी अपनी दड़ भारणा यह हो गयी है कि देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषीय लिपि तथा भाषा है, अतः समुक्तप्राचीन आदि भू-भागोंमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जाहे नह हिन्दू हो या मुसलमान, अग्रेज हो या यहूदी, पारसी हो मदरासी देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषाको अपनी राष्ट्रीय लिपि और भाषा समझ कर सीखना चाहिये । मुसलमान भाइ बदि चाहं तो अपनी सस्कृति और धर्मको सुरक्षित रखने के लिये पारसी लिपि और भाषाको भी अपने बच्चोंको निया सढ़ते हैं । इसकी उन्हें एर्ण स्वउन्नता होनी चाहिये । जब इक वे इसके लिये राजी न हों, तब तक यही एक उगाय है कि हिन्दी-भाषी प्रदेशोंके ८५ फी सदी हिन्दू, हिन्दी और देवनागरी लिपिको अपनावें और १५ फी सदी मुसलमान भाइ उर्दूको अपनाये रहें । भविध आप ही इस सम्बन्धमें फैलता कर देगा । जो हो मैं प्रत्येक पट्टे-लिखे हिन्दू बालको उर्दू भाषा और फारसी लिपिका अनिवार्य रूपसे सिखलाया जाना या उर्दूके निरुट जानेके उद्देश्यसे साहित्यिक हिन्दीकी प्रौढ़ शैलीको नष्ट कर उसे हिन्दुस्तानी बनाना, अस्वाभाविक तथा अनावश्यक समझता हैं । विशेषतया जब इससे साहित्यिक हिन्दी और उर्दूके भेदको दूर करनेमें कोई भी सदायता नहीं मिलती ।

(सासाहिक 'विश्वमित्र' १९३६)

हिन्दी और उर्दूकी लडाई

(उर्दू और हिन्दीमें क्या अन्तर है, दोनोंका जन्म किस प्रकार और किन परिस्थितियोंमें हुआ, किस प्रकार उनका विकास हुआ तथा हिन्दीका क्या तकाज़ा है, इन विषयोंपर लेखकने वाले अच्छे विचार प्रकट किये हैं । हिन्दीकी हिमायत करते हुए लेखकने उसकी मागके प्रश्नको सांस्कृतिक बताया है । लेखकके विचार हिन्दी-साहित्यिकोंके पट्टने, मनन करने और अमल करने योग्य हैं ।)

विहार, समुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त, दिल्ली तथा अजमेरकी साहित्यिक भाषा हिन्दी है । इसके अलावा हिन्दी बोलनेवाले राजपूताना एजेन्सी तथा मध्य भारत एजेन्सी

प्रश्निंदेसी उत्तरमें वैउ हुए हैं। गारण्यं यह है कि हिन्दी भाषा-नामी प्राचीन मध्य रेतमें मिल और गुजरातकी सीना जैसलमेरसे पाण्डवी ऊंगा भागलगुर तक तथा पंज बड़ी गोमा हसदाए शक्तिकी दोमा बचार तक बढ़े हुए हैं। इसने वै भूभागके लोगोंकी समस्यायें बहुमुखी हो तो कोई आधर्यं नहो। ये समस्यायें हैं— दायन गन्धगरी, आयिक, आमिक, रामानिक, उहिलिक तथा भाषा समझभी। इन परिस्थियोंमें भेने हिन्दी उर्दुके जो कि हिन्दी, उर्दु और हिन्दुत्तानीके स्पष्टमें हैं, मगाइके सम्बन्धमें विचार करना चाहा है।

उर्दूका जन्म—

मगाइके मूलको समझनीके लिये यह आवश्यक है कि हम उग परिस्थितिशा अबलोकन करें, जिसमें उर्दुकी उत्पत्ति हुरे थी। जैसा कि सर्वोपर विद्वित है कि उर्दू हिन्दीका एक स्त्रा है, जिसमें फारसी तथा अरबीके शब्द रहते हैं तथा कभी-कभी उसीके व्याख्यानका भी निर्याद होता है। इसके अलावा इसका साहिल ईरान, मध्य एशिया तथा अरबी क्षेत्रमें प्रेरित होता है। हाल्कि प्रारम्भिक विदेशी आगन्तुक नाना प्रशारकी यथा अरबी, परती, तुकी तथा मगोलीय भाषाओंका व्यवहार करते थे, पिर भी भारतके मुस्लिम राजाओंकी ओर भाषा फरसी थी। पिर उत्तर भारतके लोगोंसे भाना सम्बन्ध बढ़ानेके लिये उन्हें दिल्लीकी चालू हिन्दीको अपनाना पड़ा। उदाहरणार्थ “हम मुसलिमफोनमें सबसे बड़ा सुख्ख यह है कि हम लोग कारदानके अन्नातका अन्दाज़ नहीं कर सकते” का प्रचार उस परिस्थितिमें रीढ़ इसी प्रकार हुआ जैसा कि आज अप्रेजो बातावरणमें “हम रायटर्समें सबसे बड़ा छिकेस्ट यह है कि हम लोग रीडर्सकी फ़ीलिमसको रियलाइज़ नहीं कर सकते” का हिन्दीके वास्तव अरबी फारसी लिपिमें जो साधारणतः उर्दू ही कहती है, लिखे जाते हैं। राजनीतिक बारणोंसे यह बोलचाल ही भाषा कुछ महत्वर्थी बन गयी और उन मुसलमानोंने जो सुख्खमान बने थे, उसे अपवाया। उनके लिये फारसीके बाद यही सबथेठ भाषा थी, कारण, फारसी कठिन मालूम पहती थी। व्यवहारिक अवस्थाको लिये उन हिन्दुओंने भी जो नौकरीकी तलाशमें थे, इसे अपनाया। सक्षेपमें उर्दू भाषाकी उत्पत्ति इसी प्रचार हुई।

अन्य भाषाएँ—

इस अर्ध सरकारी बोलचालकी भाषाके साथ-साथ अन्य भाषाओं भी जिनमें मारवाड़ी, ग्रज, अवधी तथा मैथिली गुल्य हैं, साहिसिक तथा धार्मिक आदेशकता-पूर्तिके लिये बढ़ी। इनमेंसे प्रत्येकके सदियों तक सुन्दर दिन रहे। हिन्दीकी यही राष्ट्रीय संस्कृतिका विकास उन बोलचालकी भाषाओंमें हुआ, जिनमें धर्मकी परवाह किये बिना रसखान (ग्रज) तथा जायसी (अवधी) ने रखनायें की। जबतक मुस्लिम सत्तनत रही, खड़ी बोली उर्दू सरकारी तथा अर्ध सरकारी क्षेत्रको छोड़ सापारणातः विदेशी भाषा समझी जाती थी। किन्तु मुस्लिम सत्तनतके पतनके बाद यह भावना दूर होती गयी। १९ वीं सदीमें खड़ी बोली साहिसिक हृषभे विदेशी पर्दा यथा विदेशी शब्द, विदेशी लिपि, विदेशी साहिसिक आदर्श होकर आयी, जिसका स्वरूप आज हम अमर लिखित क्षेत्रोंमें देख चुके हैं। फलतः हम खड़ी बोली हिन्दी और खड़ी बोली उर्दूकी तुलनात्मक स्थिति साफ-साफ देख सकते हैं।

उर्दू और सरकार—

वर्तमान अवस्थामें उर्दूकी स्थितिमें एक भारी परिवर्तन हो गया है। पहले उर्दूको सरकारी सहायता प्राप्त भी तथा अन्य बोलचालकी हिन्दी भाषा उसकी बराबरी में कुछ भी न थी। किन्तु उर्दूको यह साहाय्य केवल भाषाके नाते प्राप्त है साहित्यके नाते नहीं। सर हैरीहेंग जब लखनऊमें थे तो उनके कोर्टमें न कोई उर्दू कवि या थ्रौर न हिन्दी ही। और न लार्ड विलिंगटन किसी मुशायरेमें या किसी कवि-सम्मेलन ही में गये। यदि जाते भी तो कुछ समझ ही नहीं पाते। यह ठीक है कि उर्दूको सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है फिर उर्दू साहित्यके पृष्ठपोषक कुछ मुसलमान नगरोंमें तथा कुछ १९ वीं सदीकी संस्कृतिकी गोदमें पले लोग हैं। इस दूसरी श्रेणीके उदाहरण कायस्य तथा कास्मीरी हैं। किन्तु उनकी संख्या तथा शक्ति चेजीसे क्षीण हो रही है। हालांकि हिन्दी संयुक्त प्रान्तमें कोर्टकी भाषा स्वीकृत हो चुकी है, फिर भी उर्दूकी परम्परा जारी है। यही कारण है कि संयुक्त प्रान्तमें कोर्टसे सम्बन्ध रखनेवालोंको उर्दू भाषा थ्रौर लिपि जाननी पड़ती है।

संस्कृतका प्रभ—

दिन्तु उर्दू तथा हिन्दीकी प्रथन भिन्नता के बल सब्द तथा लिपिको नहीं है। जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, हिन्दी देवनागरी लिपिके साथ हिन्दी जनताकी राष्ट्रभाषा है और उर्दू भाषा और उर्दू लिपिमें विदेशी संस्कृतिका प्रभुत्व है। फलतः हिन्दी तथा उर्दूके मत्तदेश अझलों कारण यांसृतिक है। फलतः इस समस्याको मुलभूमि शब्द और लिपि पर नहीं, प्रत्युत इन दोनोंकी संस्कृति पर निर्भर है। अतएव हिन्दी जनताके समझ यह प्रश्न है कि वह एष्ट्रीय भाषा तथा लिपिको आगनते या विदेशियों द्वारा सजायी तथा निर्मित भाषा और लिपिको? इस प्रश्न पर सम्बन्ध अनुसधान वाल्नीय है। हिन्दी जनताकी राष्ट्रभाषा हिन्दी होना भावुकता पर नहीं प्रत्युत ठोस तरफ और ज्ञानपर निर्भर है। हिन्दीको अग्रनानेसे हिन्दी जनता एक ओर तो अपनी पुरानी साहित्यिक विरि तथा संस्कृतिके जो संस्कृत, पाली तथा प्राकृतमें सुरक्षित है, सम्बन्धमें आ जाती है तथा दूसरी ओर भारतकी अन्य भाषाओं बंगाली, मराठी, गुजराती, उडिया तथा तामिळ, तेलंगाना, कनाड़ी मलयालम और सिहालीके सम्बर्कमें जिन्हें संस्कृत, पाली तथा प्राकृतसे बहुत प्रेरणा मिली है। फलतः हिन्दी भाषा और लिपिको छोड़कर उर्दू भाषा और लिपि अग्रनानेका नतीजा यह होगा कि हिन्दू जनता केवल प्राचीन संस्कृतसे ही वचित् नहीं हो जायगी, प्रत्युत आधुनिक भारत से भी।

कृत्रिम भाषा -

हिन्दुस्तानीको बात तो और भी घटिया है। हिन्दुस्तानीसे मतव्य उससे है जो स्वभावसे ही किसी भी ढच साहित्यिक या वैज्ञानिक आवश्यकताके लिये अपर्याप्ति है। उस दिन हिन्दुस्तानी एकाडेमीके वार्षिकोत्सवके सर्भोपतिको हैसियतसे बाबू सचिदानन्द-मिशनने हिन्दुस्तानीकी बजालन की थी, किन्तु उनका भावण अप्रेशीमें था। ऐसी कृत्रिम भाषासे बुछ लेख या बुछ कहानियाँ भले ही लिखी जा सकती हों। इसके अलावा बुछ बातचीत भी कर सकते एवं बुछ प्राइमर भी तैयार कर सकते हों; किन्तु इससे क्या? असली बात तो यह है कि डॉ. आयर्डो-जासेनके समान ही इस कामन लैंबेको सिद्धान्तने लोभसे अधिक हानि पहुँचायी है। इससे विद्यार्थी न तो छिक्कनेसे

न्दी ही जान सकते हैं और न उर्दू ही। फलतः प्रान्तोंकी समस्याएं अदृती रह जाती हैं। नुक्तनात्मक दृष्टिये पहलेका प्रथम या द्वितीय स्पृह इससे कहाँ उयादा अच्छा था। तब विद्यार्थी दोनों भाषाओंकी सचे स्पृहमें बोलता प्राप्त किया करते थे, एककी प्रारम्भिक अवस्थामें तथा दूसरेकी उच अवस्थामें और साथ ही इस आशाके साथ कि आगे चल सज्जी राह पकड़ ली जायगी।

असली बात—

कुछ ऐसे लोग हैं जो सांस्कृतिक तथा शासन सम्बन्धी बार्ताओंको साम्राज्यिक चर्चमें से देखते हैं। ऐसा सुना जाता है कि चूंकि मुसलमान उर्दू छोड़नेके लिये तैयार नहीं हैं, अतएव हिन्दी प्रान्तोंकी समस्याएं कैसे सुलझें? इस तर्क भी कोई जान मालूम नहीं होती। पहली बात तो यह है कि उर्दूके छोड़नेका प्रश्न नहीं है, वरन् राष्ट्रभौपा हिन्दीका अनुसरण करनेका है। इसके अलावा यह कहना कि हिन्दी क्षेत्रमें रहनेवाले मुसलमान उर्दू बोलते तथा कोई भी गैर-मुसलमान उर्दू नहीं बोलता तथ्यहीन है। संयुक्त प्रान्तके रहनेवाले १४ प्रतिशत मुसलमानोंमें तथा अन्य प्रान्त यथा बिहार या राजस्थानके अधिकांश देहातोंमें रहनेवाले बहाँकी स्थानीय भाषामें यथा ब्रज, अवध, कुन्देली प्रभृति भाषए बोलते हैं, अतएव उर्दूके सचे भक्त कहनेवाले वे हैं जो शाहरोंकी निवासी हैं। उनको राख्या बड़ी नगण्य है—जो सारो जनसख्यामें सैकड़ा प्रति पाच है। जब ९५ प्रतिशत हिन्दोंने अपना निश्चय कर लिया है तब वचे हुए ५ की जट्ठी या देरसे पीछे-पीछे आना ही पड़ेगा।

इन सब तर्कोंके बाद हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि इसका एकमात्र उपाय यह है कि हिन्दी जनतामें राष्ट्रीय विचारके ऐसे लोग हों जो भर्म जाति तथा बर्गकी भिजतासे अलग हो आगे बढ़ें। जिस प्रकार प्रत्येक बगाली चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, ब्राह्मण हो या कायस्थ, बौद्ध हो या सलातनी बहालीको या प्रत्येक फौंच चाहे वह किस्तान, यहूदी, अज्ञेरेज या जर्मनहो फैलको राष्ट्रीय भाषा समझता है, उसी प्रकार प्रत्येक हिन्दी जनता हिन्दीको राष्ट्रीय भाषा समझें। मैं समझता हूँ कि लोग मेरी बातका कुछ और अर्थ न लगायेंगे कारण मैं सुन्दर उर्दू साहित्यके अध्ययन, भाषा और लिपिके त्रिलक्षण नहीं हूँ मेरा मतलब वे बल हिन्दीका

प्रान्तीय भाषाके भगवेंके साथसे है। इस सिलसिलेमें वता देना चाहता हूँ कि यूरोपीय भाषा विज्ञान विशारद भी उर्दूको किसी प्रान्तकी मातृभाषा स्वीकार नहीं करते। उर्दूके अध्ययनका प्रबन्ध निम्न श्रेणीसे उच्च श्रेणी तक रहना चाहिये एवं - जो इससे प्रेम रखते हैं उन्हें इसके पढ़नेकी स्वतन्त्रता होती चाहिये। इस प्रकार मेरे कथनका तात्पर्य यह है कि भारतके प्रत्येक प्रान्तकी भाषा वहाँकी राष्ट्रीय भाषा और लिपि हो। हिन्दी प्रातोंमें हिन्दी और देवनागरी हो, बहालमें बहाली तथा गुजरातमें गुजराती आदि। उर्दू साहित्यशी आधुनिक निधिके अध्ययनका यही सचा तरीका है और होना चाहिये।

(साप्ताहिक लोकमान्य फरवरी १९३६)

हिन्दी भाषा और नागरी लिपि

(हिन्दी केसी हो, राष्ट्रीय भाषाकी लिपि कौनसी हो, इन विषयों पर इस लेखमें विचार किया गया है।)

अभी हालमें हिन्दी भाषा एवं लिपिके सम्बन्धमें जनताके मत्तिपक्षमें अनेकों समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। समाचारपत्रोंने इन समस्याओंका महत्व और भी बढ़ा दिया है। यह स्परण रखने योग्य बात है कि हिन्दी भाषा केवल प्रातीय महत्व ही नहीं रखती बरन् शेष भारतमें भी इसका अन्तर-प्रातीय महत्व है। जब किसी गुजरातीको बंगालीसे या बंगालीको गुजरातीसे बोलना होता है तो वह प्रायः हिन्दी भाषाका हो आध्यय लेते हैं। दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता है कि हिन्दी भारतकी गेर सरकारी मातृभाषा है और राष्ट्रीय महाराष्ट्राने तो इसे सरकारी तौरपर अन्तरप्रातीय भाषा स्वीकार कर हो लिया है। हिन्दीका इतना महत्व-पूर्ण स्थान होते हुए भी इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ गयी हैं। उदाहरणके लिए भान सीजिये कि एक बंगालीको हिन्दी सीखना है। वह इसके लिये उसे लिङ्ग भेद समझनेमें बड़ी कठिनाइ होगी, क्योंकि बंगाली भाषामें हिन्दीकी तरह लिङ्ग भेदका ज्ञानदस्त गोलमाल नहीं है। कुछ उन्य पूर्वकी बात है कि हमें हिंगो पन्नमें पढ़नेको मिल्य था जिसमें शान्ति-निरेतनके एक प्रोफेसरले लिखा था कि हिन्दी अबने विशेषणों एवं कियाओंमें व्याकरण सम्बन्धी परिकर्तनोंको छोड़ दें, तभी यह बगलियों द्वारा राष्ट्र

भाषा स्वीकृत की जा सकती है। बादको कलरुचा युनिवर्सिटीके एक प्रोफेसरने इसका समर्थन भी किया था। उनके कहनेका तात्पर्य यह था कि जिनको हिन्दी सही बोलना आवे उन्हें मी 'हाथी जाती है' और 'लोमढ़ी बोला' कहना चाहिये। यदि ऐसो सफ़ल पर विचार किया जाय तो हिन्दीका भविष्य बताना कठिन हो जाय। वगालियोंकी कठिनता दूसरे प्रकारकी होगी। तेलगू और पंजाबियोंकी कठिनता दूसरे किसको होगी। यदि भारतकी अन्य भाषाओंके बोलनेको सुविधाके अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाय, तो हिन्दी हिन्दी रह ही नहीं सकती।

वास्तवमें यह सूक्ष्म अनोखी है। हिन्दी भाषाकी तरह फूँचमें भी ऐसे ही लिङ्गका भजोला है। अन्य यूरोपियोंको फूँच सौखनेमें वही कठिनाई होती है, किन्तु अन्य भाषा भाषियोंने उसमें परिवर्तनकी कोई प्रार्थना नहीं की। अंग्रेजी भाषाके हिज्जे और व्याकरणमें भी ऐसी ही बाधाएँ हैं, किन्तु शायद भारतमें किसीने अपत्ति नहीं उठायी है। जापान और ईरान वगैरह देशोंने भी इसका विरोध नहीं किया, गोकि वे अपनी व्यापार सम्बन्धी वातांको जानकारीके लिए अंग्रेजीका हान आवश्यक समझते हैं।

यह जान लेना चाहिये कि अन्तर प्रान्तीय प्रयोगमें हिन्दीको लानेका कारण इसको सर्वप्रियता एवं सुगमता ही है। × × ×

× × विशेष अर्थके शब्दोंकी समस्यामें व्यर्थ ही लेखक-गण, द्यात्र एथ शिक्षित व्यक्ति उलझे हैं। भारतके अन्य प्रांतोंके साथ ही हिन्दी भाषियोंको भी खास-प्रयोगके शब्दोंको सरकृत या प्राकृतके आधार पर बना लेना चाहिए। यूरोपकी भाषाओंमें विशेष प्रयोगके शब्द प्राचीन भाषाओंके ही आधार पर बनाये जाते हैं। इस सिद्धान्त पर हिन्दीके विशेष पारिभाषिक शब्द (टेक्निकल) गुजराती, बंगाली, मराठी, तामिल या तेलगूके समान होंगे, और यदि फारसी या अरबोंके आधार पर वे शब्द बनाये जाय, तो भारतके शेष प्रान्तोंसे एकदम भिन्न हो जायेंगे। इसे भूलना नहीं चाहिए कि उद्यू भारतकी एक दर्जन भाषाओंमेंसे एक है। इन सब समस्याओंमें प्रधान प्रदर्श हिन्दी भाषियोंके सामने यह उत्तिष्ठत होता है कि वे १० का साथ देंगे अधिक १ का। निम्न श्रेणीकी शिक्षण संस्थाओंमें 'जजीरा' और 'द्वीप' के स्थान पर

प्रान्तीय भाषाके भर्गड़ेके साथसे है। इस चिल्डसिलें बना देना चाहता हूँ कि धूरोरीय भाषा विज्ञान विद्यारद भी उर्दूको छिपो प्रान्तर्द्धा मरुभाषा स्वीकार नहीं करें। उर्दूके अध्ययनका प्रबन्ध निम्न श्रेणीसे दब श्रेणी तक रहना चाहिये एवं जो इससे प्रेम रहते हैं उन्हें इसके पढ़नेकी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। इस प्रचार मेरे कथनका तात्पर्य यह है कि भारतके प्रत्येक प्रांतकी भाषा वहाँकी राष्ट्रीय भाषा और लिपि हो। हिन्दी प्रांतमें हिन्दी और देवनागरी हो, बंगालमें बंगाली तथा गुजरातमें गुजराती आदि। उर्दू यादित्यकी आयुनिक निपिके अध्ययनका यही संवा तरीका है और होना चाहिये।

(साप्ताहिक लोकभाष्य फरवरी १९३६)

हिन्दी भाषा और नागरी लिपि

(हिन्दी क्यों हो, राष्ट्र भाषाकी लिपि कौनसी हो, इन विषयों पर दब उल्लंघन विचार किया गया है।)

अभी हालमें हिन्दी भाषा एवं विनियोग सम्बन्धमें जनताके मत्तिज्ञानें अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। सभा चारपाँचमें हन सनस्कारोंचा महत्व और भी बढ़ा दिया है। यह स्वरण रखने योग्य बात है कि हिन्दी भाषा केवल प्रातीक महत्व ही नहीं रखती बल्कि योग्य भारतमें भी इसका अन्तर-प्रातीक महत्व है। जब छिपो गुजरातीको बगलीसे या बगलीको गुजरातीसे बोलना होता है तो वह प्रायः हिन्दी भाषाका ही आथर्व लेते हैं। दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता है कि हिन्दी भारतकी गैर सरकारी मानृभाषा है और राष्ट्रोप महासभाने तो इसे सरकारी तौर पर अन्तरशास्त्रीय भाषा स्वीकार कर हो लिया है। हिन्दोंका इतना महत्व-पूर्ण स्थान होते हुए भी इसमें कुछ कठिनाइयां भी नयी हैं। उदाहरणके लिए मान लीजिये कि एक बगलीको हिन्दी सीखना है। वह इसके लिये उसे लिङ्ग भेद समझनेमें बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि बगली भाषामें हिन्दीकी तरह लिङ्ग भेदका ज्ञानदस्त गोलमाल नहीं है। कुछ समय पूर्वकी बात है कि हमें छिपो पन्नमें पढ़नेको निवाय या जिसमें शान्ति-निकेतनके एक प्रोफेसरने लिखा था कि हिन्दी बनने विशेषणों एवं क्रियाओंमें व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनोंको ढोड़ दें, तभी यह बगलीयों द्वारा राष्ट्र

भाषा स्वीकृत को जा सकती है। बादको कलकत्ता युनिवरिटीके एक प्रोफेसरने इसका समर्थन भी किया था। उनके कहनेका तात्पर्य यह था कि जिनको हिन्दी सही बोलना आवे उन्हें भी 'हाथी जाती है' और 'लोमढ़ी बोला' कहना चाहिये। यदि ऐसो सूक्ष पर विचार किया जाय तो हिन्दीका भविष्य बताना कठिन हो जाय। वगालियोंकी कठिनता दूसरे प्रकारकी होगी। तेलगु, और पञ्जाबियोंकी कठिनता दूसरे किसको होगी। यदि भारतकी अन्य भाषाओंके बोलनेकी मुविधाके अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाय, तो हिन्दी हिन्दी रह द्वी नहीं सकती।

वास्तवमें यह सूक्ष अनोखा है। हिन्दी भाषाकी तरह फ्रैंचमें भी ऐसे ही लिङ्गका मूलस्थान है। अन्य यूरोपियनोंको फ्रैंच सीखनेमें वही कठिनाई होती है, किन्तु अन्य भाषा भाषियोंने उसमें परिवर्तनकी छोड़े प्रार्थना नहीं की। अमेरिजी भाषाके हिंजे और व्याकरणमें भी ऐसी ही वाधाएँ हैं, किन्तु शायद भारतमें किसीने आवश्यक नहीं उठायी है। जापान और इरान वैगैरह देशोंने भी इसका विरोध नहीं किया, गोकिं वे अपनी व्यापार सम्बन्धी वातोंकी जानकारीके लिए अमेरिजीका ज्ञान आवश्यक समझते हैं।

यह जान लेना चाहिये कि अन्तर प्रान्तोंय प्रयोगमें हिन्दीको लानेका कारण इसकी सर्वविषयता एव सुगमता ही है। × × ×

× × विशेष अर्थके शब्दोंकी समस्यामें व्यर्थ ही टेक्स्ट-गण, छान् एथ शिद्धित व्यक्ति उलझे हैं। भारतके अन्य प्रांतोंके साथ ही हिन्दी भाषियोंको भी सास-प्रयोगके शब्दोंको सकृत या प्राकृतके आधार पर बना लेना चाहिए। यूरोपकी भाषाओंमें विशेष प्रयोगके शब्द प्राचीन भाषाओंके ही आधार पर बनाये जाते हैं। दस सिद्धान्त पर हिन्दीके विशेष पारिभाषिक शब्द (टेक्स्ट) गुजराती, बांग्ली, मराठी, तामिल या तेलगूके समान होंगे, और यदि फारसी या अरबोंके आधार पर वे शब्द बनाये जाय, तो भारतके रोप प्रान्तोंसे एकदम भिन्न हो जायेंगे। इसे भूलना नहीं चाहिए कि उद्दू भारतकी एक दर्जन भाषाओंमें से एक है। इन सब समस्याओंमें प्रधान प्रश्न हिन्दी भाषियोंके सामने यह उपस्थित होता है कि वे १० का साथ देंगे अथवा १ का। निम्न श्रेणीकी शिक्षण संस्थाओंमें 'जजीरा' और 'द्वीप' के स्थान पर

आर्लंड (टाप्) कहना हिन्दो और ठूँड़ दोनोंके लिए घटक है एवं हमारी सम्झौते पर कुछहाथी बदला है ।

इन साहस्र (विज्ञान) ने व्यवहृत होने वाले शब्दोंके निर्णयके विषयमें विचार कर सक्ते हैं । इस चिकित्सिलेन्स मुझे एक फूलाकी याद आती है जब कि मैं नज़-चिन्में एक चीनी प्रोफेसरके साथ अभ्यन्तर कर रहा था । मैंने पूछा कि चीनके साहस्र सुखस्त्री शब्द किस भाषामें है । उसने बतलाया कि नीचेकी श्रेणीमें प्रेज़ुएट डिप्री-तक तो तमाम शब्द चीनी भाषामें होते हैं, हिन्दु अनुसन्धान एवं विशेष वैज्ञानिकोंके लिये स्वतन्त्रता है । वे अहरेत्री शब्दोंका भी व्यवहार कर रहे हैं । हमारे देशमें भी इसी टग पर यह समस्ता हल हो सकती है ।

देवनागरी या रोमन लिपि ?—

हिन्दी भाषा विषयक विचारोंके पश्चात् हम देवनागरी लिपिकी समस्ता पर आते हैं । देवनागरी लिपिमें भी छठिताके छारण वे ही लोग अधिकारियोंमें हैं जो अपनी भाषामें विभिन्न लिपियोंका प्रयोग करते हैं । देवनागरीके स्थान पर ठूँड़ लिपि खबरोंके विचार जब लोगोंके दिमागसे उठ गये, क्योंकि इसमें बड़ी त्रुटियाँ हैं । हिन्दु अब अधिकार्य लोगोंके अप्रेज़ो पढ़ने से लिखनोंके कारण नागरिकोंसाथ रोमन लिपिया उपकाल आता है, छारण कि ये पढ़े लिखे लोग बालमनसे ही रोमन लिपिके अन्यस्त हो जाते हैं । कुछ समय पूर्व में पेरिस के कल्पों जगते एक बगली मिश्रिते इस प्रश्न पर बहस कर रहा था । अन्तमें उसने अपना दिल खोलकर कहा कि यह अनिवार्य प्रतीत होता है कि हिन्दी भारतकी राष्ट्रभाषा हो जाएगी । छारण कि उड़ तम्ही अधिवि और बीजुनें पर जंगरबैच त्याग कर ढंगा सम्भव है । इस हालतमें एक नई लिपिका बोझ कार भी खेला चाहिये । बगलियोंको रोमन लिपि शुल्क ही मह़ाम है, इसलिये वे इस पर जोर देते हैं । हिन्दी भाषाकी तरह नागरों लिपि भी हिन्दी भाषियोंकी उपर्युक्त लिपि है । इसका दरिदास २५०० रुपय पुराना है । ठूँड़के विचार भारतकी अन्य लिपियाँ इसके मिलती तुल्यता हैं । अतः हिन्दी भाषियोंको लिपिका स्थान देना असम्भव है । × × ×

३० श्री सुनीतिकुमार चैटर्जी—

[निम्रलिखित मापणोंके उद्गत अंशोंसे यह स्पष्ट हो जायगा कि ३० श्री सुनीतिकुमार चैटर्जीने फेवल मारतमें ही नहीं, बरन् संसारके विभिन्न मार्गोंमें भी हिन्दीकी व्यापकताके काले हिन्दीको राष्ट्रभाषाके योग्य माना है। आप यद्यपि रोमनलिपिके पृष्ठपोपक हैं, किन्तु फिर भी देवनागरी की उपयोगिताको अस्त्रीशार नहीं करते—“देवनागरीके सहारे हम प्रातीय भाषाओंके संवंधको घनिष्ठ बना सकते हैं” (कर्त्त्वीमें प्रदत्त भाषण पृ० २६)। आपकेसे अधिकारी विद्वानोंका राष्ट्रभाषा संवंधी सुझाव निस्सन्देह मूल्यवान है।]

× × ×

“^{मैं} हिन्दीका भेमी हूँ और आजकलके भारतके राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक जीवनमें हिन्दीके महत्वको भली-भाति में समर्पिता हूँ। × × ×

× × × मध्यदेशसे—पूर्व पंजाब, पश्चिम समुक्तप्रदेश तथा उन्नेलखण्ड प्रतीये—साहित्यिक भाषाके रूपमें पश्चिम पंजाबसे बगाल तक हिमालयसे विन्ध्या तक इसका फैलाव हो गया है, केवल इस विशाल भूखण्डमें भी यह सीमित नहीं रही, गुजरात, सिन्ध, काश्मीर, नेपाल, चगाल, आसाम, उडीसामें, महाराष्ट्रमें और दाविड भाषी ओंध, कर्णाटि, तामिलनाड और केरलमें, इसका प्रसार बढ़ता जाता है, समप्रभारतीय जणगण जिसमें इसे अपना लें, इसलिये भोतरसे प्रेरणा और बाहरसे प्रचार भी हो रहा है। × × ×

× × × भारतीय राष्ट्रको इस समय विख्यत और समर्पूण रूपमें विनष्ट कर देनेकी अपचेषा चल रही है। भारतीय एकताका एक मुख्य साधन हिन्दी ही बन चुकी है, इसलिये भारतीय राष्ट्रके विरोधी हिन्दीके विरोधमें अपनी पूरी शक्तिका प्रयोग कर रहे हैं। इसका फल यह हुआ है कि हिन्दीकी स्वाभाविक-गतिमें रक्षावट ढालनेवालों कुछ नहीं कठिनाइया दिखाई देती हैं। इनमें सबसे हानिकर यह है कि हमलोगोंमें आदर्श विपर्यय आ गया है। भारतके कुछ सुसलमान, × × × उनकी

बोरसे और इनारी टरफसे उन्हें उय रखनेकी नीतिके अरण, प्रत्यक्ष और परेश
हप्ते हिन्दी पर अब महत हमला हो रहा है —हिन्दी सकृति पर प्रबल आघात
दो रहा है। गण्डुभाषाके क्षेत्रमें भी प्रश्न वही है—हिन्दू-नुस्लमानच्च प्रश्न।
दूर्वा अथवा नुस्लमानो हिन्दी सुनुदाय नियोगमें निबद्ध हिन्दी, विदेशी शब्दोंसे
और विदेशी भावोंसे भरपूर हिन्दी भारतके बहुसंख्यक जनोंकी शुद्ध हिन्दी, भारतके
जातीय भावसे अनुप्राप्ति हिन्दीको छढ़ातक रोकेगी, अगरेज साक्षर तथा हमारे
कामेसी शासनके पूरे समर्थनसे चहाँ तक इसे एक सद्वती है, यही हिन्दीके सामने
आज सबसे खटिन समस्या है। इसी समस्याको हल करनेके लिये Courage
of Despair अवान् नीराश जनित दुस्साहसच्च आश्रय लेकर, महामा गांधीने
देवनागरी तथा अरवी इन दोनों लिपियोंमें याथ साथ लिखी जानेवाली ‘हिन्दुस्तानी’
को हिन्दीके स्थान पर विद्य देनेको सलाह दी है। परन्तु इससे भी यह बात
तय हो नहीं सकी, समस्या और भी जटिल बन रही है। × × ×

× × × एक गम्भ या एक गण्डोवताके प्रतीक-स्वरूप एक भाषाको माने बिना
अम नहीं चल सकता; और यह भाषा देश या राष्ट्र ही की कोई भाषा होनी
चाहिये। × × × कुछ ऐसे सञ्चन हैं, जिनके विचारमें अब जैसे कि अगरेजी भारत
के शिक्षितोंकी प्रमुख भाषा रह रही है, उसे वैसे ही रखना ढौक होगा। इनकी
राय यह है कि भारतमें सदा के लिये अगरेजीको ही अन्तः प्रतिशिक्षक भाषा रखना
चाहे। परन्तु ये सञ्चन देश को अनगड़ बनता पर अनन्ती कृष्ण-ठिठ नहीं लालते।
भारतमें एक प्रतिशतमें ज्यादा अगरेजीदा नहीं हैं। किसी भारतीय भाषाको अनन्तमें
भारतकी अधिक्षित प्रजाको उठनी कठिनाई नहीं होती, जितनों कि अगरेजी ऐसी
विदेशी भाषाके सीखने में। उत्तर भारतके आर्यभाषियोंके लिये यह तो एक चास
बात है कि बगैर ज्यादा तकलीफ टयारे हुए जीवनकी और नामूली अभिन्नताओंकी
वरह ही क्लन्चलाऊ हिन्दीको यह गोचर लों सीख लेते हैं—आर्यभाषियोंके लिये
हिन्दी सीखना कुछ बड़ी चात नहीं होती। दिल्लिके शूविहभाषी लोगोंके लिये
‘हिन्दी सीखना ल्योग्याहृत कठिन होता है, यह चल है। पर शूविह लोग नी
सरल व्याकरणको चलू हिन्दी निहायत बासनेसे कीख लेते हैं, जब इन्हं अप्रेजी

के मोदसे चुटकारा मिलता है और हिन्दौवालोंके समर्कमें ये आते हैं। श्रविष्ठ भाषाओं से अधिनिक भारतीय आर्य भाषाओंका प्रवृत्ति-मूलक या गठन-मूलक मेलजोल विद्यमान है जो कि अगरेजी और श्रविष्ठ भाषाओंके बीच नहीं है। राजनीतिक कारणोंसे अगरेजी सीखनेकी आदत यदि बदल दी जाय, तो भाषातात्त्विक दृष्टिसे द्राविड़वालोंके लिये हिन्दी या और कोई भारतीय आर्यभाषा सीखना सहल ही होगा।

अस्तु, भारतकी एक-राष्ट्रीयता तथा भारतवासियोंमें राष्ट्र-भाषाके रूपमें किसी भारतीय भाषाकी आवश्यकता—इन दोनों विषयों पर अधिकृतया बोलनेकी ज़स्तत नहीं है। अब जितनी भारतीय जीवित भाषाएँ हैं, उनमें हिन्दी ही को अन्तःप्रतिक या राष्ट्र-भाषाकी यह मर्यादा मिल चुकी है, इस विषयमें कोई भी सन्देह नहीं है। विभिन्न प्रदेशोंसे आये हुए दो भारतवासी जब इकट्ठे होते हैं, यदि वे अगरेजी-शिक्षित अथवा स्थूलता पड़त नहीं होते, तो उथादा सम्भावना यही होती है कि वे हिन्दी ही में बात करते हैं—वह हिन्दी शुद्ध हो, चाहे मुसलमानी ढगकी हो, चाहे दृढ़ी-फूटी कलकत्तिया या बम्बिया या दक्षिणी बाजार दिन्दी हो। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और साहौरमें बनी हुई हिन्दुस्तानी या हिन्दी फिल्में भारतवर्षके सैकड़ा शहरों और कस्बोंमें दिखाई जाती हैं, और इजारों महाराष्ट्र, बगाली, उडिशा, नेपाली और तेलुगु और कर्नाटक और कर्मो-कभी तमिल लोग भी इन्हें बड़े चावके साथ देखनेको और इनके गाने आदि सुननेको जाते हैं। हिन्दी फिल्म भारतके बाहर लगाड़ीप, मौरिशस्, दक्षिण और पूर्वी अफ्रिका, मलाया और फ़ीजी, ब्रिटिश गायना, चिनिदाद आदि दूर देशोंमें जहां भारतीय लोग बसे हैं, वही लोकत्रिय होती है। भारतके बे पर्याप्तके साधु-सन्त और फ़कीर लोग, जो कि तीर्थसे तीर्थान्तर घूमते हैं और सारे भारतवर्षकी यात्रा करते फिरते हैं, हिन्दीका ही व्यवहार करते हैं। इन सभ बातोंसे हिन्दीकी प्रतिष्ठा सर्वत्र दीख पड़ती है—क्या समय उत्तर भारतमें, क्या दक्षिणके बड़े बड़े शहरोंमें और प्रधान तीर्थ-क्षेत्रोंमें।

न केवल भारतवर्षमें हिन्दीका प्रसार दृतना है—भारतके बाहर यदि किसी भारतीय भाषाको सार्वजनीन बोधगम्यता है तो हिन्दी ही की है। बम्बई जाह्ये—वहीं बगाली, बिहारी, हिन्दुस्तानी, पञ्जाबी, सिंधी, माराठां, गुजराती, महाराष्ट्रीय,

उक्ति, नेशनली चाग तमिल, मालयाली और गोदावरी बोलने याते थिए। पहोंके प्रते इनके कारण कभी-ठभी उछ अधिकारी में बालकों परिवर्त दिखाई देता है, पर उपादातर हिन्दी ही को न केवल भारतीयोंने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भी चाल देखियेगा। रग्लमें एक बड़ी मोटर-ब्लूज़ाइरसे मुझे यगल्में उछ कहा, जराबमें यह कहा—“जो ‘कला’ बात सब ‘कला’ लोग बोलता है, वही बोलो”, अर्थात् हिन्दीमें बोलो। (वही लोग विदेशीयोंके, राष्ट्र करके भारतीयोंको, ‘कला’ कहते हैं।) विभिन्न जातियों जहाज़ अपनियोंके जहाज़ोंमें देखिये; जहाँ सलासो और मगाहीमें भारतके विभिन्न प्रोतके आदमी हैं और एप-साप पटान, नलाहे, चीनी, अरब, सोमाली इत्यादि एशिया तथा अफ्रिका के बहुतेरे स्थान पर एक ही अधिकार अवधृत होते हैं, ऐसे स्थानमें यदि भारतीय लोग सज्जामें प्रवल हों तो और एव भाषा छोड़ हिन्दी ही अधिकार अवधृत होगा। प्रवासी भारतीय जहाँ जहाँ उपादातर बहे हैं, जैसे ब्रिटिश भलायामें, किन्नरीमें, भौरियासुमें, पूर्व और दक्षिण अफ्रिकामें, अनिश्चादमें, ब्रिटिश गायत्रामें, वहाँ हिन्दी ही का बोलबाला है; कहीं-कहीं तमिल-नाडुके अधिक होनेके कारण तमिल भाषा भी उछ मुनाई देती है, पर इनमें भी हिन्दी बोलनेकी प्रतीक काफी दिखाई देती है। भारतके बादरके देशोंमें हिन्दी पन्न-पन्निकाएँ निकलती हैं, यह मुन कर भारतकातियोंको दृष्ट होगा। युद्ध प्रतीय भाषाओंके पश्च निकलते ये और अभी निकलते हैं, पर धीरे-धीरे प्यो-ज्यों वहा भारतीय प्रवासी अपनी एकत्राके विषयमें जागृत होते जा रहे हैं, ज्यो-त्यो हमें हिन्दी पन्न-पन्निकाएँ और हिन्दीका पटन पाठन बढ़ता जा रहा है। अहरेजी जैसी प्रभावशाली विदेशी भाषाके सामने आम्र रक्षके लिये हिन्दी हो खे इन्ह यदद मिल रही है। त्वामी भवानीदयालजी सन्यासीने इस दिशामें प्रशंसनीय काम किया है। उन्हींकी प्रेरणासे आज दक्षिण और पूर्वी अफ्रिका तथा फिजी आदिमें हिन्दी पन्न-पन्निकाएँ और चिक्षण संस्थाएँ चल रही हैं।

X X X X

× × × एक मूल भाषा थी “हिन्दी” या “हिन्दी” या “भाषा” नामही, ब्रितके कई रूप-प्रेद थे, जिनमें एक मुख्य सादिलिक रूपका नाम था “प्रजकाषा” या “प्रजालिपि”। इस्ती १५ वीं शताब्दी इसमें दिलो-मेरठकी बोलीका मिश्रण होने

लगा, जैसा सन्त कवीरके प्रन्थोंमें हम देखते हैं। इस मिथित बोलीके साथ फिर कुछ पंजाबीका मिसाल हुआ। सिवर शमप्रदायके मानवीय गुरुओंके द्वारा रचित पदोंकी भाषा यही है जो कि श्री गुरु-प्रन्थमें ज्यादातर मिलती है। पंजाबीसे मिथित यह हिन्दी बोली दक्षिणमें उत्तर हिन्दुस्तानके पठांह और पड़ाबसे आये हुए मुसलमानोंमें स्थापित हुए और वहाँ उनके हाथ इससे साहित्यिक दखनी बनी, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है। केवल इस्ती १८ वीं शतीमें इस हिन्दी बोलीके समूचे सस्कृत और अधिकसे अधिक हिन्दी शब्दोंको निकालकर उनके स्थान पर अरबी और फारसी शब्द लाकर और उसे अरबी लिपिमें लिखकर एक नई साम्राज्यिक भाषा बनी, जिसका सत्य परिचय “मुसलमानी-हिन्दी” इस नाम ही से ही सकता है और जो इस्ती १८ वीं शतीके द्वितीयार्द्धसे ‘उर्दू’ कहलायी। मुगल राज्य, और उसके स्थान पर अपनेको कायम किये हुए अफ्रेज सरकारके ज़रिएसे यह उर्दू अदालतोंमें और सरकारी कामोंमें प्रतिष्ठित हो गयो और और दखनीसे प्राप्त हुई साहित्यिक दृष्टिसे उत्तम इसका नवीन साहित्य भी बनने लगा। अदालतोंके ज़रिएसे उर्दूकी चाल अस्वाभाविक रूपसे बढ़ गयो। यह अनुवाभाविकता इस्ती १९ वीं शतीके चतुर्थ चरणसे घटने लगी; संख्या-बहुल हिन्दू जनसाधारण अपनी संस्कृतिका ज्ञान बढ़ाने लो और इससे सस्कृतकी अपना म्याघ्य स्थान कुछ मिल गया। १५० वर्षोंकी चेत्यसे—विदेश करके विगत पचास वर्षोंके प्रयत्नसे राष्ट्रीय भावसे पूरी हुई शुद्ध हिन्दीकी जो अभिव्यक्तामयी शैली बन तुम्ही है, वह हिन्दी समाजकी एक अनमोल सम्पत्ति है। राष्ट्रीय एकेके नामसे मुसलमानोंके कुछ कट्टर लीडरोंको खुश रखनेके कारण अब वह नष्ट हो जानेवाली है। रेडियो, सरकारी विज्ञापन, बहुत सी फिल्में, कंपनेसके कुछ सदस्योंके भाषण, कहो-कहीं स्कूल-पाठ्य पुस्तकें तथा “हरिजन-सेवक” जैसी पत्रिकाकी खिचड़ी भाषाकी कृतिम अनुवाइ-शैली—इन सभोंमें, इस मर्यादापूर्ण भाव-गम्भीर शक्तिशाली शुद्ध हिन्दीकी भाषा-शैली पर आक्रमण हो रहा है। हिन्दुस्तानोंके नामसे हिन्देश्वा सत्यनाश करो—परन्तु उर्दू ज्यों की त्यों बनी रहे और फलती-कूलकी रहे। कोई भी मुसलमान खालिस उर्दूको छोड़ इस हिन्दी-मिथित उर्दूमें कुछ क्लिक्ता नहीं; और कामेसके प्रति अद्वाके कारण हिन्दू लेखक जो कुछ

लिखता है, वह केवल अनुवादके रूपमें एक कृत्रिम शैलीकी भाषामें कुछ लिखनेका Tourdoo Force अर्थात् 'कर्टब' हो मात्र होता है। कामेसके साथ सहाभूतिके कारण सब कोई इस शैलीको मान लेते हैं, "हिन्दुस्तानी", 'हिन्दुस्तानी' पुकारते हैं, पर जिसे हम "क्रमेकी हिन्दी" कह सकते हैं, उसके बाहर कहाँ भी इसका प्रयोग नहीं देखता। काशी विद्विद्यालयने शुद्ध हिन्दी ही को मान लिया है, पर लखनऊमें 'हिन्दुस्तानी' के नामसे अलग-अलग हिन्दी और उर्दू दोनों शैलियों और तोन लिपियाँ (देवनागरी, अरबी और रोमन) स्वेच्छा हो गयी हैं। × × × ×

× × × × हमारा अन्त प्रान्तिक काम-काज सब राष्ट्रभाषा हिन्दी ही में हो सकता है। इस निखिल भारतीय राष्ट्रभाषा हिन्दीकी लिपि (जब तक रोमन न हो) केवल देवनागरी ही रहेगी, और पजाब सयुक्त-प्रदेश, सिध आदि प्रान्तोंके लोगोंके सुभीतेके लिए यह राष्ट्रभाषा ऐच्छिक रूपसे उर्दू-लिपिमें भी लिखी जा सकेगी। प्रादेशिक शिक्षा, प्रादेशिक काम काज सब प्रातिक भाषाओंमें होगा। विदेशी राष्ट्रोंसे भारत सरकारके नामसे पत्रादि विनिमयके लिये अन्तर्राजीतिक भाषा फ्रान्सिसी या अंग्रेजीके साथ देवनागरीमें लिखी हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही का उपयोग होगा। भारतीय सेना-विभागमें, नौ-विभागमें, अन्त प्रान्तिक ढाक और तार विभागोंमें, नागरी हिन्दी ही चलेगी। सुसलमानोंके लिये शन्त विशेषमें उर्दू-लिपिका इनज़ाम भी रहेगा। अब कुछ कालडे लिये उच्च शिक्षाओंके अंग्रेजीको रखे बिना काम नहीं चलेगा। पर सब प्रदेशोंमें उच्च कक्षाओंके छात्रोंके लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी को अवश्य रखना पड़ेगा; और बज़न ठीक रखनेके लिये, हिन्दी प्रान्तके छात्रोंके लिए और किसी प्रधान भारतीय भाषाको छात्रोंकी इच्छा या सुविधाके मुताबिक अनिवार्य रखना ही होगा। × × × ×

× × × इस खट, छिप रुप विभिन्न भारतके लिये हिन्दी एक बहु महत्वपूर्ण संयोग-सूत्र है। काली पटाके अन्तरालमें, घने अन्येरेमें मार्ग-दिखानेवाली यह एक विजलोकी रेखा है। विभिन्नता रहते हुए भी समग्र भारत जैसे एक और अखण्ड है, भाषा और सत्त्वतिके क्षेत्रमें इस संवेदा प्रतोक हिन्दी ही है। "संगठन सबद्वाम्" — आधुनिक भारतके जीवनमें इस मन्त्रको सार्थक करनेका

साधन हिन्दी ही है। समप्र भूमण्डलकी तीसरी भाषा; चालीस करोड़ मानवोंकी—विश्वको मानव-सन्तानके पचमांशकी—होनहार राष्ट्रभाषा, अष्टपि-ब्रेक और निपाद-द्राविड़-किएत-आयौंकी मिलित चेष्टाके फल-स्वरूप हमारी प्राचीन सकृति-वाहिनी सकृत भाषासे समर्थित, आधुनिक भारतकी प्रतिभू हमारी हिन्दी भाषा; जिसके गलेमें अरब और ईरानके शब्द-भवारोंसे लिये हुए मणि-द्वार हमने लटकाया है, और जिसकी शक्ति और सीर्दर्यको हमने बढ़ाया है; ऐसी भाषा पर हम क्यों न गर्व करें, और इस अनमोल देनके लिये क्यों न हम ईश्वरकी स्तुति करें? × × ×

कुछ बगाली हिन्दी लेखक प्रकट हुए। बगालियोंके लिये हिन्दी सीखना कुछ नई बात नहीं थी। तुर्क लोगोंके आनेके पहिले ही से हिन्दीकी पूर्व-रूप शौरसेनी अपनी वगालमें भी चालू थी, वहाँके प्राचीन बीद तथा ग्राहण धर्मी कवि लोग, न केवल अपनी मातृभाषा पुरानी वगलामें, पर शौरसेनों या पछीही अपनी शामें भी कविता बनाते थे। ईस्ती सोलहवीं तथा सतरहवीं शतीमें हिन्दी साहित्यका विशेष प्रभाव वगला साहित्य पर पड़ा। कुछ वगलाके मुसलमान कवियोंने हिन्दीके कई नामी ग्रन्थोंका वगला अनुवाद किया, जिनमें कवि आलाओल द्वारा कृत मालिक मुहम्मद जायसीकी “पद्मावत” का अनुवाद लक्षणीय है, सतरहवीं शतीमें हिन्दी “मफ़माल” का भी वगला अनुवाद हो गया। अठारहवीं शतीके सर्वथ्रेषु वगाली कवि भारतचन्द्र राय शुणाकर फारसी, सकृत और हिन्दी अच्छी तरहसे जानते थे, और इन्होंने कुछ हिन्दी कविताएँ भी लिखी थीं, जो इनकी रचनाओंके सम्बन्धमें मिलती हैं। अगरेज अमलके बाद बगालियोंमें हिन्दीकी चर्चाकी कमी नहीं हुई। ताराचन्द्र भिन्नने हिन्दी “वेताल पचीसी” का संशोधित सरक्करण ईस्ती १८०५ सन् में निकाला था। पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर हिन्दीके अच्छे विदान थे, नव-स्थापित कलकत्ता विश्व-विद्यालयमें हिन्दीके परोक्षक भी होते थे। “वेताल पचीसी” का वगला अनुवाद जो इन्होंने किया था, अब वगला गयका एक थेषु निर्दर्शक समझ जाता है। समप्र भारतके राष्ट्रीय जीवनमें हिन्दीके स्थानके विषय पर वगलाके नेता लोग विचार करने लो थे, आजसे कोई सतर सालसे पहिले। १८७५ ई० में थो कैशवचन्द्रसेनने वगला सवाद-पत्र मुलभ समाचारमें इसको मूलना दी थी।

ऐसे हिन्दीको और भी बड़ाया अहिन्दी प्रान्तके प्रमुख चिन्ता-नेताओंने ; यह दर्पकी सात थी कि ऐसे अन्तर्वेद तथा संयुक्त-प्रदेश, मध्य-भारत और बिहार प्रान्तोंके यात्रके लोगोंने हिन्दीका समादर किया । महार्पि द्यानन्द स्वयं गुजरात प्रान्तरे थे ; पञ्चाय तथा उत्तर भारतके हिन्दुओंमें सांस्कृतिक-आगृहि और साध ही साध हिन्दीकी प्रतिष्ठाके लिये उन्होंने जो मुद्द किया था, वह भी आधुनिक युगके भारतके इतिहासका विपरीतभूत हो गया है । गुजरातके और एक सुपुत्र भारतके युगनेता तथा गुणवतार महात्मा गांधीने अपनी दिव्यदृष्टिसे दक्षिण अफ्रीकामें - रहते समयसे हिन्दीके माझात्म्यको उपलब्ध कर लिया था, 'और भारतीय जीवनमें हिन्दीका योग्य स्थान बनानेके लिये इनका कम सबसे' कार्यकर और व्यापक हुआ । यह हमारे लिये सेवकी बात है कि इस बत्त उनकी दृष्टि भाषा-विषयक दूसरे आदर्श पर पढ़ी है : परन्तु हमारा विश्वास है कि जिस अमा तरही इतने बोंपों तक उन्होंने अपने ध्यान और कर्मके पानीसे बड़ाया, वह मरनेका नहीं—राष्ट्रीय भावसे भरी हुई संस्कृतके अश्रु शब्द-भण्डारको उत्तराधिकारी, इस्लामी तथा आधुनिक संस्कृतियोंके उपयोगी विदेशी शब्दोंसे शक्तिशाली हिन्दी भाषा, भारतके तिरंगे मण्डके साथ अपना सिर ऊचा कर रहेगी । (डा० थे मुनीतिष्ठुमार चटर्जी अखिल भारत हिन्दो साहिल-समेतके ३५ वें अधिकेशनमें सभापतिके पदसे प्रदत्त भाषणसे उद्भूत) कर्त्ता १९४६ ।

अपने गुणोंसे हिन्दी राष्ट्रभाषा बनी

मैं राष्ट्र-भाषा हिन्दीका विद्वान् नहीं हूँ—मुझे शुद्ध स्पष्ट हिन्दी बोलना भी नहीं आता । जो हिन्दी मैं बोल रहा हूँ, वह कलकत्तेकी ढाई छठी बाजारु हिन्दी है, जिसे बिना हिन्दीका व्याख्यन और पुस्तक पढ़े हुए मैंने बचपनमें बिना थमसे ही द्वितीय भातभायाके स्वरमें सीता था । मैं अपनेको केवल 'हिन्दी-प्रेमी' कह सकता हूँ । हिन्दी पर यह प्रेम, व्यवहार और विचार—इन दोनों कारणोंसे मेरे मनमें उत्पन्न हुआ है । रोजाना जीवनमें मैंने देखा कि कलकत्तेमें और कलकत्तेके बाहर भारतके प्रायः सब ही प्रान्तोंमें वगैर हिन्दीके काम नहीं चलता, यदि अपेक्षा या बगला जो नहीं जानता है, ऐसे आदमीके साथ बताव करनेकी आवश्यकता ही ।

व्यावहारिक जीवनमें जो भाषा जितनी महत्वपूर्ण है, उसपर आङ्गृष्ट होना, उसके सम्बन्ध उच्च भाव पौष्टि करना, उसे अपनानेकी कोशिश करना, उसे सचमुच एकमात्र आन्तप्रदिशिक भाषा समझकर निश्चिल भारतकी एकताका निशान या प्रतीक समझ कर, आखिर उससे प्रेम और उस पर अभिमान लाना स्वाभाविक होता है। फिर, हिन्दो साहित्यके गौरव, वैचित्र्य तथा सास्तृतिक महत्वका विचार करनेसे, और भारतीय भाषाओंमें हिन्दीके स्थान, भारतकी आर्य भाषाके आन्तप्रदिशिक रूपोंके सिलसिलेमें हिन्दी के स्थान, भारतकी आर्य भाषाके आन्तप्रदिशिक पदवीको प्राप्त किया है। उत्तरी भारतके लिये हिन्दीकी सार्वजनीनताके बारेमें कुछ सन्देह नहीं है। दक्षिणी भारत स्मरणातीत कालसे उत्तरी भारतका अनुगामी है, अत विस्तृत हिन्दी न केवल उत्तर भारतकी आन्त प्रादेशिक भाषा बनी है, पर यह दक्षिणके लिये भी आन्त प्रादेशिक बननेके योग्य है और बन रही है।

आर्य-भाषा —

भारतके विभिन्न प्रदेशकि लोगोमें पार्थक्य बहुत है—भाषा, रहन सहन, वाह्य-स्वरूप, आभ्यन्तर चिन्ता प्रणाली इत्यादि जीवनकी प्रक्रशक सब चालोंमें, यह दम मारते हैं। भौगोलिक तथा ऐतिहासिक वातावरण, आर्य और अनार्य जातिके लोगोंकी वहुलता अपवा अल्पता, विदेशी जाति और सास्तृतिसे अविक अथवा अत्य मिथ्रण—इन पार्थक्योंके कारण हैं। पर, सब प्रकारके पार्थक्योंके अन्तरालमें एक बड़ा भारी ऐक्य विद्यमान है, जो कि भाषा, जाति और धर्मको अतिक्रम कर, नैपालसे कन्याकुमारी तक और पेशावरसे डिन्बूगढ़ तक समप्र भारतीय जनशाखें एक अभिज्ञ योगसून स्वरूप हैं। पहले ही से भारतकी आर्य भाषा इस भारत-धर्मका माध्यम या प्रकाश-भूमि बने। वैदिक, लौकिक, सास्तृति, पाली और अन्य प्रकारकी प्राकृत, अपब्रश, उनके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ—बगल और असमिया, मैथिली, हिन्दी

अर्थात् भृदेशको बोलियो—जैसे अपथी, व्रतमाया इत्यादि, पजाओ, गुजराती, मराठी, राज्या—भारत-धर्मका राहन होकर सदो-व-सदी भारत-क्षेत्रमें प्रकट हुई हैं। दक्षिणकी कुछ द्याविह भाषाएँ भी, जैसे तामिल, मलयालम, कनाडी, तेलुगु, इष्ट द्वाम में उत्तर-भारतकी सहृति और आधुनिक भाषाओंसे दरीक हुई। उत्तर-भारतके जिस भू-खण्डमें भारत-धर्म सबसे पहले मूर्त और पुष्ट हुआ था, आयविंतके हृदय और केन्द्र एवं वह भू-खण्ड जो कि प्राचीन कालमें ब्रह्मावर्त, मध्य देश, ब्रह्मपि देश और अन्तर्बैद कहलता था, उसीकी विद्य भाषा अब हिन्दीके स्पन्दने दिखाई देती है। यहाकी भाषा केन्द्रीय भाषा होनेके कारण महर्षि पाणिनिके समयके पूर्वसे, निखिल भारतके लिये शिष्ट-भाषा बनी थी। इस धारणाके बश श्रीदयानन्दजीने हिन्दीको, सहृतिका नवोन प्रतिभूके स्पन्दन मान लिया था और हिन्दीका नाम दिया था—“आर्य भाषा”। उत्तर भारतके राजपूत-साक्षात्कारके समयसे भृदेशका राजनीतिक प्रभाव समेप आयविंत या उत्तर-भारत पर पड़ा, इससे यहाकी भाषा शौरसेनी प्राकृत और शौरसेनी अपभ्रंश, जिन्हें हम वर्तमान हिन्दीके प्राचीन स्पन्दन कह सकते हैं, उन शौरसेनी प्राकृत और अपभ्रंशकी प्रतिष्ठा बहुत पड़ी। इसके बीच दिल्लीकी मुसलमान सल्तनतकी शक्तिने ब्रह्मावर्त अथात् पूर्व पञ्चवके और भृदेश अर्थात् पठाहेकी भाषा ‘हिन्दी’, ‘हिंदो’ और ‘हिन्दोस्तानी’ या (हिन्दुस्तानी) की नयी तौरसे तमाम भारतवर्षमें फैलनेमें सहायता की। भारतकी साहृतिक और हास्त्रीय एकताकी व्युनियादको सुट्ट करनेमें ब्रह्मावर्त और भृदेशकी भाषाने जितना काम किया, उतना और किसी प्रान्तकी भाषाने नहीं किया। बगला, असामिया, उड्डिया, मराठी, पजाओ, खिंची, गुजराती, पर्वतीया,—यद सब बहने हैं, तामिल, मालयाली, कनाडी, तेलुगु, ये भी सहृत छोलित पुत्रिया होनेके कारण आर्य भाषाओंकी बहने बनी हैं। इनमेंसे किसी एकको औटोसे छोटी या बहो नहीं सनक्ता चाहिये, उद्धव से और अपनो प्रकाशित अथवा अप्रकाशित शक्तिसे, यद सब घरावरी रखती हैं, यद सब समान हैं—ऐसा मानना ठोक होगा। परन्तु क्योंकि हिन्दीको सबसे अधिक लोग समझ रहे हैं और चाहे इसके हटेखटे बाजार लगोंमें, चाहे पठाहेके मुहावरेके मुदाबिक इसके शुद्ध हिन्दी रूपमें, या इसके मुसलमानी स्पन्दनमें, क्योंकि सबसे

अधिक सख्त लोग इसे बोल सकते हैं और क्यों कि उत्तर-भारतके विभिन्न प्रांतों की भाषा और सादित्यकी धाराएँ नदियोंको ताह कर सदियोंसे हिन्दीके सागरमें समाती हुए, इसलिये हिन्दीका आधुनिक भारतकी भाषाओंमें 'समानोंमें प्रथम' और 'आधुनिक भारतकी प्रमुख बोली' मानना पड़ेगा। ऐसी बोली भारतके विभिन्न प्रांतोंके जनगणको एकता-सूत्रमें गूढ़नेके लिये सबसे काम वाली हो सकती है। हमारा आदर्श तो यही है कि अखण्ड भारतवर्पमें एक राष्ट्र, एक सरकृति, एक बोली हो; सबकी मातृभाषा या घरकी बोली एक हो बोली न हो सके, इसका खेद नहीं, यदि सबकी मिलने-जुलनेकी बोली एक हो जाय। यह समभाषित्य, समराष्ट्रीयत्वका सबसे बड़ा निशान या निर्दर्शन और सबसे शक्तिशाली बन्धन है। इसका प्रोत्साहन या दृष्टि भारतकी भावी महाजातिके सगठनमें एक मुख्य काम है।

(वित्तमित्र १ अगस्त १९४७)

श्री ललिता प्रसाद सुकुल—

[श्री प्रो० ललिता प्रसाद सुकुलके लेखोंके द्वारा हिन्दी सम्बन्धी प्रायः सभी समस्याओं पर प्रकाश ढाढ़ा गया है। हिन्दीके पक्ष तथा विपक्षके प्रायः सभी मत इसमें प्राप्त होंगे। हिन्दी राष्ट्रमापाकी अधिकारिणी क्यों है इसका भी विवेचन किया गया है। डॉ ताराचन्द्रके विरोधका तार्किक उत्तर 'भाषाके डिक्टेटर' किया गया है। भाषा और बोलीका अन्तर 'हिन्दी ही क्यों' शीर्षक लेखमें स्पष्ट प्रकट हो जाता है। 'यह बदनाम हिन्दुस्तानी' नामक लेखके द्वारा हिन्दीके पर्यायवाची 'हिन्दुस्तानी' के रहस्यका उद्घाटन किया गया है। अहिन्दी भाषीजनोंको 'The place of Hindi in our Nation building' के द्वारा हिन्दी साहित्य सम्बन्धी शंकाओंका उत्तर मिल जायगा।]

The place of Hindi in our Nation Building

THIS say in this age power rests upon organisation. This is what we actually see in the east as well as in the west that the organisation of the various resources of a country into a solid nation is indeed the real acquirement of great power.

But does it happen like a freak of nature or it needs and presupposes certain preparations to effect this huge task? This really depends upon the various needs and capacities of the various people. And it is just possible that all the ways of organising the one nation may not be the same as that of the other, yet inspite of all dissimilarities there does exist a common need which is felt every where in matters of such organisations. One of such imperative needs is the need of a national language. To-day if organized power is the end of a nation, its language is the requisite means to attain it. Because it has its main stay at the widest spread of education which—be it of any kind—always needs a language for it. So also without mutual inter change of ideas which again needs a common language, no organisation is possible. Leaving apart the question of literature and culture as Dr Tagore said the other day "we do need one common language to carry on inter provincial trade and country-wide political propaganda". Surely no sane person can afford to doubt it. But sometimes people do not seem to be quite definite as to which should be the common language for our country. In this respect the builders of our Indian nation and a very

large majority of its people have already made up their minds, and their decision is in no way partial nor is it based on any inequitable and unjust claims of a language which is not fully equipped to its task. As a matter of fact only that language can claim this rare honour, which is spoken by the very large majority of its people, which is potent enough to convey even the highest thoughts to the farthest masses with their due dignity and which is so simple as may be learnt by the people without much difficulty.

There was a time when practically all the important vernaculars of India had stepped into the arena of competition to be recognized as the national language for India. When one claimed this honour on its merit of being very vigorous the other had to put forth its claims on being exceptionally soft and musical. The third claimed to have produced the greatest man of the world; and the fourth boasted of having the most powerful political agitator. And besides they had all their notions of untraced antiquity. But gradually the times changed and the truth came to light. In matters of antiquity and general utility all had to acknowledge the superior claims of their elder sister Hindi.

Even to-day sometimes we hear the voice that disclaims the rights of Hindi, it is the language of the Hindus, and as such unacceptable to the Mahomedans, who on their part are looking to the day when they shall see 'Urdu' recognized as the national language. One cannot really

help feeling pain and surprise at it. Those who propose this, they do not seem to think for a moment that if Hindi is the language of the Hindus, whom does this language 'Urdu' belong to? Although it is not possible for me to trace here the history of such a language as Urdu, yet I feel it necessary to discuss some of the very important aspects of it. Truly speaking the difference of one language from the other does not merely consist in its difference of vocabulary, rather it depends more on the difference of their grammatical structure. If we study Urdu from this point of view it does not take us long to see that it is in no way closer to Arabic or Persian except in matters of vocabulary. Its grammatical structure was moulded absolutely into the caste of Hindi Khariboli from its very inception. Sometimes we see people making some vain attempts of remoulding it into the uncommon ways of Persian. But such attempts make the language merely unnatural and clumsy. Urdu reached its highest pitch at the hands of Irsha, Dagh, Meer and Ghalib. Their style, though it had a copious flow of Arabic and Persian expressions and words in it, yet it enjoyed a peculiar naturalness and homely charm. Because in their writings they were bringing it nearer to the language of the people which was in its own turn being enormously enriched by adopting new words and phrases of deeper meanings. Their language differed from Hindi in no other way except in vocabulary and we can very well call it the Hindi as used by the Mahomedans and in fact it was nothing else but Hindi. On account of political bitterness, we have lost the

balance of our viewpoint, but the task of making a nation and organising it is much too vast and wide to allow a narrow and prejudicial perspective. Even the present occasion compels us to think over these matters with a clearer and more generous point of view.

The languages of the different parts of our country have always differed from one another but every page of our history will bear it out that with all their differences, the language of the 'Brahmavart' which has ever been the centre of Aryan culture and civilisation, had always been the most effective and of the widest influence. In the age of Prakrit and Apabhramsha if 'Shaur semi' had its day, during the Mughal rule again—Persian the language of the rulers had its spring time to flourish in this part, and then to get itself transformed into Khariboli Hindi—the speech of this very area. Even to day Hindi the language of this part of the country is the most popular and effective.

A thousand years hence Hindi took its first shape in that part of our country, which has ever been proud of being the nursery of the Aryan culture at its highest pitch and where the Aryan flowed aloft their banners of immortal glory. Once if it instilled the feeling of pious devotion through the pen of Sur, Tulsī and Mīra of course it did not fail in the efforts of Chand, Jagannāt, Bhushan and Lall to wake up the fast sleeping nation. If there was Khusarū to tickle us from time to time we also find Kabir, Malook and Dadu to show us the light of learning and knowledge and Rahīm, Girdhar and Tosh to fill our lives with new

and invaluable experiences. At one moment we are amused at the simple folk sagacity of 'Ghagh' and 'Bhaddari,' then at another we rise to the feeling of admiration to look at the marvellous love paintings of Deva, Bihari and Raskhan. So much of variety painted with such a skill in one language does indeed speak of its wonderful possibilities and potentialities. That language which can display so much of vigour, so much of tender softness and so much of sobriety in it; that which is capable of expressing an ordinary every-day thought as well as a grave sentiment with its equal dexterity is indeed a language to be reckoned as most effective and powerful for all times.

To consider the national recognition as a mere emblem of honour will be a mistake. Because such a recognition always presupposes the capacity of a great service. As has been said above Hindi is the language of that vast multitude of people which has spread itself from the Punjab to Bihar and up to Mahakoshal, Malwa, Central Provinces and Central India in the South. Even in the other provinces, where different languages are spoken people of these parts have gone there to settle in large numbers. Thus automatically Hindi has found its entrance there. It is also a remarkable fact that people of non-Hindi-speaking provinces adopt Hindi much more easily than any other language. Probably because Hindi being the language of the Brahmanical is the nearest to the Sanskrit, and hence automatically it comes very much nearer to the various vernaculars of India inasmuch as they bear a very close

affinity to Sanskrit. Moreover Hindi is gifted with an innate adaptability with which it assimilates in it any other dialect or speech without much difficulty. This tendency of Hindi has ever added to its inherent richness. Even from the ancient times it has kept its policy quite liberal in matters of give and take. Not only that it has inherited the rich vocabulary of Sanskrit but also it has not failed to accept foreign words and phrases most freely and copiously. Any phrase or any idiom of any homogeneous language if it was worth taking was freely adopted by Hindi as its own and for all times. It is probably for this reason that even a person from the non-Hindi speaking area does not feel much difficulty in understanding Hindi or for the matter of that in expressing himself in Hindi in which he invariably finds a number of words and phrases of his own language present. The greatest proof of the exceptional popularity of Hindi we find in the South where people speak non-Indo-Aryan languages. Those of us, who are familiar with the spread of Hindi movement in the South, they know that within nearly ten years fifteen lacs of Madrassites have learnt Hindi and they are most anxious to recognize Hindi as the national language of India.

To-day the population of those who understand Hindi is 75.8 per cent and of those who actually speak it is 68.6 per cent. Apart from the question of a very high percentage of the speakers of a language the other test of its greatness is the quality of its literature. From this point of view I shall make an effort to show that Hindi

literature, from its very inception has been awaiting the formation of our great nation · and in its own way it has been strengthening the various section of our nation to fulfill its strong organization · Although we do not aim at repeating the entire history of Hindi literature, yet to suppress some of the most relevant and significant contributions of Hindi towards it will be an unpardonable omission · Those early efforts we might call the first steps towards that great movement ·

Those of us who have studied the various Rasos of Hindi literature they will bear the testimony as to how much they are full of the vigorous appeal to unite against the foreign invaders · At places they are chequered with the most touching appeals of love and devotion for their motherland and their huge sense of patriotism seems to be touching the highest water mark · Innumerable references of true bravery, marvellous self-abnegation and noble wrath are to be found in them · Perhaps no scholar dare say that there was no scope for love of motherland nor for the love of nation in the Hindi literature · nor would he be able to say that the patriotic note in Hindi literature is merely a novelty of the modern age · To express such a view is to expose one's own ignorance · Not only in the early Raso literature alone but also as late as in the seventeenth century Hindi produced poets, who even in that dark age had the potentiality and the courage to sing songs of freedom and national organization to wake up an almost dead nation to an extraordinary heroism · It is indeed

needless to measure the great share of Lal and Bhushan in the immortal glories of Maharaj Chatra Sal and Shivaji. Their efforts we might call the second step towards national organization.

Leaving aside this aspect now if we scrutinize the mental organisation of our nation we cannot measure the invaluable services rendered in this direction by Kabir, Tulsī, Sur, Nanak, Raīdas Sahjō, Vidyapati, Brinda, Gīrīdhar, Dadu and Swami Dayanand. In that age of religious distress when practically the whole nation was plunged into the terror and anxiety of the very survival, who else than these saints could restore peace and confidence in these innumerable vexed minds? could there be any other force to hold up so many millions together to this age by teaching them to practise self-restraint and creating a harmonized reconciliation of joy and suffering? Even to day Ram Charitra Manas—the pitch of high perfection in literature—shows the path of peace and righteousness to the uncountable afflicted souls and the Bijak of Kabir is showing the seed of love, truth and devotion into the hearts of a vast nation and the 'Ashtchāp school is having its permanent imprint on the nation by flowing the genial current of pure and celestial love in this vast land. Has any other nation ever the good fortune of being inspired by any more potent and pious forces of self-restraint, love, and devotion than these? It is possible to hear of a higher literary standard of some other country. But it shall have to be remembered that

in those places the makers of the literature were merely the literary people and they were of indubitable learning and literary insight. But India was exceptionally destined to have its literature created by those who were of course great masters of literary attainments, but over and above that they were much greater sages and scholars of unquestionable celebrity. Every bit of the golden age of the Hindi literature is studded with such jewels as were brought out from the purest corner of the human hearts which were ever gifted with the celestial beauty, noble sentiment and divine tenderness. This is why the effect of this literature is so perpetual and far reaching. It being of such an antiquity even to day it is as new as ever, because they say truth never grows old.

As a matter of fact every literature grows with its own ideals. But under all such differences there is always present an internal harmony which we call the touchstone of the world literature, because that enables us to touch all great literature on it. Suffice it to say that it is mainly based on such common learning of human heart as is universal in nature irrespective of an individual, a country or a people. But it is firmly connected with the humanity at large. If we put our literature to such an acid test it will justly evince an appeal much too wider to be limited to the Indian heart alone. It is tender enough to touch the heart of the universe. I shall not have to go far to prove this claim. I shall only mention the name of that small book which the world generally knows by the

name of 'Hundred Poems of Kabir.' It will not be out of place here to mention that in this small book Poet Tagore has not been able to collect 'the all' of Kabir nor even 'the best of his thoughts,' yet the rare honour that has been bestowed on it by the Americans and the Europeans alike is enough to prove the truth of the above claim. The main causes of the extraordinary appeal chested up in Hindi literature have already been mentioned above and I need not repeat them.

But we are always confronted with the problem how the whole nation can take an equal advantage of this most precious heritage of its literature. The other day a great supporter of our national language had said that 'though we do need a common language for our national organization, yet we should not cease to create literature through our different provincial vernaculars.' In supporting his argument he had cited the case of Europe where the writers are said to have produced no high class literature as long as they tried to utilise the medium of Latin. But as soon as they replaced Latin by their own local vernaculars the level of their productions went up very high. This may be true of European literature, where the various languages did not bear the same affinities to Latin as do our present Indian vernaculars to Hindi. The cases being essentially different the above principle will not be applicable in our country. The other great difficulty would be that the genious of our people would in that case flourish in their local provincial languages, and shall not be

shared by the nation at large. mere dependence upon translations will at the very outset take away all chances of first-hand meeting : and thereby the very force of a national language practically comes to nothing. This cannot be considered very desirable.

Some are of opinion that the Grammar of Hindi should be further simplified and systematised. But I cannot agree with them to a great extent. On the other hand I feel no living and current language can be successfully bound down by the rigid rules of Grammar. Of course I do not mean by this to remove all grammar from Hindi language. All what I mean is to have the grammatical rules so elastic as to allow sufficient scope for the natural growth of our language so that it may also advance along with our thought and culture. Elasticity is the one virtue of the grammar of a living language, we would do well to revise Hindi grammar from this point of view, and be bold enough to weed out all such rules from it as are likely to hamper its progress and growth.

The second important question that arrests our immediate attention is that of the script. In the spread of education this problem is as important as that of a common language. Just as a nation needs one common language so does it also need a common script. It is some consolation indeed that our thinkers have taken up this problem in right earnest. But sometimes we come across some wiseacres who try to follow a very perverse course. Citing the instance of Turkey and posing the high sense of inter-

nationalism they try to substantiate the claims of the Roman script to be adopted as the national script for India. It were such people in the past who had vainly seen the dreams of making English the common language for India. If Turkey has adopted the Roman script probably because they had no option as is well known Turkey had no script of its own. They changed their Arabic script with the Roman, because the latter was found unquestionably the more scientific and useful than the former. But India fortunately does not stand in any such need. Devanagri, the time honoured script of India, is by far the richest in sound and in its innate scientific nature.

In its consistent simplicity and unmistakable character it is undoubtedly superior and incomparable to the Roman or for the matter of it with any other script of the modern languages. One of the greatest merits of the Roman script is considered to be the smaller number of its alphabets. But if the supporters of Roman look at this question a bit more dispassionately, they would come to the conclusion that Devanagri has practically the same number of alphabets as the Roman only if we separate the 'Sanjuktaksharas' (संजुक्तक्षर) from it. The joint sounds being the essential feature of the Indian languages they shall have to be provided for by any script adopted for the purpose. This leaves no superiority of lesser number of alphabets in the Roman either. Now comes the question of printing in which the Roman is supposed to provide greater facilities. But through the efforts of Mr. Govil, who has at last

invented an efficient Devanagri Linotype—our script has not failed to show its great possibilities and brilliant promise. As compared with the past strenuous efforts of the Roman printing our efforts are very recent. With this rate of progress we can safely hope to see the day when even for printing Devanagri alphabets may prove more suitable. To reject the script merely on the ground that it is not prevalent in the western countries, does not seem to be a sound logic, because we have to look to the facilities of our own people first. How many of us are destined to visit Europe or to come in direct contact with the western people? Surely the number of such people will always be much too insignificant to justify the adoption of the Roman script even at the cost of plunging such a vast nation into the very probable uncertainty of ever receiving the light of knowledge. Then again arises a pertinent question whether mere adoption of the western script will make all of us fit to master all the multifarious languages of the European countries? Such a supercilious preponderance of script over any language passes of a sane imagination.

The other remarkable merit of Devanagri script is that like Hindi language this also bears a very close affinity to the other scripts of India. In all of them practically there is no difference of sound. The main difference lies in the forms and shapes of the letters. But the broader similarities of these with the Devanagri, always make it easier to pick up. Thus we see that even the credit of preserving the

ancient Aryan letters also fell to the sweet lot of Hindi. This was another valuable service of the Nation and we shall indeed welcome the day when the whole nation will readily accept this old richly gifted Devanagri script for their common use; and make a clear advance in the progress of self-organization the dreams of which Hindi had seen a thousand years ago.

In such a short space I have tried to give a mere glimpse of the significant instances of national service done by Hindi since the time immemorial. It has more than proved its immense utility in respect of linguistic qualities—high literary standard and scientific script and it was only to meet that the nation should have adopted it as its common medium of expression. With its modern progressive tendencies it has fully established that even in the future it shall not fail nor falter to keep pace with the tremendous advancement of national culture and its enormous contributions to the literature of the world. (This address was delivered in Hindi at the annual function of Himachal Hindi Bhawan at Darjeeling on June 8, 1934.)

हिन्दी ही क्यों ?

 साहि और उन्मादमें उतना ही भेद है, जितना तर्क और कठमुलेपनमें। पहला जितना द्वितकर होता है, दूसरा उतना ही इनिकर। लेकिन मनुष्यकी इन दोनों प्रवृत्तियोंके प्रमाण सदाएँ ही मिलते रहे हैं। शान्ति और निमणिके सात्त्विक क्षणोंमें तर्क और उत्साह प्रबल रहते हैं; किन्तु अशान्ति और पोर, विनाशके समयमें यदि उन्माद या कठमुलापन ही जोर पकड़ता दीख पहै, तो क्या

आश्चर्य है! हिन्दी-भाषा और उसकी बोलियोंसे सम्बन्ध इसनेवाला आजका यह वेसिर-पैरका आनंदोलन इसका एक खासा नमूना है। प्रारम्भ तो इसका शामद छिसी बैठे-छाड़ेके मनवइलावधे ही हुआ था; लेकिन 'वृणियोंके मेलेमें सूखूवाले परिदूस'की तरह इसने तो विनाशकी उप्र लगाए ही पैदा कर दी हैं। बड़े-बड़े आचार्यों और महारथियोंको भी इस खिलवाहका विशेष धुआँ दृष्टिहीन सा किये डाल रहा है। सारी बहस कुछ इस उतावलेपनसे की जा रही है कि विवेक-शुद्धिका उसमें कहीं पता ही नहीं चलता। इस असामयिक और अकारण विष्वके दर्जाघरोंमें ऐसे मनीषी विद्वानोंको भी कमी नहीं दीख पहती, जिन्हें 'भाषा' और 'बोली' में क्या अन्तर है तथा इनका क्या पारस्परिक सम्बन्ध है, इसका भी ज्ञान नहीं। आए दिन ऐसे लेख पढ़नेको मिलते हैं, जिनमें यही पता नहीं चलता कि लेखक किसे और कब भाषा कह बैठते हैं और किसे बोली? उनके लिये 'भाषा', 'बोली' और 'ज्ञान' उनकी आवश्यकताके अनुसार अर्थ दिया करती हैं।

इस साधारण-से प्रश्नको लेकर भाषा-विज्ञानके तत्त्वोंकी लम्बी-चौड़ी विवेचना करनेका इस लेखमें न तो स्थान है और न आवश्यकता ही। खिद्दान्त-स्पष्टे इतना कहना पर्याप्त होगा कि 'भाषा' अधिक व्यापक संज्ञा है, जिससे समान स्पष्टाली विविध बोलियोंके समूहका ज्ञान होता है—यानी प्रत्येक 'भाषा' का संगठन समान स्पष्टाली बोलियों तथा उपबोलियोंको लेकर ही होता है। समान-स्पष्टाके प्रधानतः तीन आधार होते हैं—चब्द भण्डार, शब्द-प्रन्थन तथा शब्दोच्चारण। जिन बोलियोंमें इन तीनों अंगोंकी उचित समानता दीख पहती है, वे एक समूहके स्पन्दन संगठित हो जाती हैं। इसी समूहको भाषाकी संज्ञा दी जाती है। परन्तु 'भाषा'की परिपिण्डे प्रविष्ट होनेसे बोलियोंकी निजी विशेषतावें उस नहीं हो जाती और न उनका महत्व ही पट जाता है। पारस्परिक निकटता तथा अनेक अन्य प्रभावोंके कारण उनमें निरन्तर परिवर्तन भी होते ही रहते हैं, जिसे कमागत विकाश कहा जाता है। यही नेतृत्विक नियम है; अन्यथा 'प्राकृत' या 'अप्राकृत' का ही युग चल्य करता और आधुनिक बोलियों तथा भाषाओंका तो जन्म भी दायर न होता। यही भाषा-विज्ञानका मूल तथा सर्वेमान्य सिद्धान्त है। अब इसके अनुसार क्युँ 'बड़े

अगरेज की राय' का स्वण्डन होता है या किस 'महसिल्लत' या 'भाषाविज्ञानाचार्य' के मतका भण्डाफोड होता है, इसके सकोचके लिये गुजाइश नहीं।

उपर्युक्त कसौटी पर कहते ही देरतनेमें देर न लगेगी कि राजस्थानी, बुन्देली, यघेली या उर्दू आदि (उसके छद्मवेशमें अरवी या फारसी नहीं) हिन्दी भाषाकी परिधिमें आ जाती हैं या नहीं ? इन विविध बोलियोंकी साधारण-सी जाचसे पता चल जायगा कि सबका शब्द भडार या शब्द अन्यथ त्राय एक सा ही है। दस-पाँच लौकिक या देशज सत्ताओं या इनी गिनी कियाओंको छोड़कर राशा, रावनाम तथा कियाका सारा क्षेप एक ही है। विशेषण या किया विशेषणोंकी भी यही दशा है। कारक-चिह्नों तथा प्रयोगोंमें पूर्णी और पदिचमी बोलियोंमें अन्वर अधिक स्पष्ट है किन्तु समानता भी कम नहीं, क्योंकि इस भेदका आधार कोई नितान्त विदेशी प्रभाव तो है नहीं। इसका प्रधान कारण है विकास क्रमका अन्तर हो। युर्गकी पारस्परिक घनिष्ठाने इनमें एक स्वाभाविक सामजस्य भी स्थापित कर दिया है, जिससे हिन्दी भाषाके विस्तृत क्षेत्रके निवासी अपनी बोलियों बोलते हुए भी एक ही भाषा कुटुम्बके आग बने चढ़े आ रहे हैं। तुलनात्मक रूपसे उपर्युक्त तीनों भाषारोंमें उच्चारण भेद ही सबसे अधिक स्पष्ट है। इसका कारण प्रधानत व्यक्तिगत योग्यताओं पर निर्भर करता है। लेकिन केवल इतनेसे ही 'भाषा' और 'बोलीका' का सम्बन्ध तो विच्छिन्न नहीं हो सकता। यह बात इनी स्पष्ट है कि अनेक उदाहरणोंकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती, किन्तु फिर भी एक उदाहरण हम यहाँ देते हैं। एक क्लियाशील राष्ट्र सेवी सञ्चनों, जो राजपूतानेके निवासी तथा अपनी बोलीके परम पडित, प्रबल समर्थक एवं प्रेमी हैं, अपना लेख अपनी बोलीमें ही लिखना पसन्द किया है। उस महत्त्वपूर्ण लेखका आरम्भ इस प्रकार होता है—“आ बात तो दूसरा जगा दियोहा आकड़ों सूं समझमें आय सके है के राजस्थानी बोली बोल्यावाला गुजराती बगेरेसू बहोत ज्यादा तादादमें है। फेर काइ सबब है के भारताक्षीमें अखबार नहीं, किनाब नहीं और पोशालोंकी पढ़ाई भी धोरे-धीरे खतम होती दीखे है। जबाब है एक और वो ओं के मारवाड़ी कौमने अपने प्रणोंको ऐस नहीं !” (रा० सा० स० बुलेटिन न० ३, पृ० १०)

हिन्दी-भाषा-भाषी क्षेत्रके किसी भी ओनेका अपह व्यक्ति राजस्थानीकी उपर्युक्त उद्धरणको समझनेमें भूल न कर सकेगा। अब यदि यही अश 'साहित्यिक हिन्दी' में लिख दिया जाय, तो उसका रूप होगा—“यह चात तो दूसरी जगह दिये आकर्षों से समझनें आ सकती है कि राजस्थानी बोलने वाले गुजराती चर्गीरसे बहुत ज्यादा तादादमें हैं। किर क्या सच्च है कि मारवाड़ीमें अखबार नहीं, किताबें नहीं और पाठशालाओं (पोशालों) को पढ़ाई भी धीरे-धीरे खत्म होती दीखती है। जब एक—और वह है यह कि मारवाड़ी क्लौमें अपनेपनका ऐसा नहीं !” दोनों उद्धरणोंको देख कर समझनेमें देर न लगेगी कि हिन्दीका साहित्यिक रूप तथाक्षणित राजस्थानी 'भाषा' (?) का ही परिमाणित रूप है। या यह बहना भी उतना ही सही होगा कि राजस्थानी वाला 'साहित्यिक हिन्दी' का 'प्राकृत' रूप है। विचार करने पर यही पारस्परिक सम्बन्ध हिन्दीके साहित्यिक रूपका उसकी किसी भी अन्य बोलीके साथ दीख पड़ेगा। इतने पर भी ऐसे बुद्धि-विचारण देखे जाते हैं, जिन्हें पूछनेमें सकोच नहीं होता कि 'तब तो हिन्दीमें सब बोलियाँ ही बोलियाँ हैं, किर हिन्दी भाषा क्या है ?' उनके लिये उत्तर यही है कि शरीरमें नाक, कान, हाथ, पांव इत्यादि सब अग और अवयव ही तो हैं, किर मनुष्य कहा और क्या चीज़ है ?

अभी हाल ही में 'देशदूत' के द्वौलिङ्गोंमें पं० अमरनाथ मानने हिन्दीकी तीन समस्याओंको मुलझानेका प्रयत्न किया है। ऐस्तिन मुलझानेके इस प्रयत्नमें और कहे काल्पनिक समस्याएँ सामने आ गई हैं। भूलना न होगा कि यह ऐसे हिन्दीके एक प्रेमी, उसके परम सेवक तथा अन्यतम बल-स्तम्भका है। वे कहते हैं—“हिन्दी जिनकी मातृभाषा है, उन्हें विशेष सतर्क रहना चाहिये कि कहीं उनके दुश्मन और दृढ़पे राष्ट्रभाषा हिन्दीका शति न हो और राष्ट्रभाषाके प्रति अन्य जनपद-वासियोंमें उदासीनताका भाव न आ जाये। हिन्दीका द्वितीय इसमें हो है कि इसके प्रचारमें संघर्ष सहयोग प्राप्त हो। यदि किसी जनपद-निवासीके मनमें यह धारणा उत्पन्न हो गई कि उसकी मातृभाषाकी अग्रदृग्ना हो रही है अवश्य उसकी उम्मति और विकासमें भाषा ढाली जा रही है, तो इससे राष्ट्रभाषाकी हो शति होगी, क्योंकि कोई भी अपनी भाषृभाषाका निरादर नहीं होने देगा। और फिर भी ऐसी मातृभाषा

जिसमें सैकड़ों वर्षों से साहित्य पर्तमान है, जिसके बोलने और लिखनेवालों (१) की सख्त्या करोड़ों भी अधिक है और जिसकी लिपि भी भिन्न है। सच तो यह है कि हिन्दी-भाषियोंको प्रसन्न होना चाहिये कि अन्य जनपदीय भाषा-भाषी भी हिन्दीको राष्ट्रभाषा के उच्च पद पर गुशोभित करना अपना कर्तव्य समझते हैं ।”

कहना न होगा कि उपर्युक्त अशमें सबेतोंसे ज्ञातसे ज्यादा काम लिया गया है। चेतावनी भी अनावश्यक रूपसे कही दी गई है। ‘भाषा’ शब्दका प्रयोग यहाँ भी कुछ अमात्मक ही है—इशाचित् ‘बोली’ के अर्थमें ही उसका प्रयोग हुआ है। खैर, यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो इससे दो प्रश्न स्पष्ट उठ खड़े होते हैं— [१] हिन्दी (उसके साहित्यिक रूप) का विकास या परोक्ष रूपसे अन्य बोलियोंके विकासमें किसी तरह घातक सिद्ध हो रहा है? [२] हिन्दी-भाषाका राष्ट्रभाषा-पद पर आसीन होना उसकी योग्यता और उपग्रेडिताका फल है या उसके प्रति पक्षपात गा दयाका? बात यदि यहीं तक सीमित रहती, तब भी युरा न होता, किन्तु मातृभाषाओंके ‘अमान’, ‘घाधा’ और ‘निरादर’ की निर्मूल अशंकाका बारम्बार सकेत हिन्दी पर अनुचित एव अप्राप्यिक आक्षेप है। यह समझमें न आया कि ‘विद्यास-वाधा’ की उनकी अशका किसी बोली-विशेषके विकासके सम्बन्धमें है, या बोलीके साहित्यके विद्यासके सम्बन्धमें, या दोनोंके? यदि उनका अभिप्राय बोलीके विकाससे है, तो यहीं यह प्रश्न अनुचित न होगा कि ऐसी छिस कार्य प्रणालीकी ओर वे उंगली उठा सकते हैं, जिससे छिसी भी बोलीके—चाहे वह हिन्दी-भाषाके क्षेत्रको हो, चाहे बाहरकी—विकासको साहित्यिक हिन्दीके प्रचार-प्रसारसे बाधा पहुँची हो।

किसी बोली-विशेषमें—जिसकी ओर उनका सकेत है—आधुनिक साहित्य-रचना न होनेके कारण यदि वे आशक्ति दो उठे हैं कि धीरे-धीरे कहीं वह बोली छुप न हो जाय, या इसी परिस्थितिको उस बोली-विशेषके ‘विद्यास-वाधा’ का कारण समझते हैं, तो उनसे यह निवेदन कर देना आवश्यक है कि उनकी यह आशका या धारणा विलुप्त निर्मूल है। साहित्यका बोलीके लिये महत्व होते हुए भी अनुभव यही बताता है कि कोई भी बोली अपने जीवनके लिये साहित्यकी मोहताज नहीं। मैथिली बोलीको ही लिखिये। साहित्य उसका कई सौ वर्ष पुराना अवश्य है,

लेकिन क्या कोई कह सकेगा कि यदि वह साहित्य उसमें न होता, तो मैथिलीका भाज अस्तित्व ही न होता ? मर्दीकी जन सम्बन्धोंकी शिक्षा और अधिकारोंका अनुसार चिद कर देता है कि मिथिलामें मैथिली साहित्यके पढ़ने वाले गिने-चुने शिक्षितोंके बाहुबलके सहारे नहीं, बल्कि पढ़ी या वेग़दौ सारी जन-सम्बन्धोंके सहारे ही जीवित रहती चली आई है । तब शायद उनकी दूसरी आशका यह हो कि साहित्य-सज्जनके बिना उसके स्पर्में स्थिरता न आ सकेगी । यह आशका या स्थिरता देखनेकी अभिलाप्या तो और भी अनहोनी-सी चोज़ है, क्योंकि इसी भी बोलीका निरन्तर परिवर्तन —जिसे भाषा विज्ञान विकास कहता है—नैछणिक नियम है । साहित्य रचा जाय या न रचा जाय, विकास जन्य परिवर्तन तो होंगे ही ।

चारों ओरसे उप्र स्पर्में उठनेवाली 'बोली-ससार' की यह वेसुरों आवाज़ प्रत्येक बोलीका भाषा कहलानेका नया शौक इस बातका सकेत है कि किसी अज्ञात काशे लोगोंको 'बोली' सहा कुछ हीनतापूर्वक-सी जान पढ़ने लगी है । ऊर बताये गए भाषा और बोलीके पारस्परिक सम्बन्धके अनुसार तो यह नया जादा कुछ उस अज्ञानी बालकके उत्साह सा लगता है, जो पुर और देव का भेद न जाननेके कारण हठ करने लगे कि कह अपने नगर 'कानपुर' या 'नागपुर' को भारतवर्षकी ही तरह 'कानवर्ष' या 'नागपुर को भारतवर्षकी ही तरह 'कानवर्ष' या 'नागवर्ष' कहेगा । विविध बालियोंके भाषा कहलानेके इस नये उत्साहका प्रत्यक्ष कारण यह है कि हिन्दी के 'साहित्यक स्प से घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी वे अपनेको उसका आधार नहीं पातीं । इससे उन्ह निराशा होती है और उन्ह अपनी हीनता या उपेक्षाकी भाषका होती है, किन्तु यह कोरी अनित्ये अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि विचारपूर्ण विवचन स्पष्ट यता देगो कि हिन्दीके खेमकी कोइ भी बाली अपने मूल स्पर्में 'साहित्यिक-हिन्दी' नहीं मान ली गई है । उत्तर पश्चिमके कुछ जिले (बिजौर, मेरठ, अम्बाल क्षयादि) की बोलेका —जो सहीबोली कहलाती है—मूल दौचा ही साहित्यिक हिन्दी के लिए ले लिया गया है । किन्तु परिष्कारकी स्थाइमें बालक वह इतना अधिक म'झ छाल गया है कि अब हिन्दीकी कोइ भी बाली उसमें अपना प्रतिविम्ब गाँक देख सकती है । मैंनते मैंजटे साहित्यिक हिन्दीका यह स्व इतना अधिक निचरता

चला आ रहा है कि बपेली, सुन्देली, राजस्थानी या मैथिलीको छौन कहे, शायद वह दिन भी आ ही आयगा, जब बैंगला और गुजरातीको भी उसीमें अपना प्रतिनिष्ठा साफ़ दिखाएँ पड़ने लगेगा । तेजोसे टलनेवाला इन भाषाओंका आधुनिक साहित्यिक रूपको भी साहित्यिक हिन्दीका रूप दे देना प्राप्तः वैसा ही सरल होता जा रहा है, जैसा कि उग्र राजस्थानीका उदाहरण देकर दिखाया जा चुका है ।

यदि देशका राष्ट्रीय भविष्य उज्ज्वल है, तो वह युग दूर नहीं, जब भारतीय नवयुवक समझता एव स्वच्छताके बातावरणमें प्रान्तीयताके ओछे गर्दसे ऊपर उठ जायेंगे । उस समय आश्वर्य नहीं, यदि देशकी अन्य बोलियों पूर्वकालीन प्राकृतीकी भाँति अपने-अपने क्षेत्रमें फूलती-फलती रहें और परिष्कृत रूपमें हिन्दीकी साहित्यिक सम्पदा भारतके स्वर्ण-युगकी 'संस्कृत'की भाँति देशमें सर्वत्र मुलभ रहे ।

साधारण बोलचाल (अर्थात् प्राकृत) तथा साहित्यिक (अर्थात् संस्कृत) रूपोंमें ऐद संसारकी प्रत्येक भाषामें ही अनादि कालसे चला आ रहा है । शिख, सस्तुति एवं सम्यताकी आवश्यकताओंके कारण भाषा-क्षेत्रका यह प्रयोग एक अनिवार्य क्षिया है । कदाचित् यह चेतावनी भी असरत न होगी कि किसी स्थान-विशेषकी कोई बोली यदि किसी प्रकार स्वतन्त्र सत्ताका रूप धारण भी कर ले और चाहे कि अपने साहित्यका सूजन करके पूर्ण स्वाधीन हो जाय, तो उसे भी अपना एक 'परिष्कृत रूप' धारण करना ही पड़ेगा और विशुद्ध एक हृष्टपताका दावा व्यर्थ हो जायगा । बिना यथेष्ट परिष्कारके कोई भी बोली साहित्य-सूजनका माध्यम नहीं हो सकती । ब्रजभाषा ही कई सौ वर्षों तक हिन्दी-क्षेत्रके विस्तृत जन-समुदायके मानसिक एव साहित्यिक खजानेकी कुली बनी रही । सूर, तुलसी, नन्ददास और न-जाने कितने प्रतिभावान साहित्य-स्थानों द्वारा अमूल्य एव अजौकिक रखांकी सुष्ठि इसमें हुईं ; लेकिन क्या कोई भी विद्वान् यह कहनेका साहस करेगा कि साहित्यकी यह ब्रजभाषा ठीक बही थी, जो बोलचालकी थी ? जब यह हृष्टपता भाषा-क्षेत्रका नित्य धर्म एव नियम है, तो आजकी हिन्दीके प्रति ही यह शिकायत क्यों ? भाषाके 'साहित्य रूप' के समर्थनका यह अभिप्राय नहीं कि उसके प्राकृतिक रूपमें साहित्य-सूजन नहीं हो सकता या नहीं

हुआ है। वह अवश्य होता रहा है, आज भी हो रहा है और भविष्यमें भी होगा। परन्तु इसपर विचार करते समय भावोन्मेषकी अपेक्षा गम्भीर चिन्तनकी अधिक आवश्यकता है।

यदौ 'साहित्य' शब्द अथवा उसकी सामग्रीके तात्त्विक विवेचनकी धारणाकर्ता नहीं; लेकिन इस सम्बन्धमें भी हो मत नहीं हो सकते कि शुद्ध 'रसात्मक' या 'कलात्मक' रचनाएँ ही साहित्यकी सारी यौजी नहीं, वरन् उसका एक बहुत बड़ा भाग व्यावहारिक तःनको लेकर रचा जाता है, जिसे बौद्धिक साहित्य कहते हैं। या यो कहना चाहिए कि 'रसात्मक' साहित्य यदि 'दिल' की चीज़ है, तो 'व्यावहारिक' या 'बौद्धिक' साहित्य दिमापकी। इन दोनोंके साथ, साधन तथा लक्ष्य भी भिन्न होते हैं। भारतके प्राचीनतम साहित्यका इतिहास इष्टका साक्षी है कि विविध प्राकृतोंमें जितना भी साहित्य रचा गया, वह 'रसात्मक' या 'कलात्मक' ही था (और प्राकृतोंमें कहीं-कहीं तो इस कोटिका साहित्य बैज्ञान हो उछा है), लेकिन 'दिमापी' या 'बौद्धिक' साहित्यके लिए सकृतकी ही शरण देनी पड़ती थी। हिन्दीके युगका भी प्राचीन या मध्यकालीन साहा साहित्य प्राय रसात्मक, पद्यमय और विविध बोलियोंमें ही है। ही, ज्यों ज्यों ब्रजभाषा मैंजती गई, पद्य-संहिताके माध्यमके लिये वह अधिक उपयुक्त होती गई और सैकड़ों वर्षों तक हिन्दी-खेड़के मानसिक योग-दानका साधन भी बनी रही। परन्तु भूलना न होगा कि सैकड़ों वर्षोंका यह साहित्य मुख्याशामें 'रसात्मक' या 'कलात्मक' ही है, अन्य विषयोंको चौंके इनी-गिनी ही होंगी। यह आत केवल ब्रजभाषा-साहित्यके लिये ही नहीं, वरन् उन सारी बोलियोंके लिये भी सत्त है, जिनमें प्राचीन साहित्यकी रिंथि मानी जाती है। मैथिली भी इसका अवाद नहीं।

परन्तु ब्रजभाषाके उस विराट युगमें भी अर्थ बोलियोंमें लोग गाते, हँसते और रोते ही थे तथा चुहूकराजों और छोली भी करते थे। क्यों न करते, जब कि सच्चा रोना, सच्चा गाना और सच्चा हँसना दिलकी बोलीमें ही सम्भव होता है और घोरेषु वातावरणमें ही बन पड़ता है। कृष्ण जीन इसके अनुकूल नहीं। लेकिन यह भी तो कम सत्त नहीं कि आश्चर्य यह युग दिलकी अपेक्षा दिमापकी सत्ताका

अधिक क्षारल है। ‘दिमारी इस्क, दिमारी फूवत, दिमारी वर्जिश इत्यादिकी इस दिमारी हुनियामे दिलके लिये जगह ही कहा है और अगर है भी तो बितनी है’ इसीलिये इसे गदाका युग कहते हैं। हिन्दीके कर्णधारोंको इस आनेवाले युगकी सूचना मिल चुकी थी और उन्हें यह देखते देर न लगी कि गद्य-साहित्यके लिये व्रजभाषा या अन्य किसी बोलीकी अपेक्षा खड़ीबोलीका ढाँचा ही अधिक कामका होगा, और उन्होंने उसे वेखटके ले लिया तथा मौजकर अपने कामका बना लिया। नवयुगका यह दिमारी या बौद्धिक साहित्य अगमी अभिव्यक्तिके लिये प्रवाहपूर्ण, समर्थ एवं व्यापक अधीवाली शब्दावलीकी अपेक्षा करता है, जिसका निर्माण काल, विनिमय, सर्पर्य तथा पुष्ट परम्पराके साथ हुआ करता है। यह एक लम्बी साधना है। इसके लिये खरी स्वाभाविकताका मोह छोड़ना पड़ता है, कृत्रिमतान्याशके आवश्यक बन्धन सहर्य स्वीकार करने पड़ते हैं, भावोंका नियंत्रण रूपोंके सांचेमें ढलकर हँसते-हँसते अग-अग करवा देना पड़ता है; तब कहीं ‘साहित्यिक रूप’ का वरदान मिलता है। यह व्यापार बहुत सस्ता नहीं और न कम कष्टसाध हो है।

मैथिलेमें कदाचित् आधुनिक साहित्यकी अनुपजका कारण औरोंको समझ कर उन्हें उसकी उज्ज्ञति या विकासका बाधक समझना ज्ञा साहशका अनुचित भ्रम है। किसी बोली या भाषाकी साहित्य-सूचि किसी व्यक्ति या स्थायकी इच्छा या अनिच्छापर निर्भर नहीं हुआ करती, वरन् वह तो उसकी नित्री योग्यता एवं सामयिक प्रेरणाके अनुसार ही हुआ करती है। उसका प्राचीन साहित्य, जिसका उल्लेख बार-बार किया जाता है, प्रधानतः रसात्मक ही था और उस कोटिशा साहित्य आज भी रचा ही जाता होगा तथा भविध्यमें भी रचा जायगा। उसकी अपनी बहावतों एवं पहेलियांकी सुष्ठि होती रही है और सदा होती रहेगी। परन्तु जिसे दिमारी या बौद्धिक साहित्य कहा गया है, उसका मुजब सभी बोलियोंमें देखनेकी आशा सहित्यासे अधिक और बुछ नहीं है, क्योंकि इस समय सारी भारतीय भाषाओंमें हिन्दी ही सबसे अधिक प्रगतिशील तथा युग-प्रवाहके साथ चलनेवाली मानी जानी है। आधुनिक ससरके बौद्धिक योगदानका जितना अश हिन्दीके कोपमें आ चुका है, उतना अभीतक अन्य किसी भी भारतीय भाषाको प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु इसने

पर भी आए दिन हमारे विद्वान् एवं आचार्य यही कहते सुने जाते हैं कि संसारके साहित्यका हो प्रसन्न ही क्या, अग्ररेजीके मुकाबलेमें भी हिन्दी-साहित्य अभी बहुत पिछड़ा हुआ है और उपयुक्त भाषाकी नुस्खा इस पिछड़ेपनका मुख्य कारण है। यही आइलेक्ट्र देशकी शिक्षाके कर्णधार उसे शिक्षाका माध्यम स्वीकार करनेमें भी आनाकानी करते हैं। इतने समय, परिथ्रप और प्रधासके बाद प्रस्तुत किये गये हिन्दीके साहित्यिक रूपमें भी जब अभी इतनी न्यूनता है, तब अन्य बोलियोंको इसके बराबर लानेमें कितना अम लगेगा और उसके बाद भी किस हदतक सफलता मिल सकेगी, इसकी कल्पना कर लेना भी बुरा न होगा। यदि अन्य बोलियाँ भी बौद्धिक साहित्य-भवनके क्षेत्रमें अपनी तकदीर लड़ाना चाहती हैं, तो लड़वें ; परन्तु ऊपर कहो गई सारी परिस्थिति पर जरा ठड़े दिल्ले विचार कर लेनेके बाद, क्योंकि राष्ट्रकी शक्ति यदि व्यर्य, एवं निष्फल प्रयोगोंमें व्ययकी जायगी, तो वह उसका न केवल दुष्मयोग ही होगा, बल्कि हानिकर भी।

दूसरा प्रस्त जो भय साहबने उठाया है, वह स्पष्ट रूपमें यह है कि हिन्दीका राष्ट्रभाषा-पदपर आसीन किया जाना उसकी व्यापक सेवा-शक्तिका फल है या किसी पश्चपात-भावनासे प्रेरित होकर उसके साथ यह दया की प्राइ है ? इसपर विचार करने से पहले यह जानना होगा कि देशको राष्ट्रभाषाकी आवश्यकता ही क्यों पढ़ी और फिर उस राष्ट्रभाषाका पद जिस किसीकी संर्पागश, वह किन आधारों पर और क्यों ? क्या यह सत्य नहीं है कि देशको राष्ट्रीयताके सूत्रमें बंधनेके लिये वह अस्ती समझ गया कि सभ्य जीवनके प्रत्येक धारायक व्यापार-सचालन के लिये, पारस्परिक विचार-विनियन तथा प्रत्येक प्रकारके संगठनके लिये देशको एक जाम भाषाकी आवश्यकता है। इसके चुनावमें प्रधानतः दो बांडीका विचार धारायक था। एक-को बोलने और समझने वालोंकी सम्भ्या तथा दूसरी उपर्युक्त विचार-चाहनको योग्यता—नेसर्टिक सरलता और व्यापकता। सम्भ्याका प्रसन्न इसलिये था कि अधिक जन-सम्भ्या बांडी भाषा यदि नुनी जायगी, तो उसके सीखने वालोंकी संख्या कम होगी और इस तरह प्रचार एवं सागर्जन्य क्षम्य सरल हो जायगा और तुरत प्रारम्भ हो सकेगा। उसकी विचार-चाहिनी घुक्कि, सरलता और व्यावक्ताको देखना इसलिये आवश्यक था कि

किसी राष्ट्रके निर्णय, उसके संगठन तथा सचालनमें भाषाका बहुत बड़ा महत्व रहता है। तरह-तरहके जीवन-व्यापारोंका सम्बादन उसीके द्वारा होता है। यदि साध्यम निर्वल होया, तो काम ही कैसे चल सकता है? सरलताकी आवश्यकता इसलिये थी हि शिक्षणका कार्य आसानी तथा शोष्ट्रतासे हो सके। प्रायः वे सभी गुण हिन्दीमें पाये गए और इसीलिये राष्ट्रभाषा-विषयक देवार्दि उससे मार्गी गईं। वधाराफि वह उस देवार्दि रह तै है और निरन्तर अपने-आपको उसके योग्य घनाती हुई वह उसके अधिकाधिक उपयुक्त होनेका अपना विषय करती ही जा रही है। अतः यहाँ द्या अधवा गर्वका प्रदन ही कहाँ उठता है?

निर्यक भ्रम या प्रमादवश ही यदि कोई जन-समूह हिन्दीसे विमुख हो जायगा या उसे न सीखना चाहेगा, तो उससे भा साहबको शका होती है 'राष्ट्रभाषाकी क्षतिकी'! किन्तु जैसा कि जार कहा गया है, भ्रम या प्रमादके कारण यदि कोई हिन्दी न सीखेगा, तो क्षति अपनी ही करेगा, क्योंकि उसे समझित और समुचित राष्ट्र के विविध लाभोंसे बचित रह जाना पड़ेगा और उसका पूर्ण अंग भी न बन पायगा। इसमें राष्ट्र-भाषा हिन्दीकी कौनसी क्षति होगी? अ-हिन्दी-भाषी जब हिन्दी सीखें, तो उनकी धारणा क्यों होनी चाहिये कि वे हिन्दी पर या हिन्दी बोलने वालों पर कोई अहसान कर रहे हैं? उचित और विवेकपूर्ण सम्बन्ध तो होता चाहिये कि अ-हिन्दी-भाषी राष्ट्र-संगठनके लिये हिन्दी सीखें और हिन्दी-भाषी राष्ट्र-सेवाकी भावनासे उनका स्वागत करें। सच तो यह है कि राष्ट्र-भाषाके पद पर आसीन होनेमें गुह्ता अधिक है और गर्वकी सामग्री बहुत कम।

जब स्थिति इतनी स्पष्ट है, तो फिर बोलियों और जनपदोंको लेकर यह तुमुल आन्दोलन क्यों? वास्तवमें इसके पीछे तीन प्रकारको मनोवृत्तियाँ काम कर रही हैं। एक प्रमुख दल तो ऐसे व्यक्तियोंका है, जिनके जीवनका पेशा ही 'लीडरी' है। यह लोग विना किसी आन्दोलनके रह नहीं सकते। दूसरा दल ऐसोंका है, जिनका भ्रम है कि हिन्दीको राष्ट्रभाषाका महत्वपूर्ण पद केवल उसकी जन-सख्याके आधारपर मिल रहा है। जे खोचते हैं जोलियोंकी स्वाधीन सत्त्वा प्रायम होते ही यह सामृद्धिक जन-सख्या विभाजित होकर अपने-आप रम हो जायगी और तब बोलने-

बालोंकी संख्याके अधारपर शायद किसी प्रान्तीय भाषाको राष्ट्रभाषा घनानेका मौका मिल जाय और भाग्य खुल जायें । किन्तु यह दुराशा व्यर्थ है, क्योंकि सभी प्रान्तीय भाषाएँ बोलियोंके समूहपर ही निर्भर हैं, अतः उस प्रकारका विभाजन तो बहाँ भी हो जायगा । इसके अतिरिक्त खाली राष्ट्रभाषाका सेहरा पहननेसे ही तो उछ न होगा ? उनमें वह योग्यता, वह ध्यापकता तथा वह सेवापटुता कहासे आयगी, जो एक लम्बी परम्पराके बाद हिन्दीमें अट्ठे है । तीसरा दल उछ उन भोजेभाषे व्यक्तियोंका है, जिनमें ज्ञान और विवेककी अपेक्षा जोश अधिक है, जिसके कारण छोटो-से-छोटी वास्तविक या काल्पनिक आदाका भी उँह विचलित कर देती है, और वे दीड़ पहते हैं । अन्यथा इस दिशामें न तो किसी आन्दोलनकी गुंजाइश है, न असमय विष्ववक्ती आवश्यकता ही । हमें आशा है, देशवासी अपनी विवेक-बुद्धिसे काम लेंगे और जट्टबाजीमें अपने परिवर्त दो कुत्ताहाना न चला देंगे ।

(विशाल भारत, अप्रैल १९४४)

भाषाके डिक्टेटर

इश्वरने मनुष्यको युद्धी और तर्कशक्ति इसलिए दी कि वह सत्यका अधिकर्ते अधिक अन्वेषण कर सके और असत्यके अन्धकारसे सत्यके प्रकाशमें आ सके । परन्तु उसकी आपार सृष्टिमें कुछ ऐसे अन्धकार-प्रेमी जीव भी निरन्तर देखे जाते हैं, जिन्हें प्रकाशसे सरासर धृष्णा है । उनकी एक विशेषता यह है कि वे औरोंको भी प्रकाशमें देखना पसन्द नहीं करते । इसका एक ज्वलन्त प्रमाण डा० ताराचन्दका वह चित्र है, जो उन्होंने हिन्दीकी अपनी जानहीनताको छिगानेके लिए 'विश्वाणी' अन्तर्राष्ट्र, १९४४ में प्रस्तुत किया था । आपकी सचसे बही खोजकर पहला नमूना यह है ... 'उसका (उर्दू) साहित्य हिन्दीके साहित्यसे बहुत पुराना है ।' और दीक इसीके बादके यास्यमें आप देखते हैं—'उर्दू हिन्दू-मुसलमानोंके मेल-जोलसे बनी है ।' यह समझमें नहीं आता कि डाक्टर यादवकी पहली चिकिठीक है या दूसरी । यदि उर्दू हिन्दू-मुसलमानोंके मेल-जोलसे बनो है, तर तो इसका अस्तित्व १५ बीं शताब्दीसे पहले सम्भव नहीं जान पहला; क्योंकि इसके पहले यो —जैसा कि

उद्दे॒ साहित्यके इतिहासकार बाबूराम सवसेना तथा शावू ब्रजरमणास और अन्य कई मुसलमान लेखकोंने भी कहा—सामाजिक अथवा राजनीतिक परिस्थितिमें इतनी धान्तिका वातावरण स्थापित ही नहीं हुआ था कि हिन्दू और मुसलमानोंके पारस्परिक मेल-जोलकी वह स्थिति पेदा होती, जिसके द्वारा दोनोंमें सास्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हो सकते। उद्दे॒के सर्वप्रथम कवि मुहम्मदकुल्लो कुतुबशाहका समय भी १५५० के लगभग माना जाता है; लेकिन हिन्दी साहित्यका काल तो यारहवीं शताब्दी माना गया है। ‘रासो’-साहित्य तथा ‘नूरक-चन्दा’की प्रेम कहानी उपर्युक्त कथनके प्रमाण हैं।

दाक्टर साहबकी भाषा-विषयक परिभाषा भी कम मौलिक नहीं है। आप कहते हैं—‘भाषा यानी अद्वकी ज्ञान।’ तब प्रश्न उठता है कि जो आपके ‘अद्व’ के दायरेके बाहर है, वे या तो शायद गूँगे हैं या उनका गाव-प्रकाशन भाषा द्वारा न होकर शायद इशारेके सहारे ही होता होग। अपनी इसी मौलिक परिभाषाके अनुसार डा० ताराचन्द्र साहब १९ वीं सदी से पहले हिन्दीका ‘नाम और निशान’ भी नहीं पाते। अपनी इस नई खोजके समर्थनमें डा० साहबने जो कुछ लिखा है, वह कुछ इस ढंगसे है, मानो डा० साहबकी अपनी ही खोज हो। किन्तु यदि कुछ अधिक ईमानदारीसे काम लेकर डा० साहब कह देते कि यह जूहन उन्ह सर जार्ज मियर्सनकी मेज परसे प्राप्त हुई है, तो वे इस अज्ञानके टीकेसे बच जाते। दि मार्डन बर्नार्ड्यूलर आव हिन्दुस्तान’की भूमिकाके २२ वें पृष्ठ पर सर जार्ज मियर्सनने लिखा था—“१९ वीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें अप्रेजेंट द्वारा हिन्दी भाषाका आविष्कार हुआ और सर्वप्रथम १८०३में गिलकाइस्टकी अध्यक्षतामें काम करनेवाले लख्नऊलालग्ने उसमें गद्य-चना की। इसीके आधारपर डा० ताराचन्द्र साहबने अपने मौलिक ज्ञानका थ्रेय अर्जन करनेकी चेष्टा की है। परन्तु स्वयं मियर्सन साहबको उपर्युक्त कथनके बाद ही अपनी भूलक्षण पता चल गया और १९१८ के ‘बुलेटिन आफ दि स्कूल आफ ओरियप्टल स्टडीज़’में उन्होंने लिखा था—“× × × अथवा उच्च हिन्दीका वर्तमान रूप उत्तरी दोभाषकी उसी फारसो-विहीन भाषाका परिवर्तित रूप है, जिसका फोर्ट विलियम कालेजके अध्यापकोंने प्रयोग किया था। इसी विचारका समर्थन करते

हुए बरुनिकोबमें भी कहा है—“सड़ी बोली स्थानीय बोलियोंमेंसे एकके आधार पर उनी स्वतन्त्र भाषा है। अतः डा० साहबने यदि उस पुरानी जट्ठके ही अपनेको सन्तुष्ट न कर इस बादके कथन पर भी ध्यान दिया होता, तो शायद मौलिकताकी इस फजीहतसे बच जाते, क्योंकि हिन्दी (सड़ी बोली)—जिससे उनका तात्पर्य है, उसका वैज्ञानिक आधार—विजनौर इलादिके आस-पासकी खोली है, जिसका समय सधा जिसके विकासका कम प्रावृत्त खेलीके अनुसार लगभग उतना ही प्राचीन ठहरता है, जितना हिन्दी-भाषाकी किसी अन्य बोलीका (Urdu the name of a language, JRAS, 1930.) अतः हिन्दीको १९ वीं शताब्दीकी उत्तर बताना मौलिकताकी परमाणु है। उसपर भी तुर्ग यह है कि यह निष्कर्ष डाक्टर साहबने ‘उड़ दिलसे गौर’ करनेके बाद निकला है।

पजाय, पश्चिमोत्तर सरहदी प्रान्त, सिन्ध और काश्मीरमें उर्दूकी अनिवार्य शिक्षा के विरुद्ध जो आन्दोलन किया गया है, उसकी आलोचना करते हुए अपने दक्षिण-भारतमें हिन्दी-प्रचारको नैतिकताको अन्यायपूर्ण ठहरानेली चेष्टा की है। अपनी इस अकाल्य दलील पर डा० साहबका हृदय दर्शन्नामादसे एक रुणके लिए विहृत हो गया हो, तो कोई आश्वर्य नहीं। परन्तु डाक्टर साहब यह भूल गये कि प्रस्तु राष्ट्र-भाषाका है, हिन्दी, उर्दू या अन्य किसी भाषाका नहीं। दक्षिण-भारतमें हिन्दी या हिन्दुस्तानीका प्रचार राष्ट्रभावनाकी दृष्टिसे तथा वहाके निवासियोंकी इच्छाके अनुसार किया गया था और आज भी किया जाता है। परन्तु पजाब या सिन्ध या पश्चिमोत्तरान्तमें उर्दूके प्रचारके पीछे राष्ट्रभाषासे किसी पवित्र सिद्धान्तका बल नहीं था। योक कसौटी तो यह होती है कि वे दक्षिण-भारतीयोंसे ही यह पूछनेला साहस करते कि राष्ट्रभाषाके नाते वे उर्दू पढ़ना चाहते हैं या हिन्दी? इसके उत्तरसे शायद डाक्टर साहबको ‘आंखमें रोड़ा या किकरी’ ठोड़-ठोड़ सुनने लगतो।

डाक्टर साहबकी भाषा-विद्यानकी ‘निषाद’ भी अत्यन्त प्रशसनीय है। अपनी इस निषादसे आप ‘हिन्दी, उर्दू और यस्तुतके सम्बन्ध पर’ गौर करने चले, तो तुरत आ गये अंडर-विज्ञान पर और बहस करने लगे ‘पुनियों’ (प्यनियों नहीं) पर। शायद इसी तरह—शैदिक कल्याणविद्योंसे प्रेरित लोगोंके लिये ही कहीरने वाला

है—‘आये थे हरिभजनको, ओटन लगे कपास !’ भाषा-विज्ञान और अक्षर-विज्ञानके उनके ज्ञानकी भालोचना करनेकी विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस सम्बन्धमें ‘सरस्वती’ (भाग ४६ संख्या ५, पृष्ठ २२१ से २२४) में प्रयाग-विश्वविद्यालय के श्री श्यामनारायणने बड़ी योग्यतापूर्वक डा० ताराचन्दकी आंखें खोलनेकी चेष्टा की है। पर अपने प्रधासमें वे कहाँ तक सफल होगे, यह कहना कठिन है ; क्योंकि सोतेको जगाया जा सकता है, लेकिन जागतेको कोइं कैसे जगा सकता है ? आप बार-बार यह कहते नहीं थरते कि अनेक प्रकारसे (व्याकरण इत्यादिकी दृष्टिसे) हिन्दी सस्कृतकी अपेक्षा उर्दूके बहुत निकट है। लेकिन क्या यह भी बताना होगा कि उर्दू अपने अविकृत रूपमें आखिर हिन्दीकी ‘महफिली शौली’ के अतिरिक्त और है ही क्या ? डा० ताराचन्दका कहना यह है कि ‘१५ वीं सदीसे १८ वीं सदीके आखिर तक उर्दू ही हिन्दू-मुसलमान शिष्टोंकी भाषा थी।’ कुछ अशोर्में रात्र भी होता, यदि वे ‘उर्दू ही’ न कहकर ‘उर्दू भी’ कहने की शिक्षा दिखाते। जिस उर्दूसे डाक्टर ताराचन्द साहबका अभिप्राय है, वह पजाब और सयुक प्रान्तके शहरों और देहाती रईसों के दोवानखानोंको छोड़कर शायद ही कहो सुनाई पढ़ती रही हो। और वहाँ भी हिन्दुओं द्वारा इसका व्यवहार जिस मनोरुति के कारण होता रहा है या आज भी होता है, वह अभी हाल ही में कहे गये महात्मा गांधीके वाक्योंमें सजीव हो उठी है। सरदरी गांधी खान अंदुलगप्पकार जॉ पिछले दिनों जब महात्माजीके साथ ठहरे हुए थे, तब महात्माजीने उर्दूकी आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा था—‘मुझे ही देखो, अब अपने दोस्तके साथ, जिनकी भाषा सरासर उर्दू है, क्या मैं सस्कृतपूर्ण हिन्दी में बातचीत करूँगा ?’ यह भावना थी महात्माजीके सहज सौहार्दको। डा० साहब तो सयुक प्रान्तके निवासी हैं। वहाँके निवासियों की यह जन्मजात परम्परा रही है कि वे आगन्तुककी सुविधा-असुविधाके स्थानसे कभी निरिवन्त नहीं होते। उनकी यह सतत चेष्टा रहती है कि आगन्तुक का स्वागत एव सत्कार जहातक सम्भव हो, उसीकी भाषा में तथा उसीके सदाचारके नियमोंके द्वारा करे। इसका प्रमाण यदि देखना हो तो दूर न जाना होगा। सयुक-प्रांतके हिन्दो-भाषा-भाषी निवासी जब कभी किसी अन्य भाषा-भाषीसे

मिलते हैं, तो उनकी सतत चेष्टा यदी रहती है कि वे यथा-शक्ति उसीकी भाषा में या उससे मिलती-जुलती किसी दूसरी भाषामें उससे बातें करें। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जा सकता कि उनके पास अपनी कोई भाषा ही नहीं, या विचारों एवं भावोंकी अभिव्यक्तिके लिये वे अन्य भाषाओंके मुद्राजान हैं। उनके इस सौजन्य या शिष्टतासे यदि किसीको कुतकों को प्रेरणा मिलती है, तो वह उसके विकृत मस्तिष्कका ही परिणाम कहा जायगा।

हिन्दुस्तानोंकी परिभाषा देते हुए आप कहते हैं—‘हिन्दो-उर्दूके बीचकी ज़बानका नाम हिन्दुस्तानी है।’ यों तो उस्युक परिभाषा अर्थ हीन-सी जान पड़ती है, क्योंकि जैसा आधुनिक कालके हिन्दो-भाषाके पड़ितों (बेली, रामचन्द्र शुक्र, श्यामसुन्दर दास, सुनीति बाबू आदि) ने माना है कि उर्दू हिन्दीकी एक शैली मात्र है। अतः उर्दू और हिन्दीको भाषाको दो सीमाएँ मानना भ्रमसे खाली नहीं। उस्युक परिभाषाकी टीका करते हुए आ० ताराचन्द स्वयं कहते हैं कि....‘लिखावटका दग चलाएँ, जिसमें अफातमरे न हो, जो ज्यादासे ज्यादा हिन्दुस्तानीयोंकी समझमें आ जाय और जिसमें अपनी असली धुनिधारा और ग्रामरके विधमोंके मुताबिक ल्यर्जोंका इस्तेमाल हो।’ इस टोकार दण्डि ढाली जाय, तो ‘धुनिधारा’ (ध्वनियोंका सम्बन्ध तो उच्चारणसे है। अतः ‘धुनिधारा’ प्रयोग कवित्वकी कलाकारीके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं) से सकेत है कि उच्चारण-प्रणालीकी ओर और ‘प्रामरके नियमों’ से भाषाके दाचेकी ओर। ‘ज्यादासे ज्यादा हिन्दुस्तानीके समझमेंकी दुश्हरे देकर परामर्श किया गया है भाषाको सरल बनानेका। यह सत्यरामर्द्द सुनते-सुनते, हिन्दीवाले तो कमसे कम उन्हें तुके होंगे। इन कोरे उपदेशकोंसे यह कहना अनुचित न होगा कि ‘सरल और कठिन’ यह दोनों सापेक्षिक शब्द (relative terms) हैं। इनका दायित्व केवल लेखक पर ही नहीं, पाठककी योग्यतासे भी गहरा सम्बन्ध रखता है। कितनी ही सरल भाषा क्यों न लिखो जाय, शब्द चाहे जितने सोधे-सादे क्यों न हों, भाव कितने ही सरष क्यों न हों; किन्तु यदि पाठक महोदय भाषा-ज्ञानसे कंरे हैं, प्रयुक्त घन्द उनकी सकीं ज्ञान-परिविके बादकी चोज़ है, तो सरलसे सरल भाषा तथा साट-से-साट भाव भी उनके लिए कठिन ही

प्रतीत होगे । आज कलके सरल भाषाके हमारे वे उपदेशक प्रायः उग्रुंक कोटिके ही व्यक्ति हैं । जितनी हिन्दी उन्होंने सोखी है, अथवा जितना संकीर्ण उनका हिन्दी-शब्द-भडार है, उस दिसायदे तो हिन्दीका कोई लेखक शायद ही कोई ऐसी चीज लिख सके, जो सुरल कही जा सके । ऐसे व्यक्तियोंमें मानसिक आलस्य इतना अधिक होता है कि वे स्वयं अपने शब्द-भण्डारको बढ़ानेको अपेक्षा इसी टुकड़में रहते हैं कि प्रत्येक लेखक केवल उतने ही शब्दोंमें सब फुछ लिखनेको चेता क्यों नहीं करता, जो इनके शान-कोपकी निधि हैं ? इनमा सरलता अथवा कठिनताका मापदण्ड अरना निच्छी ज्ञान अथवा अरना ही हुआ करता है । इस कोटिके व्यक्ति कुछ ऐसे ही होते हैं, जो भारतकी दीन दशापर दुखी होकर आसू बहाते हुए बात-बातपर कहा करते हैं कि भारतको अपने सुधारके लिये आवश्यकता है एक डिक्टेटरकी । किन्तु वह डिक्टेटर नहीं हो सकते—महात्मा गांधी, जवाहरलाल, यह या वह ; वरन् सचा डिक्टेटर तो बैठा है आपके सामने ।

‘विशाल-भारत’ से
(विश्ववन्मु २३ जुलाई १९४५)

हमारी भाषा और लिपिकी समस्या

सहरा सबाल उठता है कि हमारी भाषा और लिपिका प्रश्न आज इतना उप क्यों हो रठा है ? पर-परमपर आदरणीय मदात्माजीका नाम इस द्वन्द्वके साथ लुहा लेखकर तो आइचर्यको सीमा नहीं रहती । भारतकी एकता आज खतरे में हो सकती है ; परन्तु वह युगोंसे अद्युत्तम थी, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता । इतने बड़े देशके विशाल जन-समूहको युगोंतक अदि सरकृत भाषाने एक सूक्ष्ममें धोंधकर रखा था, तो उसके बाद धन्य देशी भाषाओंने भी अपनी-अपनी सीमाओंमें अपने उत्तर-दायित्वका समुचित निर्वाह किया था । उत्तर और दक्षिणकी भाषाओंमें ‘कुलभेद’ होते हुए भी सरकृतके परम्परागत प्रभावने उन्हें एक दूररेते बहुत पृथक नहीं होने दिया था । सास्कृतिक तथा धार्मिक एकताके कारण आजसे सदियों पहले भी भारतीयोंका अन्तप्रान्तीय सम्बन्ध कम घनिष्ठ न था । उस समय भी पारस्परिक

प्रतिपादन अखीके ही माध्यमसे होता है। उच ही पर्मों पढ़े अखीमें लिखे गये वुरवानदा उद्देश्य तजुमा रखा भी कुप्रसे कम न था। हिन्दीमें तो सहजता प्राचीन साहित्य—कथा धार्मिक और कथा अन्य—ग्रायः सभी आ चुम्हा है; किन्तु उद्दू तो आज भी इस्लामके क्षेत्रमें पूर्ण प्रवेश नहीं या उठी है। काव्य-प्रधान उद्दूका साहित्य विचार-परम्परा, काव्य-प्रणाली, एव सास्कृतिक युद्धभूमिके लिये अखी की अपेक्षा फारसीका अधिक कृती है। आजके उच अनुवादोंको ऑडकर ग्रायः सारा उद्दू-साहित्य दर्जन अध्या अध्यात्मकी अपेक्षा बुद्धिवादसे ही प्रेरित है। किन्तु धर्मका गूल तो तर्क नहीं, विद्यास है। अतः उद्दू भाषा या साहित्यके दामनमें धर्मको या इस्लामी सास्कृतिको आधार या हिन्दू धर्मका गंठनन्धन फरजा दिवित नहीं।

जैसा कि जार कहा जा चुका है, धर्म एव सास्कृतिकी सात्त्विक भावना तो सुरक्षित रहनी ही चाहिये। न केवल हिन्दू या मुसलमानों ही के लिये, वरन् अन्य सम्प्रदायोंके लिये भी इसी नीतिका अनुसारण होना चाहिये। राष्ट्रके नवनिर्माणमें अनिवार्य शिक्षकका नियम तो होगा ही। उपर्युक्त उद्देश्यकी वास्तविक पूर्तिके लिये यह आवश्यक होगा कि शारीरिक शिशा-क्रममें ही हिन्दू भालूओंके लिये प्राथमिक सकृत, मुसलमान बच्चोंके लिये प्राथमिक फ़ारसी या अखी उसी प्रकार अन्य सम्प्रदायोंके बच्चोंके लिये उनके धर्म प्रन्थोंको भाषाका प्राथमिक ज्ञान अनिवार्य कर दिया जाय। ऐसा करनेसे आगे चलकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार वे बालक इस ओर वह सकौ, क्योंकि धार्मिक अध्या सास्कृतिक सरकारोंका बीजारोपण तो ही ही चुकेगा। इस प्रस्तावमें शायद किसीको दक्षिणामीपनको नु आरे, परन्तु ऐसोंके लिये तो शायद धर्मकी चर्चा भी दक्षिणामीपनही खालो नहीं। यदि बच्चोंमें धार्मिक प्रतिरक्षणीय है, तब तो उपर्युक्त प्रस्तावके अतिरिक्त और कोई व्यावहारिक निरापद मार्य नहीं, क्योंकि इस प्रकार राष्ट्रके बच्चामें विविध धर्मों एव सास्कृतियोंके सम्मान तो जावत होंगे ही, शायदी-शायद विविध मूल-भाषाओंका परिचय उनके आपुनिक भाषा-शास्त्रको नीवको भी अधिक मुद्द़ करेगा। इस तरह आपसके अवावश्यक सशम प्राप्त हो जायेगे।

व्यवहारके लिए मध्य-उत्तर-भारतकी प्रचलित भाषा ही काममें लायी जाती थी। इसका प्रमाण आजसे लगभग ४०० वर्ष प्राचीन कागज-पत्रोंसे चल सकता है, जो आज भी जगज्ञाधिकुरी तथा रामेश्वरके पुछ पण्डिके पास सुरक्षित हैं। यदि उस समय धार्मिक, व्यावसायिक कारणोंसे हमें अन्तप्रान्तीय सम्बन्ध रखापित करनेके लिये एक चालू भाषाकी आवश्यकता पड़ी थी, तो आज प्रधानत राष्ट्रीय सन्देशके प्रचार एवं विद्वारके लिये देशव्यापिनी साधारण भाषाकी आवश्यकता आ पड़ी है। ऐसे इतना हो है कि आजका वातावरण राजनीति, कूटनीति इत्यादि विविध मत-मतान्तरोंके विवाह वायुसप्तरिसे दूषित है। किन्तु उस समयके लोगोंकी भावना अधिक पवित्र थी। प्रत्येक वस्तुका प्रहण अथवा त्याग उसकी न्यायोचित उपयोगिता अथवा अनुपयोगितापर निर्भर हुआ करता था।

भाषा घनाम धर्म—

आजकी भाषा-विषयक समस्या साम्प्रदायिक पक्षपातोंके कारण और अधिक जटिल हो उठी है। आज प्रायः धर्म और सस्कृतिकी आङ लेकर ही भाषाके प्रश्नपर विचार किया जाता है। भारतवर्ष सदासे धर्म प्राण देश रहा है। प्राचीन सस्कृतिकी प्रतिष्ठा यहाँके जीवनकी विशेषता रही है। देशके अन्य नेता धर्मके प्रदर्शनसे उदासीन रह सकते हैं, परन्तु अद्वेय महात्माजीके जीवनमें यह सदासे ही प्रसुच रहा है। भाषा और लिपि ही क्या, शायद राष्ट्रीय चर्योगके किसी पगार भी उन्होंने धार्मिक चेतनाको गौण नहीं होने दिया। इस दृष्टिकोणकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। किन्तु धर्मके साथ उर्दू या हिन्दीको अनिवार्य स्पष्ट जोखना कहाँतक न्याय सगत है, यह प्रदर्शन विचारणीय है।

सैकड़ों वर्षों से भारतके एक बड़े जनसमुदायकी विचार धारा हिन्दीमें ही प्रवादित हुई है। मध्य युगकी सूर, तुलसी और कबीर जैसे महात्माओंकी वाणी धार्मिक उपदेश ही है तथा उनको पूजा भी उक्ती प्रकार होती है, फिर भी हिन्दुओंकी धार्मिक भाषाका पद आज भी देववाणी सस्कृतके द्वारा ही सुरोगित है। सभी पुण्य कार्योंके अवसरपर मन्त्रोच्चारण सस्कृतमें ही होता है। इसी प्रकार मुसलमानोंके धार्मिक मन्त्र भी सब अनिवार्य स्पष्ट अरबीमें ही हैं और उनके सभी धार्मिक कृत्योंका

प्रतिपादन अर्थीके ही माध्यमसे होता है। कुछ ही वर्षों पहले अरबोंमें लिये गये कुरआनका उर्दूमें तजु़मा करना भी कुमरे कम न था। हिन्दीमें तो संस्कृतका प्राचीन साहित्य—क्या धार्मिक और क्या अन्य—प्रायः सभी आ चुका है; किन्तु उर्दू तो आज भी इस्लामके द्वेशमें पूर्ण प्रवेश नहीं गा सकी है। काव्य-प्रधान उर्दूज्ञ साहित्य विचार-परम्परा, काव्य-प्रणाली, एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमिके लिये अरबों की अपेक्षा फारसीका अधिक अच्छी है। आजके कुछ अनुशासोंको छोड़कर प्रायः सारा उर्दू-साहित्य दर्शन अथवा अध्यात्मकी अपेक्षा बुद्धिवादसे ही प्रेरित है। किन्तु धर्मका गूल तो तर्क नहीं, विश्वास है। अतः उर्दू भाषा या साहित्यके दामनमें धर्मको या इस्लामी संस्कृतिको बांधना या हिन्दूके साथ हिन्दू धर्मका गंठबन्धन करना उचित नहीं।

जैसा कि कार कहा जा चुका है, धर्म एवं संस्कृतिकी सांत्वक भावना तो सुर्खित रहनी ही चाहिये। न केवल हिन्दू या मुसलमानों ही के लिये, बरन अन्य सम्प्रदायोंके लिये भी इसी नीतिका अनुसरण होना चाहिये। राष्ट्रके नवनिर्माणमें अनिवार्य शिक्षाका नियम तो होगा ही। उपर्युक्त उद्देश्यकी वास्तविक पूर्तिके लिये यह आवश्यक होगा कि प्रारम्भिक शिक्षा-क्रममें ही हिन्दू बालकोंके लिये प्राथमिक संस्कृत, मुसलमान बच्चोंके लिये प्राथमिक फारसी या अरबों उसी प्रकार अन्य सम्प्रदायोंके बच्चोंके लिये उनके धर्म-ग्रन्थोंकी भाषाका प्राथमिक ज्ञान अनिवार्य कर दिया जाय। ऐसा करनेसे आगे चलकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार वे बालक इस ओर बढ़ सकेंगे; क्योंकि धार्मिक अथवा सांस्कृतिक संस्कारोंका वीजारोपण तो हो ही चुकेगा। इस प्रस्तावमें शायद किसीको दक्षियानूसीपनकी बू आये; परन्तु ऐसोंके लिये तो शायद धर्मको चर्चा भी दक्षियानूसीपनसे खाली नहीं। यदि बच्चोंमें धार्मिक प्रश्नति रखनी चाहनीय है, तब तो उपर्युक्त प्रस्तावके अतिरिक्त और कोई व्यावहारिक निरापद मार्ग नहीं, क्योंकि इस प्रकार राष्ट्रके बच्चोंमें विविध धर्मों एवं संस्कृतियोंके संस्कार तो जाग्रत होने वाले ही, साध-दी-साध त्रिविध मूल-भाषाओंका परिचय उनके आधुनिक भाषा-ज्ञानकी नीवको भी अधिक सुहड़ करेगा। इस तरह आपसके अनावश्यक संशय भी दूर हो जायगे।

ध्यवद्वारके लिए मध्य-उत्तर-भारतकी प्रचलित भाषा ही काममें लायी जाती थी। इसका प्रमाण आजसे लगभग ४०० वर्ष प्राचीन कागज-पत्रोंसे चल सकता है, जो आज भी जगज्ञापुरी तथा रामेश्वरके कुछ पट्टोंके पास सुरक्षित हैं। यदि उस समय धार्मिक, व्याख्यातिक छारणोंसे हमें अन्तश्रान्तीष्ठ सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये एक चालू भाषाको आवश्यकता पड़ी थी, तो आज प्रधानतः राष्ट्रीय सन्देशके प्रचार एवं विस्तारके लिये देशव्यापिनी साधारण भाषाकी आवश्यकता व्या पड़ी है। ऐसे इतना ही है कि आजका वातावरण एजनीति, कूटनीति इत्यादि विविध भूत-भूतान्तरोंके विषयक वायुमण्डलसे दूषित है। किन्तु उस समयके लोगोंकी भावना अधिक पवित्र थी। प्रत्येक वस्तुका ग्रहण अथवा स्वाग उसकी न्यायोचित उपयोगिता अथवा अनुयोगितापर निर्भर हुआ करता था।

भाषा वनाम घर्म—

आजकी भाषा-विषयक समस्या साम्प्रदायिक पक्षपातोंके कारण और अधिक जटिल हो रठी है। आज प्रायः घर्म और सस्कृतिकी आङ ढेकर ही भाषाके प्रश्नपर विचार किया जाता है। भारतवर्ष सदाए घर्म-प्राण देश रहा है। प्राचीन सस्कृतिकी प्रतिष्ठा वहाँके जीवनकी विशेषता रही है। देशके अन्य नेता घर्मके प्रश्नसे उदासीन रह सकते हैं, परन्तु श्रद्धेय महात्माजीके जीवनमें यह सदाए ही प्रमुख रहा है। भाषा और लिपि हो क्या, शायद राष्ट्रीय उद्योगके किसी प्रगति भी उन्होंने धार्मिक चेतनाको गौण नहीं होने दिया। इस दृष्टिकोणकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। किन्तु घर्मके साथ उर्दू या हिन्दीको अनिवार्य रूपसे जोझा कहातक न्याय संगत है, यह प्रश्न विचारणीय है।

सेकड़ों वर्षों से भारतके एक बड़े जनसमुदायकी विचार धारा हिन्दीमें ही प्रवाहित हुई है। मध्य युगकी सूरु तुलसी और कबीर जैसे महात्माओंकी वाणी धार्मिक उपदेश ही है तथा उनको पूजा भी उक्षी प्रचार होती है, फिर भी हिन्दुओंकी धार्मिक भाषाका पद आज भी देववाणोंसस्कृतके द्वाय ही सुशोभित है। सभी पुर्ण कायोंके अवसरपर मन्त्रोच्चरण सस्कृतमें ही होता है। इसी प्रकार मुसलमानोंके धार्मिक भूत्य भी सब अनिवार्य रूपसे अरबीमें ही हैं और उनके सभी धार्मिक इत्योंका

आये दिन उपदेश सुने जाते हैं कि हिन्दी-ऐखड़ोंको भाषा सरल सिखानी चाहिये । लेकिन इन उपदेशकोंसे कोई पूछे कि कठिन किन्तु सार्थक भाषा लिखना क्या ऐसा भास्तन काम है कि निप्रयाप्त ही कोई भी कठिन भाषा लिख सकता है और सरल लिखनेके लिये प्रयाप्त उत्तरकी जल्हत है ? कठिन और अर्थ-वहुल भाषा लिखनेके लिये चाहिए अपार शब्द-भण्डार और गम्भीर विचार विवेचनकी शक्ति । यह दोनों वार्ताओंमें कितनोंके पास होते हैं ? योहीं कोई अष्ट-चण्ड बड़े तो यात दूसरी हैं, किन्तु सार्थक तथा सारयुक्त कुछ भी कहना हो, तो स्वाभाविक मार्ग ही अधिक सीधा हुआ करता है । इसमें प्रयाप्तपूर्ण दुर्घटाका प्रदर्श ही कहाँ उठता है ? सच यात तो यह है कि हिन्दीके लेखकोंको सरलनाका आये दिन उपदेश देनें चाहे ये व्यक्ति हिन्दीके साधारण ज्ञानसे भी हीन होते हैं, अतः हिन्दीकी प्रत्येक वृत्ति उन्हें कठिन ही जान पड़ती है । इसका इलाज ही क्या ?

पिछली २६ फरवरीको हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाका उद्घाटन करते समय महात्माजीने भाषाके नवोन नामकरण (हिन्दीके बदले हिन्दुस्तानी) की उपयुक्तता पर भी प्रकाश ढाला था । इस परिवर्तनके मूलमें भी साम्प्रदायिक समझौतेकी नीति ही काम कर रही है । यों तो हिन्दीके ही समान हमारी भाषाका हिन्दुस्तानी नाम भी कहे सौ वर्ष सुएना है । अरबके सम्बन्धके लेखोंसे यह ज्ञात होता है कि बहाँ चाले भारतको 'हिन्द' तथा यहाँको उत्तर-भारतीय भाषाओंको 'हिन्द' भी कहते थे । परन्तु तुकाने 'हिन्दुस्तान' शब्दका अधिक प्रयोग किया है । कुछ दिनों पहले तक तो अनेक हिन्दीके भाषा-तत्त्ववेत्ता भी समझ करते थे कि प्रियसनने ही शायद युक्त-प्रान्तकी उत्तर-पश्चिमकी बोलीके लिये 'दिन्दुस्तानी' शब्दका प्रयोग किया था । किन्तु आगे चल कर डा० सुनीतिकुमार चाड्डयनि एक प्राचीन व्याकरणके आधार पर सिद्ध किया कि उर्दू-गिरित उत्तर-भारतीय भाषाके लिये 'हिन्दुस्तानी' का प्रयोग पौरुषीज्ञोंने किया था । किन्तु इससे भी पहले सोलहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें बाबरने आगे जीवन-चरित्रमें 'हिन्दुस्तानी' शब्दका प्रयोग देशके चालू भाषाके अर्थमें किया था । उस समय तो उर्दूका जन्म भी नहीं हुआ था । इससे यह स्पष्ट है कि प्राचीन समयमें

राष्ट्रभाषा का स्वरूप—

आजसे बौस साल पहले राष्ट्रीय समाजके लिये राष्ट्रभाषा को उपयोगिताके विचारसे कामेसके द्वारा हिन्दीको राष्ट्रभाषा माना गया था। इसके प्रचार तथा प्रसारमें महात्माजीका बहुत बहा योग रहा है। शायद कोई भी ईमानदार व्यक्ति यह न कह सकेगा कि भाषाके इस शुनावके पीछे किसी प्रमाणके छल अथवा पक्षात्मका देश भी न था; क्योंकि इसके प्रधान पृष्ठोंपर क्यै “महात्माजी, जिनकी सातुभाषा थी गुजराजी। अतः हिन्दीके प्रति उनके पक्षपात या अनुचित मोहका तो प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु ज्यों-ज्यों स्वाधीनताके युद्धमें गरमाहट आने लाए तथा स्वतन्त्रताके मन्दिरका शिखर—दूसे ही सही—देख पड़ने लगा, त्यों-त्यों द्वितीये ही निछले खून लगा कर शहीद बनने वाले व्यक्ति भी कामेसके पदावके ईर्द-गिर्द चक्र छाड़ने लगे। लड़ाकू विजयोंमें जाना तो जेलके खतरेसे खाली नहीं था, इसीलिये तथा-कथित रचनात्मक कार्यक्रमकी ओटमें अपना उत्कृ सीधा करना और भाषा-जैसे लगभग निविवाद मसलों पर तफवेबाजी करना ही इन लोगोंका पेशा हो गया। ऐसे ही हिन्दीसे अनमिज्ञ और उदूसे कोरे कुछ व्यक्तियोंने लगभग १५-१६ वर्ष पूर्व कहींकी इंट और कहींके ३ रिसे हिन्दुसतानी भाषा बनानेके लिये एक सस्या गढ़ कर अपनी ‘मस्तिष्क-चुम्बत’ का परिचय दिया था। सच पूछा जाय तो आजकी इसी नामकी दुरगी भाषाके विधाता इसी सस्याके कर्णधार हैं। उन्होंने इसीलिये ऐसा नहीं किया कि राष्ट्रीय शिक्षाके क्षेत्रमें उनका भाषानविषयक यह कोई विचारपूर्ण प्रयोग था; बरन् इसलिये कि यही एक मसला और यही एक भाषा उनके पत्ते पढ़ी थी और महात्माजीके शब्दोंमें दिमागी तौर पर ये बहुत शुरूत’ शायद थे ही, ‘लेकिन अगर जीके बोझने इनसो मानसिक शक्तिको बहुत पशु बना दिया था।’ नये सिरेसे यह या वह भाषा सीखना तो इनके लिये सम्भव नहीं-था, अतः इन्होंने सरलतावा सहता नारा लगा कर और भाषाके ‘स्टैंडडाइजेशन’ का मण्डा उठा कर ही अपने अवसरवाद और अज्ञानको ‘स्टैंडडाइज़’ करनेका थोका उठाया। ‘चनि’ जैसे शब्दहो जबर्दस्ती धुनि कहना या ‘सहृत’ से ‘सस्कैरतीयत’ प्रयोगोंका चालू करना उपर्युक्त कथनके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

आये दिन उपदेश मुने जाते हैं कि हिन्दी-लेखकोंको भाषा सरल लिखनी चाहिये। लेकिन इन उपदेशकोंसे कोई पूछे कि उठिन किन्तु सार्थक भाषा लिखना क्या ऐसा आसन काम है कि निप्रश्नास ही कोई भी कठिन भाषा लिख सकता है और सरल लिखनेके लिये प्रयास करनेकी जरूरत है? कठिन और अर्थ-बहुल भाषा लिखनेके लिये चाहिए अपार शब्द-भण्डार और गम्भीर विचार विवेचनकी शक्ति। यह दोनों वास्तवमें कितनोंके पास होते हैं? योही कोई अण्ड-चण्ड बके तो पात दूसरी है; किन्तु सार्थक तथा सारणुक कुछ भी कहना हो, तो स्वाभाविक मार्ग ही अधिक सीधा हुआ करता है। इसमें प्रयासपूर्ण दुरुद्धताका प्रश्न ही कहाँ उठता है? सच बात तो यह है कि हिन्दीके लेखकोंको सरलनाका आये दिन उपदेश देनें वाले ये व्यक्ति हिन्दीके साधारण ज्ञानसे भी होन होते हैं, अतः हिन्दीकी प्रत्येक कृति उन्हें कठिन ही जान पड़ती है। इसका इलाज हो क्या?

पिछली २६ फरवरीको हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाका उद्घाटन करते समय महात्माजीने भाषाके नवोन नामकरण (हिन्दीके बदले हिन्दुस्तानी) की उपयुक्तता पर भी प्रकाश डाला था। इस परिवर्तनके मूलमें भी साम्यशायिक समझौतेकी नीति ही काम कर रही है। यो तो हिन्दीके ही समान हमारी भाषाका हिन्दुस्तानी नाम भी कई सौ वर्ष पुराना है। अखंके सम्बन्धके लेखोंसे यह ज्ञात होता है कि वहाँ वाले भारतको 'हिन्द' तथा यहाँको उत्तर-भारतीय भाषाओंको 'हिन्दा' भी कहते थे। परन्तु तुक्कने 'हिन्दुस्तान' शब्दका अधिक प्रयोग किया है। कुछ दिनों पहले तक तो अनेक हिन्दीके भाषा-तत्त्ववेत्ता भी समझ करते थे कि प्रियर्सनने ही शायद युक्त-प्रान्तकी उत्तर-पश्चिमकी बोलीके लिये 'हिन्दुस्तानी' शब्दका प्रयोग किया था। किन्तु आगे चल कर डा० सुनीतिकुमार चाटज्यनि एक प्राचीन व्याकरणके आधार पर सिद्ध किया कि उर्दू-मिथित उत्तर-भारतीय भाषाके लिये 'हिन्दुस्तानी' का प्रयोग पोंगुंगीजोने किया था। किन्तु इससे भी पहले सोलहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें 'बाबरने अपने जीवन-चरित्रमें 'हिन्दुस्तानी' शब्दका प्रयोग देशके चालू भाषाके अर्थमें किया था। उस समय तो उर्दूका जन्म भी नहीं हुआ था। इससे यह स्पष्ट है कि प्राचीन समयमें

भी प्रचलित हिन्दौके ही लिये 'हिन्दुस्तानी' नामका प्रयोग होता था और उसमें
अरबी या अरबी या अन्य विदेशी शब्दोंकी मिलायटजो शर्त नहीं थी।

उम्युक्त अवसर पर ही गापोंजीने कहा था—“बहुत अर्द्ध नहीं हुआ, चत्तर-
भारतके लोगोंको भाषा एक ही थी। वह उर्दू और देवनागरी लिखियोंमें लिखी जाती
थी।...प्रामोज जनता बड़े-बड़े शब्दोंको, चाहे वे अरबीसे लिये गये ही चाह सहृदय
है, परवाह नहीं करती।...वह (प्रामोज जनता) जो भाषा बोलती है, केवल यहो
भारतकी उष्ट्रभाषा ही सही है और हरएक हिन्दुस्तानीज्ञ कर्तव्य है कि वह उसे
सोखे।” महात्माजीके इस कथनसे आपको हलचल भयो। लोगोंने सन्देश प्रकट
किया कि ‘समूचे या केवल उत्तर-भारतकी ही सारी प्रमोज जनता’ कोई
एक भाषा नहीं बोलती और न प्रामोजोंकी भाषा या भाषाएं इतनी समुद्रत विस्तृत हैं
कि उनके बाधार पर उष्ट्रभाषा बनाये जा सके। पर यदि गम्भीरतासे
विचार किया जाय, तो ये आशक्ताएं अपने आप निट जाती हैं। साथारण
व्यवहारमें ‘भाषा’ और ‘बोली’ शब्दोंका प्रयोग कुछ अनियन्त्रित-सा ही किया
जाता है। अधिक्षम तो इसके भेदको ठोक-ठोक जानते भी नहीं। यदि वह भेद
हास्य कर दिया जाय, तो गंधोंजीके उम्युक्त कथनकी आधी सत्यता अपने लाय प्रमाणित हो जाती है। यदि सिद्धान्त स्पसे देखा जाय, तो भाषा अधिक व्यापक सहा
है, जिससे समान स्प वाली विविध बोलियोंके समूहच्च ज्ञान होता है—भवान्-प्रत्येक
भाषाका सगठन समान-स्पवालो कई बोलियों तथा उपबोलियोंको टेकर हो होता है।
समान-स्पताके प्रधानतः तीन बाधार होते हैं—शब्द-भण्डार, शब्द-प्रन्यन तथा
उच्चारण। जिन बोलियोंने इन तीनों अनेकी उचित समनता देख पड़ती है, वे
स्वभावतया एक समूद्रके रूपमें संगठित हो जाती हैं। इसी समूद्रकी भाषाकी सहा
दी जाती है।

इस दृष्टिकोणसे समझलेते हैं देर न लगेंगे कि उत्तर-भारतकी प्रमोज जनता
उम्युक्त एक ही भाषा-स्पतमें बंधी हुई है। बोलियों विविध एवं विभिन्न अवस्थ हैं,
किन्तु सामूहिक स्पसे एक ही भाषाके सूक्ष्मे मुथी हुई हैं। यही कारण है कि
द्रव्यमण्डल या राजपूतानेका निवासी अद्योंके क्षेत्रमें जाकर भी अनन्त कहनेमें

या दूसरे की समझने में विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं करता। भले ही वह अवधी बोली में बोल न सके, या अवधी वाल्य प्रज्ञपण्डित ही बोली में बोलने में असमर्थ हो; परन्तु उनका पारस्परिक विचारोंका आदान-प्रदान सुगमतासे ही जाता है। इसी व्यावहारिक सख्त के आधार पर हिन्दी की भाषा कहा जाता है, क्योंकि उसमें अवधी, ग्रन्थभाषा, राजस्थानी, बाघेली, तुन्देली इत्यादि वित्तनी ही बोलियाँ सम्मिलित हैं। उर्दू भी उसी के अन्तर्गत एक बोली ही है, क्योंकि उसका अपना कोई पृथक बोली-समूह नहीं है। इससे उसे हिन्दी की एक शैली एवं बोली कहा गया है और फिर ऐसा कि ऊपर बताया जा चुका है, 'बोली' और 'भाषा' का पारस्परिक अदृष्ट सम्बन्ध है। भाषाएँ किसी विशिष्ट आदर और बोलोंसे निरादरकी सूचनाकी भाषाका करना अनावश्यक भ्रम है। हिन्दी और उर्दू के इसी सम्बन्ध के आधार पर तो राष्ट्रभाषाकी भित्ति खड़ी है। शब्द-भण्डार, शब्द-ग्रन्थन एवं उच्चारणकी समता इस आधारका बड़ा बल है।

अब प्रश्न आता है कि इन विविध बोलियोंकी अनुज्ञत अवस्थाका, यह शका भी निराधार है; क्योंकि आज तो राष्ट्रका एक साधारण भाषाकी आवश्यकता है। प्रधानतः अन्तर्श्रन्नितीय विचार-विनियमके लिये, राष्ट्र सन्देशके प्रचार और प्रसारके लिये, विविध श्रन्तीय भाषाओंके पृथक अस्तित्वको न छूनेकी नीतिका अभिप्राय ही यह था। उच्चोटिके साहित्यकी रचना मनुष्य अपनी मातृभाषामें ही कर सकता है, अतः उस द्वारा सबको समान अवसर मिलना ही चाहिये। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रभाषाएँ तात्पर्य एक प्रकारकी 'सरकारी भाषा' से ही हैं। निःसन्देह ऐसी भाषाका सफल सागर प्रचलित बोलियोंके आधारपर ही हो सकता है। लेकिन इस प्रकारसे संगठित हमारे राष्ट्रकी 'सरकारी भाषा' की स्वरेखा भी निश्चित तो होनी ही चाहिये। अब तक इस ओर जितने प्रयास हुए हैं, उनके द्वारा कदाचित् विप्रमताकी खाई ही अधिक चौड़ी हुई है। सुना जाता है कि सेवाग्रामका विश्वास तो कुछ यह हो गया है कि हिन्दी-साहित्य सेवी तथा उर्दूके विद्वान् एक साथ बैठकर किसी निर्णयपर पहुंच ही नहीं सकते। ऐसे आवेद नहि किये जाते हैं, तो सर्वथा अनुचित हैं। हाँ, दो समानान्तर रेखाओंको मिलानेमें ही यदि विद्वानोंकी परख है,

तब तो दूसरी बात है। अच्छा तो यह हो कि हिन्दी और उर्दू के योग्य विद्वानोंकी दो शृणुक समितियोंका खलन किया जाय तथा उनसे निम्नलिखित स्पष्ट शब्द-चरण कराया जाय—

समात	प्रचलित	क्रियारद
"	"	सर्वनाम
"	"	विभक्ति-चिन्ह
"	"	अव्यय
"	"	शारीरिक अग-प्रत्यगोंके नाम
"	"	परेक्ष तथा साधारण भारतीय जीवनमें काम आनेवाली वस्तुओं एवं जानवरों आदिके नाम ।

इन छः विभागोंमें दिये गये जिन्हें शब्द भी दोनों समितियाँ हैं, उन्हें लेकर एक को प्रचलित कर लिया जाय और ये सभी शब्द राष्ट्रकी 'सरकारी भाषा' के लिए मान्य समझे जाय। उन्हें साहित्य निर्माणमें लेखक अथवा कलाकार किन शब्दोंका प्रयोग करें या उनको भाषाका मापदण्ड क्या हो, इस विषयमें राष्ट्रकी ओरसे इसी विशेष नीतिके निर्धारणकी न व्यावस्थिता है और न उसके पांछे न्यायका बल ही है, क्योंकि सच्ची कला अपना स्वयं स्थिर करती है। बन्धन अथवा आदेश या तो इस दिशामें निर्धारित सिद्ध होते हैं या किस कला कुण्ठित होता रह जाती है।

लिपिकी समस्या—

अब प्रश्न है लिपिका। जातीय शिक्षामें लिपिका प्रश्न कम महत्वपूर्ण नहीं है, और विशेषकर जब कि इसके साथ भी भर्ते और सहस्रिता अस्तित्व जुड़ा हो। इस और खरी रसोटी तो वैज्ञानिकताकी ही होनी चाहिए किन्तु वर्तमान याताकरण उसके प्रतिरूप जान चढ़ता है। किस इस मम्मममें तो एक तरहसे निर्णय नी हो चुका है कि भारतीय राष्ट्र देवनामगरी तथा प्रासी दोनों लिपियोंका समान स्पष्ट स्वीकार करता है और प्रत्येक सरकारी कार्यवाही दोनों ही लिपियोंमें सुलभ होगी।

और शब्द-कोपकी एकताका स्वाभाविक निष्ठर्ण ही यह होगा कि दोनों लिपियोंमें
भारत एक ही होगी । यही उचित भी है ।

लेकिन तब प्रत्येक व्यक्तिके लिये दोनों लिपियोंका जानना भी अनिवार्य होना
चाहिये । जब इतारत एक ही होगी, तब क्या एक लिपिके जाननेसे बाम न चलेगा ?
दोनों लिपियोंके जाननेका आप्रद तो कुछ ऐसा ही है, जैसे कि विद्यात वैज्ञानिक
न्यूटनके विषयमें प्रसिद्ध है । उनकी एक विज्ञी थी, जिसे वे बहुत अधिक प्यार करते
थे । विज्ञोने बचे दिये और प्राकृतिक नियमानुसार कभी-कभी वह उन बच्चोंको
बाहर भी उठा ले जाती थी । वापस आनेका उसका कोई निश्चित समय नहीं
था । बच-बेबच आकर वह और बचे बन्द दरवाजा खोलनेकी चेष्टा किया करते थे ।
अतएव उनको सुविधा तथा अपनी शान्तिके विचारसे न्यूटनने दरवाजेमें छेद बनवानेका
निर्धय किया । बढ़ींको मुल्काकर उन्होंने कहा कि दरवाजेमें दो छेद बनाओ—एक
छोटा और एक बड़ा, ताकि बड़े छेदसे बड़ी विज्ञी भीतर आ सके और छोटेसे छोटे
बच्चे । बढ़ी इस आदेशसे असमझसमें पढ़ गया और डरते-डरते उसने पूछा—‘क्या
बड़े छेदसे छोटे बच्चे भी अन्दर नहीं आ सकेंगे ?’ यह सुनते ही न्यूटनको अपनी
भूल जात हुई और जोरसे हँसते हुए उन्होंने कहा—‘भाइ, तुम ठीक ही तो कहते हो ।
एकसे ही काम चल जायगा ।’

महान व्यक्तियोंकी भूलें भी असाधारण ही हुआ करती हैं ।

(विश्ववन्धु २० अक्टूबर १९४५)

यह बदनाम हिन्दुस्तानी

भाजका हिन्दी संघार हिन्दुस्तानी भाषाके नामसे ही चिदसा गया है ।
ज्यौं-ज्यों महात्मा गांधी द्वा उनके हिन्दुस्तानी संघ बाले इस शब्दको लोकप्रिय
बनानेका प्रयत्न करते हैं, ल्यौं-ल्यों हिन्दीके भक्त और उपासक इस शब्दको अधिक
घुणात्मक एवं त्याज्य समझते जाते हैं । शायद बहुतोंके लिए, और विशेषकर
अहिन्दी भाषा-भाषीके लिये हिन्दुस्तानी शब्द नये ज्ञानानेकी एक सोज है । इसका
भी इतिहास किसी शब्दीनताका द्वावा कर उकता है, यह बहुतोंके लिये एक नये

आविष्कार से कम नहीं। ऐस्थिन, आधर्य तो तब होता है कि हमारे भाषाओं वह नाम काफ़ी प्राचीन होते हुए भी समानित न होकर आज युगे तरह अपमानित हो रहा है और हिन्दूका विद्वत्सम जैसे गुरुओं को मुलस्तनेका नवजाग भी नहीं करता।

उमस्ता तो यह होगा कि हमारी भाषाओं वह हिन्दी या हिन्दुस्तानी नाम द्वारा कैसे और क्यों पड़ा? यदि यह रहस्य संक्षेपमें समझ दिया जाय तो बेसर-पैरस्टी गुमराही बहुत कुछ दूर हो सकती है। यह चौन नहीं जानता कि प्राचीन समयमें, जब भारतवर्ष अपनी दिया तथा अपने कला कौशलके लिये विश्व-विख्यात हो रहा था, उस समय पाधात्यके विविध देशोंमें इस गौरवशाली भारतके साथ अपना-अपना सम्बन्ध जोड़नेमें एक होड़-सी मच्छी हुई थी। उन्हींमें से अरब भी एक था, वहाँके प्राचीन ग्रन्थ प्रत्युत्र प्रमाणोंसे भरे पढ़े हैं कि अरब वार्ताओं सम्बन्ध हमारे देशसे काफ़ी घनिष्ठ था। न केवल व्यावसायिक खेनमें वरन् चिया और तुदियोंमें अरबने भारतसे बहुत कुछ पाया था। वहाँके प्राचीन इतिहास प्रन्थोंमें भारतवर्षके निर्देश प्रायः 'हिन्द' के नामसे ही पाया जाता है। मौलवी सैयद मुल्लेश्वान नद्दी का हावन, जो अरबी साहित्यके परम सम्मान्य विद्वान माने जाते हैं, अपनी अनेकों इतिहासोंमें प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि अरब वाले इस देशको हिन्द कहते थे, यदोंकी प्रत्येक कस्तुको, यदोंके निवासियोंको उथा उनके द्वारा बोली जानेवाली भाषाओं हिन्दी कहते थे। यहा इतना स्पष्ट कर देना कठाचित् अनावश्यक न होगा कि अरबवालोंका सम्बन्ध विशेष रूपसे केवल उत्तर भारतसे ही था अतः जिस समय भाषाओं प्रस्तु उठता है, उस समय यह समझ लेना होगा कि हिन्दी भाषासे उनका सम्बन्ध उत्तर भारतकी ही भाषाओंसे रहा होगा। यद्यपि उस प्राचीन कालमें सहस्रका महत्व मिट तो नहीं गया था, किन्तु यह भी सच है कि आधुनिक भारतीय भाषाएं विशेषकर उत्तरी और पश्चिमी भारतकी न केवल विद्वासोंमुखी ही हो चली थीं, वरन् अपना-अपना अस्तित्व भी बायम कर चुकी थीं। अतः अरबोंकी भाषा विषयक हिन्दी सज्जासे तात्पर्य निश्चित रूपसे इन्हीं नवविकसित भाषाओंसे रहा होगा।

अरबोंके बाद ईरान और तुर्क देशके निवासियोंका सम्बन्ध इतिहास सिद्ध पड़ना है। यह नवीन समर्क साक्षरतिक या व्यावसायिक खेनमें भरे हो नवेन रहा हो,

लेकिन भाषातत्ववेत्ता यह जानता है कि फारसी आर्यभाषाको शाखा होनेके नाते अपनी भड़ी बहन सस्तुतसे यहुत प्राचीन कालसे सम्बद्ध है। फारसीका 'स्तान' और उसकतका 'स्पान' एक दूसरेसे यहुत मिल नहीं। सस्तुतका 'सिन्धु' ही फारसीका 'हिन्द' है। इस नए सम्बन्धने छोटेसे 'हिन्द' नामको बदलकर ईरानियोंके द्वारा 'हिन्दुस्तान' नाम प्रख्यात किया। और पहलेकी ही भाँति यहाँकी प्रत्येक वस्तु और भाषा हिन्दुस्तानी कहलाने लगी।

हिन्दीका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लिगिविस्टिक सर्वे थांफ इडिया (सख्या ९ भाग १) में डा० ग्रियर्सनने उत्तरी भारतकी हिन्दी भाषा, उसकी शैलियों तथा नामकी आलोचना करते हुए पग-पग पर हिन्दीके साथ 'हिन्दुस्तानी' नामका ज़िक्र किया। अनेक कैफियतें भी उन्होंने दी हैं। उसी सिलसिलेमें अपना मत प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि 'हिन्दोस्तानी' सज्ञा विशेषकर सरहिन्दमें प्रचलित हिन्दीके उस रूपके लिये जिसे खड़ी बोली कहा जाता है, लगू होना चाहिए। इसी सिलसिलेमें उन्होंने माना है कि हिन्दुस्तानीमें 'उर्दूपन' का होना अनिवार्य है। उनके इस प्रेमका कारण शायद 'डेविड मिल' का वह व्याकरण होगा जो न शुद्ध रूपमें व्याकरण कहा जाता है और न उसके पीछे भाषाकी किसी व्यापक समीक्षाका प्रमाण है। प्रायः सभी यह जानते हैं कि खड़ी बोली 'बोली' के हपमें अधवा यों कहना चाहिए प्राकृतिक रूपमें बिजनौर, मेरठ, अम्बाला, यहारनपुर इत्यादि सयुक्त प्रान्तके पश्चिमोत्तर भागमें व्यवहृत होती है। न केवल आजसे बरन शायद उसी समयसे जबसे कि ब्रजभाषा ब्रजमें या अवधी अवधमें बोली जाने लगी थी। इसी स्थल पर 'हिन्दोस्तानी' नामकी व्याख्या करते हुए पृष्ठ ६ से आठ तकमें डा० ग्रियर्सनने 'डेविड मिल' के हिन्दोस्तानी व्याकरणकी ओ १७४३ के लगभग लिखा गया था, चर्चा की है। और उनका अनुमान था कि हिन्दीके हिन्दोस्तानी नामका कद्दचित् इससे अधिक प्राचीन कोई प्रमाण प्राप्त नहीं। उपर्युक्त पुस्तकके ही आधार पर डा० सुनीतिकुमार चट्टीने कुछ वर्ष पूर्व 'हिन्दुस्तानीका सबसे प्राचीन व्याकरण' शोर्पक एक खोजपूर्ण लेख लिखा था। उनके अनुसार यह व्याकरण कुछ और अधिक प्राचीन ठहरता है। और उसी अनुपातमें हिन्दीका हिन्दोस्तानी नाम भी कुछ वर्ष और पीछे इट जाता है।

इसके बाद अपनी अभी की हालकी लिखी मुस्तक 'हिन्दी एष्ड इन्हों आर्यन लैंसेजेज़' में उन्होंने भी ढा० अियर्सनकी ही तरह प्रतिपादित किया है कि हिन्दोस्तानीमें 'उर्दूपन' के पुटकी विशेषता आवश्यक है। सम्भवत इनका यह भ्रम भी डेविड मिल के व्याकरणके भाषार पर ही हो या कुछ और ऐसी सामग्री भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है, जो बैसी ही अमात्मक हो। इसी सिलसिलेमें उन्होंने माना है कि हिन्दुस्तानीमें 'उर्दूपन' का होना अनिवार्य है। उनके इस भ्रमका कारण शायद डेविड मिलका वह व्याकरण होगा, जो शुद्ध रूपमें व्याकरण कहा जाता है और न उसके पीछे भाषा की किसी व्यापक समीक्षाका प्रमाण है।

ऐकिन जैसा कहर कहा जा चुका है हिन्दी भाषाका हिन्दोस्तानी नाम योरोपकी देन नहीं। यह तो ईरानी और तुकोंके साथ सहस्रति और भाषा साम्बन्धके साथ ही अनायास उत्पन्न हो गया था। इसका सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि बाबरने भी अपने जीवन चरित्रमें वहे स्वाभाविक ढगसे सरहिन्दमें बोली जानेवाली लौकिक-भाषाके लिए 'हिन्दुस्तानी' का प्रयोग किया था। वहाके शासक दौलतखापर पढ़तह पानेके बाद जब दौलत खाँ उसके सामने लाया गया, तो वह कहता है— "I have made him sit down before me and desired a man who understood the Hindustani language to explain to him what I said sentence by sentence in order to reassure him" (Memoirs of Babar Lucas King edition Vol 2, P. P 170) इससे यह सिद्ध है कि हिन्दुस्तानी नाम ईरानियों और तुकोंके साथ १५ वाँ और १६ वाँ घटान्दीमें ही आ चुका था। उस समय न शर्त भी प्रश्नसी या अरबी शब्दोंको भरमार की और न उर्दूपन की। क्योंकि, उस समय तक उर्दू भाषाका तो कहीं अस्तित्व भी न था।

अत यह स्पष्ट हो जाता है कि सैकड़ों वर्ष तक प्रसरित क्या मध्य और क्या आधुनिक काल तक हिन्दी अपनो स्वाभाविक गतिसे भागे बढ़ती हुई हिन्दी या हिन्दुस्तानी दोनों ही नामोंसे विभूषित थी। अपने जन्मग्रामसे ही उर्दू उर्दू ही रही, शायद कोई प्रमाण १९३० के पहलेका प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जब उर्दूका

स्मरण किसी और नाम से किया गया हो या हिन्दुस्तानीका जामा उसने पहननेकी चेष्टा की हो। हिन्दीकी प्रतियोगिता उसको पुरानी आदत रही। बालमुकुल्द गुप्त की 'उर्दूको मुंहतोड जवाब' उसी अवरुद्धीय प्रतियोगिताका फल था।

तब सहसा प्रश्न उठता है कि आज परिस्थितिमें ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि हम हिन्दुस्तानी नामको भी सहन नहीं कर सकते ? शायद १९२४ की ही बात है जब कानपुरके अपने अधिवेशनमें कांग्रेसने भाषा नियमक अपनी नीतिकी घोषणा की थी और कहा था कि चूंकि कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था है, जनसाधारणकी भाषा ही उसकी भाषा होगी। बहुत समय तक तो यह नीति केवल प्रस्ताव तक ही सीमित रही। लेकिन उयों-ज्यों कांग्रेस प्रबल होती गई, उसके प्रस्ताव और उसके निर्णय भी अधिक वास्तविक होने लगे। नीति विषयक भाषाका यह प्रस्ताव भी फिर नवजागृत किया गया। सख्तके पुजारी गोधीजो इस प्रस्तावके प्रबल समर्थकोंमेंसे थे। जहाँ एक और प्रांतीयताके शोभी भयभीत होने लगे, -दूसरी और साम्राज्यिकताके उपासक मुसलमानोंके दिलामें भी कम खलबली नहीं थी। अपनी अन्य अराष्ट्रीय संकीर्णताओंके साथ भाषाके क्षेत्रमें भी उनकी अनुशारता प्रबल हो उठी। हिन्दीको हिन्दुओंकी भाषा घोषित करके उन्होंने उर्दूकी माँग पेश की। सख्त तो यह था जैसा उत्तर चताया जा चुका है कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी देशी भाषाके उस रूपका नाम था जो उत्तर भारतमें स्वच्छन्द रूपसे फल पूँछ रही थी जिसमें न भेद था हिन्दू न मुसलमानका। न पक्षपात था संरक्षक्तके लिए और न वहिकार था फारसी या अरबीका। लेकिन पार्थक्यकी इस नई माँगने संकीर्णता की, साम्राज्यिकताकी एक नवीन अतराष्ट्रीय भावनाओंके सामने भाषाकी एक नई समस्या खड़ी हो गई। राजनीतिके अन्य क्षेत्रोंमें एकताकी साधनाका मूल पारस्परिक आदान प्रदान ही हुआ करता है, और होना ही चाहिये। बिना कुछ दिए लेना सम्भव नहीं होता और लेनेके लिए देना भी आवश्यक हो जाता है। समझौते को यह नीति राजनीति क्षेत्रमें अवश्य सफल होती है, लेकिन ज्ञानके शिक्षके और आत्मोन्नतिके क्षेत्रमें यह नुस्खा न कभी लगाया जा सकता है और न लगाया जाना

८४ बदले हो—

२—“हम हैं हम हैं उत्तम के भेदभाव के बनी हैं। उसके साहिल निर्माण में
मुझे भी यह देखा है—”

८५ बदले हो—

१—“उद्दीपन के अवसरों पर के भावित तक उद्दीप ही दिनुस्तानके सभी
प्रकाशकों की उद्दीपन की उच्चावधि के आम भाषा मानी जाए।” यही न जानते,
क्योंकि उद्दीप ही उच्च सर कहना। यह सीख आपको मिलो कहा ?
क्योंकि उद्दीप ही उच्च सर कहना। उच्चका नाम लेना तो शायद ठीक नहीं। पर
इसके उच्चका उच्चसर हो सकते हैं—

उद्दीपका नाम हो रखे थे मात्री मायदेशकी भाषा नहीं, उद्दीपकी भाषा, ही,
उद्दीपका नाम हो रखे था भाषा है। उद्दीप अर्थ २ लो, पहले उद्दीपका प्रयोग देखो
जिसका अर्थ कही जाते हो। भीर अम्मन देहल्लीकी ‘बागो बहार’ को ही
उद्दीप नाम बहो देख लेते। उसके दो बाचामें ही कई जगह मिल जायगा ‘उद्दीपकी
उमड़ी नाम बहो देख लेते। उसके दो बाचामें ही कई जगह मिल जायगा ‘उद्दीपकी
उमड़ी नाम बहो देख लेते। भीर अम्मन किस जानसे लिखता है—

‘इकोका उद्दीपी जबाबको मुझांके मुंह छुनी है।’

और ‘निवान जबान उद्दीपी जबान मजते मजते ऐसी भजी कि किसी शहरकी

बोली उत्तर नहीं खाती।’

लगता ‘उद्दीपकी बोली’ के लिये शैयद इक्षा भाषा सौकी यह लल्कार वा पटकार

हो जाता—

‘भीउद्दीप की बमानको कउरी न बोलिये,

बद्रके युपां तीर, मलामत न खाइये।

उद्दीपी बोली यह ! भले खाइये कसम,

तसे बरी पर अब आप ही मसहफ उठाइये।’

जिस उर्दूकी बोलीमें 'उस्ताद 'मसहफी' भी सरे न उतरे उसे डाक्टर ताराचन्द अपनी "माद्री जवान" समझते रह, पर उर्दूकी 'सनद' इस जन्ममें तो हासिल नहीं कर सकते, अगलेको राम जानें।

दौ, तो 'उर्दूकी बोलो' का 'माखज' यानी स्त्रोत है शाहजाहानाबाद यानी दिल्लीका लाल किला और उसीका नाम है 'उर्दू ए मुबला' यानी संक्षेपमें उर्दू, योंकि मुशी मीरखली प्राप्तमाते हैं :—

'बहुत मैंने यूँ इराकी लारीफ की

है उर्दूकी बोलीका माखज यही। "(भाराइशे मोहफिल) अथवा, इधर-उधर अधिक भटकनेसे लाभ क्या? सैयद इशाने तो अपनी अद्वितीय पुस्तक 'दरियाए लताफत' में खोलकर स्पष्ट लिख दिया है—

"इ मजमा हरजां कि बिरसद थोलाद आहा दिली वाल शुफ्ता शवन्द व महळः
इशां महळ. अहल देहली। व अगर तमाम शहर रा फरागीरन्द आ
शहर रा उर्दू नामन्द। केविन जमा शुद्ध है दजारत दर हेच शहरे शिवाय
लखनऊ निजद फकीर सावित निस्त। गो वादिन्दपाने मुशिदाबाद व अजीमाबाद
बजात खुद खुदरा उर्दू दौ व शहर खुदरा उर्दू दानन्द।"

अस्तु, सैयद इशाके कहनेका सीधा अर्थ यह है कि यह (शाही) सब जहाँ
कहीं जाता है, इसकी सन्तानको 'दिलीवाल' और इसके मुद्दोंको दिलीवालीका महाला
कहते हैं, और यदि इन लोगोंने सारे शहरको चेर लिया तो उसको उर्दू कहते हैं।
किन्तु लखनऊके अतिरिक्त और किसी शहरमें उसका बस जाना, इस जनकी दृष्टिमें
सिद्ध नहीं होता। कहनेको तो मुशिदाबाद और अजीमाबाद (पटना) में
बस जानेवाले भी अपने आपको उर्दूदां और अपने शहरको उर्दू कहते हैं।

'उर्दू' का यह अर्थ कितना सटीक और साधु है इसका पता इसीसे चल जाता
है कि अभी युछ दिनों पहले एक स्वरसे सभो 'उर्दू' यानी 'उर्दू ए मुबला' यानी
'लाल किला' की जबानको शाहजहाँकी चीज़ समझते थे। इसका एकमात्र कारण

चाहिये। लेकिन, दुर्भाग्यवश राजनीतिके असाहिए इस मर्मको न समझ सके और समझौते की नीति बाला नुस्खा दे हो दिया गया। ‘हिन्दुस्तानी एकेडेमी’ जैसी सस्थाभोंका जन्म तो हो चुका था, जिसके सचालक और कर्णधार हिन्दीके कोरे उर्दू क्षेपणमें अन्नात् अवसरवाली इसी ताकमें बैठे थे कि किस प्रकार अपनी लोडरी कायम की जाय। सयुक्त श्रातकी सरकारी निधिके बल पर उन्ह कमसे कम एसी सुविधाएँ प्राप्त थी ही कि ‘मस्तिष्ककुब्बत’ जैसे अस्वाभाविक सुहावरे डाक्कर प्रचारित किए जाए और राम और रहीम दोनोंकी उपासनाओं स्वांग रखा जाय। तुरत १९३६ के लगभग एक सुभाव पेश किया गया कि यदि हिन्दीके नामसे मुफ्ल-मानोंको बिड़ है और उर्दूके नामसे हिन्दुओंको तो इन दोनों नामोंको छोड़कर राष्ट्रभाषाका नाम ‘हिन्दुस्तानी’ क्यों न रखा जाय और उसके प्रचलित स्वरूपमें शब्दोंके प्रयोग साम्प्रदायिक अनुपातमें ही लाए जाएं। इस सुझावकी स्वीकृतिके पीछे नीति थी समझौते की और आज उक्तीका परिणाम है कि हिन्दुस्तानी अपनी वर्तमान ‘प्रतिष्ठा’ को प्राप्त हो गई।

(थी कृष्ण अभिनन्दन प्रन्थके लिए प्रेर्पत लेखके आधार पर)

श्री चन्द्रबली पांडे—

[श्री चन्द्रबली पांडेजीके निम्नलिखित विचार तथा ‘हिन्दुस्तानी’ के मिन्न भिन्न अर्थके द्वारा हिन्दी और हिन्दुस्तानी संवंधी घारणा पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। राष्ट्रभाषाकी उलझी हुई समस्याके सुझानेमें श्री पांडेजीका हाथ प्रमुख रहा है। अपनी विद्वत्तापूर्ण अनेक शुस्त्रियोंमें आपने हिन्दी, उर्दू, एवं राष्ट्रभाषा संवंधी विचारोंका पाठियपूर्ण विवेचन किया है। डाक्कर ताराचन्दके निराधार तकाँका उत्तर आपके निम्नलिखित लेखमें प्राप्त होगा।]

३० ताराचन्द और उर्दूकी भाषा

कठर ताराचन्द राजनीतिके पटित, हिन्दीके प्रतिनिधि, हिन्दुस्तानीके प्रेमी और उर्दूके भक्त हैं। सभव-समय पर जिस-जिस लम्बे, जिस-जिस मुहसे, जो-जो कहते रहते हैं सो-सो सदा चलता ही रहेगा। मुंह रहते भला उनकी मुंहजोरीको कौन रोक सकता है? परन्तु तो भी कहना तो यही है कि भैया! कुछ पढ़कर लिखा करो। बचपनमें जो पाठ पढ़ा था, वह जैयनका नहीं जोविकाश पाठ था। सो उससे अब राष्ट्रका काम नहीं चल सकता। सोचो तो सही 'इ ख्यालस्त ओ मुहालस्तको जुन्' कहा की भाषा है और 'विश्वाणी' न सही विश्वकी वाणीमें इसकी गणना कहाको बोलीमें होगी। आपको बोली यह भले हो हो पर आपके देशको तो यह बोलो नहीं है। चलते-चलते इस बोलीने तो आपका पता बता दिया कि बखुतः आप हो किस खेतकी मूली और चाहते क्यों हो उर्दूको राष्ट्रभाषा। परन्तु नहीं, आपके बहाने हमें राष्ट्रको यह भी तो यता देना है कि वास्तवमें आप आप जो खोट रहे हो उसका रहस्य क्या है। लो युनो आप ही तो कहते हो—“अत्तरेजीमें एक कहावत है कि मूँठको बार-बार दुहरानेसे वह सब प्रतीत होने लगता है।” आपने तो अंगरेजीके आधार पर प्रतीति की ही बात कही पर यही सस्तनमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार चार छोंगने मिलकर एक ब्राह्मण देवताको ठग लिया और बछवाको बकरा ठहरा दिया। लो, देखो, पढ़ो, युनो और कहो तो सही कि कुछ छोंगने मिलकर कहीं आपको भी तो नहीं ठग लिया और आप जैसे न जाने कितने मनीषों प्राणीको अपना पालतु 'सुअना' बना लिया आप कहते हो—

१—“उर्दू, सस्तन और हिन्दीकी तरह मध्यदेशी भाषा है।”

आप कहते हो—

२—“उसका साहिल हिन्दीके साहिलसे चहुत पुराता है, ब्रज और अव के साहिलसे भी पुराता है।”

यही था कि उसने 'लाल किला' बनवाया और नबाब सदरयार ज़मीनदातुरके विचारसे ।

"ताशकद और खूबरमें अब उर्दू किलाके मानेमें मुस्तामल है । इसीलिये दिली का किला उर्दू-ए-मुख्ला कहलाया होगा ।" (मोकालाते उर्दू, मुख्लिम यूनिवर्सिटी प्रेस, अलीगढ़, सन् १९३४ ई०, —पृ० ६७) ।

उर्दूके विषयमें यह तो स्पष्ट हो गया कि उसका वास्तवमें मध्यदेशसे कोई सबध नहीं और न वह साकृत तथा हिन्दीकी भाति मध्यदेशकी भाषा ही है । भूलो मत । नोट करो कि उर्दू खस्तुत 'उर्दू' यानी शाहजनाबादके 'लाल किल्य' की ज़बान है । और यदि अब भी यक़ौन न हो तो युछ और भी देखो । कहते हो—'उसका साहित्य हिन्दीके साहित्यसे बहुत पुराना है, ब्रज और अवधीके साहित्यसे भी पुराना है' तो लो, मुनो । मुद्रू दक्षिणसे मौलाना बाहर अगाह की गोदारु आ रही है—

"और हिन्दुस्तान मुहत लग ज़बान हिन्दी कि उसे ब्रजभाषा बोलते हैं राजश रखती थी अगरचे लुपत सख्त टनको अस्ल उस्ल और मखरज़ फ्लून कोहप्र उस्ल है, पीछ मुदावरा भजने अलफ़ज़ अरबी व प्रारसी बतादीज दाढ़िल होने लगे । सबसे इस जामोजिशके यह ज़बान रेखतासे मुस्तमा हुई । जब सनाई व ज़हरी नज़म व नस्ख प्रारसीमें बानी तर्ज़ जदीदके हुए हैं, वली मुजराती यज़ल रेखता की इजादमें सभोंका मुबदा और उत्ताद हैं । बाद उसके जो सख्त सजाने हिन्द बरोज़ किए (1) बेशुबहा उस नहजको उससे लिये और मिन बाद उसको बास्लूब खास मखसूस कर दिए और उसे उर्दूके भाकेसे मौसूम किए ।" (मद्रासमें उर्दू, सन् १९३९ ई०, पृ० ४६ ।)

ध्यान दो कि बेलोर (मद्रास) से सन् १९११ हिं० में मौलाना बाहर क्या कह रहे हैं और अपने 'अगाह' कर किस प्रकार अपने 'आगाह' उपनामको सार्वक कह रहे हैं । कहते हैं कि पहले हिन्दुस्तानमें ब्रजभाषाका प्रचार था—जिसका कोप, पिंगल, अलड़ार अदि सख्त पर आधित था । पीछ उसमें अरबी और प्रारसीके शब्दोंकी मर्ती धारेभीरे होने लगी जिससे उसका नाम रेखता पड़ा । जैसे फारसीके

गदा-पदमें सताई और ज़हूरी नवीन धारके प्रवर्तक माने जाते हैं, वे से ही वनी गुजराती इस नई धारके। उसके बाद सभी लोगोंने उसका अनुकरण किया और फिर उसको एक ऐसे दण पर ढाल लिया कि उसका नाम ही अलग उर्दूको भाषा रख लिया। मौलाना अगाह के कहनेका जो सारोदाश दिया गया है, उसकी देखते ही प्रकट ही जाता है कि सचमुच उर्दू हिन्दी पर से ही बनी और वह भी अधवा आज है भी बस्तुतः उर्दूकी ही भाषा। हिन्दी अपनी परम्पराको छोड़कर उर्दूकी भाषा वा उर्दू बनी तो कोई बात नहीं। उर्दूके लोग शौकसे उसे मुह लगाएं। पर राष्ट्रके लोग तो इसी नारे उसे अपनानेसे रहे। किसी पवित्र मानी राष्ट्रबन्धुकी हम नहीं कहते। हम तो देशाभिमानी देशी और भाषाभिमानी भाइको कहते हैं।

कहते हो (३) ‘उर्दू हिन्दू-सुसलमानोंके मेल-जोलसे बनी है और कहते हो कि ‘उसके साहित्यके नियमियमें हिन्दुओंका बड़ा हिस्सा है।’ होगा, उस बड़े हिस्से में आपका चितना है तनिक इसे भी तो बता देते। अपवा किसी आचे दृष्टातमें ही खोल कर दिखा देते। मुनो, देखो और समझो कि यह ‘बड़ा हिस्सा’ वहाँ किस दृष्टिपे देखा जा रहा है। ‘फाहरे आसफिया’ का नाम तो मुना ही होगा। उसको उठा कर नहीं तो मँगाकर देखो और कहो कि ‘सबव तालीक’ के इस वाक्यका अर्थ क्या है—

“धुनिए, जुलाहे, तेली, तैंबोली, कसशाती, देहाती, जितने खेतके लिखे पढ़े थे सब लठ ले ले के लुप्त निगार, फरहग नवीष बन गए। जो देहली या लखनऊको आँख खोलकर न देखा हो, मगर हमारे पहले एडोशनने लाला भाइयोंसे लेकर दीगर बुलम कसाइयों तक को मोवलिक मुसलिक बता दिया।”

(जिल्द अब्बल, पृ० २८)

‘धुनिए जुलाहे’ को तो जाने द जिए क्योंकि वे मौमिन सुसलमान हैं और हैं भी इस देशमें सुसलमानोंमें आयेके छान्मग, चरन्तु ‘लाला भाइयों’ और दीगर कलम कसाइयों को न भूलिए। कारण कि उनके विषयमें उर्दूके इमाम बाक्तर मौलवी अब्दुल दक्का कहना है—

"उस वक्तके किसी हिन्दू मुसलिमकी किताबको ठाठर देखिए। वही तब तहरीर और वही असल्लवे बयान है। इनकामें विस्मालाह लिखता है। हमद व नात व मनक्षबतसे शुरू करता है। शारई इस्तेलाहात तो क्या, हदीस व नस फुरान बेतकल्लुक लिख जाता है। इन किताबोंके मुतालासे किसी तरह मालूम नहीं हो सकता कि यह किसी मुसलमानको लिखी हुई नहीं। उर्दू रिसाला, अजुमने तरफी ए उर्दू, देहली, सन् १९३३ ई०, पृ० १४)

कहो तो सही मामला क्या है ? यह हिन्दू-मुसलिम-भेल जोल है वा हिन्दुत्वका विनाश ? क्या इसीको देखनेके लिए पानी पी-पीकर हिन्दीको सराप रहे हो और इधर उधरकी बात सुना हिन्दुस्तानको ठगना चाहते हो ? यदि नहीं, तो माजरा क्या है ? अरे ! कुछ तो समझ चूक, देख-सुन कर लिखो : हिन्दी और संस्कृत को पढ़ो, गुनो और फिर कहो कि पीछा क्या है और हिन्दू-मुसलिमका मिल-जुला मार्ग क्या है। उर्दू ? फिर वही बात ? अच्छा सिद्ध कर तो दिखाओ ? देखें कितने पानीमें हो ! अथवा व्यर्थ ही पानी पीट अपना पानी गर्दा रहे हो ।

कहते और वहे तपाकसे कहते हो कि (४) 'पन्द्रहवीं सदीसे अठरवीं सदीके अखीर तक उर्दू ही हिन्दू-मुसलमान शिष्टोंकी भाषा थी !' कहा और कह ही तो दिया पर देखा इतना भी नहीं कि दुनिया हिन्दकी मुसलमानी दुनिया भी इसके विषयमें क्या कहती है। मुनो ! मुहम्मदशाह 'रमील' का दरवार लगा है और फोइ 'मुजान' गा रही है—

किनाबमणि कुरान दीनमणि कलमा अदबमणि

आदम कामन द्वा रागनमणि मैरीं भापामणि

बजकी जोतमणि दीपक दीपकमणि नार दोज़क

शीतले भलो भिहिस्त ऐसी भात मुजान अचुनो कीनी ।

(सगीत राग कल्याम द्वितीय भाग पृ० २६४)

किन्तु आप तो कारसीके जीव ठहरे अत. लीजिए फरखीदा और देखिए भी इसे कारसीके चम्मेसे । देखा ! कहुर थालमगीर और गजेबके घासमें उसके परम

प्रिय पुत्र अथवा जिस किसीके लिये लिखा जा रहा है 'ब्रजभाषा' का व्याकरण और उसमें बताया जा रहा है—

"व जगन अदृश चून अफसद ज्ञान दा अस्त आचि मियान दोआय गगा व
जमुना कि दो रह मशहूर अन्द बाकाशुद अस्त, मिस्ल चन्दवार वर्गेः व फ़ाहत
मसूर अस्त। व चन्दवार नाम मौजाअ अस्त मारुक व मशहूर। व चूँ हैं ज्ञान
शाविल अराआर रंगील व इपरत शीरीं व घर्क आशिक्र व माशूक अस्त, व घर
ज्ञान अदृश नज़्म व राहय तवा वेस्तर मुस्तामल व जारी अस्त। बिना दरां वक्तव्यद
कुलियः ओ परदारखतः आमद।" (एप्रामर आव ब्रजभाषा, विश्वभारती बुक शार,
कलकत्ता १९३५ ३०, पृ० ५४-५५)

अपनी भाषामें मीरजा खाके कहनेका धर्थ है कि—ब्रजभाषियोंको भाषा सभी
भाषाओंमें थ्रेष्ठ है। गगा और यमुनाके बीचमें जो देश है, जैसे चन्दवार आदि
वह भी शिष्ट गिना जाता है। चन्दवार एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध स्थान है। चूँकि
इसी भाषामें प्रिय-प्रिया की प्रशसा और सरस एवं अलकृत कविता है तथा यही भाषा
शिष्टों और काव्यकी व्यापक भाषा है, इसलिए इसके व्याकरणकी रचना की जाती है।

देखा ? क्या दिखाइ दिया ? यही न कि ब्रजभाषा ही शिष्ट, समृद्ध तथा व्यापक
काव्यभाषा है और उसीमें 'मीरजा' भी अपना मुह खोल लोगोंके जी में पेठते ?
अरे ! यह वह समय है जब औरजेब-सा कट्टर गाजी भी 'सुधारस' और 'रसना
विलास' का भक्त है किसी अरवी तड़बीका कदमि नहीं। विशेष जानकारीके लिए
पढ़िए इस जनको 'मुगल बादशाहोंकी हिन्दी' को।

सभव है क्या, निदित्त है कि आपने 'मीरजा खाके उक व्याकरणको नहीं पढ़ा,
और नहीं पढ़ा किसी ऐसे ग्रन्थको जिसमें उर्दूकी दृक्कीकृत खोल कर बताइ गई होगी,
तो भी आपने 'खान आरजूका नाम तो अवश्य सुना होगा। कारण यह कि हिन्दुस्तान
के कारसीदानोंमें तीनमें वह भी एक है और उर्दूके उस्ताद भी। किन्तु उनकी
उर्दू धारणाको देखकर श्री हाजिर महमूद शेरानी साहब दग रह जाते और आपको
बतानेके लिए ही मानों लिख जाते हैं—

‘सबसे ज्यादा जिरा व तभी ताज्जुन होता है यह है कि खान देहलीकी जागान और उद्दूको भी बड़अतशी निगाहसे नहीं देखते। उनके नज़दीक हिन्दुस्तानी जागानोंमें सबसे ज्यादा शाइरता और मुहरज़ाब जागान गवालियारी है।’ (ऑफिटल कालेज मैगज़ीन, लाहौर, नवम्बर सन् १९३१ पृ० १०)

कहनेकी बात नहीं कि खान आरजूकी गवालियारी बजभावासे भिन्न नहीं। प्रसगवश हतान। और जान ले कि खान आरजूका निधन सन् १९६९ हिँ० में हुआ और इनी सन्मूँह उद्दूके बादि उस्ताद मियां हातिमने अपने ‘दीवानजादा’ के ‘दीवाचा’ में सष्ठि लिखा—

“दरीं बिला अज्जदह दवाज़दह साल अकसर अल्फाज रा अज्ज-नज़ार अन्दाज़तः
लिसाने अरवी व जाबाने फारसीके क़रीबुल फहम कसीस्लू इस्तेमाल बाशद व रोज़मर्झ़:
देहली कि मिज़याने हिन्द वक्तीहाने रिन्द दर मुहावरः दारन्द मजूर दास्तः।”
(सौदा, अजुमन तरफ़ी उद्दू, देहली ई० १९३९ पृ० २९ अवतरित)

शाह हातिमका सष्ठि कहना है कि इस कालमें ग्यारह बारह वर्ष तक बहुतसे शब्दोंको श्याम कर अरबी व फारसीके शब्द जो मुगमतासे समझमें आते हैं और प्रयोगमें अधिक आते हैं और दिल्लीके रोज़मर्झ़ोंको कि हिन्दके मिज़भों (मुगल राजकुमारों) और फसीह सूफियोंके व्यवहारमें रहे हैं, मजूर किया गया है।

शाह हातिमने यहीं अपने आप यह भी खोल कर कह दिया है—“सिराय आं जाबाने हर दयार ता व हिन्दवी कि आं रा भाका गोमन्द मौक़फ करदः (वही)
अर्थात् इसके अतिरिक्त चारों ओरकी भाषा यहीं तक कि हिन्दवीको जिसे भाका कहते हैं छोड़ दिया।

डाक्टर ताराचन्द क्या कहते हैं इसे कौन कहे ; परन्तु उनकी दशा ठीक वही है कि डाक्टर कहता है रोगों मर गया और रोगी कहता है—मैं जीवित हूँ। अब क्या ही कहें सच्चा कौन है ? रोगी या डाक्टर ! देखिये तो सही। हातिम स्वयं कहते हैं कि हमने अहोस-न्होसकी भाषा यहीं तक कि हिन्दीको भी छोड़ दिया और प्रहृण किया। मिज़याने हिन्द व फसीहाने हिन्द’ अर्थात् ‘उद्दूकी बोली’ को और उसमें ल्य दिया अरबी फारसीके मुहावरोंको और इधर हमारे डाक्टर ताराचन्द न बाने

किस डाक्टरीके जोमें और न जाने किस विद्या और न जाने किस बूतेपर दोप देते हैं हिन्दीको । गाल बनाने और कलम चलानेरे उन्हें सुध माइयोंमें प्रतिष्ठा और यारोंकी मुहफिलमें दाद मिल सकती है पर किसी शिष्ट और सभ्य समाजमें उनका सत्कार नहीं हो सकता । कारण कि वस्तुतः ऐसे ही वह जीव हैं जो न जाने कितने दिनोंसे राष्ट्रमें विनाशका बीज बो रहे हैं और जानते इतना भी नहीं कि उर्दू उसी बीजकी पौध है । लो, यही उर्दूकी उस दिव्य लीलाको भी देख लो जो हातिमके कथनातुसार ११-१२ वर्षसे चल रही थी । सुनो, अदोयुलमुल्क नव्याव सैयद नसीर हुसैन खां साहब फानते हैं जिन्होंने उर्दूकी अनुसुनी हो जाने पर लखनऊके 'हिन्दू-मुस्लिम पैकटकी सदस्यताको तलाह दे दिया था । उनका कहना है, किसी 'सभाई' या 'फोर्टविलियम कालेज' को नहीं कहते हैं ।

"उमदुत्तुल्मुक्तने, और उमराके मशविरिसे, देहलीमें एक उर्दू अंजुमन कायम की । उसके जल्से होते, जवानके मस्यले छिड़ते, चौंकोंके उर्दू नाम रखते जाते, लफजों और मुहावरों पर बहसें होतीं और बड़े रगड़ों-भगड़ों और छानबीनके बाद 'अंजुमन' के दफ्तरमें वह तहकीकशुदा अल्फाज व मद्वावरात कलमबन्द होकर महफूज किये जाते ; और बड़ील 'सियरुन मुताखोरोन' इनकी नक्कलें हिन्दके उमरा व रुसा पास भेज दी जातीं और वह उसकी तकलीदको फलू जानते और अपनी-अपनी जगह उन लफजों और मुहावरोंको फैलाते ।" (मुगल और उर्दू, एम-ए उसमानी एंड सन्स फियर्स लेन कलकत्ता १९३३ ई० ए० ६०) ।

विद्वारकी हिन्दुस्तानी कमेटी, नहीं नहीं विद्वाके सिर मढ़ी गई हिन्दुस्तानकी दिन्दुस्तानी कमेटीके आप भी एक भेद्यर हो, इसलिये इस अंजुमनके 'बड़े रगड़ों-भगड़ों' को खूब समझ सकते हो, अगर समझना और समझने काम लेना चाहो तो नहीं सो 'शानलबदुविदग्ध' से तो ब्रह्मा भी हार मान नुके हैं फिर किसी 'चन्द्र' की विसात ही क्या ? सो भी किसी 'चन्द्र' को समझाने को ?

अच्छा तो देखो कि सन् १९६९ ई० हिं० में लो ११-१२ वर्षसे कोशिश हो रही थी सो क्या थी ? यही उर्दू अंजुमनकी कोशिश न ! तो १९६९ में से ११ व १२ को निकाल दो और कहो खुलकर तुरत कहो कि सन् १९५७—५८

दिजरीमें उमदत्तलमुल्कने और उमरानेके मशविरःसे 'दिली'में उर्दूको जन्म दिया। घबड़ाओं नहीं, देखो, युनों और जानो कि तत्वात् सआदन अली खां के दरबार लखनऊमें सन् १२२३ हि० में सैयद इशा सा भाषायात्रीने किस सचाई से लिख दिया—

“खुशबयानान भीजा मुत्तफ़िक शुदः अज्ञ जगनहाय मुताहिद अल्काज दिलचस्प जुदा नभूदः व दरवाजे इवारत व अल्काज तसरूफ़ बकार खुर्दः जबाने ताजः सिवाय “जबानहाय दीगर बहम रसानीदद व उर्दू मौसूम साखतन्द ।” (दरियाए लतापत, बही पृ० २)

इसीका आप ही के साथी अलामा दत्तातिरिया 'कैफी' का किया हुआ उर्दू अनुवाद, नहीं नहीं तरजमा है—

यहाँके खुशबयानोंने मुत्तफ़िक होकर मुताहिद जबानोंसे अच्छे अच्छे लफज़ निकाले और बाजे इवारतों और अल्काजमें तसरूफ़ करके और जबानोंसे अङ्ग एक नई ज़बान पैदा की, जिसका नाम उर्दू रखा ।” दरियाए लतापत अंजुमन ए तरकीए उर्दू १९३५ ई० पृ० २)

“और ज़गनोंसे अङ्ग एक नई ज़बान पैदा की जिसका नाम उर्दू रखा ।” उर्दू क्यों रहा ? कारण स्पष्ट है । वह उर्दूकी भाषा जो थी ।

‘खुशबयानों’ के विषय में सैयद इशाने जो कुछ लिखा है, उसे पढ़ें तो पता चले कि हिन्दू तो क्या, हिन्दी मुसलमान तो क्या, बाहरके सैयद भी ‘खुशबयान’ नहीं गिने गए । कारण यही कि वे हिन्दुस्तानी दलके साथ थे और ‘तूरानी दल’ से बराबर लोहा लेते थे । ‘खुशबयानों’ के बारेमें सक्षेपमें जान लें कि

‘यह लोग तुकीड़ज़स्त थे या फारसी उच्चस्त या अरबी उच्चस्त, यह हिन्दीकी सुताबद्धत किस तरह कर सकते थे ?’ (फरहो आसफिया, मोकद्दमा)

अब आप ही कहो और सच कहो, दिल पर हाथ रख कर कहो, और सुन्ह सोल कर कहो । सचमुच सच कहो कि चलत क्या है ? कहते हो, फिर भी कहते हो (५) “आज भी उसका हक है कि वह राष्ट्रभाषा याना हिन्दुस्तानके सभी निवासियोंकी बिला सम्प्रदायी तप्तीक्रमके आम भाषा मानी जाय ।

कहो। किस मुँहसे। कहांसे और किससे क्या बोल रहे हो। उधरसे तो खमड़ोंक कर डबे की चोट पर कहा जा रहा है—

“हम अपनी जातानको मरहठीबाजों लावनीबाजोंको जगान, धोमियोंके खंड, जाहिल ख्यालयन्दोंके ख्याल, टेस्के राग यानी बेसर व या अल्फाजका मजमूज़ बनाना कभी नहीं चाहते और न उस आबादानः उर्दूको ही पसन्द चरते हैं जो हिन्दुस्तानके ईसाइयों, नवमुसलिम भाइयों, ताज़: विलायत साहबलोगों, खानसामाजों, खिदमतगारों, पूरबके मनहियों कैम्प ब्यायों और छावनियोंके सतवेमफ़़े बशिन्दोंने एक्स्ट्रार कर रखी हैं। हमारे जारीफुल् तवादोस्तोंने मज़ाकसे इसका नाम पुङ्डु रख दिया।” (फरहने आसफिया, सबब तालीफ़)

काफिर हिन्दुओंको तो पूछता ही कौन है? किसाबी ईसाइयों और इसलामी ‘नवमुसलिम भाइयों’ को भी कभी हिन्दू होनेके नाते उर्दूमें यह गत बनी। हम डाक्टर ताराचन्द और डन जैसी विचार, नहीं नहीं ‘धुनधारा’ वाले प्राणीसे कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि हम भली भाँति जानते हैं कि बास पर चन्दनका प्रभाव नहीं पढ़ता और कुत्तेही दुम कभी सोधी नहीं होती—हाँ वह ‘दिन मरस्तरस बायस’ के काम खबर आता है। पर हिन्दी ईसाइयों और हिन्दी नव मुसलिम भाइयोंसे इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि कुछ भी अपनी तथा अपने देशकी लाज है, तो अपनो हिन्दीको अवश्य अपनाओ और उस उर्दूको दूरसे नमस्कार करो जो सन् १९५७ का ४८ हिं० (सन् १९५४-५५ हि०) मे बिलगार और इस देशके आमान के लिये ‘तुगानी’ मुसलमानां द्वारा गढ़ी गई और जो आज भी हमारी भूल्के कारण हम पर हावी हो हमारी छाती पर मूँग दल रही है—जाने किस पक्कानके लिये?

हिन्दीकी दिमायत क्यों?

‘हिन्दुस्तानी’ नीतिकी भाषा हो सकती है, प्रतीतिकी कदाचि नहीं, हिन्दुस्तानी भोतिकी भाषा बन सकती है, प्रीतिकी कदाचि नहीं। × × ×

× × × यहाँ नहीं स्वर्गीय सर जार्ज मियर्सन जैसा भाषा-भनीषी भी हिन्दी या हिन्दीकी इस प्रभुताको मानता है और भरती भारतकी भाषा-प्रह्लादमें स्थान लिखता

ऐ छमता गंगाजी तपेटीमें, धनात और प्रावके बीचमें, एक ही भया दिन
धर्म में गिर भिष्म स्थानमें बेची जाती है ।

× × × हिन्दुस्तानीके विषयमें अब तक जो उछ कहा गया है, उसका सा

है कि—

- (१) हिन्दुस्तानी=हिन्दुस्तानी=हिन्द—परपरागत वर्ष ।
 - (२) हिन्दुस्तानी=हिन्दी=दिव्यन—सरकारी वर्ष ।
 - (३) हिन्दुस्तानी=हिन्दी=नामरी—फोर्टविलियम का वर्ष ।
 - (४) हिन्दुस्तानी=हरी हिन्दुस्तानी=उर्दू—फोर्टविलियम कालेजका वर्ष ।
 - (५) हिन्दुस्तानी=हिन्दी=देशभाषा—भाषा-विज्ञानका वर्ष ।
 - (६) हिन्दुस्तानी=हिन्दी+उर्दू—भारत सरकार तथा हिन्दुस्तानी एकाईमेंका वर्ष ।
 - (७) हिन्दुस्तानी=हिन्दी+उर्दू=हि.दी—उर्दू—०—महात्मा गांधीजी वर्ष ।
- (“हिन्दीकी हिमायत क्यों ?”—काशी नामरी प्रचारिणी सभा)

मौलवी महेश प्रसाद—

[श्री मौलवी साहबके निम्नलिखित लेखके द्वारा स्पष्ट हो जायगा कि महर्षि दयानन्दजी को अवसे ४४ वर्ष पहले एक भाषाकी आवश्यकताका अनुभव हुआ था । तारीफ यह कि हिन्दीमें भाव प्रकट करनेका सुझाव दिया एक अहिन्दी मापी अर्थात् बंगमापीने । इससे तो प्रकट ही हो जाता है कि हिन्दीका माव्यम ही श्रेयस्फर है और अहिन्दी मापी जनोकी प्रान्तीय भाषाको राष्ट्रभाषा बनानेकी मार्ग करना भ्रमात्मक है । महर्षि स्वयं अहिन्दी भाषी थे और सुझाव देनेवाले सी थे अहिन्दी भाषी, किन्तु दोनोंको हिन्दी भाषा ही के द्वारा विचार प्रकट करना सुविधाजनक जान पड़ा । श्री स्वामीजी महाराजां हिन्दी प्रेम निम्नलिखित सूचनापूर्ण लेख द्वारा स्पष्ट हो जायगा । श्री दयानन्दजी ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने १८७८ई० में पत्रके ऊपर पने आदि हिन्दीमें लिखने पर जोर दिया था ।]

श्रीस्वामी दयानन्दजी और हिन्दी

श्री स्वामी दयानन्दजीने सन् १८६३ ई० अर्थात् लगभग ३९ वर्षकी आयु तक केवल सस्तुत पढ़ा। इसके पश्चात् जब कार्य-क्षेत्रमें उतरे तो सस्तुत ही में भाषण देना आरम्भ किया। सस्तुत ही में वे वार्तालिप करते थे। वे संस्कृत में ही पहले पत्र-व्यवहार करते थे और सस्तुतको उच्चातिके लिये ही उन्होंने पाठ-शालाएँ खोली थीं।

सन् १८७३ ई० में फरवरी या मार्चकी बात है कि चलकर्तामें उनके सस्तुत शब्दोंका हिन्दी अनुवाद श्रोताओंके सम्मुख एक अनुवादकने अशुद्ध रखा, इस पर उनको धी केशवचन्द्रजी सेन ने परामर्श दिया कि वे अपने भाव हिन्दी भाषामें प्रकट किया करें। इसके खिलाय यह भी स्पष्ट रहे कि उनके समयमें बहुतसे शिक्षित हिन्दुओंमें उर्दू-फ़्रासोंका अच्छा चलन था। वे सस्तुतसे कोई दूर नहीं। निदान दो कारण मुख्य थे, जिनसे उन्होंने हिन्दीको अपनाया, ताकि जनता उनके विचारोंसे भलीभांति लाभ उठा सके।

थ्री स्वामीजीकी मातृ-भाषा गुजराती थी और उन्होंने संस्कृतका ही अभ्यास व अध्ययन मुख्य रूपसे किया था। उनके लिये सहसा यह बात सद्जन थी कि वे अपने विचारोंको हिन्दीमें प्रकट कर सकते। परन्तु हिन्दीमें अपने विचारोंको प्रकट करनेकी समस्या उनके लिये ऐसी न थी कि जिसमें बहुत समय लगानेकी आवश्यकता होती। अस्तु, उन्होंने हिन्दीका अभ्यास करके सबसे पहला व्याख्यान हिन्दीमें मई सन् १८७४ ई० में काशीमें दिया।

सत्यार्थप्रकाशका जो दूसरा सस्करण है, उसीके आधार पर प्रचलित सत्यार्थ-प्रकाश है, इसकी भूमिकामें शब्द हैं : —

“जिस समय मैंने यह प्रन्य ‘सत्यार्थ-प्रकाश’ बनाया था, उस समय और उससे पूर्व सस्तुत भाषण करने और पठन-गठनमें सस्तुत ही बोलने और जनमभूमिकी भाषा गुजराती होनेके कारणसे मुझको इस भाषा (हिन्दी) का विशेष परिज्ञान न पाया।”

सत्यार्थ-प्रकाशके पहले सस्करणकी रचना सन् १८७४ है० में मईके कुछ ही दिनों बाद हुई है, अतः इष्ट है कि सन् १८७४ है० में उनको हिन्दीका परिचान विशेष रूपसे नहीं हुआ, बल्कि इसके पश्चात् ही हुआ और फिर उन्होंने शेष भाग पर्यन्त व्याख्यान, प्रन्थ-रचना व पञ्चव्यवहार आदिमें हिन्दीसे ही विशेष रूपसे काम लिया। निदान ओ स्वामी क्षयानन्द और हिन्दीसे सम्बन्ध रखने वाली निप्रलिखित बातें बड़े महत्वकी हैं।

(१) श्री स्वामी दयानन्दके कारण जो गुरुकूल व शिक्षालय आदि खुले, उनके द्वारा हिन्दीका बहुत प्रचार हुआ।

(२) श्री स्वामीजीने हिन्दीको आर्य-भाषा भी कहा है, जैसा कि चौदहवें समुदायकी अनुभूमिकामें आया है — जो कुरान अरबी भाषामें है उस पर मौलियियोंने दर्दमें अर्थ लिखा है, उस अर्थका देवनागरी अर्थभाषा करके

(३) हिन्दीकी लिपिका नाम देवनागरी भी कहा है, जैसा कि उक्त शब्दोंके सिवाय दूसरे समुदायके शब्द यह हैं जो बालकोंकी शिक्षाके निमित्त कहे गये हैं— जब पाच-पाच वर्षके लड़का-लड़की हों, देवनागरी अक्षरोंका अभ्यास करावें।

(४) सन् १८८२ है० के आरम्भमें अगरेजी सरकारकी श्रोतरसे कलकत्तामें एक कमीशन बैठा था, जिसका उद्देश्य इस विचारके निमित्त या कि भारतीय स्कूलोंमें कीन-सी भाषा पढ़ाई जाये। इस सम्बन्धमें इन्होंने बड़ा उद्योग किया था कि हिन्दी राजभाष्यमें प्रवृत्त हो, अनेक स्थानोंपे मेमोरियल भेजे जानेका प्रयत्न किया था। इस घटकी पुष्टि उनके पञ्च-षष्ठ्या २९८, ३३१ व ३३२ से होती है, जो “कृपि दयानन्द सत्सन्तीके पन और विशापन” नामक प्रन्थ प्रकाशित संवत् २००२ वि० के ४० ३३५, ३६६, ३६७ व ३६८ में है।

(५) उनको हादिक इरड़ा थी कि समस्त वेदोंका अनुवाद हिन्दी भाषामें कर दें। अरने जोशनमें समूर्ज यजुर्वेदसा अनुवाद कर सके और बहुत-सा अग्र युद्धेद य कर सके। यदि उनको और आगु मिलती तो चारों वेदोंको हिन्दीमें कर जाते।

(६) वेद—मात्य प्रति मास थोड़े-थोड़े अंशोंमें प्रकाशित होता था। यह चाढ़ते थे कि जिन लिप्पियोंने दाक द्वारा वेद भाष्यका भक्त भेजा जावे, उन पर पता

हिन्दीमें लिखा जावे। अतः अपने पश्च-लिखित ३ अस्ट्रोपर संख. १८७८ ई० में धो पं० श्यामजीठुण बमाँको लिखा था—तुम बायू इरितनन्दसे कहो कि अभी इयो पश्चके देवते दी देवतागरो जानने चाल्य रघु ऐवे, कि जो काम ठीक-ठीक हो, नहीं तो वेद-भाष्यके लिपाँको पर किसी रजिस्टरके अनुवार भाइकोंका पता किसी देवतागरी यालेसे नागरोमें लिखा कर टपास लिखा करें।

(७) धो स्वामीजीके समस्त प्रन्थोंके विषयमें मोटान्हा लेखा लगाया जावे, तो समस्त शामप्रो साके नौ द्व्य व छः इचके आकारमें लगभग पन्द्रह इजार पृष्ठोंकी रुद्ध-रेखी। उसमेंसे गम्भीरतः दो-तिहाईसे कुछ अधिक सामग्री हिन्दीकी होगी और शेष सरहृतको होगी। लिखित प्रन्थोंमें से कुड़मा प्रसादान यहुत उदाहरण हुआ है। उदाहरणार्थ जानना चाहिये कि सत्यार्थ-प्रकाश केवल हिन्दीमें ही लगभग तीन लाख छप चुका है।

अब अन्तमें यह कहना अनुचित नहीं कि जिस प्रकार धो स्वामीजी महाराजका व्यक्तित्व धार्मिक व सामाजिक सुधारोंके विषयमें वडे महत्वका है, उसी प्रकार हिन्दीकी रुद्ध तथा उन्नतिके सम्बन्धमें कुछ कम महत्व नहीं है। *

३० रघुचीर—

[इस लेखमें डा० रघुचीरने हिन्दीके बोलनेवालों तथा समझने वालोंकी संख्या बताकर प्रमाणित किया है कि हिन्दी राष्ट्रभाषाके योग्य है। यहाँ तक कि समस्त संसार भरमें इसका स्थान सर्वोच्च है। अतः यदि न्याय-पूर्ण विचार न किया गया तो—‘अन्याय ही नहीं, किन्तु एक प्रकारकी उन्मत्तता होगी’। साथ ही उन्होंने देवतागारी लिपि पर भी ‘राष्ट्रलिपि-के-योग्य है’ विवेचन किया है। हिन्दू-मुस्लिम समस्याके कारण एक जबीन

* उपर्युक्त लेख धो मौजवी महेशप्रसादजी आग्रिम फ़ाज़िल ने कृपा कर लिख मेजा है। भैने उनसे धो दयानन्दजीको हिन्दी सम्बधी सूचनाएँ मार्गी। उत्तरमें अनुप्रइ कर उन्होंने कुउ सूचनाओंको इस रूपमें भेज दिया। —ठे०

भाषाकी सृष्टि करना एक भ्रमात्मक प्रयास है। इस पर मी आपने प्रकाश डाला है कि पंजाब और बंगालके मुसलमानोंकी भाषा एक न होने पर भी उन्होंने एक राष्ट्र बनाया। उद्गुको राष्ट्रभाषा माना। इस समस्याको सुलझानेके नाम पर अन्यायको प्रश्न देना बुद्धिमानी नहीं है।]

हिन्दी भाषाकी रक्षा करो, यही समय है

 स समय देश भरमें विचारोंका सघर्ष चल रहा है। स्वतन्त्रताके आरे ही प्रश्न उठता है कि भारतवर्षको अब इस दिशामें प्रगमन करना है।

एक सदृश वर्षोंके पश्चात् अब ऐसी स्थिति आयी है कि हम लोग लिशाज्जु और निर्भय होकर अपना यथार्थ हित और कल्याण सोचें। दीर्घकालीन दासताने हमारे मस्तिष्कको झटना भाराकान्त कर दिया है कि आज सर्वथा स्वतन्त्र स्थितिमें होकर स्वतन्त्र हमें सोचना भी कठिन हो गया है। सात-आठ शताब्दियोंतक तो मुसलमानोंका, उसके पश्चात् दो-तीन शताब्दियोंसे अप्रेज़ोंका आधिकरण रहा। किसी यादों जातिका हम पर राज्य न हो, इसकी भावशक्ताको तो सब लोग जानते ही हैं। राजनीतिक क्षेत्रमें एक सदृश वर्षोंसे हम पर जो-न्जो अल्पान्वार किये गये, उनकी भी चोट हमारे हृदयों पर आज भी अद्भुत है; किन्तु सांख्यिक क्षेत्रमें हम इस प्रकारसे पद्धतियोंसे गये और अब किस प्रकारसे लीपे खड़े होकर हमसे आगेकी ओर चला है, हृदय कियारे देशमें बहुत धोखे लोगोंको है। जो लोग चोटी पर बढ़ दें हैं, वे तो एक प्रधारसे अपने हृदयों और मस्तिष्कों सुसलमानों और अप्रेज़ोंके समर्पण कर दुके हैं। उनको हिन्दू-धर्मसे, हिन्दू सांख्यिकसे विद्येष प्रेम नहीं; हनकी रक्षा करनी है—ऐसी उनकी पारण नहीं। हिन्दू भारतकर्ममें बहुसूखक है, इसलिये इस देशमें हिन्दुओंका ही राज्य होना चाहिये—इस विचारको वे लोग अपने समीक्षा तकिक भी फैलने नहीं देते। हिन्दू शब्द तथा इसके लाख लाख लोहे भी पस्तु उनकी छुंभलाटका धरण ऐन जाती है। यीं तो आधुनिक उज्ज्वलिके पर्षित बहुराष्ट्रोंके उपरके पश्चाती हैं; किन्तु यह उच्चामन्य, उपराम्यत गुज्जनोंतक सिद्धान्त हिन्दुओं पर नहीं लगाया जा सकता। यदि इसको लगा दिया जाए तो भारतकर्ममें

पुनरपि वेद और शास्त्रकी धनि गूँज उठेगी ; किर यहाँकी राज्य-प्रणाली मतु, याश्वल्क्य तथा कौटिल्य पर निर्भर होगी—न कि रोमन और ओक सिदान्तों पर— सोचनेका स्थान है कि भारतवर्षका भाषी राज्य यदि दिन्दू राज्य न होगा तो वह 'स्व'राज्य कैसे कहलायेगा ।

भारतीय सस्कृति और हिन्दू-सस्कृति पर्यायवाची सब्द हैं । इन शब्दोंकी व्याख्या करनेके लिये अहुत समय और स्थान चाहिये । आजके लेखमें हम केवल एक छोटे से प्रश्न पर विचार करेंगे । यह प्रश्न है भाषाका । भारतवर्षकी एक राष्ट्रभाषा कौन-सी मानी जाय, किस भाषाको प्राधान्य दिया जाय, किस भाषामें विधान-परिषदोंका कार्यवहन किया जाय ? भारतवर्षमें प्रधान भाषाएँ हिन्दी, बगला, भासामो, उडिया, मराठी, गुजराती, पञ्जाबी, कश्मीर, तेलगू, तामिळ और मलयालम हैं । इनमेंसे हिन्दी भाषाके बोलने व्हाँ और समझनेवाले २५ करोड़के लगभग हैं । बगलाके ५ करोड़ और तेलगूके ४ करोड़ । ऐसे भाषाओंके दो करोड़ अथवा उससे भी कम हैं । स्पष्टतः हिन्दी भाषाका स्थान भारतमें ही नहीं, परन्तु सासारमें भी छैंचा है । केवल चीनी भाषाका लिखित रूप ही हिन्दीसे अधिक व्यापक है । अप्रेजी-भाषियोंकी सख्त्या हिन्दी-भाषियोंसे अधिक नहीं । स्त्री-भाषियोंको सख्त्या तो हिन्दी-भाषियोंसे आधी भी नहीं । यदि हिन्दी भाषाको राजनीतिक नेता और हमारी विधानकर्ती सभाएँ प्रधानता देनेमें आनाकानी करें तो यह अन्याय ही नहीं, किन्तु एक प्रकारकी उन्मत्ता होगी । हिन्दीके स्थानमें किसी नयी भाषाका निर्माण करना विचित्र प्रकारका दुराप्रह अथवा मिथ्या दर्शन है ।

देवनागरी लिपिका स्थान हिन्दी भाषाकी अपेक्षा भी विस्तृत है । मराठों और नेपाली भाषाएँ इसी लिपिमें लिखी जाती हैं । गुजराती भाषी भी इस लिपिका पर्याप्त प्रयोग करते हैं (उदाहरणार्थ बड़ीदा राज्य) । देवनागरी लिपि इतनी सरल, सम्पूर्ण तथा वैश्वानिक है कि इसका प्रयोग भारतवर्षकी सभी भाषाओंके लिये हो सकता है । यही नहीं, देवनागरीकी वर्णमालाका कम आरम्भसे ही भारतका वर्णक्रम है । कोइ भी भारतीय लिपि ऐसी नहीं, जिसमें यह वर्णक्रम विद्यमान न हो । देवनागरी लिपि सस्कृतकी मुख्य लिपि है (यद्यपि बगला, उडिया और क्षिणकी

लिपियोंमें भी सस्कृतके अन्य प्रतिकर्ष छपते हैं, तथापि उनका प्रयोग केवल अपने-अपने ग्रान्तमें ही होता है)। सस्कृतके द्वारा तो देवनागरी लिपिको विद्युतापी लिपि कहा जा सकता है । आम्सफोर्ड और लन्दनमें, पेरिस, बलिन और टोकियोमें—जहाँ-जहाँ भी सस्कृतका अध्ययन होता है, वहाँ-वहाँ देवनागरीका अध्ययन होता है । उपर्युक्त नगरोंमें तो देवनागरीके मुद्रणालय हैं, जिनमें भारतकी अपेक्षा भी अधिक मुन्दर सस्कृत अन्य प्रकाशित होते हैं । देवनागरी लिपि भारतीय सभ्यताका विशेष अङ्ग है । इसका स्थान कोई भी दूसरी लिपि कदापि नहीं ले सकती । बगला, गुजराती, ओसमो आदि भारतीय लिपियां देवनागरीकी छोटी बहिनें हैं । यह हो सकता है कि इन बहिनोंमेंसे किसीको भी सीखना देवनागरी जाननेवालेके लिये कठिन नहीं है ; किन्तु फारसी-जैसी लिपियों, जो विदेशी हैं, जो भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे दोन, हैन, दादि और दोपूर्ण हैं, देवनागरीके समान स्थान देता तो भयानक भूल और स्पष्ट देशदोष है । यिछली दस शताब्दियोंके इतिहासका अध्ययन कीजिये और समझिये कि फारसी लिपिका प्रवेश दिदेशी राज्यसत्ताके समाप्त होनेके पश्चात् फारसी लिपिको भी समाप्ति हो जानी चाहिये । यदि इस देशके कुछ लोगोंने इस लिपिको अपनाया है और अपनी जन्म-भूमिको लिपिको जान-बूझ कर भुलाया और ढुकाया है तो यह उन लोगोंच्छ देशदोष है । उन्हें माने पर लाना इमारा धर्म है, न कि उन लोगोंको आजकी देशदोषी विचारधाराका पोषण करना । फारस देश स्वदेश नहीं फारसी लिपि स्वदेशी लिपि नहीं, फरसीका साहित्य स्वदेशी साहित्य नहीं और फारसी राज्य स्वदेशी राज्य नहीं । भारतीय शिक्षालयोंमें फारसी, अरबी और सस्कृतको जो समान स्थान दिया जाता है, यह सर्वधा सिद्धान्तिका परिणाम है । कहाँ देवनागरी उस्कृत हमारी जननी, हमारी मात्रामही, हमारी धारी, पोषणकर्ता हमारे शरीरकी उच्चास और कहाँ अरबी-फारसी, जिनका सम्बन्ध इस देशके साथ ही वही रहा है, जो आज अग्रेजीका है । वस्तुतः हमारे दुर्भाग्य, दुर्बलता, मूर्खताके दुर्विसाकौशल नम अरबी, फारसी और अग्रेजी है । इन दुर्विसाकौशल दूर करनेका व्रत समय आ गया । वोर और विक्रान्त, सौम्य और शान्त, धीर और उदात् सनी दरायोंसे अपनी माया, अपनी सस्कृति, अपने धर्म और अपने राज्यकी स्थाना, अभिगृहि और रहा करनेके

लिये हमको कठिक दो जाना चाहिये, जिन लोगोंने उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेजी का पठन-पाठन किया है, जो लोग इन भाषाओंके परिपत हैं और जिन्होंने इस देशकी भाषाकी अवज्ञा, उपेक्षा और अवमाननाकी है, वे लोग यदि आज हमारे सामने नेताओंके लिए आकर हमको आईपथ दें, पर्मार्ग दें, सरलतादें, रसाल्फति-धर्दादें परे हटाना चाहते हैं, अगरने पदसे उद्याइमर हमको दूर फ़ैदना चाहते हैं, तो हिन्दू-धर्मावलम्बियों । तुम्हारा भी परमपर्म यन जाता है कि तुम उन नेताओंके ऐसे वास्तु प्रयत्नको कभी सफल न होने दो । आज समय भा गया है कि इन मार्ग भूते हुए नेताओंको नाकमे नदेल ढालनी होगी और इनको उमार्गसे सुमार्ग पर लाना होगा । यदि भारतवर्षको राजनीतिक स्वतन्त्रता अपेक्षित थी तो वह सप्रयोजन थी । उसम्म प्रयोजन, महान् प्रयोजन, अतिथेष्ट प्रयोजन एक भा और है— वह है भारतीय संस्कृतिकी रक्षा और युद्ध । हमारे नेताओंके सामने यह प्रयोजन नहीं है । उनको नये ज्ञान-न्युनतु देना हमारा कर्तव्य है । जिस प्रकारसे भारतकी शारीरिक भूत आज विकराल हप्ते सामने रही है और उसका निराकरण करना शारीरिक जीवन के लिये आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार भारतकी आच्छात्मक भूत भी पराकाष्ठाको पहुँच चुकी है, उसका निराकरण भी उतना ही अभीष्ट है ।

हिन्दुस्तानी भाषा एक मनुष्यकी कलना है, जिससे कहा जाता है कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर रह सकेंगे हम पूछते हैं कि क्या बंगालमें हिन्दू-मुसलमानोंको भाषा एक न थी ? क्या बंगाल और पड़ावके मुसलमानोंकी भाषा एक थी, जो उन्होंने एक राष्ट्र बनाया ? हिन्दू-मुस्लिम-समस्याका सम्बन्ध भाषाके साथ नहीं है । हिन्दू-मुस्लिम समस्या भाषाकी समस्यासे भिन्न है । इस समस्याको मुलझानेके नामां द्विन्दीजा इनन करना कदापि उचित नहीं । इस समस्याके नामपर हिन्दुओंसे हिन्दूभावनाको निकाल देना घोर पातक है । आजतक हिन्दुओंने जहा-जहा मार खायी है, उसका एकमात्र कारण है उनका सम्बित न होना और उनमें हिन्दू-भावनाकी तीव्रताका अभाव । हिन्दूओंमें एकताका सुन्दरात हुए बिना भारत कभी आगे न बढ़ सकेगा । और उसके बिना हिन्दू-मुस्लिम-समस्या भी नहीं सुलझेगी ।

हिन्दी भाषाका सम्बन्ध एक और संस्कृतिसे है तो दूसरी ओर भारतकी समस्त प्रान्तीय भाषाओंसे । हिन्दुस्तानीका सम्बन्ध भारतवर्षके किसी प्रान्तसे नहीं है । किन्तु हिन्दुस्तानीमें जो शब्द हिन्दी भाषाके हैं, वे ठीक हैं; क्योंकि वे भारतीय हैं । किन्तु हिन्दुस्तानीमें जो शब्द विदेशी हैं, वे तो विदेशी ही हैं ; उनको भारतीय राष्ट्रका आधार बनाना कहाँकी उद्दिमता है ।

‘कल्याण’ के पाठकोंका, ‘कल्याण’ के धर्मपरायण हिन्दूसभ्यताभिमानी धर्मनिष्ठ पाठकोंका कर्तव्य है कि विधान-परिषद्के सदस्योंको हजारों, लोगोंकी संख्यामें पत्र पहुँचा दें और उनको घतला दें कि हिन्दी भारतवर्षकी एकमात्र भाषा शुद्ध संस्कृतमयी हिन्दी, और एकमुश्त्र लिपि देवनागरी है । इन लोगोंकी प्रधानताको किसी भी प्रकारसे संकुचित करना, कलंकित करना, दूषित करना, भारतकी राजसमिति का कर्य नहीं हो सकता ।

आजकलके युगको वैज्ञानिक भव्या यन्त्रयुग कहा जाता है । इस युगमें अन्य लेहर विज्ञान और यन्त्रोंका प्रयोग अनिवार्य है ; किन्तु विज्ञान और यन्त्रोंका प्रयोग करनेके लिये हमको वैज्ञानिक शब्दोंकी आवश्यकता पड़ेगी । अभीतक यही अप्रेजी भाषाका साक्षात्य रहा है । अप्रेजी भाषाने हमारी भाषाओंको नहीं उठने दिया । जिस प्रकारसे मुस्लिम राज्यके कारण न्यायलयोंकी भाषाओं पर अख्य और फारसीके शब्दोंका अध्यारोप किया गया और भारतीय शब्दोंको बाहर निकाल दिया गया, उसी प्रकार विज्ञानके द्वेषमें प्रारम्भसे अप्रेजीका आधिपत्य रहा । अप्रेजी शाज्यके समाप्त होते ही उनकी भाषाकी भी समाप्ति होना आवश्यक है । हमारे बहुतसे नेता अप्रेजीकी प्रधानताको दूर करना नहीं चाहते । स्वतन्त्रताका नाम जपते हुए भी उनके रोम-रोममें अप्रेजीका प्रेम भरा है ; किन्तु हम तो निश्चय कर चुके हैं कि हमारे देशमें अप्रेजीका साक्षात्य नहीं रह सकेगा । उसके स्थान पर हिन्दी-साक्षात्य होगा । मारतवर्षमें दूसरी कोई भाषा नहीं, जो विज्ञानके खारे शब्दोंको दे सके । हिन्दीके शब्द संस्कृतसे लिये जानेके कारण भारतवर्षकी सभी प्रान्तीय भाषाओंको गाहू होगे । विज्ञानके चाहे कितनेसे कितने कठिन शब्द क्यों न हों, उन सबके लिये ही सहज घाढ़ओंके आधारपर शब्द बन जाते हैं । उदाहरणके

लिये पश्चियोंके ही एक दो वैज्ञानिक नाम ले लीजिये। *Corvus Corax laurencei* का हिन्दी नाम पश्चिम द्रोण काक है। ये कौवे भारतके पश्चिम भाग पश्चात् आदिमें होते हैं। *Nucifraga Caryocattacts Hemispila* का नाम हिमालय इवेतचिन्दु फलप्रिय है। इसी प्रकार अन्य विषयोंमें *Authemis nobilis* कर्पूर-पुष्प। इस उखके फूलोंमें कर्पूर-जीसी सुगम्य होती है। *Ancoylostomidae* अङ्गुशमुख। ये बहुत छोटे छोटे प्राणी होते हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनके मुखपर अङ्गुशके समान अग निकला होता है। *undroecium* पुमा। यह वृक्षोंकी पुस्तेन्द्रिय है। वृक्षोंमें भी पुस्त और स्त्री—दो लिंग होते हैं। *Anemophilous* चातपरागित—जिनमें परागको चात ले जाती है, मरुखी आदि नहीं। *Omnithopter* चपलश विमान। अर्थात् ऐसा विमान जिसके पछ हिलते रहते हों—इत्यादि-इत्यादि। हम सब इस काममें पिछले सोलह बर्षोंसे लगे हुए हैं और एक लाखसे अधिक शब्द हम सहजत भाषासे ले चुके हैं। इन शब्दोंका सम्बन्ध विज्ञानकी लगभग सभी सुख्य शाखाओंसे है। दूढ़ने पर भी, तथा कोटि यन्त्र करने पर भी हिन्दुस्तानी अथवा उर्दू, अरवी, फारसी और तुकी अथवा इन सबके मेलसे विज्ञानके शब्दोंकी पूर्ति न होगी। हेदराबाद राज्यने लाखों रुपये अथवा किये और कुछ थोड़े बहुत शब्द बनाकर हार बंडे और अगरेजीका मुख ताकने लगे। हम तो अग्रेजी का मुख ताकनेकी आवश्यकता नहीं। किन्तु यदि हिन्दुस्तानीका आथ्रय लिया गया तो कभी भी ऐसा समय नहीं आयगा, जब हम अग्रेजी भाषाको दासता, अर्थहीनता, सकीर्णता और जटिलतासे मुक्ति पायेंगे। जो लोग हिन्दुस्तानीके पक्षवातो हैं, वे अगरेजीके समर्थक हैं। शुद्ध भारतीय सम्यता, धर्म, भाषा, विज्ञान और दर्शनका उदय होनेके लिये भारतका मस्तिष्क स्वतन्त्र होना चाहिये। इसपर किसीका बोक्त नहीं पड़ा चाहिये। यदि मुसलमानों और इंसाइर्योंका दृष्टिकोण विदेशी है तो शिक्षाद्वारा, युक्तिद्वारा तथा राजनीतिक शक्तिका प्रयोग करके उनको स्वदेशी बनाना चाहिये। यदि यात बहुत कठिन अथवा असम्भव नहीं है। यदि ऐसा न किया गया तो भारतका प्राचीन गौरव नष्ट हो जायगा, हमारी सांस्कृतिक पैतृक सपत्नि

हिन्दी भाषाका सम्बन्ध एक ओर सस्तुतिचे है तो दूसरी ओर भारतकी समस्त प्रान्तीय भाषाओंसे । हिन्दुस्तानीका सम्बन्ध भारतवर्षके किसी प्रान्तसे नहीं है । किन्तु हिन्दुस्तानीमें जो शब्द हिन्दी भाषाके हैं, वे ठीक हैं ; क्योंकि वे भारतीय हैं । किन्तु हिन्दुस्तानीमें जो शब्द विदेशी हैं, वे तो विदेशी ही हैं ; उनको भारतीय राष्ट्रका आधार बनाना कहाँकी बुद्धिमत्ता है ?

‘कल्याण’ के पाठकोंका, ‘कल्याण’ के धर्मपरायण हिन्दुसभ्यताभिमानी धर्मनिष्ठ पाठकोंका कर्तव्य है कि विधान-परिषद्के सदस्योंको हजारों, लाखोंकी सख्त्यामें पत्र पहुँचा दें और उनको घतला दें कि हिन्दी भारतवर्षकी एकमात्र भाषा शुद्ध सस्कृतमयी हिन्दी, और एकमात्र लिपि देवनागरी है । इन लोगोंकी प्रथानाताको किसी भी प्रकारसे सकुचित करना, कलहित करना, दूषित करना, भारतकी राजसभिति का कार्य नहीं हो सकता ।

आजकलके युगको वैज्ञानिक अधिकार्य यन्त्रयुग कहा जाता है । इस युगमें अन्य लेहर विज्ञान और यन्त्रोंका प्रयोग अनिवार्य है, किन्तु विज्ञान और यन्त्रोंका प्रयोग करनेके लिये हमको वैज्ञानिक शब्दोंकी आवश्यकता पड़ेगी । अभीतक यहाँ अप्रेजी भाषाका साक्षात्य रहा है । अप्रेजी भाषाने हमारी भाषाओंको नहीं उठाए दिया । जिस प्रकारसे मुस्लिम राज्यके कारण न्यायालयोंकी भाषाओं पर अरबी और फारसीके शब्दोंका अध्यारोप किया गया और भारतीय शब्दोंको बाहर निकाल दिया गया, उसी प्रकार विज्ञानके क्षेत्रमें प्रारम्भसे अप्रेजीका आधिपत्य रहा । अप्रेजी राज्यके समाज होते ही उनकी भाषाकी भी समाप्ति होना आवश्यक है । हमारे बहुतसे नेता अप्रेजीकी प्रथानाताको दूर करना नहीं चाहते । स्वतन्त्रताका नाम जपते हुए भी उनके रोम-रोममें अप्रेजीका प्रेम भरा है, किन्तु हम तो निश्चय कर चुके हैं कि हमारे देशमें अप्रेजीका साक्षात्य नहीं रह सकेगा । उसके स्थान पर हिन्दी-साक्षात्य होगा । भारतवर्षमें दूसरी कोई भाषा नहीं, जो विज्ञानके सारे शब्दोंको दे सके । हिन्दीके शब्द सस्तुतसे लिये जानेके कारण भारतवर्षकी सभी प्रान्तीय भाषाओंको गाढ़ होंगे । विज्ञानके चाहे कितनेसे कितने कठिन शब्द क्यों न हों, उन सबके लिये ही सस्तुत धातुओंके आपारपर शब्द बन जाते हैं । उदाहरणके

दो हो दिन हुए, अपनी प्रार्थनामें कहा कि यह प्रसन्न होनेको घड़ी नहीं है, यह आत्म-विश्लेषणकी और आत्म-निरीक्षणकी घड़ी है।

हमें लगता है कि आज हमें यह सत्य स्वीकार करना ही चाहिये कि पिछले पचीस-तीस वर्षसे हम जिस साम्प्रदायिकता से बबूलको जान-अनजान सोचते रहे हैं, उसमें 'सम्पूर्ण देशकी सम्पूर्ण स्वतन्त्रता' रूपी आधारकल करी लग ही नहीं सकता था।

जिस दिन हमने साम्प्रदायिक चुनाव स्वीकार किया, जिस दिन हमने सम्प्रदाय विशेषको साथ लेनेके लिये खिलाफ़त आन्दोलन जैसे आन्दोलनको एक राष्ट्रीय आन्दोलनके रूपमें स्वीकार किया, जिस दिनसे हम गुलामोंकी राजनीति और राष्ट्र-नीतिमें यह हिन्दू-सुस्लिम-एकताका वहम आ गुसा, वह देशके दुभाँग्यका दिन था।

हम समझते रहे कि हम 'हिन्दुओं' और 'मुसलमानों' को मिलनेके लिये आन्दोलन कर रहे हैं, किन्तु वे सब हिन्दू-चेतना तथा मुस्लिम-चेतनाको पृथक्-पृथक् बदानेके आन्दोलन सिद्ध हुए। × × ×

×

×

×

×

काश ! इस देशका पिछले ३० वर्षका राष्ट्रीय आन्दोलन उसमें सम्मिलित होने और न होने वालोंके मज़हबोंकी ओरसे सर्वथा उदासीन रह सकता ।

आजसे पांच वर्ष पहले वापूकी प्रेरणाएं जो 'हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा' की स्थापना हुई, वह हमारे विनाश सम्भितिमें इसी दूसरी तरही साम्प्रदायिक—मनोशृष्टिका परिणाम थी। किसी बोतल पर गलत लेबल लगा होनेसे उसके अन्दरकी दवाईमें अन्तर नहीं पड़ जाता। 'राष्ट्रीयता' का लेबल आखिर कितने दिन किसी चोक़की इक्षण करेगा।

'स्वराज्य' के लिये 'हिन्दू-सुस्लिम एकता' अनिवार्य और 'हिन्दू-सुस्लिम एकता' के लिये 'हिन्दी-उर्दू-एकता' अनिवार्य। यही तो रही इस 'हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा' को दार्शनिक पृष्ठ-भूमि ।

यहाँ राष्ट्र-भाषाको प्रश्न राष्ट्र-भाषाका प्रश्न नहीं रहा। यहाँ राष्ट्र-साहित्यका प्रश्न राष्ट्र-साहित्यका प्रश्न नहीं रहा। यहाँ सभी कुछ 'हिन्दू-सुस्लिम एकता' की

विलुप्त हो जायगी और हम दीन, दीन, इतिहास-शून्य जगली जातियोंके समान फारस, अरब और अंगलेंडके द्वार पर भिजारी बन जाएगे । पर हिन्दीका आथ्रव लेनेपर हिन्दू सस्तुति बची रहेगी और जो उछ भी भारतमें गौरवास्पद वस्तुएँ शेष हैं, उनको अपनी आधारशिला बनाकर हम पुनरपि सासारके अमरगमी नेता बन सकेंगे ।

‘कल्याण’ से

(सात्त्विक जीवन, सितम्बर १९८७)

श्री भद्रन्त आनन्द कौशल्यायन—

[भद्रन्त आनन्द कौशल्यायन ने अपने इस लेखमें ‘हिन्दुस्तानी’ को, हिन्दू-सुस्तिम एकत्राकी पृष्ठभूमि पर प्रतिपादन करने वाले तकांके खोखले-पनको स्पष्ट कर दिया है । यदि गाधीजी इसका समर्थन मी करते हैं, तो यह उनका मोह-मात्र है । मोह तथा यथार्थमें यथेष्ट अन्तर है ।] ।

वापू—हिन्दुस्तानीका मोह छोड़ो

यह जो हमारे पश्चिम और पूर्वमें देशके दोनों सिरोंको करम कर दिया गया है, हम उसके लिये ‘विभाजन’ जैसे नरम शब्दका प्रयोग कर ‘आत्म वशना’ नहीं करना चाहते । वह देशका वैसा ही अग—विच्छेद है, जैसा आजसे ४२ वर्ष पहले ‘धग भग’ हुआ था । उस समझकी ‘राष्ट्रोयता’ आजकी दृष्टि सत्यिर्वाद हुई ‘राष्ट्रोयता’ से अच्छी थी । वह बग भगका सहन न कर सकी थी । हमने आज बग भग ही नहीं, पजाव भगको भी न केवल सहन किया, बल्कि उसे स्वीकार किया है । त्रिदिव कूटनीतिने हमें सासारके सामने देशके अग विच्छेदकी मांग करने वालोंके हृष्में ख़दा किया है ।

लोग कहते हैं, कि अन्तमें आत्मशब्दकी ही विजय होती है । होती होगी, आज तो कूटनीतिकी ही विजय हुई है ।

प्रस्त उठता है, क्यों हुई ? दूसरोंको दोप देना अपनी मूर्खता तथा अपने अपराधको छिपानेका सर्वात्म साधन है । उसके कोई लाभ नहीं । यापूने अभी

दो हो दिन हुए, अपनी प्रार्थनामें कहा कि यह प्रसन्न होनेको पक्षी नहीं है, यह आत्म-विश्वेषण सी और अत्म-निरीक्षणकी पक्षी है।

हमें लगता है कि आज हमें यह सत्य स्वीकार करना ही चाहिये कि पिछले पचोस-तोस बर्पें हम जिस साम्राज्यिकता स्पो बबूलको जान-अनजान सोचते रहे हैं, उसमें 'सम्पूर्ण देशकी सम्पूर्ण स्वतन्त्रता' स्पी आप्सफल कभी लगा ही नहीं सकता था।

जिस दिन हमने साम्राज्यिक चुनाव रखीकार किया, जिस दिन हमने सम्प्रदाय विशेषणों साथ लेनेके लिये खिलाफत आन्दोलन जर्से आन्दोलनको एक राष्ट्रीय आन्दोलनके रूपमें रखीकार किया, जिस दिनसे हम गुलामोंकी राजनीति और राष्ट्र-नीतिमें यह हिन्दू-सुस्तिम-एकताका पहल था शुरा, वह देशके दुर्भाग्यका दिन था।

हम समझते रहे कि हम 'हिन्दुओं' और 'मुसलमानों' को मिलानेके लिये आन्दोलन कर रहे हैं, किन्तु वे सब हिन्दू-चेतना तथा मुस्लिम-चेतनाको पृथक्-पृथक् बङ्गानेके आन्दोलन सिद्ध हुए। × × ×

x

x

x

x

काश ! इस देशका पिछले ३० वर्षका राष्ट्रीय आन्दोलन उसमें सम्मिलित होने और न होने वालोंके मज़हबोंकी ओरसे सर्वया उदासीन रह सकता ।

आजसे पांच वर्ष पहले कापूकी प्रेरणाए जो 'हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा' की स्थापना हुई, वह हमारी विनाश सम्भतिमें हसी बूमी तरह ही साम्राज्यिक—मनोरूपिणी परिणाम थी। किसी बोतल पर गलत लेबल लगा होनेसे उसके अन्दरकी दबाईमें अन्तर नहीं पड़ जाता। 'राष्ट्रीयता' का लेबल आखिर कितने दिन किसी चोज़की रक्षा करेगा।

'स्वराज्य' के लिये 'हिन्दू-सुस्तिम एकता' अनिवार्य और 'हिन्दू-सुस्तिम एकता' के लिये 'हिन्दी-उर्दू-एकता' अनिवार्य। यही तो रही इस 'हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा' की दर्शनिक पृष्ठभूमि ।

यही राष्ट्र-भाषाका प्रश्न राष्ट्र-भाषाका प्रश्न नहीं रहा। यही राष्ट्र साहित्यका प्रश्न राष्ट्र-साहित्यका प्रश्न नहीं रहा। यही सभी युछ हिन्दू-सुस्तिम एकता' की

बलिवदे पर निषावर कर दिया गया और एकता भी ऐसी जो प्रति वर्ष किये और तोड़े जाने वाले हिन्दू-मुस्लिम पैकड़ोंकी शृणुलाकार हो एक दूसरा नाम।

समाचार-पत्रोंमें था कि दिल्लीकी भजी बस्तीमें डा. राजेन्द्र बाबू और श्रीमन्नारायण अग्रवाल बापूसे हिन्दुस्तानी प्रचारके बारेमें चातचीत कर रहे हैं। सोचा था, यह स्वाभाविक है। देशमें इतनी बड़ी उथल-पुथल किस विचारधाराको, किस छृष्टवानको कुछ सोचने समझने पर मजबूर न करेगो।

उछ दिनके बाद श्री श्रीमन्नारायण अग्रवालका एक वक्तव्य पढ़नेको मिला, जिसका शीर्षक अधिकाश हिन्दी-पत्रोंमें ‘देशकी राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी’ था। अखिं पर विज्ञास नहीं हुआ। ध्यानसे पढ़ा, दस वक्तव्यमें श्री श्रीमन्नारायण अग्रवालने हिन्दुस्तानीके बारेमें अपना सन्देह व्यक्त किया था और कहा था कि यदि पार्टिस्तान की भाषा बदूँ हो गयो (उन्ह इसमें सन्देह है) तो फिर भारतमें हिन्दीकी राष्ट्रभाषा बनानेके आनंदोलनको रोकना कठिन हो जायगा।

‘हमने श्री श्रीमन्नारायण अग्रवालके इस सन्देशका स्वागत किया, क्योंकि सन्देशसे ही ज्ञान पैदा होता आया है, पहले सन्देह पोंछ ज्ञान।

किन्तु इसके बाद उनका एक दूसरा वक्तव्य भी पढ़नेको मिला है, जिसमें उन्होंने हिन्दुस्तानी-प्रचार सभाके मन्त्रीकी हैसियतसे इस बातकी घोषणा की है कि सभाकी रोतिनीति वही रहेगी, जो आज तक रही है।

ऐसा लगता है कि पहला वक्तव्य श्री श्रीमन्नारायण अग्रवालके अपने व्यक्तिगत विचारोंकी ओर विदेश करता है और उनका दूसरा वक्तव्य हिन्दुस्तानी-प्रचार सभाके मन्त्रीकी हैसियतसे किया गया कर्तव्य पालन है।

हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाके अध्यक्ष मान्य राजेन्द्र बाबू हैं। उनके कभी इस बारेमें एक वक्तव्य भी न देनेसे ही हिन्दुस्तानीके बारेमें उनका उत्तराह स्वष्ट हो जाता है। ही, बापूके व्यक्तित्वके आगे राजेन्द्र बाबूके समान ‘यथा नियुक्तोसि तपा करोमि’ का इतना धानदार उदाहरण दूसरा है ही नहीं।

सभी बात है वापू द्वी हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा है। वे हिन्दो-साहित्य-समेलन में नहीं हैं—इसका समेलनको हार्दिक दुःख हुआ, उनके मार्ग-दर्शनसे वह बिवर हो गया। यह उसको हानि हुई, लेकिन तो भी समेलन जैसे-तैसे जीवित है और हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाएं यदि आज वापू अपना नाम हटा ले तो……।

इसलिये इधर वापूका जो प्रार्थना प्रवचन हुआ है, वह सब कुछ है और है बहुत ही महत्वपूर्ण।

इस प्रार्थना-प्रवचनको हमने कई बार पढ़ा। उसमें भावनाओं ऐसी और इतनी अधिक पुढ़ है, जो किसीके भी चिन्तनके लिये पातक है। वापूके प्रार्थना-प्रवचनके तीन हिस्तेमें उन्होंने स्त्रीशर किया है कि हिन्दुस्तानीको लेफर आज देश उनक्य साथ देनेको तैयार नहीं है। उन्होंने इधे औरके द्वारा छोड़ दिया गया पक्ष कहा है। उन्होंने कहा है वह अकेले रह गये हैं और रवि वावूके उस प्रसिद्ध गीतकी भावनाके अनुसार उन्होंने कहा है कि 'यदि तेरी चात सुन कर कोई साथ नहीं देता है तो अकेला चल।' क्या हमें हमारे वापू इतना निवेदन करनेको भाशा देंगे कि राष्ट्रीय कार्यक्रम तो राष्ट्रके साथ देने और न देने पर ही निर्भर करते हैं। हाँ, अभ्यात्म की सहक पर आदमी जितनी दूर तक चाहे अकेला आगे बढ़ सकता है।

दूसरी चात वापूने अपने समेलन छोड़ देनेका कारण बताया है। हमें यह अथवार्थ लगता है। इन्दौर समेलनके ही समय भाषाके बारेमें यदि वापूकी वही दृष्टि होती जो इधर चार-पाँच बर्षोंसे उन्होंने अपनाई है, तो वापू इन्दौर समेलनके समयसे समेलनमें न होते। वापू प्रायः पुरानी बोतलमें ही नई शराब भरनेके अभ्यासों हैं। इसलिये वह अपनी भाषा-सम्बन्धी इस नई रीति-नीतिको इन्दौर समेलन तक छोंच ले जाना चाहते हैं। वापूकी भाषा-सम्बन्धी विचारधारा वापूके लिये पुरानी रही हो, किन्तु हिन्दी साहित्य समेलनके लिये वह नई ही थी। समेलन विना अपनी परम्पराके लाज किये उसे स्वेकार नहीं कर सकता था। वापूका समेलन छोड़नेका यही यथार्थ कारण है। हाँ, यो कोई भी चाहे तो किसी भी बातको अनैतिहासिक ढंग पर पेश कर ही सकता है।

तो सरो बात हमारी अपनी भावनाओं भी इतना व्यक्त करती है कि उसे धूते ढर लगता है। माताएं अपने मृत पुत्रों भी चिपटी रहती हैं। ऐसी हालतमें कोई आर्थर्य नहीं कि बापू देशके इस अग-विच्छेदको देशका अग-विच्छेद स्वीकार हो न करे। चापूके ये शब्द कितने मार्मिक हैं—‘मेरा राष्ट्र तो हिन्दुस्तानमें भी है, पाकिस्तानमें भी है।’ मुझे कोई कहीं भी नहीं रोक सकता। जिजा साधव रोके। मैं कोई अलग प्रजा खोड़े दी बन गया हूँ। जिजा साहब मुझे कैद करे। मैं पासरोट लेने वाला नहीं हूँ।’ अक्षण्ड भारतके प्रति इन पक्षियोंमें इतना मोहर है कि प्राणोंमें पेठा चला जा रहा है। किन्तु हे भारतके भाग्य निर्भाता बापू। यदि मनमें यही जल्द छिपाये रहे तो इसे अखिल भारतवर्षीय काम्रेस कमेटीकी बैठकमें क्यों न व्यक्त किया? यदि काम्रेसके नेताओंको तुम्हारा—नहीं आपका और देवल आपका भाषी-वाद न प्राप्त हुआ होता, तो शायद एक बार हारी बाजी फिर जीत जाते। अखिल भारतवर्षीय काम्रेसकी बैठकमें केवल एक ‘आदमी’ ने ‘धकेले’ चलनेका साहस किया था—अद्येय टप्पनजीने। काश ! आपने वही पक्ष प्रहृण किया होता।

और बापू। अब पासरोटके लेने न लेनेचे वस्तु स्थितिमें अन्तर नहीं आता। सिंहल विदेश है। वहाँ जानेके लिये किसी पासरोटकी आवश्यकता नहीं। यदि ‘पाकिस्तान’ और भारतकी सरकार चाहे तो यह अनिवार्य नहीं कि पासरोटकी प्रथा आरम्भ हो जाय। यदि ऐसा हो तो किसीको भी पासरोट लेनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यदि हिन्दुस्तान—भारतसे पाकिस्तान जानेके लिये पासरोटकी आवश्यकता होगी, तो पाकिस्तानसे ‘भारत’ आनेके लिये पासरोटकी आवश्यकता होगी ही। बापू किसी भी योग्य अधिकारीको आज्ञा। देहर आपको भारतमें ‘बीस’ लेने और पाकिस्तानसे ‘पासरोट’ माननेकी विधानिक किया फार्मलिटीसे मुक्त किया ही जा सकता है। जिजाकी सरकार भी इतना सौजन्य दिखा ही महती है, किन्तु क्या इससे भारत अस्त द्वारा जायगा?

अब वस्तु स्थिति बदल गई है—देशमें निधिन रूपों परिवर्तन हो गया है। १५ अगस्तको जिस दिन सभार भारतको ‘डोनिनियत-स्टेट्स’ दिया जाना समझेगा, उस दिन देशके अग-विच्छेद पर पक्षी बोहर लग जायगी।

तब इमें आनी राष्ट्रभाषाकी गाहीको सुनिधित मार्ग पर दृढ़ताके साथ आगे चढ़ाना ही होगा । यापूर्व! देश आपसे नये मार्ग प्रदर्शिती आशा रखता है ।

साम्राज्यविस्तारी राह चलनेका परिणाम हम भुगत चुके । अब इमें केवल राष्ट्रीयताकी राह चलना होगा । (संसार २७ जुलाई, १९४७)

थी रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख'—

[श्री शिलीमुखके राष्ट्रभाषा^३ से उच्चतन निश्चलिखित कुछ अंशोंसे प्रकट हो जाता है कि कैसी भाषा राष्ट्रभाषाके योग्य हो सकती है । उस क्षेत्री पर हिन्दी ही उत्तरती है ! कृत्रिम मापाका प्रयास व्यर्थका शक्ति क्षय है ।]

× × ×

२५ गरेजी केवल राजभाषा है । यह राष्ट्रभाषा नहीं है और न हो सकती है । राष्ट्रभाषामें जड़ी व्यापकता अभिप्रेत है, वही उसमें राष्ट्र भावनाके पोषक तत्वोंका होना भी अनिवार्य है और राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता का संयोग-सूत्र राष्ट्रदेशकी रक्षा कर सकती है—(रक्षा का क्या प्रश्न है ? भाषा एवं संस्कृति की सहोदरा ही, अथवा उसका एक अंग है)—वही भारतकी राष्ट्र भाषा बन सकती है । ऐसो ही भाषाके द्वारा देशांगोंमें एक सूत्रता और पारस्परिक सहानुभूति तथा भारतव्यापी एकनिष्ठताका विकास हो सकता है ।

तब यह कहना पड़ता है कि भारत की राष्ट्र भाषा कोइ भारतीय भाषा ही हो सकती है । व्यवहार की दृष्टिसे हिंजे, उचारण, व्याकरण आदिकी कठिनाइयाँ इतनी अधिक और उतनी व्यापक न होंगी जिननी किसी एकदम विदेशी भाषाको अपनाने से होती है, और उसका शब्दकोष भारतीय आवश्यकताओंके अधिक उपयुक्त रहेगा । राष्ट्रीयता की दृष्टिसे भारतीय भाषा बोलने वालेको फूटी हस की चाल चलनेका अवरुद्ध उत्तमा अधिक न मिल सकेगा ।

भारतमें अनेक भाषाएँ हैं। इनमें से किसे हम अपनी राष्ट्रीय भाषा बनाएँ ? व्यवहार की उम्मोगिताको देखते हुए, व्याकरणके उद्देश्य से, यह आसानीसे कहा जा सकता है कि जो भाषा सबसे सरल और देशमें सबसे अधिक प्रचलित होगी, वही राष्ट्रीय भाषा बननेकी अभिकारिता है।

प्रान्तीय भाषाओंमें एकराष्ट्रीयताके तत्त्व तो मिल जाएगे। किन्तु किन्हीमें तो काफ़ी अधिक। बंगाल और मराठी भाषाओंने भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ संभाल-सुधार कर रखा है। इसका सबूत करण यह है कि भारतीयके नाते वग और महाराष्ट्र देश परिवर्तनके युगोंमें बहुत समय तक देशके शानुओंसे प्रबल नोचां लेते रहे हैं और अपनी जातीय राष्ट्रीय भाषाओंको वे निलंतर जान-रख रखते रहे हैं। सचमुच ही यदि देशा जाय तो संस्कृति और राष्ट्रीयताके दृष्टिकोणसे बंगाल या मराठीसे अधिक उत्तुक अन्य कोई भाषा राष्ट्रीय-भाषा पदके लिये नहीं मिल सकेगी। परन्तु इन तथा दूसरी प्रान्तीय भाषाओंमें, व्यवहारकी दृष्टिसे, वही भारी त्रुटि अव्यापकता की है।

प्रान्तीय भाषाएं अपने-अपने प्रान्तोंमें ही सीमावद्ध हैं। राष्ट्र-सीमाके दृष्टिकोणसे उन्होंने अपना विस्तार नहीं किया है। अतएव किसी ऐसी भाषाकी अपेक्षा जिसने प्रान्तोंको परिधिको पार कर लिया है, प्रान्तीय भाषाओं की राष्ट्रीय-सभा बननेका दावा अधिक नहीं हो सकता। × × ×

× × × भारतमें केवल दो भाषाएँ ऐसी हैं जो प्रान्तोंकी परिधि से बहुत काफ़ी बाहर निकल चुकी हैं और इत्तिये राष्ट्रीयभाषा की पदवीके लिये आपसमें प्रतिस्पर्धिनी कही जा सकती हैं। ये हैं हिन्दी और उर्दू। ये किछी प्रान्त विशेषमें सीमावद्ध नहीं हैं। वेरे इनको इन दोनोंका स्थान सुनुक्त प्रान्त है, पर सुनुक्त-प्रान्तसे बाहर भी इन दोनोंका प्रचार है। दोनोंमें तुल्ना करके देखा जाय हो हिन्दी अपने प्रचारमें उर्दू से अधिक वही हुरे हैं। सुनुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, उजप्रान्त, मध्यभारत, पश्चिम, विहार ग्वालियर और बडोदा में यह फैली हुई है और गुजरात तथा बन्दर्घे प्रान्तमें भी इसका कुछ प्रचार है। केवल दक्षिणके कुछ स्थानोंमें अभी

यह नहीं पहुँच पावे हैं। इसके विपरीत उर्दूशा अधिकार केवल सयुक्तप्रान्त और पंजाब, भूसाल और हैदराबाद में है। हिज्जे और उचारणकी टाईसे हिन्दी उर्दूसे अधिक सरल हैं।

हिज्जे और उचारणका सम्बन्ध तो लिपिसे ही भाषासे नहीं। असलमें हिन्दी और उर्दू मूलतः दो भिन्न भाषाएँ हैं भी नहीं। यद्य हम जानते हैं कि भाषा और संस्कृतिका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा करता है। 'हिन्दी' कहनेए हिन्दूकी संस्कृतिकी खनि निकलती है। जब संस्कृति एक होती है तो उसकी भाषा भी एक ही होती है, और एक ही भाषा होनेकी दशामें उसके दो नाम प्रायः नहीं रखये जाते। एक ही भारतीय भाषाके दिनामधारिणी होनेकी दशामें भी संस्कृतियोधक नाम 'हिन्दी' ही है और यही नाम मौलिक भी है। मुगल-दरबारने इसी मौलिक नाम को अपनाया था, अथवा उसने ही, एक प्रकार से, देशभाषा का यह नाम दिया था। उर्दूका अभिप्रय लक्खरी भाषा से है। जिस प्रकार टीसी इरिलश कह कर हम उस असंस्कृत अमेजी भाषा का बोध करते हैं, जिसे गोरे रग्लट भाषामें बोला करते हैं उसी प्रकार उर्दू भी छावनियों की भाषा थी, और उसका संस्कृत रूप हिन्दी था। अमीर खुसरो और अब्दुर्रहीम खानखानाकी कविताकी भाषा यही हिन्दी थी, असंस्कृत लक्खरी भाषा नहीं।

इस प्रकार लक्खर और संस्कृत समाज के भेदसे, 'हिन्दी' और 'उर्दू' एक ही भाषाके दो नाम थे। शिष्ट समुदाय की भाषाके सम्बन्धमें 'उर्दू' नाम का प्रयोग तो बहुत चाहकी चीज़ है, जो जातियों की मानसिक विच्छेद भावना का उदय होने पर राजनैतिक प्रभेद के उद्देश्यसे घटित किया गया है। × × ×

× × ×

आर्य और सेमिटिक संस्कृतियों का विरोध भारतमें साम्राज्यिकताका रूप धारण करके इस प्रकार बढ़ा, या बढ़ाया गया कि पिछले दिनों तुच्छ महानुगामीको उर्दू और हिन्दीके समझौते की, इन दोनोंके बीचका कोई मध्यम ढूँकेको आवश्यकता हो पड़ी। तब हिन्दुस्तानीका एक नाम सुनाई दिया, जिसमें 'हिन्दी' शब्दकी व्याप-

दस्ती वज्र जिभानेका भी बहाना था । पर 'हिन्दोस्तानी' शब्द की कल्पना ही उसकी सरसे पोच दलोळ है । 'हिन्दी' और 'हिन्दुत्तानी' शब्द के अर्थमें क्या भेद है ? क्या दोनोंकी व्याप्ति भी एक सी ही नहीं है ? ऐसी सूतनें हिन्दी को अनदस्य करना, उसे उसकी व्याप्तिसे विलग करना, सम्प्रदायिकता को ही एक दूसरा स्प देना नहीं है क्या ? हिन्दी को हिन्दुओं की ही भाषा मानकर केवल उनका विरोध करने के लिये और इस प्रकार, सम्प्रदायिकता को एक गिन्न स्पमें सन्तुष्ट करनेके लिये ही ऐसा किया जना सम्भव नाल्म होता है ।

यह हिन्दुस्तानी भाषा चौंड़ क्या होगी ? कहा जाता है कि यह न हिन्दी होगी न उर्दू । हिन्दी और उर्दू तो हिन्दुओं और मुसलमानोंकी भाषाएँ बना दी गई हैं न ? हिन्दुत्तानी दोनोंसे ही भिन्न एक ऐसी वस्तु होगी जो जनसाधारणकी भाषा कहलाएगी और उस जनसाधारणकी भाषाको बनानेवाले होंगे, जनसाधारण नहीं, कल्प हम और आप, हिन्दी और उर्दूके हाथों और उर्दू और हिन्दीके विरोधी, विशेषतः हिन्दीके विरोधी । तो फिर यह एक नई ही भाषा होगी ।

सिद्धान्त स्पसे एक कृत्रिम भाषा तैयार करनेका आवोजन एक बड़ी ही विद्य और अक्षर्ड कल्पना है । लखों वर्षके मानवजातिके इतिहासमें आज तक कोई भाषा बनाइ जाती हुई नहीं देखी गई । भाषाओंका सदा विकास ही होता है, वे स्वयं ही बनती हैं । फिर व्यावहारिक भाषाका बनाना तो और भी उपहास्य बात है, क्योंकि व्यावहारिक भाषा तो सदा बनी हुई ही रहती है—वह भविष्यतकी वस्तु नहीं है और जो व्यावहारिक भाषा होती है समाजमें दसका कोई नाम भी रहता ही है । हमारी वर्तमान व्यावहारिक भाषाका भी नाम है उर्दू या अधिक व्यापक और राष्ट्रीय अर्थमें, हिन्दी ।

निष्ठक्ष-भावसे विचार करने पर समझदार व्यक्तियोंको यही पता लगेगा कि 'हिन्दी' नाम सम्प्रदायिकताको दूर कर राष्ट्रीयताको मुष्ट करनेवाल्य है । हिन्दी भाषा हिन्दुओं और मुसलमानों और अधिकांश प्रान्तों तथा राज्योंकी व्यावहारिक भाषा है । वह अपेक्षाकृत स्पमें सरल भी है । हिन्दीमें अपनानेकी जितनी शक्ति

है, उतनी और किसी भाषामें नहीं—संस्कृतसे लेकर अंग्रेजी, फारसी अरबी, बंगला, मराठी और गुजरातीके कितने ही शब्दों और प्रयोगोंको इसने अपना अंग बना लिया है। इन सब भारतीयोंको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि और अधिक क्षेत्र प्राप्त होने पर उन क्षेत्रोंके उपयुक्त भी यह अपनेको न बना लेगी। हमारे देश और संसारको सबसे बड़ी विभूति महात्मा गांधी भी स्वयं गुजराती होते हुए और बहुत अच्छी हिन्दी न जानते हुए भी, हिन्दीके समर्थक बने हैं, तो कोइ यह कहनेका साहस न करेगा कि उन्हें अपनी मातृभाषासे द्वेष है। इस निलेप महात्माने भी हिन्दीकी सार्वभौम उपयोगिताको पढ़चाना है।

('आर्यभाषा और संस्कृति'—'राष्ट्रभाषा')

श्री इयामनारायण जी—

[निम्नलिखित लेखमें श्रीयुत इयामनारायणजीने डाक्टर ताराचन्द्रजीके प्रसिद्ध लेखका उत्तर दिया है। लेखकने बड़ा ही सुन्दर रथा तार्किक विश्लेषण कर बताया है कि जिस 'हिन्दुस्तानी' का प्रतिपादन किया जा रहा है, वह कितना तत्त्वव्हीन है। लेखक विदेशी शब्दोंका वहिकार नहीं करते, वरन् स्वागत ही करते हैं, कारण यह तो भाषाकी चिरंतन परिपाटी है कि नवीन शब्दोंका संब्रहण तथा समन्वय होता रहे। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि भाषाके स्वरूपका, उसकी विशेषताओंका संहार कर सांस्कृतिक सम्बन्धकी घज्जियां उड़ाकर एक विचित्र अस्वाभाविक भाषा जनताके ऊपर जबर्दस्ती लादी जाय।]

हिन्दुस्तानी और डाक्टर ताराचन्द्र

यपुर-सम्मेलनके कई भाषणों पर वयोवृद्ध डाक्टर ताराचन्द्रने अपने विचार 'विश्व-भाषा' के अन्तर्वर अझमें प्रकट किये हैं। यों तो उनके विचार सारे हिन्दो-जगत्को विदित हैं। उक निबन्धमें डाक्टर महोदयने जो असत्त और अर्थ-सल बातें कही हैं, उनका निराकरण करना प्रत्येक विद्यार्थीका कर्तव्य हो जाता है।

डाक्टर साहब उर्द्देशे हिन्दीकी तुलना करते हुए कहते हैं—“उर्दू का साहिल्य हिन्दीके साहित्यसे बहुत पुराना है, और अवधीरे भी पुराना है।” सत्थ है कि उक्त कथनमें अवधी और वज्रका हिन्दोसे थलग माना गया है। डाक्टर साहब पिंदार व्यक्ति हैं; उनकी निगाहमें यह सच हो सकता है। लेकिन जब कभी हिन्दी-साहिल्यका नाम लिया जाता है, तर उसके महारथियामें कबीर, जायसी, सूर और तुलसीकी गिनती पढ़ते होती हैं। इस प्रकार हिन्दी भाषाका अर्थ उस भाषा और बोली-समूहसे है; जिसका व्यवहार मैथिली-मण्डी, दिल्ली-तैलगृ-मराठी तथा मालवी-गुजराती-पञ्चावी और पढ़ाईके इलाकोंसे पिरे हुए प्रदेशमें होता है। इस भाषा-समूहमें बांगड़ू-खड़ी, ब्रज-मुन्देली कनौजी, अवधी-बघेली, छत्तीसगड़ी और भोजपुरी सम्मिलित हैं। अतः हिन्दी के बल खड़ीका बाचक नहीं है, और इसी दृष्टिसे हिन्दी-साहिल्यका इतिहास उर्दूसे बहुत ही पुराना है। हिन्दीके आदिकवि खरहपा ७६० ई० में रहे होंगे। सरहपाके पीछे स्वयम्भू जैन कविराज जो हिन्दी-साहिल्यके इने-गिने दो-चार प्रधान कवियोंमें हैं, शायद कान्यकुञ्जाधिपति ध्रुवधारावर्य (७८०-९४ ई०) के समकालीन थे। कविराज स्वयम्भूने जिस भाषामें रचना की है वह जायसीको भाषाके मूलका नवजात रूप है। कहनेको आवश्यकता नहीं कि जायसी (रचना-काल १५२७ ई०) और स्वयम्भू दोनोंकी भाषा अवधी, पूरी हिन्दी, है। खड़ी बोली या पश्चिमी हिन्दीके ज्ञात आदिकवि अमीर खुसरो (सन् १३५५-१३२५ ई०) और दूसरे प्रधान कवि कबीर (जन्म सन् १३९९ ई०) हैं। उर्दूके आदिकवि सुहम्मद कुली कुतुबशाह-जिल्हे-अलाह (सिहासनारोहण-काल १५८० ई०) हैं। कहा जाता है कि इनका दीवान, हैदरगाहके राजकीय पुस्तकालयमें सुरक्षित है। यदि डाक्टर महोदय इन तारीखोंकी तुलना करनेका कष्ट करते तो शायद वे ऐसा न कहते। यदि डाक्टर साहब अमीर खुसरोको उर्दूका ही पूर्वपुरुष मानते हैं और कबीरको अटपटी भाषाका कवि समझते हैं, तब तो बात ही दूसरी है। प्रसिद्ध कवि सूर (सन् १४८३-१५६३ ई०) ब्रजभाषाके आदिकवि नहीं माने जा सकते, उनके पूर्व और भी कवि हुए होंगे। यदि इमं ज़िल्हे-अलाहको उर्दू शीलीका प्रथम कवि मान ले, तो स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी हिन्दीका साहिल्य उर्दू साहिल्यसे प्राचीन है।

डाक्टर साहब आगे कहते हैं—“पन्द्रहवीं सदीसे भागरहवीं सदीके आखोर तक उर्दू ही हिन्दू-मुसलमान शिष्टोंको भाषा थी। आज भी उसका इक है कि वह राष्ट्रभाषा यानी हिन्दुस्तानके सभी निवासियोंको विला सम्प्रदायी तमोक्तके आम भाषा मानी जाय।” १५वीं से १८वीं सदी तक मध्यदेशका शिष्टजन समुदाय उर्दू बोलता था, इसके लिये डाक्टर साहब क्या प्रमाण दे सकते हैं? कल्पनाके सहारे ऐतिहासिक कथनोंका मूल्य नहीं आँका जा सकता। क्या डाक्टर साहब यह बताने की कृता करेंगे कि दिल्ली और जौनपुर तथा आगरे और लखनऊके शिष्टेंजनोंके अतिरिक्त इलाहाबाद, कड़ा, मधुरा, कनौज आदि जगहोंके लोग भी उर्दू अधृत् फारसी-अरबी-मिथित हिन्दी—का व्यवहार करते थे? यदि हाँ, तो उनके पास क्या प्रमाण है?—यदि डाक्टर साहबके शिष्टजन दिल्लीमें ही सीमित हैं तो दूसरी बात है। आज भी अवधी कायस्थ और मुसलमान फारसी-अरबीका विशुद्ध उच्चारण अपनी बोलीमें कहते हैं। १५वीं से १८वीं सदी तकके उत्तरीय भारतमें फारसी राजभाषा थी। इन चार सौ वर्षोंके प्रथम १५० वर्षों तक शायद ही राजी बोलीका प्रचार किसी भी रूपमें व्रजभूमिके पूर्व रहा होगा। सधुफ़ही भाषाके रूपमें खड़ी—जिसमें आरबी-फारसीके शब्द इनें-गिने थे—को लोग जानते अवश्य रहे होंगे। राणा सांगा हेमू, उदयसिंह, राणा प्रतापसिंह, मानसिंह, सवाई जयसिंह और रामसिंह क्या उर्दू बोलते थे? शेरशाह और उसके उत्तराधिकारी क्या फारसीके अलावा उर्दूका व्यवहार करते थे और पूर्वी अवधी या भोजपुरीका व्यवहार नहीं करते थे? आगरेमें सुगलोंके स्थापित हो जाने पर क्या सुगल दर्बारमें फारसीके अतिरिक्त लोग ब्रजमें बातचीत नहीं करते थे? इसके पक्ष या विपक्षमें डाक्टर साहब क्या युक्ति दे सकते हैं? उन्हें यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि पश्चिमी मुसलमानों, कायस्थों, काश्मीरियों और खत्रियोंको छोड़कर, इस प्रान्तमें और भी शिष्ट जन-समुदाय था। हिन्दू और मुसलमान बराबर अपनी बोलीका ही प्रयोग करते थे। आज भी प्रयागमें रहनेवाले भोजपुरी शिष्ट हिन्दू और सुस्तिम आपसमें भोजपुरीमें ही चातचीत करते हैं। यह शायद डाक्टर साहबको अज्ञात नहीं है। यदि हम यह मान भी लें कि इस प्रान्तमें उर्दू ही प्रान्तभाषा रही है तो भी उसे

राष्ट्रभाषा बननेका अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता। इसका एकमात्र कारण उर्दूका 'संस्कृतीयत' है।

किसी भाषाकी राष्ट्रभाषा बननेके पूर्व उसकी राष्ट्रीय हैसियत होनी चाहिये। राष्ट्रीय हैसियत तभी मानी जा सकती है जब राष्ट्रके सभी अन्न उसे स्वीकार कर लें अर्थात् गुजराती, मराठी, तेलगू, कछड़, तामिल और मलयालम् तथा उडिया, बड़ाली, आसामी, मैथिली, पहाड़ी, खोजपुरी, पञ्जाबी, अवधी, बज काश्मीरी, पश्तो और सिन्धी वर्ग इसे स्वीकार कर लें। यह तभी हो सकता है जब उर्दूका सांस्कृतिक आधार भारतीय हो। क्या उर्दूका सांस्कृतिक आधार भारतीय है? नहीं। उर्दू नस्तालीक लिपिमें लिखी जाती है और उसकी संस्कृति-भाषा अरबी या फारसी है, जो दोनों विदेशी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उर्दू-साहित्यको अरबी-फारसी पुरावृत्त, इतिहास, समाज-शास्त्र, भूगोल, छन्दशास्त्र और साहित्यशास्त्र पर अवलम्बित होना पड़ेगा और जब उसे शब्दकोषकी आवश्यकता होगी तब अरबी और फारसीकी ओर निहारना पड़ेगा। यह परिस्थिति वैज्ञानिक नहीं है। भारती अन्य आर्य-अनार्य साहित्यिक भाषाओंका सांस्कृतिक आधार भारतीय है अर्थात् वे सबकी सब ज्ञानीसे प्रसूत लिपियोंमें लिखी जाती हैं और उनकी संस्कृति-भाषा अन्दस-संस्कृत-पालि-प्राकृत है। वातावरण विशुद्ध भारतीय है। आवश्यकना पढ़ने पर संस्कृत-शब्द संस्कृत भाषासे लिये जाते हैं। शोरी और फरहाद, फस्तम और सोहराव, कैलुशरो और केकुबाद, गुल और बुलबुल और शीशा और सागर, मयखाना और साको दिल्लीकी उर्दूको छोड़कर अन्य साहित्यिक भाषाओंके लिये बिल्कुल विदेशी हैं। उसके छन्द मात्राओं या वर्णों की सल्ल्या या क्रम पर अवलम्बित न होकर बहरोंके धज्जन पर निर्भर हैं। शब्दकोषमें तत्त्वम् अरबी-फारसीके शब्द हैं। इस प्रकार उर्दू अपनी पहली पीढ़ियोंकी परम्परा, अन्दस-संस्कृत-प्राकृत आदि से नाता तोड़ बिल्कुल भिन्न हो गई है। भारतकी दूसरी आर्य और अनार्य भाषाओंका वातावरण भारतीय है, वे अपनी परम्परासे जुदा नहीं हुए हैं। क्या ऐसी परिस्थितिमें ढाक्कर साहब यह आशा करते हैं कि अखिल भारत उसे स्वीकार कर लेगा? ढाक्कर साहब यदि अपने सुनुक्तान्तवालोंसे यह आशा करते हों कि वे इसे राष्ट्रभाषाकी पढ़ती दें तो

यह उनके वशकी घात नहीं है। संयुक्तप्रांतमें ही उर्दू यदि प्रान्तभाषा हो जाय तो आश्चर्यकी घात है। प्रान्तभाषाका नाम उर्दू (लक्खरकी दर्बारकी भाषा) देना ही उसका अपमान करना है। अबपी और बज साहित्यकारने यदि खड़ीको अपनाया तो इसलिये नहीं कि उसे अपनी परम्पराएँ देप था; उसने तो खड़ीका भारतीय रूप प्रहण कर केवल इस प्रान्तको एक भाषा देनेका यन्न किया है। स्पष्ट है कि अवधी और द्रजवासी अपनी 'संस्कृतीयत' का परित्याग नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि इस प्रान्तकी भाषाका सांस्कृतिक आधार संस्कृत-पालि-प्राकृत-भाषा-वर्ग ही हो सकता है। यह बात मिथ है कि उसमें विदेशसे आये हुए अरबी, तूरानी और ईरानी शब्द समा गये हैं। जो शब्द आ उके हैं, पच गये हैं, उन्हें निकलना भूल हीगा।

डाक्टर साहबने भाषा-विज्ञानसे पुराने-धूरने सिद्धान्तों पर ही यह सिद्ध करनेकी कोशिश की है—संस्कृतसे 'मध्यदेश' की भाषाएँ कौई सम्बन्ध नहीं; संस्कृत और हिन्दीका सम्बन्ध झट, और हिन्दी-उर्दूका सचाइं पर निर्भर है; तथा भारतमें संस्कृतका प्रयोग योरपमें लैटिनके प्रयोगकी भाति है। डाक्टर महोदय यदि निष्पक्ष भावसे वस्तुस्थितिको समझनेका प्रयत्न करते तो शायद उलझी हुई समस्याको मुलझाने में कुछ सफल भी होते। संस्कृत भगवान् बुद्धके समय उदीनी (उत्तर-सीमान्त और उत्तर-पंजाब) में बोली जाती थी। उसे 'लौकिकी' कहते थे। पाणिनिने, जिनकी शिक्षा तक्षशिलमें और जन्म लाहौरमें ६०० ई० पूर्वमें हुआ था, अपनी भाषाको स्थायी रूप देकर अवधी (कौशली) और मामधी त्रात्योंसे प्राकृत-अनित भव (निकसित) उच्चारणसे उसकी रक्षा की। औदीन्याके पूर्वी रासे कुरुक्षेत्रकी पालि और शौरसेनी प्राकृतका जन्म हुआ। इसका विकसित रूप डाक्टर मनमोहन-घोषके अनुयार महाराष्ट्री प्राकृत है। शौरसेनी प्राकृतसे शौरसेनी अपभ्रंश और उससे वर्तमान खड़ी-बीगड़ी (कौरबी) की उत्पत्ति हुई। विकासके इतने लम्बे युगमें चनि-समूहमें विकार होना आवश्यक है। डाक्टर साहबने संस्कृतकी जिन १३ स्वर चनियोंकी ओर सकेत किया है वे भ्रामक हैं। सच पूछा जाय तो संस्कृतमें ये स्वर ये—अ, इ, उ, क, ए, ओ, ऐ, औ। ल का प्रयोग लौकिकी (जो पाणिनिके

पश्चात् सत्कृत कहलाई) में नहीं है। वह वैदिक चनि थी। प्रथम चारमें प्रत्येक दृस्त, दीर्घ और स्तुत होते थे, पूरका प्रयोग सम्बोधन आदिमें ही होना सम्भव था। अतः पूर्ण स्वरोंसे भिज कोई स्वर नहीं है और न अनुनासिक ही कोई अलग स्वर है। पाणिनि कहता है “मुख्तनासिकावचनोऽनुनासिकः ।” अर्थात् थ, ह, उ, ए, ओ, ए, औ ही ही अवान्तर भेद है। डाक्टर साहब कहते हैं, ‘हिन्दी, उर्दू और वह सभी बोली जिसके ये दोनों अद्वौ स्वर हैं सबुकोंसे घबराते हैं, खास कर शब्दोंके असम्भवे ।’ डाक्टर साहबके कहनेका आशय यह है कि ‘प्रसाद’ के स्थान पर ‘परसाद’ और ‘प्रयाग’ के स्थान पर ‘परियाग’ का उचारण खामोशिक और सहज है। ठीक है, उर्दूके लिये जिसकी लिपिमें सबुक वर्णके बोतनके लिये शक्ति नहीं है, सबुक वर्णका उचारण असम्भव है, लेकिन हिन्दीके लिये नहीं। हिन्दीके लिये जिहास्मूलीय थ कू य छ तथा फ और ज तथा म आदि अरबो-फरसीको अनियों का उचारण असम्भव है और यही दशा खड़ी-बौगढ़ को भी है। डाक्टर साहब क्या अपनी हिन्दुस्तानीमें आरम्भिक सबुकवर्ण तथा इन सारी विदेशी अनियोंको निकाल कर वर्णमाला सरल बनानेका साहस करते ? शायद नहीं ; क्योंकि बौगढ़-देशका ‘शिष्ट’ विदेशी अनियोंका उचारण कर लेता है, औरोंसे क्या बास्ता ? राष्ट्रभाषा बनानेकी अभिलाप्ता है, इन्तु रहेगी वह विदेशी। हिन्दी उर्दूका कमग़ा उसके सज्जापदों, क्रियापदों, अव्ययों तथा उपसर्गों, कारकोंके कारण नहीं है; वह है केवल सांस्कृतिक आधारके कारण। डाक्टर महोदय इसे जानते हैं और सूच उमझते हैं, लेकिन उन्होंने उलझी हुई मुत्तियोंकी झुलझानेके बजाय समस्याको कठिनतर बना दिया। हिन्दी और सत्कृतका जोड़ इसलिये नहीं है कि उनमें विभक्तियों, प्रत्ययों और उपसर्गोंमें एकत्रित है, बल्कि इसलिये है कि सत्कृत स हित्य भारतका आत्म प्रेरक है। श्री कन्हैयालाल मुर्शीके भाषणका दृष्टि आद्य है। लत्सम और तद्धतके महादेवों दब्बकर, दब्बकर, साहबने और समस्तभौमोंकी उपेक्षा की है। लौकिकी (साकृत) ने स्वयं अप्रचलित छान्दससे सैकड़ों शब्द ज्योंके लिये उपार लिये थे। अन्त, अस्मन्, इन्, इन्, अवि, अनद्वन्, उक्षन, राख्स् और सहस्, तथा वेश इशादि। असाहित्यिक बोलियोंके इतिहासके विभिन्न

कालोंमें संस्कृतसे शब्द उधार लिये जाते थे जैसा कि जायसीके काव्यसे स्पष्ट है। जिन कवियोंने संस्कृतसे सीधे शब्द लेकर रचनायें की हैं, उनके काव्य आज भी समझमें आते हैं और जिन्होंने संस्कृतसे सम्बन्ध नहीं रखा, उनके काव्य दुरुद्ध ही नहीं हुए, गायब भी हो गये। कविराज स्वयम्भूको, जिनको कविता तुलसी और जायसीसे भी श्रेष्ठ समझी जाती है और जिन्होंने शायद पहले-पहल चौपाई छन्दमें रचना की, आज कितने लोग जानते हैं? विशुद्ध तद्वोंका प्रयोग ही इसका प्रभान कारण हो सकता है। जायसीके काव्यको समझनेमें भाषा-संबंधी कठिनाई आज अवधी विद्याधीको भी होती है। इसलिये तत्समोंकी ओरसे हम एकदम अख्त भी मूँद नहीं सकते। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि भाषामें संस्कृतके तत्समोंको ठुँस दिया जाय। तद्वोंका एक विशिष्ट स्थान है जिसकी समता तत्सम नहीं कर सकते। जिस समय वैद लिखे जा रहे थे, वैदिक मन्त्रोंमें भी पूरी प्राकृतके अनेक रूप शुस्त आये थे। विकट / विकृन्, निकट / निकृत कीरक / किकृत तथा पठ / प्रथ, पट / ग्रथ, शुल / क्षुद्ल / क्षुद्र आदि। अनार्य या देशी शब्द भी संस्कृतमें मौजूद हैं। खुर, गज तथा गज्जा आदि। कुछ विदेशी शब्द भी हैं जैसे—सुरंग, यामित्र और मिहर। विदेशी शब्दोंकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। ये शब्द अपने मूल-रूपसे काफी खिसके हुए हैं, इनका भारतीकरण हो गया है। वर्तमान हिन्दुस्तानीमें भी ठोक ऐसा हो रहा है। कुछ शब्द तत्सम, कुछ विदेशी और अधिकांश वर्तमान हिन्दी-तद्वत हैं। सच पूछा जाय तो जितने भी विदेशी शब्द हैं चाहे वे अरबी, नूसानी और ईरानी हों या अंगरेजी या पुर्तगाली ही क्यों न हों, सबके सब पच गये हैं—उनका उचारण भारतीय हो गया है। लेकिन अरबी-फारसी शब्दोंके मौलिक उचारणका लोभ बाक्टर साइब दशा नहीं सकते। इधर तत्समोंका उचारण उनके स्वभावके विपरीत है। यदि डाक्टर साइब ‘धनि’ के स्थान पर ‘धुनि’ का उचारण सदृज रामगते हैं तो उसोंकी समता पर व्याकरणके स्थान पर ‘बियाकरन’ कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ‘प्रामर’ कहना ज्यादा मुनासिव समझ। यदि शब्दोंके आरम्भकी संयुक्त वर्णधनि ‘व्याकरण’ में सटकती है, मुश्किल है, तो ‘प्रामर’की आरम्भिक संयुक्त-वर्ण-

धनिके विषय में डाक्टर साहबको क्या राय है ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि भारतीय हैं, उनसे अवल, दोयम्, सोयम् की समता नहीं है। हरएक भारतीय नदियोंका नाम जानता है और मिथिलासे भी अपरिचित नहीं है। नदिन्याय (तर्क) का विकास इन्हीं दोनों ध्यानोंमें हुआ। परमाणुवाद नदिन्यायके तर्क पर अंगलमिति है। डाक्टर साहबको तर्कके स्थान पर 'मन्तक'—जिसे मैंने पहली बार डाक्टर साहबके लेखमें पढ़ा है—का प्रयोग करना अच्छा लगता है, क्योंकि "मन्तककी आवाज ऐसी रसीली है, जो तवियतको गुदगुदा देती है।" डाक्टर साहब मध्यदेश के 'श' का उच्चारण 'स' करना पसन्द करते हैं, लेकिन विष्वके 'श' को ज्योंका त्यों बनाये रखना चाहते हैं। उनकी दलील है कि हिन्दी में 'श' का उच्चारण 'स' हो गया है अतः 'देश' का 'हिन्दी उच्चारण,' 'देस' है। इसीलिये 'मध्यदेश', के 'श' का 'स' होना आवश्यक है। बदि उन्हे उच्चारण की मुगमताका ही ध्यान है तो वे मक्खार (मध्यधारा) के आधार पर 'मैक्सेस' (मध्यदेश) कह सकते हैं ; पालिमें इसका उच्चारण मजिममदेश (मध्यमदेश) है। जिस प्रकार 'शिष्ट' तत्त्वम् है, उसी प्रकार सामासिक पद 'मध्यदेश' भी। यह इसी हिन्दी कारीगरकी दस्तकारी नहीं है। सारी बात यह है कि डाक्टर साहबको सस्कृतकी लाल भण्डी भड़का देती है। सस्कृतके विषयमें भाष पैसे विद्वान् व्यक्ति की निप्र राष्ट्र ध्यान देने योग्य है—“भाज सस्कृतका सम्मान इसलिये है कि वह हिन्दू सम्प्रदायमें देववानी समझी जाती है। इस भाषामें इस खास सम्प्रदायकी पूज्य धर्म-पुस्तकें हैं।” यह कथन अर्द्धसत्य है। सस्कृतमें हिन्दूधर्मकी ही पुस्तकें नहीं हैं, जेन और बौद्ध साहित्यका बहुत बड़ा अश्व भी इस भाषामें है। साथ ही उसमें केवल धर्मपुस्तकें ही नहीं हैं, उसमें वात्मीकि, व्यास, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति, भारदि, दिग्नाग ऐसे ब्राह्मण और अब्राह्मण, बौद्ध और जैन कवियोंके काव्य और वैद्यक, पर्यातिष, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्रके अनुपम प्रन्य लिखे गये हैं। यह कहा जा सकता है कि प्राकृ-सुस्तिम् युगके भारतीय बौद्धिक और मानसिक अभ्यासका निचोड़ सस्कृत भाषामें है। डाक्टर साहब इसे भूल जाना चाहें तो भूल जाय, लेकिन एक जागरूक विद्यार्थी उस ओरसे आखिं बन्द नहीं

कर सकता । सस्कृतकी समता लैटिनसे करना व्यर्थ है । लैटिन-फ्रॉन्च, स्पैनिश पोर्तुगीज और इटलियनकी जननी है न कि ट्यूट्यूनिक, स्लैवानिक तथा ग्रीक आदि अन्य यूरोपीय भाषाओंकी । भारतमें संस्कृतका प्रयोग यूरोपमें लैटिनके प्रयोगके समान नहीं था ; फ्रांस-स्पैन-इटलीमें जैसे लैटिनका व्यवहार होता था यिल्फुल वैसे ही संस्कृतका व्यवहार भारतमें होता था । ही फारसीका व्यवहार भारतमें वैसा होता है जैसे स्टेब और ट्यूट्यूनिक यूरोपमें लैटिनका । द्राविड़ोंने भी संस्कृतको अपनाया है । तेलगू और कञ्जिमें ४० प्रतिशत शब्द संस्कृतके हैं । तामिळमें प्राचीन प्राकृत और संस्कृतके शब्दोंकी सख्त्य कमसे कम १० % है ही । ऐसो दशामें डाक्टर साहबका संस्कृतकी मद्दताको अत्य करनेका प्रयत्न सफल नहीं हो सकता ।

दक्षिणमें हिन्दी प्रचार तथा सिन्ध, पञ्चाव, काशमीर और सीमान्त प्रदेश तथा हैदराबादमें उर्दू-प्रचारकी परस्पर समता नहीं की जा सकती । दक्षिणमें हिन्दीका प्रचार मातृभाषाके स्थान पर नहीं हो रहा है, पर पञ्चावमें उर्दूका प्रचार पञ्चाबीके स्थान पर हो रहा है । यही बात हैदराबाद और काशमीरमें भी है । यहाँ पर आर्यभाषाके क्षेत्रमें भार्यभाषाके प्रचारकी वैशानिकताकी दलील कारण नहीं हो सकती और न आर्य द्रविड़के भगवेंको पैदा करनेसे ही समस्या सुलभ सकती है ।

डाक्टर साहबका यह भी कथन है कि 'भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था । और आज भी उसके राष्ट्र होनेमें सन्देह है ' जबसे संस्कृत अखिल-भारतीय भाषा बनी थी तभीसे भारत एक देश, एक राष्ट्र है । कमसे कम भारतकी राष्ट्रीयता चौथी शती ईस्वीमें संस्थापित हो चुकी थी । आज भी पिण्डदानके समय दिन्दू 'भरतखण्ड' इत्यादिको दुहराता है । विष्णुपुराण (रचना-काल ४ शती) में भारतके प्रति जो देशप्रेमसे ओत-प्रोत पद्य कहे गये हैं, सभी प्राचीन भारतीय साहित्यके विद्यार्थी जानते हैं । प्राचीन कालमें सारे प्रान्तके भारतीय परस्पर अधिक नजदीक थे । भाषा, धर्म तथा रीति-रिवाजेमें बहुत ही कम फर्क था । उस समयकी प्राकृतें एक दूसरीसे उतनी अलग नहीं हुई थीं, जितनी आजकलकी आर्य-भाषाएँ । राष्ट्रीय जागतिको अनुपस्थितिमें राष्ट्रीय सत्ताका लोप मानना उचित नहीं कहा जा सकता । प्राचीन भारतमें समकालीन अनेक शासकोंके रहते हुए भी भारतीय जन

एक राष्ट्र था—एक भाषा थी (द्रविड़-भाषा इसके मार्गमें बाधक नहीं थी ।), एक जाति थी, एक ही प्रकारके कानून थे, जोवनका एक ही उद्देश्य था, और सभके लिये एक देश भारत था । सिन्धु-सौंदीर, अवन्ति-मत्त्य, कुरु-पाण्डाल, काशी-कोशल और मगध, गृजि-मल्ल तथा अग्न-वग-कालिग और द्रविड़ जनपदोंके होठे हुए भी भारत एक राष्ट्र था और आज भी एक राष्ट्र है ।

अरबी और फारसीसे संस्कृतकी समता करना व्यर्थ है । अरबी और फारसी इस देशमें दैसे ही विदेशी हैं, जैसे इरानमें अरबी और तुर्की, तुर्कीमें अरबी और फारसी और अरबमें इरानी (फारसी) और तुर्की । हाम्मद साहबको संस्कृतको विशेष स्थान देना पड़ेगा । यह हिन्दू-सुसलमानका प्रधन नहीं है । यदि आजका मुसलमान अपने प्राचीन गौरवको हिन्दूके सरका बोक समझता है, तो कल्याण मुसलमान उसे अपनी विरापत समझेगा । यदि भारतीय मुसलमान इरानी और तुर्की मुसलमानकी तरह संस्कृतसे प्रेम नहीं करता तो इसके दो कारण हैं । एक तो बार-चार यह कहना कि मुसलमान भारतमें बाहरसे आये और दूसरे यह कि संस्कृत हिन्दुओंको बपौती है । भारतको राष्ट्रीयता वर्धकी हिन्दुस्तानी की नौव पर स्थिर नहीं रह सकती । भारतीय राष्ट्रीयता और प्रचीन भारतीय संस्कृति, जिसमा मूळ स्रोत छान्दो-संस्कृत, पालि, प्राकृत अथवा शभाषा-नदिसे फूट निकला है, एक है, दोनों एकके बिना शब्द और खोखली हैं । मेरे कहनेका आशय प्रतिक्रियाका संदेश नहीं है । इसक्य तात्पर्य इतना ही है कि यदि कल्के सासारमें राष्ट्रीयता नामकी कोई चीज़ जिन्दा रह सके तो वह केवल परम्पराके लम्बे इतिहासके बल पर । भारतीय इतिहासके आधुनिक कालमें पठ्ठन-सुगल शासन और यूरोप एवियाई समर्क एक कठोर सत्यके दो पहल हैं । इनसे आख मृदकर हम अपने उत्तरदायित्वसे बचित नहीं हो सकते । इस युगमें भाषा सम्बन्धी-प्रभाव अमर सत्य है । ऐसी परिस्थितिमें विदेशी शब्दोंके बहिष्कारकी सत्यह देना ऐतिहासिक सत्यका गता पोट देना है । छिन्न गत तीन-चार सौ वर्षोंके लिये भारतीय संस्कृतिके छ- हजार वर्ष भुल देना अपने देश और संस्कृतिके प्रति विश्वासपात रहना है ।

गांधीजी तथा टंडनजीका पत्र-व्यवहार—

[महात्माजी 'हिन्दी और उर्दू' दोनोंका शिक्षण अनिवार्य समझने लगे हैं। इसीलिए वे हिन्दी साहित्य-सम्मेलनसे अलग हो नए। इस सम्बन्धमें टंडनजीके साथ उनका जो पत्र-व्यवहार हुआ था, वह यद्यां दिया जा रहा है। श्री सम्पूर्णनिन्द तथा श्री श्रीमन्नारायण अप्रवाल एवं श्री दत्तात्रेय वाँचलेके मत भी उपर्युक्त पत्र-व्यवहार पर प्रकाश ढालते हैं :]

गांधीजी हिन्दी-संस्थासे पृथक क्यों ?

गांधीजीका टंडनजीको पत्र —

अ॥ ई टंडनजी, मेरे पास उर्दू खत आते हैं, हिन्दी आते हैं और गुजराती । —

सब पूछते हैं, मैं कैसे हिन्दी साहित्य-सम्मेलनमें रह सकता हूँ और हिन्दुस्तानी सभामें भी ? वे कहते हैं, सम्मेलनकी दृष्टिसे हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, जिसमें नागरी और उर्दू लिपिको स्थान दिया जाता है, जब कि मेरी दृष्टिमें नागरी और उर्दू लिपिको स्थान दिया जाता है ; और जो भाषा न फारसीमयी है, न संस्कृतमयी है । जब मैं सम्मेलनकी भाषा और नागरी लिपिको पूरा राष्ट्रीय स्थान नहीं देता हूँ तब मुझे सम्मेलनसे हट जाना चाहिये, ऐसी दलोल मुझे योग्य लगती है । इस हालतमें क्या सम्मेलनसे हटना मेरा फर्ज नहीं होता है ? ऐसा करनेसे लोगोंको दुविधा न रहेगी और मुझे पता चलेगा कि मैं कहा हूँ । कृपया शीघ्र उत्तर दें ।

टंडनजीका गांधीजीको पत्र —

पूज्य बापूजी, प्रणाम । आपका पत्र मुझे मिला । हिन्दी साहित्य-सम्मेलन और हिन्दुस्तानी प्रचार सभाके कायोंमें कोई मौलिक विरोध मेरे विचारमें नहीं है । आपको स्वयं हिन्दी साहित्य-सम्मेलनका सदस्य रहते हुए लगभग २७ वर्ष हो गये । इस बीच आपने हिन्दी प्रचारका काम राष्ट्रीयताकी दृष्टिसे किया । वह सब काम गलत था, ऐसा तो आप नहीं मानते होंगे ? राष्ट्रीय दृष्टिसे हिन्दी का प्रचार बांछनीय

है, यह तो आपका सिद्धान्त है ही। आपके नये दृष्टिकोण के अनुसार उर्दू शिक्षण का भी प्रचार होना चाहिये। यह एक नया काम है, जिसका पिछले बात से कोई विरोध नहीं है।

सम्मेलन हिन्दी का राष्ट्रीय भाषा मानता है। उर्दूको वह हिन्दी को एक शैली मानता है, जो विधिष्ठ जर्नल में प्रचलित है। आप हिन्दी के साथ उर्दू को भी चलाते हैं। सम्मेलन उसका तनिक भी विरोध नहीं करता। किन्तु राष्ट्रीय कामों में अगरेजी को दृटाने में वह उसकी सहायता का स्वागत करता है। भेद केवल इतना है कि आप दोनों चलाना चाहते हैं। सम्मेलन आरम्भ से केवल हिन्दी चलाता भाया है। हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके सदस्यों के हिन्दुस्तानी प्रचार सभाके सदस्य होने में रोक नहीं है। हिन्दी साहित्य-सम्मेलन को औरसे निवाचित प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी एकेडेमी के सदस्य हैं और हिन्दुस्तानी एकेडेमी हिन्दी और उर्दू शैलियाँ और लिपियाँ चलाती हैं। इस दृष्टिसे मेरा निवाचन है कि मुझे इस बात का कोई अवसर नहीं लगता कि आप सम्मेलन छोड़ें।

एक बात इस सम्बन्ध में और भी है। यदि आप हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अब तक सदस्य न होते तो सम्भवत आपके लिये यह ठोक होता कि आप हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का काम छरते हुए हिन्दी साहित्य सम्मेलन में आने की आवश्यकता न देखते। परन्तु जब आप इतने समय से सम्मेलन में हैं, तब उसका छोड़ना उमो दशामें दर्जित हा सकता है, जब नियित रूपिते उसका काम आपके नये काम के प्रतिकूल हो। यदि आपने अपने पहले काम को रखते हुए उसमें एक शाखा बढ़ाइं है, तो विरोध की कोई बात नहीं है।

गांधीजीका उत्तर—

माझ पुष्टोत्तमदास टप्पन जी, आपका पत्र कल मिला आप जो स्मरते हैं उसे मेरे बहुत समझता हूँ तो नतीजा यह होना चाहिये कि आप और सब हिन्दी प्रेमी नेरे नये दृष्टिकोण का सम्मत हों और मुझे मदद दें। ऐसा होता नहीं है। और गुजरातके लोगोंके मन म दुर्बिधा पैदा हा गयो है और मुझको पूछ रहे हैं कि

क्या करना ? मेरे ही भतीजेका लड़का और ऐसे दूसरे हिन्दी का काम कर रहे हैं और हिन्दुस्तानी का भी। इससे मुसीबत पैदा होती है। पेरीन बहन को आप जानते हैं। वह दोनों काम करना चाहती हैं। लेकिन अब मौका आ गया है कि एक या दूसरे को छोड़ें। आप कहते हैं वह सही है तो ऐसा मौका आना ही नहीं चाहिए। मेरी दृष्टि से एक ही आदमी हिन्दुस्तानी प्रचार सभा और हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का मन्त्री या प्रमुख बन सकता है। बहुत काम होने के कारण न हो सके तो वह दूसरी बात है और यह मैं कहता हूँ यही अर्थ आपके पनका है, और होना चाहिए तब तो कोई मतभेदका कारण ही नहीं रहता और मुझको बड़ा आनंद होगा।

मेरी दृष्टिसे हिन्दुस्तानी प्रचार सभा बिल्कुल आप ही का काम कर रही है। इसलिये यह आपके धन्यवाद की पत्र है और कमसे कम उसमें आपको सदस्य होना चाहिए। मैंने तो आपसे विनय भी किया कि आप उसके सदस्य बनें लेकिन आपने इनकार किया है ऐसा कह कर कि जब तक इसके सदस्य डाक्टर अद्दुल हक न बनें, तब तक आप भी बाहर रहेंगे। अब मेरी दरखास्त यह है कि अगर मेरी ठीक लिखता हूँ और हम दोनों एक ही विचार के हैं तो हिं० सा० स० की ओर से यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। आगर इसकी भावशक्ता नहीं है तो मेरा कुछ आपहू नहीं है। कमसे कम हम दोनोंमें तो हस बारे में मतभेद नहीं है, उतना स्पष्ट होना चाहिए। हिं० सा० स० में से निकलना मेरे लिये कोई मजाककी बात नहीं है। लेकिन जैसे मैं काग्रेससे निकला तो काग्रेसकी ज्यादा सेवा करनेके लिए, उसी तरह मेरे सम्मेलनकी अर्थात् हिन्दीकी ज्यादा सेवा करनेके लिए निकलूँगा।

जिसको आग मेरे नये विचार कहते हैं वे सचमुच तो नये नहीं हैं। लेकिन जब मैं सम्मेलनका पहले समाप्ति हुआ तब जो कहा था और दोबारा समाप्ति हुआ तब अधिक स्पष्ट किया, उसी विचार-प्रवाह में अभी स्पष्ट रूपसे अमल कर रहा है। आपका उत्तर आने पर मैं आखिर को निर्णय करा लूँगा।

टणडन जी का चत्तर—

पूज्य बापू जी, प्रणाम। आपका पत्र मिला। आपने अपने वहले पत्र में सुझाए पूछा था कि मैं कैसे दोनों समाजों में रह सकता हूँ? - इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपने ८ जून के पत्र में आपको दिया। पत्र में आपने एक दूसरे विषय को चर्चा की है : आपने लिखा है कि 'आप और हिन्दी-ग्रेनी मेरे नवे दृष्टिकोण का स्वागत करें और सुने नदद दें।' मैंने स्पष्ट कइ दिया है कि मैं आपके इस विचार से कि प्रत्येक देशवासी हिन्दी और उर्दू दोनों सीखें, सहमत नहीं हो पाता। मेरी भुवि स्वीकार नहीं करती कि आपका यह नया कार्यक्रम व्यावहारिक है। उक्ते दिवाइं देता है कि बंगाली, गुजराती, माठी, उक्तिवा आदि बोलभेवाले इस कार्यक्रम को स्वीकार नहीं करेंगे। हिन्दी और उर्दू का समन्वय हो, इस सिद्धान्त में पूरी तरह मैं आपके साथ हूँ। किन्तु यह समन्वय तभी संभव है जब हिन्दी और उर्दू के लेखक और उनकी संस्थायें इस प्रश्न में थद्दा दिखायें। मैंने इस प्रश्न को प्रवागमने प्रान्तीय हि० सा० स० के सामने थोके दिन हुए रखा था। मेरे अनुरोध से वहाँ यह निश्चय हुआ है कि इस प्रकारके समन्वय का हिन्दीवाले स्वागत करेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि उर्दू को संस्थायें इस समन्वयके सिद्धान्त को स्वीकार करें। उर्दूके लेखक न चाहें और आप और हम समन्वय कर लें, यह असम्भव है। इह कामके करने का कम यही हो सकता है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी समा, काशी विद्यापीठ, अंगुमने तरकी ए-उर्दू, जामिया-मिलिया तथा इस प्रकार की दो एक अन्य सुस्थाओंके प्रतिनिधियोंसे निजो बातचौत की जाय और यदि उनके संचालकों का रुपान समन्वय की ओर हो तो उनके प्रतिनिधियों को एक बैठक की जाय और इस प्रश्न के पहलुओं पर विचार हो। माया और लिपि दोनों के ही समन्वय का प्रश्न है। क्योंकि अनुभव से दिखाइ पड़ रहा है कि साधारण कामोंमें तो हम एक माया चलाकर दो लिपिमें दसे लिख लेंगे, किन्तु गहरे और साहित्यक कामों में एक माया और दो लिपि यह सिद्धान्त बलेगा नहीं। मायाका स्थायी समन्वय तभी होगा जब हम दोनोंके लिये एक साधारण लिपिका विचार कर सकें। काम कहुत बहा अवश्य है, किन्तु यह दोनोंका को रखिए स्पष्ट हो बहुत महत्व यह है।

मेरे सामने यह प्रश्न सन् १९२० से रहा है। किन्तु यह देखकर कि उसके उठानेके लिये जो राजनीतिक वायुमण्डल होना चाहिये वह नहीं है, मैं उसमें नहीं पढ़ा और केवल राष्ट्रभाषाके हिन्दी रूपकी ओर मैंने ध्यान दिया—यह समझ कर कि इसके द्वारा प्रान्तीय भाषाओंको हम एक राष्ट्रभाषाकी ओर लगा सकेंगे। मैं स्तोकार करता हूँ कि पूर्ण काम तभी कहा जा सकता है कि जब हम उर्दूवालों को भी अपने साथ ले सकें। किन्तु उस कामको व्यावहारिक न देखकर देशकी अन्य भाषा-भाषी बड़ी जनताको हिन्दीके पक्षमें करना एक बहुत बड़ा काम राष्ट्रीयता के उत्थानमें कर लेना है। अस्तु, इसी हाइडे मैंने काम किया है। उर्दूके विरोधका तो मेरे सामने प्रश्न हो ही नहीं सकता। मैं तो उर्दूवालोंको भी उसी भाषाकी ओर स्तोकना चाहूँगा, जिसे मैं राष्ट्रभाषा कहूँ। और उस स्तोकनेकी प्रतिक्रियामें स्वभावतः उर्दूवालोंका मत लेकर भाषाके स्वरूप-परिवर्तनमें भी बहुत दूर तक कुछ निधित्व सिद्धान्तोंके आधार पर जानेको तैयार हूँ। किन्तु जब तक वह काम नहीं होता तब तक इसीसे सन्तोष करता हूँ कि हिन्दी द्वारा राष्ट्रके बहुत बड़े अंगोंमें एकता स्थापित हो।

आपने जिस प्रकारसे काम उठाया है, वह ऊपर मेरे निवेदन किये हुए क्रमसे विलकुल अलग है। मैं उसका विरोध नहीं करता, किन्तु उसे अपना काम नहीं बना सकता। आपने गुजरातके लोगोंके मतमें दुविधा पैदा होनेकी बात लिखी है। यदि ऐसा है तो आप कृपया विचार करें कि इसका कारण क्या है? मुझे तो यह दिखाई देता है कि गुजरातके लोगों (तथा अन्य प्रान्तोंके लोगों) के हृदयमें दोनों लिंगोंके सीखनेका सिद्धान्त घुस नहीं रहा है। किन्तु आपका व्यक्तिल इस प्रकार है कि जब आप कोई बात कहते हैं तो स्वभावतः इच्छा होती है कि उसकी पूर्ति को जाय। मेरी भी तो वैसी ही इच्छा होती है; किन्तु युद्ध आपके बताये मार्गका निरीक्षण करती है और उसे स्वीकार नहीं करती।

आपने लिखा है कि आपने मुझसे हिन्दुस्तानी प्रचार सभाका सदस्य होने के लिये कहा था किन्तु मैंने यह कहकर इनकार किया कि जबतक अच्छुल इक साहप उसके सदस्य न बनेंगे, मैं भी बाहर रहूँगा। यह सब है कि मैं हिन्दुस्तानी प्रचार-

सभाका सदस्य नहीं बना हु। इष सम्बन्धमें स्ल० ४२ में कथा कलेक्टरजीने सुने कहा था और इलमें वक्तव्य तरहबन्दहो, व्यक्ति बन्दहो उच्चतो जानेहो पढ़दे एड लिखदेने हो पत्र सुने भेजे थे। उन्नेसे एडमें आपने इस विषयमें लिखा था। किन्तु मुझे बिल्डुल स्पष्ट नहीं है कि कभी आपने मौखिक ऐतिहे सुन्नसे उक्त सभाके सदस्य बननेके लिये कहा हो और मैंने अन्दुल हठ संहरहा इवाय देहर इन्हर लिखा हो। सुने आता है कि आपने एड कुनी बातहो बनने सामने हुई बढ़तमें स्वृतिग्रन्थमें परिषत छर दिया है। स्ल० ४२ में कलाजीने जब चर्चा की, उस सभामें उन्होंने मौखिक अन्दुल हठ तथा उर्द्धवलोंहो बनाई बत सबस्त कही थी। कर्तव्य वही था, आज नी है; अपांत् यह कि जब तक हिन्दी और उर्दू-ऐवाह हिन्दी-उर्दूके समन्वयमें उत्तोक नहीं होते, तब तक यह बत सफल नहीं हो सकता। प्रचार सभा में इस काममें कुछ भी सफलता प्राप्त भोगी तो वह अवसर में यह समझदाहो पानी होगी। आज तो इष सभाने शामिल होनेमें मेरी कल्पित हस्तियों बह नहीं है कि वह हिन्दी और उर्दू दोनोंको मिलानेके अतिरिक्त हिन्दी और उर्दू दोनों शिक्षियों और विद्योंको अट्टा-कला प्रत्येक देशकालीने किलानेकी बत्त करतो हैं।

वह तो मैंने बातके पनकी बातों क्य उत्तर दिया। मेरा निर्देश है कि इन बातोंते यह परिष्कर नहीं निकलता कि जब अधिक प्रचार सभाके बन्द सदस्य सम्मेलनसे बल्कि है। सम्मेलन हृदयसे आप जर्जोंको बनने भीतर रखना चाहता है। आपके रहनेसे वह अपना गौरव समर्पिता है। आप आज जो क्षम बना चाहते हैं, वह सम्मेलनका आना चान नहीं है। किन्तु सम्मेलन बितना चाहता है, वह आपका क्षम है। बदर उससे कठा जो बला चाहते हैं, उसे सम्मेलनमें रहते हुए नी स्वतन्त्रगूर्वक छर सहते हैं।

गांधीजी का पत्र—

माझे टप्पनजी, आपका पत्र मिला। मैंने दो बर पढ़ा। मैंतो इतना ही कहूँगा, जहाँ तक हो सक्य मैं तो आपके फ्रेनके अपील रहा हू। अब समझ आया है कि वही प्रेम सुने आपसे विदोग छापेना। वही पत्र आप सम्मेलनकी स्थानी

समितिके पास रखते । मेरा ख्याल है कि समेलनने मेरी हिन्दीकी व्याख्या अपनाई नहीं है । अब तो मेरे विचार उसी दिशामें आगे बढ़े हैं । राष्ट्र-भाषाकी मेरी व्याख्यामें हिन्दी और उर्दू लिपि और दोनों शैलीका ज्ञान आता है । ऐसा होनेसे ही दोनोंका समन्वय होनेका है तो हो जायगा । मुझे डर है कि मेरी यह बात समेलनको चुभेगी । इसलिये मेरा इस्तीफा कबूल किया जाय । हिन्दुस्तानी प्रचारका कठिन काम करते हुए मैं हिन्दीकी देवा कहूँगा और उर्दू की भी ।

(योगी २४ अगस्त १९४५)

गांधी—टंडन पत्र-व्यवहार

(श्री दत्तात्रेय वावले एम० ए० अजमेर)

महात्मा गांधी और श्रीयुत टंडनजीमें राष्ट्रभाषाके समन्वयमें जो पत्र-व्यवहार हुआ उसे पढ़ते ही जो पढ़ली प्रश्नसंदर्भ प्रतिक्रिया उत्तर देती है यह यह कि क्या अब हिन्दीमें भी उर्दूका अधिकार होगा । यह प्रतिक्रिया कहाँ तक साधार है यह निश्चय करनेके लिये यदि हम उस पत्रव्यवहारको पुनः व्यानपूर्वक पढ़ तो निम्नलिखित बत्तें स्पष्ट हो जाती हैं :

(१) महात्माजी २७ वर्ष हिन्दो-साहित्य समेलनके सदस्य रहे और इस लघ्वे समय तक वे हिन्दी प्रचारका काम राष्ट्रीयताको दृष्टिरूपे (अर्थात् हिन्दीको राष्ट्र-भाषा मानकर) करते रहे (टंडनजीका पत्र ता० ८-६-४५ का)

(२) अब महात्माजीके दृष्टिरूपमें परिवर्तन हो गया है और वे कहते हैं राष्ट्रभाषाको मेरी व्याख्यामें हिन्दी और उर्दू लिपि और दोनों शैलीका ज्ञान आता है (२५-७-४५ का महात्माजीका पत्र)

(३) हिन्दी साहित्य समेलनके उद्देश्य व नीतिमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ; यह हिन्दीको यथावत राष्ट्रभाषा मानता है (जैसे महात्माजी अभी तक मानते रहे हैं) । महात्माजीका नवीन सिद्धान्त लोगोंके हृदयोंमें घुस नहीं रहा है, किन्तु महात्माजीके व्यक्तित्वके कारण टंडनजी, बुद्धिके विरोधी होने पर भी इस नवीन सिद्धान्तके साथ समर्झौता करना चाहते हैं (टंडनजी का ११-७-४५ का पत्र)

(४) 'समरथको नहीं दोप गुताइँ' के अनुसार सम्भवतः टड़नजी यह मानते हैं कि मोहम्मदको ही पढ़ाइके पास जाना पड़ेगा, इसलिए महात्माजीके नये दृष्टिकोण के साथ समझौतेकी इच्छासे वे निम्न धातों पर आत्मसमर्पण करनेको तैयार हैं :—

(१) उर्दूको भी सम्मेलन राष्ट्रभाषाको एक दौली मानता है।

(२) गांधीजी हिन्दीके साथ उर्दूको भी चलाते हैं (इसलिए) सम्मेलन उसका (या उनका) तनिक भी विरोध नहीं करता।

(३) गांधीजी तथा उनके हिन्दुस्तानी आनंदोलनके प्रमुख अधिकारी सम्मेलन के सदस्य रह सकते हैं, बल्कि टड़नजी आप्रदीपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वे उर्दूका प्रचार करते हुए भी हिन्दी सम्मेलनमें अवश्य रहें और इस प्रचार कुछ मतभेद होने पर भी साथ काम करनेका आदर्श रखें। (टड़नजीका ८-६-४५ का पत्र)।

(५) महात्माजीको यह समझौता या आत्म-समर्पण स्वीकार नहीं है क्योंकि—

(१) हिन्दीप्रेमी उनके नये दृष्टिकोणमें उन्हें भद्र नहीं देखे और लोगोंके मनमें दुविधा पैदा हो गई है। मराठों मुहावरेके अनुसार यह कहना ज्यादा सही है कि उनकी (दुविधा नहीं) प्रेषा उड़ गई है। क्योंकि उनको (गुजराती, मराठी, बंगाली) मातृभाषा के अतिरिक्त गांधीजी उन्हें हिन्दी और उर्दू भी सीखने को कहते हैं। (गांधीजीका १३-६-४५ का पत्र (२) टड़नजीने हिन्दुस्तानी प्रचार समाके सदस्य होनेसे यह कहकर इनकार किया कि हाँ अनुचल हक जब तक नहीं बनेंगे, मैं भी अलग रहूगा। (टड़नजीका कथन है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, शायद गांधीजीने कुनी हुई बातको स्मृतिश्रयके कारण प्रत्यक्ष समझ लिया। (गांधीजीका १३-६-४५ व टड़नजीका ११-८-४५ का पत्र)

(२) उपरोक्त पञ्च-व्यवहारके अतिरिक्त गांधीजीके पूर्व लेखों व भाषणोंसे भी यह स्पष्ट है कि वे हिन्दी भाषा तथा नागरी लिपिको ही राष्ट्रभाषा या लिपि मानते रहे हैं। इसलिये परिवर्तन टड़नजी या सम्मेलनको नीतिमें नहीं, अपरिवर्तन गांधीजीके विचारोंमें हुआ। उन्हें अपने विचार परिवर्तन करनेका पूर्ण अधिकार है। किन्तु इस आधार पर टड़नजी या सम्मेलनको भी इस बात पर विवाद खरना कि वे भी

अपने विचार या नीति तदनुसार बदल लें, हमारी तत्त्व पूजाके स्थानमें व्यक्तिपूजा या अन्य अद्वाका ही परिचायक होगा। शायद स्वयं गांधीजी भी इसे उचित नहीं समझते हैं। पाकिस्तानके समाज 'राष्ट्रभाषा' के बारेमें पूर्वके वे सब कारण व तत्त्व सिर्फ़ इसलिये अब निराधार व अमान्य नहीं होने चाहिये कि किसी व्यक्ति विशेषने चाहे वह कितना ही महान हो अपने विचार बदल दिये हैं।

(२) जैसा कि उसके नामसे भी स्पष्ट है हिन्दी साहित्य सम्मेलन 'हिन्दी' की सम्पद है इसलिये 'हिन्दुस्तानीका राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें टडनजी व गांधीजीके मतभेदके कारण हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी नीति व कार्यमें परिवर्तन करना अनावश्यक ही नहीं अनुचित व इनिकर है। मेरी रायमें इस पर विचार करना ही अवैधानिक होगा।

(३) सम्मेलनके लिये उर्दूका भी प्रचार करना आवश्यक नहीं है। यह कार्य गांधीजी व अनुमन-ए तरीकी उर्दू आदि प्रबल सम्पाद्यें कर रही है। गांधीजी की नई व्याख्यामें भी हिन्दी नाम की कोई स्वतन्त्र अस्तित्व वाली भाषा तो है ही नहीं, अत उसका प्रचार व सरक्षण उसकी एक मात्र सम्पाद्य हिन्दी साहित्य-सम्मेलनका कार्य है और होना चाहिये, विशेषकर जब उर्दूके लिये ऐसी सम्पद है और गांधीजी या अन्य उसके अस्तित्व या विधानमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और शायद न कर सकते हैं। × × ×

(४) टडनजीका विश्वास है कि गांधीजीका यह नया कार्यक्रम, कि देशवासी हिन्दी और उर्दू दोनों सीखें व्यावहारिक नहीं है। हिन्दी उर्दूके समन्वयके लिदान्तोंको मानते हुए भी टडनजीका विश्वास है कि उर्दू हिन्दीके लेखक व सम्पाद्यों के समान उर्दू लेखक व सम्पाद्यें भी जबतक इसे स्वीकार नहीं करतीं, तबतक यह समन्वय असम्भव है। इसलिये टडनजी गांधीजीके नये कार्यक्रमों अपना कार्य नहीं बना सकते, ही वे उसका विरोध भी नहीं करेंगे। (टडनजीका ११-७-४५ का पत्र)

(५) सम्मेलन गांधीजीकी राष्ट्रभाषाकी नई व्याख्याको नहीं मानता और उन्हें दर है कि सम्मेलनको उनकी यह व्याख्या चुपेगी। (गांधीजीका अन्तिम पत्र)

अब प्रश्न मद्द है कि हिन्दौ जगत मा हिन्दी साहित्य सम्मेलनको इस विषयमें क्या करना है ! × × ×

× × × मेरे विचारमें गांधीजी व सम्मेलन दोनोंका हित अब इच्छीमें है कि उनको त्यागपत्र सखेद या विवश होकर स्वीकृत रहे। × × ×

(बीर अंगुन १४ अक्टूबर १९४५)

महात्मा गांधी और हिन्दुस्तानी -

धी सम्पूर्णनन्द और धी श्रीमत्तारायण अग्रवालका पत्र-व्यवहार—

धी श्रीमत्तारायण अग्रवाल, मन्त्री, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, लिखते हैं :—

हिन्दुस्तानी प्रचार कानफरेन्समें दिये गये पूज्य गांधीजीके भाषणके सम्बन्धमें धी सम्पूर्णनन्दजीने जो वक्तव्य प्रक्षेपित किया था, उसके बारेमें मैंने उससे पत्र-व्यवहार किया। वह सारा पत्र-व्यवहार धी सम्पूर्णनन्दजीकी अनुमतिरे नीचे दिया जा रहा है। आशा है उससे रही-सही गलतफहमियाँ दूर हो जायगी।

श्रीमत्तारायणजीका पत्र—

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा

ता० १०-३-४५

पूज्य सम्पूर्णनन्दजी, मैंने हिन्दुस्तानी प्रचार सम्मेलनके बारेमें आपका वक्तव्य कहे पत्रोंमें देखा। मुझे काफी दुःख हुआ। आप यदि हमसे पूरी जानकारी मिलने तक कुछ दिन रह जाते तो अच्छा होता। मुझे पता नहीं कि आपको यह खबर किसने दी कि पूज्य गांधीजीने हिन्दी साहित्य सम्मेलन छोड़ दिया है और अब वे डाक्टर अब्दुल हुक्मके साथ मिल कर यह कहने को है कि उर्दू यानी हिन्दुस्तानी ही हम सबकी राष्ट्रभाषा होनी चाहिये। मैं आपको अद्वितीय कहना चाहता हूँ कि यह बात बिल्कुल गलत है।

हिन्दुस्तानी आनंदोलनके बारेमें पूछय गोधीजीकी सलाहसे मैंने दस बातें लिखी हैं। उन्हें पत्रोमें भी दे दिया है। आशा है उनसे बहुत कुछ गफलतकहमी दूर हो जायगी। योग्य सेवा लिखते रहें।

विनाश—

ध्रीमन्नारायण

श्री सम्पूर्णनिन्दजी का उत्तर—

जालगा देवी, काशी

१३-३-४५

प्रिय ध्रीमन्नारायणजी, आप इसका विश्वास रखते, वर्षसे निकलने वाली किसी भी बातके विरुद्ध कहना या लिखना मेरे जैसे व्यक्तिको अच्छा नहीं लगता। यदि मैंने हिन्दुस्तानी प्रचार ग्रन्थमें कुछ लिखा है, तो हिन्दीये मुझे जो प्रेम है वही उसका आधार है। भाषा-विषयक भेरा मत स्पष्ट है। मैं एक राष्ट्रभाषाके पक्ष में हूँ, यह भी मानता हूँ कि यदि साहित्यिक हिन्दीके समानहणा नहीं होगी। मैं विदेशी शब्दोंके विद्यकारका पक्षपाती भी नहीं हूँ। बरसों प्रारसी मौलवियोंसे पढ़ी, उर्दू पढ़ी, मेरे लिये इन शब्दोंका द्वेषी होना सम्भव नहीं है। घोल-चालमें इनका व्यवहार करता हूँ। हिन्दुस्तानी नामसे भी चिक्क नहीं है। परन्तु यह नहीं मान सकता कि राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानीके नामसे उर्दू हो। यह भी नहीं मान सकता कि उसमें सकृतके बराबर ही अरबी-फ्रांसीका स्थान हो। भारतकी राष्ट्रभाषामें प्रचुर मात्रामें उस भाषाके ही शब्द होंगे जो हमारी बहुत-सी प्रान्तीय भाषाओंकी अक्षर-भाषा है।

आप पूछ सकते हैं कि मैं क्यों उरता हूँ कि राष्ट्रभाषाका रूप विकृत होगा। जो तीन आदमी कमेटीमें हैं, उनमेंसे दो स्पष्ट रूपसे उर्दूको राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसा उनकी सम्मतियोंको, जो 'नेशनल लैंग्वेज फार इंडिया' नामक पुस्तकमें दी हुई है, देखनेसे प्रतीत होता है। मैं जानता हूँ कि और लोग भी नियुक्त होंगे, परन्तु नियोजक बहुत तोन सज्जन ही हैं।

मैंने अपने स्थानमें इस बातकी चर्चा की है कि 'फरहगे आसफिया' में लगभग ५०० सहस्र और लगभग १२,००० हजार भरवी-फ़ारसी शब्द हैं। हिन्दी शब्द-सामग्रमें हिन्दी-उर्दू दोनों शैलियोंके शब्द समाविष्ट हैं। इसलिये यहुतसे अन्य शब्दोंके साथ-साथ यह १२,००० और ५०० शब्द भी हैं। अभी दालमें दिखीमें रेहियो वाली कमेटीमें इक्षु साहित्यके समर्थनसे कैफी साहबने कहा कि चूंकि यह शब्द दोनों कोपोंमें हैं, इसलिये हिन्दुस्तानीके साहित्यिक स्पष्टा भाधार बन सकते हैं। अर्थात् इनकी सम्मतिमें भारतकी राष्ट्रभाषाने सहस्र उथा भरवी-फ़ारसी के तत्सम शब्दोंका अनुपात ५००-१२,००० होगा। मैं समझता हूँ कि यह बात मेरे लिये तो असत्य है ही, आपको भी स्वीकार न होगी। परन्तु जहाँ हक्क, कैफ़ी नद्दी, मुन्दरलाल जैसे विद्वान् होंगे, वहाँ ऐसी ही भाषा बनेगी, ऐसी आशका होना निरुधार नहीं है।

अन्तमें मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि मैंने महात्माजीके सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, उसका आधार क्या है। पत्रोंमें महात्माजीके भाषणमें यह शब्द आये हैं। मैं "अमृत बाजार परिषद्" से उद्घाट कर रहा हूँ।

At one time I was opposed to using Urdu words. Also I did not listen to Dr Huq or their friends suggesting for the acceptance of Urdu or Hindustani as a national language. But when I was convinced of Hindustani (spoken and understood by the villagers) as capable of being the national language, I left the Sahitya Sammelan.

यदि यह रिपोर्ट गलत है तो इसका प्रतिवाद निकलना चाहिए था, अन्यथा आप ही सोचें कि इन शब्दोंसे यह दो बातें निकलती हैं या नहीं कि गांधीजीने सम्मेलनको छोड़ दिया है और अब वह डा० अब्दुल हक्क की इस बातको मानने लगे हैं कि Urdu or Hindustani राष्ट्रभाषा है, अर्थात् हिन्दुस्तानीका पर्याय उर्दू है।

सन्देश,

सम्पूर्णनन्द।

धीमन्नारायगजीका उत्तर—

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्षा

ता० १९-३-४५

पूज्य श्री सम्पूर्णनेन्द्रनी, आपका ता० १३ मार्चका पत्र मिला । धन्यवाद ।

आपने शायद हिन्दुस्तानीके बारेमें उन दस् शुद्धों (points) को अखबारोंमें देखा होगा, जो मैंने पूज्य बापूजीकी अनुमतिसे प्रकाशित कराए हैं। मैं समझता हूँ कि उनसे कई गलतफहमियां दूर हो जायेगी । पूज्य गांधीजीके भाषणकी जौ रिपोर्ट 'अमृत बाजार पत्रिका' में प्रकाशित हुई है और जिसका चिक्क आपने अपने पत्रमें किया है, वह ठीक नहीं है । पूज्य गांधीजीके भाषणोंकी सही रिपोर्ट मैंने हिन्दी पत्रोंमें भिजवा दी है । पूज्य बापूजी हिन्दुस्तानीको सिर्फ उर्दूका पर्यायिकाची शब्द नहीं मानते, न सिर्फ हिन्दीका ही । हिन्दुस्तानी भाषासे उनका मतलब है, आसान हिन्दी+आसान उर्दू । इसीलिये वे हिन्दुस्तानी प्रचार सभाकी ओरसे दोनों शालियों और दोनों लिखियोंका प्रचार करना चाहते हैं । साथ-साथ वे यह भी चाहते हैं कि आसान, मिली जुली एक ऐसी शैली भी चल पड़े, जिसको हिन्दू-मुसलमान आदि सभी समझ सकें । यह सारी बातें मेरे दस् शुद्धोंमें था जाती हैं ।

हिन्दुस्तानी कानफरेन्सकी ओरसे जो कमेटी बनायी जायगी, उसके कामके बारेमें आप सिर्फ तीन नामोंको देख कर अभीसे राय न बना लें, ऐसी मेरी प्रार्थना है । मुझे विश्वास है कि जब कमेटीके पूरे नाम प्रकाशित हिये जायगे, तब आपको कोई एतराज न होगा ।

आपके और मेरे बीच जो पत्र-ध्यवहार हुआ है, वह प्रकाशित कर दिया जाय तो अच्छा होगा । आप अपनी सम्मति कृपया तारसे मेज दे ताकि मैं यह पत्र-ध्यवहार अखबारोंमें मेज दूँ ।

योग्य सेवा लिखते रहें ।

(भारतसे)

श्री प्रभाकर माचवे—

[श्री माचवेजीका यह लेख वड़ा मनोरंजक है। “क्यों न तीनों ही शैलियां चलें ?” वड़ा सुन्दर परामर्शी है। राष्ट्रकी आधी शक्ति तीनों शैलियोंके लिए क्षम करें और आधी शक्ति ‘फ्रिट मैच’ या ‘कबड्डीके खेल’ में ।]

क्यों न तीनों ही शैलियां चलें ?

प्रत्यन्प्रिकाओंमें पाठ्योंने हिन्दी रथा हिन्दुस्तानी दोनोंके पदमें बहुतसे तर्क-वितर्क करें महानुभावोंके वक्तव्योंके स्पष्टमें पढ़े होगे। सम्मेलनमें अपनी भाषा-सम्बन्धी नीति साथ पढ़दोंमें हिन्दी निर्धारित कर दी है। ऐसी हालतमें गांधीजी जैसी विभूतिका सम्मेलनसे हट जाना और फलतः बहुतसे प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक भत्त वालोंका उसमें घुस आना स्वाभाविक प्रतिक्रियाएँ हैं। जबादरलाल नेहरूने एक जगह कहा है कि ‘भाषाके सम्बन्धमें हिन्दी-उर्दू पार्थक्यके समर्थकों कुछ गहराईसे देखने पर बहुधा साम्प्रदायिक छति हो अधिक मिलेगी।’ यह सर्वाश्रयः सत्य नहीं है, क्योंकि धर्म और आस्तिकतामें अविद्यास करनेवाले साम्यवादी भाई भी आज हिन्दी-उर्दूकी पृथक्ता पर जोर दे रहे हैं और दोनोंका स्वरूप विकास हो, ऐसा चाहते हैं, यद्यपि उनके मुख्यमन्त्र ‘लोकयुद्ध’ के आरम्भिक अक्षोंमें श्री सुरेन्द्र बालपुरीका हिन्दुस्तानीके समर्थनमें लेख निकल चुका है। इधर उनके पाकिस्तान सम्बन्धी समर्थनके अनुसार भाषाके क्षेत्रमें भी वे स्वयनिर्णयके पक्षपाती जान पढ़ते हैं। यगर उन्होंका नया नातिक मुख्यमन्त्र ‘नया साहित्य’ पढ़ते समय मुझे लगा कि वे मात्रों तीनों शैलियोंको अपना रहे हैं। भाषा सम्बन्धी उनकी कोई निर्दिष्ट निश्चित नीति नहीं। उनको भाषा ‘निराटा’ की कविताकी तरह है। कहीं ‘एमकी शक्ति-पूजा’ की सस्त समायबहुल रचना, कहीं तेलकी पकौड़ीकी तरह सीधी चलन् हिन्दुस्तानी, कहीं नदे गजलोंकी तरह उर्दू-छद्द-विशान, मुहावरे और तख्तन्जुससे प्रभावित जगत। यशापालकी कहानियोंमें प्रेमचन्दकी ही भाति उर्दूकी पुड़ है, परन्तु जब अमृतराज मार्कंडेयवादी आलोचना पर लिखने लग जाते हैं तब यह सस्त बहुल हो जाती है।

भाषा सम्बन्धी यह अराजकता, अनियमितता हिन्दोंके सभी पत्रोंमें कुछ अशर्म पाए जाती है। इसका एक कारण है साहित्य-स्कैप पर राजनीतिशौक आक्रमण, दूसरा कारण है हमारे साहित्यका जनतासे समर्पक न होना; तीसरा कारण है हिन्दी-हिन्दुस्तानी-उर्दूके साहित्य पर अमेजीका वित्त हुआ प्रभाव।

पहिले कारणसे हम देखेंगे कि राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें प्रमुख राजनीतिक पाठ्योंको माननेवालोंका अभिभव इतना भिज्ज है :—

१—गांधीवादी—हिन्दुस्तानी, दोनों लिपियाँ।

२—नेहस्तानी (अग्रा काम्रेसवादी)—हिन्दुस्तानी, दोनों लिपियाँ।

३—काम्रेस-समाजवादी (यथा नरेन्द्रदेव) हिन्दुस्तानी, दोनों लिपियाँ।

४—क्षम्रेस परन्तु समेलनवादी (यथा सम्यूर्णनन्द) हिन्दी, नागरी लिपि।

५—टडनवादी (हिन्दी साहित्य समेलन पूरा-परिभाषा)—केवल हिन्दी (उर्दू उसोंका एक रूप मान है)।

६—राष्ट्र भाषा-प्रचार-समेलन।

(१) भद्रत आनन्द की सत्याग्रह

हिन्दी उर्दू दोनोंका स्वतन्त्र विकास हो। उर्दू लिपि अनावश्यक।

(२) कालेलकर—हिन्दुस्तानी, दोनों लिपियाँ।

७—प्रगतिवादी सम्यवादी—दोनों हिन्दी-उर्दू स्वतन्त्र ह्यसे विचारित हों, यह सिद्धन्त मानने चाहे, परन्तु व्यवहारमें जनतासे सर्वाधिक सजिकट भाषाके हिमायती।
बोलिस्तानके समर्थक (राहुल संकृत्याग्यन)

८—फारवर्ड लाली—स्व. युभाष बोपने रोमन लिपिका समर्थन किया था। अब काम्रेसके ही मतको मानने चाहे।

९—हिन्दू महासभा—केवल सस्कृतनिष्ठ हिन्दोंकी समर्थक (सावरकर या हिन्दीमें प्रतीक थीमती साकिनी दुलारेलल—जो रेडियो-विरोधी आन्दोलनके पूर्ण कार्यालय रेडियोसे बोल चुकी हैं। तथ शायद रेडियोकी भाषा बूझती थी (I)

१०—अजुमन ए तरफ़ी उर्दू—उर्दू ही आम ज्ञान। हिन्दी कृतिम और किताबें हैं। अत सम्मेलनसे दर।

११—वर्गीय साहित्य-परिषद, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, तामिल साहित्य परिषद, हमारी प्राचीनीय भाषा बहुत परिपुण है। हमपर हिन्दीकी अनिवार्यता हिन्दीकी डिक्टेटरशिप है।

१२—सिनेमा, सरकारी प्रचार विभाग, रेडियो आदि—एक ऐसी हिन्दुस्तानी हिन्दीके भ्रष्ट उच्चारणके साथ ही साथ जो कि उर्दू प्रचुर है। अब तो हिन्दी-उर्दू पार्थक्य तुछ अशामें वे भी मानने लगे हैं।

१३—अन्तराष्ट्रीयतावादी, पी० ई० एन० बादू लोग रायवादी (जो अपनी सब कार्रवाई अप्रेज़ी में ही अधिक करते हैं)

अप्रेज़ी-मिथित हिन्दुस्तानी—

अब भाषा सम्बन्धी नोटिके आदर्श और व्यवहारके इन तेरह 'शेड्स' के बाद, मेरे जैसे एक सामान्य अन्य भाषाभाषी साहित्य प्रेमीके लिये यह बहुत मुश्किल है कि कोई राय कायम करे। मुझे गांधीजी और टण्डनजी 'दोनोंमें तुछ सचाई दीखती है।' गांधीजी राजनीतिक एकता की राह सोचते हैं। उच्च साहित्यके निराण और परिभाषिक शब्दोंकी कठिनाईकी दृष्टिसे टण्डनजी सोचते हैं। सप्रति हिन्दी हिन्दुस्तानी विवाद के अखाइ दो अगर एक क्रिकेट मैचका रूप दिया जाय तो म्यारहन्यारह खिलाफ़ी दोनों ओर से यों मिल जायगे।

हिन्दी के पक्ष में—

कैटरन—पुरुषोत्तमदास जी टण्डन, समूर्जनिन्द, भद्रन्त वानन्द कौसल्यायन, साला गुलाबराय, प्रो० लक्ष्मीप्रसाद शुक्ल, चन्द्रबलि पाण्डे, हिन्दू विश्वविद्यालयका प्रति निधि साक्षिनी दुलारेलाल, गोत्वामी गणेशदत्त, रामचन्द्र शर्मा 'वीर' हिन्दी मासिकों का एक प्रतिनिधि, —अम्बिका दत्त व्यास एक्सट्रा—सेठ ढाल मियाँ, एक्सट्रा—सीताराम चतुर्वेदी और वेदव्वु बनारसी

हिन्दुस्तानी के पक्ष में—

कैटेन--बनारसीदास चतुर्वेदी, डा० ताराचन्द्र; धीमजागरण अध्याल, जैनेश्वरमार, पडित मुन्द्रलाल, टाकुर धीनाथसिंह, भगवतीचरण वर्मा, आचार्य नरेन्द्रदेव, हरिभाजनपाठ्याय, काका कालेश्वर, पै० मारानलाल चतुर्वेदी, एक्सट्राज़—अमृतखल नाणावटी तथा कुमार साहित्य मण्डल का प्रतिनिधि । मेरा सुझाव है कि दोनों 'टीमों' में से जो-जो उदयपुर पहुँचे उनका बैच बनाकर, सबसुन दोनों पक्ष किकेट नहीं तो कब्ज़ी ही खेलकर देख लें । जो जीते या हारे सो मान लिया जाय । मगर यह तो हुआ परिहास । उदयपुरके अखाड़े में आप देखेंगे कि दोनों पक्षके वृद्धातिरुद्ध और तहणातिरुद्ध इकट्ठे होंगे । पर इम क्षण भर इस चर्चाको स्थगित कर्यों नहीं कर सकें ? 'टीम स्पिरिट' से क्यों न काम लिया जाय ? गतर्व वडे दिनों की छुटियों में सूत की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के समाप्ति पद से जैसे मैंने कहा था, क्यों न इम दोनों शैलियोंको—हिन्दी (केसरिया), हिन्दुस्तानी (सफेद) उद्द (हरा) पनपने-फलने फूलने दे ? काम यह निर्णय दे देया कि कौनसा साहिल जीवित है ? क्यों इम लेखकोंके मत्थे लेवल स्टारें ? यदि प्रेमचन्द्र हिंदी और उद्द के समानरूपसे अधिकारी सेवक थे, तो कई अन्य भी ऐसे निकल आवेंगे—यथा सुदर्शन, 'अश्व', कृष्णचन्द्र, अल्लाहुसैन रायपुरी आदि-आदि । आप देखेंगे कि कार की तालिकाओं में भाषा विवाद में राजनीतिक नेता ही अधिक हैं, साहिल-निर्माता बहुत कम । साहिल अपनी राद चलेगा । भाषा बनाये नहीं बनेगी । पास करते हो लाखों प्रस्ताव । प्रसाद (सख्तप्रचुर हिंदी) और प्रेमचन्द्र (हिन्दुस्तानी) दोनों ही साहिल के इतिहास में अमर रहेंगे । उनकी शैलियों भी हमारे साहिलमें अवश्य फलती फूलती रहेंगी । इस तरह न तो हिंदी हिन्दुस्तानी को साहिल क्षेत्रसे बहिष्ठ कर सकतो है, न हिन्दुस्तानी हिन्दीको । कल तक जो हिन्दीके समर्थक थे आज हिन्दुस्तानी के बन गये हैं और इसका उलटा भी ठीक है ।

अन्त में, भाषा के सम्बन्ध में राष्ट्र-सभने अपने विधान में जौं गुजाहश रखी है, उसे मैं 'एनसाइक्लोपीडिया' से उद्धृत करना चाहता हूँ । यह अत्यस्त्रयक जातियोंके सम्बन्धमें पृष्ठ ५७० पर से लिया गया ।

“(अ) यह अनिवार्यता रहेगी कि किसी भी जातिको अपनी असली जातीतर्में व्यापार, धर्म, किसी भी प्रकारके मुद्रण तथा प्रकाशनमें, या सार्वजनिक सभामें प्रयुक्त किसी भी भाषा पर कोई भी निर्बन्ध में ढाला जायगा।

(ब) यह अनिवार्यता रहेगी कि जो जातियों कच्छहरियों की यानी राष्ट्रीय भाषा से भिन्न भाषाएँ बोलती हों, उन्हें न्यायाल्ययोंमें अपनी भाषाके विपरीत लिखित तथा खोलते हुए प्रयोगोंमें संपूर्ण स्वतन्त्रता दी जायगी।

(स) यह अनिवार्यता रहेगी कि राष्ट्र की सड़कारी भाषासे भिन्न यदि कोई एक भाषा एक जातिका बहासा दिसता बोलता होगा तो प्रभम, नगर तथा प्रतीतोंमें यह आश्वासन दिया जाय कि प्राथमिक शाखाओंमें (चेकोस्लोवेकिया के विधानमें ‘प्राथमिक के बदले सार्वजनिक शब्द है) उन-उन जातियोंको उन्हीं की भाषामें शिक्षा देने की सुविधा दी जाय।

इन अनिवार्यताओं का यह अर्थ नहीं कि यदि किसी भी राष्ट्र की सरकार अपनी राष्ट्रभाषाकी शिक्षाको अनिवार्य बनाये तो वे उसमें बाधक सिद्ध हों।”

(हिन्दुस्तान, १६ अक्टूबर १९४५)

पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति—

[हिन्दी संसारके सामने प्रस्तुत चार प्रश्नों पर श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पतिने अत्यन्त संक्षेपमें अपने विचार प्रस्तु किये हैं। ‘हिन्दुस्तानी’ से आपका मी तात्पर्य है, वर्तमान अप्राकृतिक ‘हिन्दुस्तानी’ न कि हिन्दीकी पर्यायवाची ‘हिन्दुस्तानी’।]

हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न

(प्र०) हिन्दी-हिन्दुस्तानीके बाद पर आपको क्या सम्पत्ति है?

(ठ०) मैं इस विवादको निम्नलूप समझता हूँ। हिन्दी एक जीवित भाषा है, और हिन्दुस्तानी एक काल्पनिक वस्तु है। हिन्दी विद्यमान है, हिन्दुस्तानी भाषाका अन्म देनेका यश किया जा रहा है। इस दोका सर्वपं कैसा? जिस भाषाको

करोड़ों भारतवासी बोलते और लिखते हैं, जिसमें सैकड़ों पन्न निकलते हैं, और कई प्रान्तों तथा दिवासोंके राजकार्य चलते हैं, उस भाषाके द्वयेका विरोध एक ऐसी भाषा द्वारा किये जा सकता है, जिसके निर्माणका निष्पत्ति प्रयास गत कुछ वर्षोंसे किया जा रहा है। हिन्दी-दिनदस्तानी विवादमें कोई वास्तविकता नहीं है। यदि महात्मा गांधीजी नाम इस विवादसे सम्बद्ध न होता तो शायद कहीं इसकी चर्चा भी न होती।

(प्र०) क्या भाषाका यह दावा है कि हिन्दी भारतकी राष्ट्रभाषा है ?

(उ०) नहीं ! कोई समझदार व्यक्ति ऐसा गलत दावा नहीं कर सकता। हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं है, हाँ, भारतकी अन्य सब भाषाओंकी अपेक्षा राष्ट्रभाषा बनानेकी अधिकतम योग्यता हिन्दीमें है। यदि हिन्दीका विकास ठीक दग पर किया जाय तो यही भाषा है जो कालान्तरमें भारतकी राष्ट्रभाषा कहला सकती है। कारण स्पष्ट है। देशके अधिक प्रान्तोंमें हिन्दी समझी और बोली जाती है। यह अन्य बड़ी-बड़ी प्रान्तिक भाषाओंसे निकट सम्बन्ध रखती है, अत्यन्त सरल है और यदि लिपिके भेदको छोड़ दें, हिन्दू और मुसलमान दोनोंमें समान स्वर्गे बरती जाती है।

(प्र०) हिन्दीकी राष्ट्रभाषा बनानेके लिये सम्मेलनको तथा हिन्दी हितेयियों को क्या करना चाहिये ?

(उ०) राष्ट्रभाषामें तीन गुणोंका होना आवश्यक है।

(१) सुवोध हो।

(२) राष्ट्रीय भावनाओंसे पूर्ण साहित्य रखती हो।

(३) राष्ट्रके प्रत्येक अङ्ग, व्यापार कला, विज्ञान राजनीति आदि और प्रत्येक भावनाको प्रकाशित करने योग्य शब्द कोपसे युक्त हो।

यदि हम चाहते हैं कि हिन्दी राष्ट्रकी भाषा बने तो हमें व्यर्थके शास्त्रिक विवादमें न पड़चर उपर्युक्त तीनों दिशाओंमें विकास करनेमें सारी शक्ति लगा देती चाहिये। योग्यता प्राप्त करनेसे ही अधिकार मिलता है। हिन्दीकी राष्ट्रभाषाके केंद्रे भास्तन पर बिठानेके लिये आवश्यक है कि उसे उस आसनके योग्य बनाया जाय।

(प्र०) जो महानुभाव हिन्दीका स्थान हिन्दुस्तानीको देना चाहते हैं, उनकी मूलभूत भावना क्या है ?

(उ०) उनको भूलभूत भावना वही है, जो धर्ममें कतरव्योत न करके, और भारतका विभाजन करके अराष्ट्रीय मुसलमानोंको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करनेवाले महानुभावोंका है। ऐसे प्रयत्न कभी सफल नहीं होते, यद्योंकि वे एक विद्यमान बल्दु को नष्ट कर देते हैं, और नई बलुका निर्माण नहीं कर सकते। ऐसे महानुभावोंकी मनोग्रन्थि पर हमें दुःख है, परन्तु समेलनको उनके कारण अपनी गतिविधिमें काइ परिवर्तन न होने देना चाहिये, अपितु प्रगतिको और अधिक तीव्र कर देना चाहिये।

(वीर अर्जुन १४ अक्टूबर १९४५)

मलीहावादी साहब—

मलीहावादी साहबके इस वक्तव्यके द्वारा स्वत सिद्ध हो जाता है कि हिन्दी और उर्दूके बीच अन्तर कैसे आया और वास्तविक रूप क्या था। उर्दू भाषा और उसकी लिपि का वास्तविक मूल्य उसके अधिकारी व्यक्तियों की रायको मानने के बादही आकर्षण उपर्युक्त होगी।

‘हिन्दी’ *

‘मलीहावादी’

“भी एसा होता है कि तुम एक चीज़को अपने लिये पुरा समझते हो और वह तुम्हारे लिये भली होती है, और कभी तुम एक चीज़को अपने लिए अच्छा समझते हो और वह तुम्हारे लिये बुरी होती है।” †

‘हिन्दी’ यू० पी० की सरकारी जुबान इन पुस्तकों है। हिन्दी दूसरे उन शब्द या को भी सरकारी जुबान हा जायगी, जहाँ उर्दू या हिन्दी बोली जाती है।

मुसलमान इस बोली को अपने लिए यातूत पुरा समझते हैं, हालांकि, यह उनके दृढ़में अच्छाई दावित होता रहेगी।

* चतुर्व्याप्तिकालीन-(१० नवम्बर १९४७)। † युरेन प्रबोध।

उर्दू और हिन्दी, अहलमें एक ही जुबान के दो नाम थे, मगर फिरकापरस्त हिन्दुओं और मुसलमानोंने शरारतसे काम लिया। और, अब ये दो जुबानें समझी जाने लगी हैं। उर्दू को मुसलमानों की जुबान कहा जाता है। हिन्दी को हिन्दुओं की जुबान।

इसकि अगर लिखाई को और भारी भारी, अरबी फारसी, गंधकतके लप्ज़ोंको अलग कर दिया जाय, तो उर्दू और हिन्दी अब भी एक ही जुबान है। हमारी जुबानकी यह बदकिस्मती थी कि फिरकापरस्तीके जहरसे यह भी चर न रही। हिन्दुओंने अनगढ़ भारी भारी सख्त लप्ज ठूसना शुरू कर दिए और मुसलमानोंने अरबी फारसीके अपरचित लप्जों की भरमार कर दी। नतीजा यह निकला कि जुबान खराब हो गई और धोरे-धोरे एक बोलीकी जगह दो बोलियां बनती चली गईं। अब हालत यह है कि हिन्दू अदीवों और शायरों की जुबान न मुसलमान समझते हैं न मुसलमान अदीवों और शायरोंकी जुबान हिन्दुओंकी समझमें आती है।

इस खैरतकी एक बजह भी हुई कि अवधके दरमारके धसरसे ठेठ उर्दू जो लखनऊके घरों और बाजारोंमें बोली जाती थी, शेरो अदबकी दुनियासे निकाल दी गई और अरबी फ़ारसी लप्ज बढ़ाए जाने लगे। अंग्रेजी ज़मानेमें यह हुआ कि ठेठ उर्दूसे कंचे घरानेकि लोग बहुत कुछ अजनबी हो गए। इस बीचमें हिन्दू मुसलमानोंमें फूटके बीच टठ आए थे। हिन्दुओंने सख्त की तरफ मुँह कर लिया और मुसलमानोंने अरबी फ़ारसी की तरफ। इस तरह ठेठ उर्दू न जानेवे की बजह से भी हिन्दू-मुसलमान पढ़े लिखे मजबूर हुए कि वे अरबी फारसीसे लप्जोंकी भीख मारें।

ठेठ उर्दू या हिन्दी या हिन्दुस्तानी बड़ी प्यारी जुबान है और बहुत मालामाल भी। इसी और मजहबी ईस्तलाइके अलावा यह जुबान खुद अपने लक्जोंसे अपना काम चला सकती है। फिर इसमें एक बड़ी सब्ज़ी यह भी है कि बहुत ही आसान दोनेके साथ हर जुबानके लप्जोंको अपने अन्दर इस तरह खपा छेती है कि परदेसी मालम नहीं होती।

हिन्दी अगर हिन्दीकी सरकारी जुबान हो रही है, तो मुसलमानों को शिक्षयत करना नहीं चाहिए। दिनदुस्तान की तकसीम का अजिमी नतीजा यही होना चाहिए कि हिन्दू हिन्दुओं का हो जाय। इसमें अगर किसी का कसूर है तो मुस्लिम लोग का है, जिसने हिन्दुस्तानका बटवारा करवाया है।


हिन्दी का सरकारी जुबान हो जाना मुसलमानोंके लिये आगे चलकर वही न्यामत साधित होगा। हिन्दी अदीब और शायर बननेके लिए मुसलमानोंको ज्यादाइ से ज्यादाइ हजार चारह सौ लक्ज सख्तसे सीखने पड़ेगे। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा हिन्दी और उर्दूमें कोई फर्क नहीं। हिन्दी के सरकारी जुबान बन जाने को हम मुसलमानोंके लिए क्यों न्यामत समझ रहे हैं? इसलिए समझ रहे हैं कि देवनागरी लिखाई मुल्क भरमें आम हो जायगी। हमने जबउ होश सभाला है उर्दू लिखाईके खिलाफमें और पिछले पचीस वर्षमें बराबर मुसलमानोंसे कहते रहे हैं कि अगर तरकी करना है तो उर्दू लिखाई छोड़के रोमन या नागरी खत को अपना लें और लिखाई बहुत मुश्किल होनेके माध्यमें निहायत नाकिस है और इस लिखाईकी मौजूदगीमें हम इसी सियासी तरफी कर नहीं सकते।

आज नहीं तो कल मुसलमानोंको भी देवनागरी लिखाई शिक्षितार करनी पड़ेगी। इस लिखाईसे उर्दूको मुक्तपून नहीं पहुँचेगा किंतु उर्दू दिनदुस्तानकी कौमों-जुगान बन जायगी। उर्दू ऐसी मीठी, रसीली, सजीली, चौकी जुगान है कि हिन्दी असली मौजूदा सूतमें इसके सामने ठहर न सकेगी, बशर्ते कि हम उठ उर्दूको देवनागरी खतमें लिखें।

देवनागरी खतमें भी कुछ खराबियाँ हैं। उम्मीद है अब हुक्मत इन खराबियों को दूर कर देयी और यह खत भी ज्यादाइ मुश्किल हो जायगा। देवनागरी लिखाईको अरानलेनेसे मुसलमान यहे नफरतमें रहेंगे। उन्हें टाइपरटायर और न जाने दितनी ऐसी चीजें निल जायगी जिनसे वह महसूस हैं। सरसे बड़ा कायदा यह होगा कि उनमें देखते-देखते तालीम आम हो जायगी। देवनागरी इस कठूर आज्ञान है कि एक पटेमें छीबो जा सकती है, इस बारेमें हमें अभी बहुत कुछ कहना है।

विविध समाचार पत्रोंमें—

[नीचे विभिन्न पत्रोंसे उद्धृत अंश दिए जा रहे हैं। इनके द्वारा 'सम्मेलन' तथा पत्रकारोंकी विचारधारा पर प्रकाश पड़ता है। अभी हालमें संयुक्त प्रान्तका स्तीकृत प्रदाव संयुक्त प्रान्तकी राष्ट्रभाषा 'हिन्दी' का उद्धरण विशेषतः इसलिये दिया गया है कि समस्त भारतवर्षमें संयुक्त-प्रान्त ही एक प्रान्त है, जहां उर्दूका मिथित व्यवहार किसी-किसी अंचलमें होता है। बंगालमें बंगाली, बिहारमें हिन्दी, उड़ीसामें उड़िया, दक्षिण-भारतमें दक्षिणी बोलियाँ, मध्यप्रदेशमें हिन्दी, घरामें मराठी, गुजरातमें गुजराती, महाराष्ट्रमें मराठी, राजस्थानमें राजस्थानी (हिन्दीका ही एक रूप), पंजाबमें पंजाबी बोलियोंका व्यवहार होता है। अब देखना है, संयुक्त प्रान्तमें उर्दूका कितना 'महत्वपूर्ण' स्थान है। दिए गए उद्धरणमें अधिकृत आंकड़ोंके द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि तथारुधित उर्दूकी स्थिति क्या है। अब इन मुद्दी मरलोगोंके लिये सारे भारतवर्षकी जनता पर एक अस्वाभाविक मापा लादना कितना न्यायपूर्ण है, यह स्वयं ही विचार किया जा सकता है। हिन्दीका प्रचलित रूप सारे भारतवासी समझ लेते हैं और बोल लेते हैं। वे इस भाषाका अपने प्रान्तोंमें स्वागत भी करते हैं। वे जानते हैं कि इसी हिन्दीके द्वारा ही वे एक सूत्रमें बंधे रह सकते हैं।]

 दयपुर २० अक्टूबर। परसों अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन में हिन्दी-हिन्दुस्तानी-उर्दूके सम्बन्धमें प्रधान प्रस्ताव पर पांच घन्टों तक बहस हुई और इस सम्बन्धमें सम्मेलनकी मौजूदा नीतिका समर्थन किया गया। प्रस्ताव सरदार माधव विनायक किंवे ने उपस्थित किया।

प्रस्तावमें महात्मा गांधी तथा श्री पुरुषोत्तमदास टड़नके बीच हुए पत्र-व्यवहारका उल्लेख करते हुए यह घोषित किया गया है :—

"सम्मेलन हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानता है और उर्दूको हिन्दीकी एक शैली। सम्मेलन गांधीजीके इस दृष्टिकोणका समर्थन नहीं कर सकता कि प्रत्येक भारतीयको

देवनागरी तथा फ़ारसी लिपियां सीखनी चाहिए। राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे सम्मेलन गांधीजीके विचारको अव्यावहारिक तथा अस्वीकार्य समझता है। देवनागरी ही राष्ट्रीय लिपि होने योग्य है, क्योंकि यह वैज्ञानिक स्पर्में पूर्ण है। जनता घड़ी संस्थामें देवनागरी लिपि या देवनागरीके तुल्य लिपिको आममें खाती है। यह आसानीसे सीखी जाती है। यह धारा तौर पर सब स्वीकार करते हैं कि फ़ारसी लिपि वैज्ञानिक नहीं है और उसको सीखना भी कठिन है। इस स्थितिमें साधारण व्यक्ति सम्भवतः अपनी प्रान्तीय लिपिके अतिरिक्त दो और लिपियोंको नद्दी छोख सकता। सम्मेलनका दृष्टिकोण पूर्ण स्पर्में राष्ट्रीय है। जब कि वह राष्ट्रीय आवश्यकताओंके साथ सदा बढ़ा और सदा ऐसा करता रहेगा, सम्मेलनको इस बात पर खेद है कि भाषा तथा लिपिके प्रदर्शनको साम्प्रदायिक दृष्टिसे देखा जा रहा है। मौजूदा वास्तविकताओंके साथ सगति रखते हुए, सम्मेलन राष्ट्रीय भाषा तथा लिपिकी उच्चतिके लिये सब प्रगतिशील तथा युक्ति-नुक्ति विचारोंमें समर्पन करेगा।”

(हिन्दुस्तान, २२ अक्टूबर १९४९)

राष्ट्रभाषा और गांधीजी

(सहयोगी ‘आज’ के विद्वन् सम्मानके एक छेषमें सम्मेलनके सामने उपस्थित अल्पन्त आवश्यक विषय पर मुन्दर भाषामें जो विचार प्रछट किये हैं, उसके कुछ अवानीचे दिये जाते हैं।)

यदि महात्माजीकी सन्तुष्टिके लिये सम्मेलन अपना उद्देश्य बदलकर दोनोंवा (हिन्दी-उर्दू) समर्थक हो जाय, तो परिणम क्या होगा ? महात्माजीसे विनाशकृद्द कह निवेदन करना चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्रमें असमन्त समुदायको गन्तव्य करने की कुर्बल नीतिसे त्रैरित रामना जिस प्रधार हनारे लिये मरीचिछा बनी हुई है, उसी प्रधार भाषाके प्रेक्षमें हन राष्ट्रभाषामध्य अन्तिम स्पर्य दृढ़ते-दृढ़ते धड़ जायगे और यह दूर हो दियाहै पकेगा। इस बातमध्य यहा प्रमाण कि आज यदि हम महात्माजीके सम्मेलनमें पृष्ठक होनेवा कठेता सदन न कर प्रक्षेत्रके द्वारा सम्मेलनके उद्देश्यमें अनूठ परिवर्तनकर में और उस प्रचारको मी (हिन्दी प्रचारके सम्पर्क) भगवा उद्देश्य

बता लें, तो कल हमारे सामने हिन्दीके प्रचारको सर्वथा त्यागकर उर्दूके प्रचार मात्रको अपना उद्देश्य मान देनेको समस्या नहीं उपस्थित होगी ? हमारा यह प्रत्यन महात्माजी की उदार दृष्टिमें वित्प्ता प्रतीत होगा, पर जैसा हम कह चुके हैं इस देशके बहुसंख्यकों के प्रति अलासंख्यकोंका देसा अन्याय नवी बात कहापि नहीं होगा ।

सम्भवतः महात्मा गांधीका कथन है कि बांधगम्य भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है और इसके लिये आवश्यक है कि वह अन्य भाषाओंके समन्वयसे बने । समन्वयसे ही राष्ट्रभाषा हिन्दीका वर्तमान ह्य स्थिर हुआ है । हिन्दी विशुद्ध संस्कृत नहीं है । कुछ विशिष्ट प्रभारके लोगोंमें प्रचलित हिन्दीकी एक शैली उर्दूतथा अन्य भाषाओंका प्रभाव उस पर पड़ा है । और तो थीं, अंग्रेजी शब्दोंका प्रवेश हिन्दीमें पुराने समयसे ही रहा है और अब अधिक होने लगा है । यह नहीं, अंग्रेजी लेखन शैलीका हिन्दी लेखनमें अनुकरण करनेवाले हिन्दीके अच्छे लेखक माने जाते हैं । हिन्दी व्याकरण पर भी अंग्रेजीका प्रभाव पड़ा है । अतः समन्वयसे हिन्दीको भय नहीं है । हिन्दीकी प्रकृति जिन शब्दों, शैलियों या मुहावरोंको पचा सकेगी, सब हिन्दीमें सम्मिलित मान लिये जायेंगे । भविष्यकी बात हम इसलिये कहते हैं कि भूमि ऐसा ही होता आया है और भाषाका विराश और सौष्ठुव प्राकृतिक रूपसे होता है ।

कृत्रिम रूपसे बलात् बनायी गई भाषा निर्जीव और निप्राण होगी और स्वतः नष्ट हो जायगी । इसलिये महात्माजीसे हमारी प्रार्थना है कि समन्वय बलपूर्वक न करायें । साथ ही दूसरी बात यह है कि केवल हिन्दीवालोंके चाहनेसे समन्वय नहीं हो सकता । जब तक उर्दूके सिद्धदृस्त लेखक हिन्दीकी ओर आकृष्ट न होंगे और अपनी कलासे हिन्दीको न सजावेंगे, तबतक केवल हिन्दीवालोंके प्रयत्न करनेसे कुछ फल न निकलेंगा । मान लिया जाय कि हिन्दीको उर्दूमयी बनाना ही देशके लिये कल्याणकर है ; तो वही न उर्दूके विद्वान् सुलेखक और कवि हिन्दीमें अपनी विशेषताएं समन्वित करें ? यह क्यों जहरी हो कि हिन्दी पढ़नेवाले पहले उर्दू पढ़कर उसकी विद्वत्ता प्राप्त करें और बादमें उर्दूकी विशेषताएं हिन्दीमें समन्वित करें ?

महात्मा गांधीसे हमारा अति जट्ठ निवेदन है कि आप भूल कर रहे हैं, केवल एक उर्दूवालोंको सन्तुष्ट करनेके लिये हिन्दी और संस्कृतसे उत्पन्न बंगला, उडिया,

कचड़, तेलगु, मुजराती, मराठी आदि भाषाओंके प्रति अन्याय करना उचित नहीं। महात्माजीके उपकारसे देश आदोपान्त कृतज्ञ है—हजारी वर्ष कृतज्ञ रहेगा। पर वह महात्माजी पर सम्पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ भी इस विषयमें उनका अनुकरण न कर सकेगा :

(बौर अर्जुन ३८ अक्टूबर १९८५)

सरकारी काम अब हिन्दीमें ही होगा

प्रान्तीय धारासभामें प्रस्ताव पास

हिन्दी और नागरी लिपिका लौगियो द्वारा विरोध

लीगके सभी सदस्यों द्वारा सभा त्याग—

—प्रश्न संयुक्तराष्ट्रसंघमें रखनेकी घमकी

लखनऊ, ४ नवम्बर। आज युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभार्थि हिन्दी बोर देवनागरी लिपिको सरकारी कार्रवाईका माध्यम बनानेके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव सरकार की ओरसे रखा गया। प्रान्तके प्रधान मन्त्री पंडित गांधीन्द्रियमें पन्तने सभा असेम्बलीमें झामेसके सदस्य श्री कमलाश्रिति त्रिपाठीने इस प्रस्तावका जोरदार समर्थन किया। असेम्बलीके मुस्लिम लीगके सदस्योंने इसका घोर विरोध किया और एक सशोधन प्रस्तुत किया जिसमें सभामें मतभगणना हुई। यह सशोधन स्वीकृत नहीं हुआ, इसके पश्चात् २३ और विश्वकर्मा १०५ मत थे। सशोधन अस्वीकृत हो जानेपर मुस्लिम लीगके सभी सदस्य सभासे उठकर चले गये।

सरकारी प्रस्ताव बहुमतसे खोहृत हो जाने पर सभाके अध्यक्ष थो मुक्तेश्वरमदास टण्डनने दूर्योजनिके बीच पोषण की कि भविष्यमें सभाका सारा पन्नव्यवहार और कार्रवाई हिन्दी तथा देवनागरी लिपिमें ही हुआ करेगी। अब अद्वैतीज्ञ व्यवहार नहीं किया जायगा।

पन्तभीका भाषण—

सरकारी प्रस्तावका समर्थन करत हुए प्रान्तके प्रधान मन्त्रीने लौगियोंके प्रस्ताव पर निष्पक्ष दृष्टिकोण विचार करनेके लिये अनुरोध किया। आपने कहा हि

सरकारका उद्देश्य प्रान्तीय भाषा द्वारा सारा शासन वारबार चलानेका है। प्रान्तकी भाषा हिन्दी है, हिन्दुस्तानी नहीं। हिन्दी ही प्रान्तमें अधिक आदमियों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है। हम विरोधी दलकी भावनाओंका व्यादर करते हैं, पर सरकार अपना सारा काम हाज उसी भाषामें करनेके लिये बाध्य है, जो प्रान्तके अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाती है।

हिन्दी प्रान्तकी मापा—

प्रधान मन्त्रीने आगे बताया कि युक्त प्रान्तीय सरकारने भारत सरकारको एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया है कि 'हिन्दो ही इस प्रान्तकी भाषा है।' धारे अवधमें तथा गोरखपुर, बनारस, प्रयाग, आगरा तथा कुमाऊँ सेनोमें उर्दूकी अपेक्षा हिन्दी ही अधिक लोगों द्वारा बोली और लिखी जाती है। मेरठ और रुद्रप्रसादमें भी यह बत है। इस सम्बन्धमें डाक्टर प्रियर्सनने लिखा है कि इस प्रान्तके ४ करोड़ ६० लाख निवासियोंके करीब ४ करोड़ ४० लाख निवासी किसी न किसी रूपमें हिन्दी ही बोलते हैं। इस सम्बन्धमें डाक्टर प्रियर्सनके विचार तथा लेफिटोप्ट गवर्नरका दृष्टिकोण बिलकुल मिलता जुलता है। गवर्नरने सूचित किया था कि प्रान्तके शिक्षित आदमियोंमें फारसी लिपिका उपयोग करनेवालोंकी तुलनामें हिन्दीका उपयोग करनेवाले बहुत अधिक सख्त्यमें हैं।

पन्तजीने आगे कहा कि १९१९ की जनसंख्याके अनुसार भी युक्तप्रान्तमें प्रत्येक १० हजार आदमियोंमें १११६ हिन्दी बोलते हैं और ८५ उर्दूका उपयोग करते हैं। प्रान्तमें हिन्दी प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओंकी संख्या १,३३,६८५ है जब कि उर्दूमें प्रकाशित पत्रोंकी संख्या केवल १७,१२० ही है।

देवनागरी ही चैक्यानिक लिपि—

आगे प्रधान मन्त्रीने बताया कि सरकार द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जानेके बाद भी सरकारको कोई आपत्ति न होगी यदि सभाके अध्यक्ष सदस्योंको उसी सभामें धरने भाव व्यक्त करनेकी अनुमति दें, जिसमें यह अभीतक वरते थाये हैं। देवनागरी लिपिके सम्बन्धमें आपने कहा कि यह लिपि इतनी सरल है कि साधारण दुष्कर्त्ता

आदमी के बत १५-२० दिनों में ही हसे सीत सज्जा है पर उसके पार्वन्धमें यह बत नहीं है। कोइ भी निष्पत्त आदमी दम यात्रा स्वेच्छार करेगा कि निरक्षरता वा इन्हें देवनागरी लिपिने ही अधिक कार्य किया है।

लीगियोंकी अर्थांगा नीति—

प्रतावके पार्वन्धमें वाप्रेगक गदस्य पण्डित कमलार्थति श्रिपाठीने इस बाटको निन्दा की कि मुसलिम लेंग आगमि राम्प्रदायिक भावनाएँ फैलानेकी पुरानी नीति अब ना भरत रखी है। दोनों राम्प्रदायोंमें डेप फैलानेके लिए वही उत्तरदायी है और इसे तूर करनेके लिए काम्पविष्टले १० बयोंसे अधिक प्रयत्न कर रही है।

देवनागरी लिपिकी व्यापकता—

अग्रे आपने कहा कि यदि चीन, प्रस तथा अन्य देशोंके मुसलमान उन देशोंकी भाषा और लिपि सीख सकते हैं तो मेरी समझमें नहीं आता कि युक्तप्रान्तके मुसलमान इस प्रान्तकी भाषा क्यों नहीं सीख सकते ! देवनागरी भारतीय लिपि है और युक्तप्रान्तके मुसलमानोंको उर्दूजो विदेशी लिपि है, के लिये विशेष व्यप्र न होकर हिन्दी ही सीखनी चाहिये। हिन्दी केवल हिन्दुओंकी ही भाषा नहीं रही, बरन भूतकालके मुसलमानोंने भी हिन्दी साहिलको समृद्ध करनेमें बहुत अधिक भाग किया है। गुजरात, बन्दर, बगाल तथा अन्य प्रान्तोंके मुसलमान उर्दूकी अपेक्षा हिन्दी अधिक समझते समझ सकते हैं। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है और बर्मा, लङ्गा तथा अन्य पड़ोसके देशोंकी लिपिया उसी आधारपर बनी हुई है।

आपने मुसलमानोंसे भारतीय सञ्ज्ञति अनानेके लिये अनुरोध करते हुए कहा कि वर्तमान सञ्ज्ञतिको हिन्दू सञ्ज्ञति कहना एक बड़ी भूल है। उसके इस विचारके कारण ही लोगी सशसे भारतीय राष्ट्रीयताके विरुद्ध रहे हैं। अतः उन्हें दूसरे देशोंकी सञ्ज्ञति नहीं अपनानी चाहिये।

प्रचलित भाषा है अतः यह स्थान उसे ही मिलना चाहिये । इस सभाके लीगी घटस्य सदाए वडे वडे कायेंमें कामेसका साथ देते आये हैं और हम चाहते हैं कि मुसलमान इष प्रान्तमें स्वतन्त्र होकर रहें और इन लोगोंका साथ दें ।

अन्तमें नाल्मन्त्री श्री हुक्म सिंहने इस सम्बन्धमें कहा कि विना किसी प्रधार की कठिनाइयोंके सरकारी विल भादि हिन्दीमें प्रकाशित दो रहा है । यह प्रस्ताव किसी साम्प्रदायिक भावनासे प्रेरित होकर नहीं रखा जा रहा है । हिन्दो प्रान्तके सर्वसाधारणकी भाषा है और कवृत्रियों तथा अन्य सरकारी कामकाजमें उसका व्यवहार करना ही सबसे अधिक उपयुक्त है । आपने आगे कहा कि मुसलिम लीगीयोंने हाल ही में भारतके प्रति शक्तिकालका तथा देशके विद्यासमें सहयोग देनेकी शपथ ली थी, अतः उन्हें आपने कायौं द्वारा कामेसको देशके पुनर्स्थानमें मदद देकर इसकी सत्यता सिद्ध करनी चाहिये ।

लीगियों द्वारा जोरदार विरोध—

प्रस्तावके विरोधमें मुसलिम लीगके घटस्य मुहम्मद ईशाकजाने पर्णित जवाहर-लाल नेहरूके १९३८ में अखिल भारतीय मुसलिम लीगके अध्यक्षके पदको उद्दृत किया जिसमें कहा गया था कि कामेस उर्दू और देवनागरी लिपिमें लिखी जानेवाली हिन्दुस्तानीका समर्थन करतो हैं । आपने कहा कि महात्मा गांधीने हाल के भाषणोंमें हिन्दुस्तानीका समर्थन किया है ।

आपने कहा कि हिन्दू महासभाके नेताओंके प्रयत्नोंके कारण ही युक्त्रान्तका मन्त्रिमंडल मुसलिम अल्पसंख्यकों पर हिन्दो लादना चाहता है । आपने कहा कि पर्लमेंटरी सचिव वहुत अधिक उपदेश कर रहे हैं और बहुत अच्छा होता यदि उनके पदको मिटा दिया जाता । आपने प्रतीय रास्कारको प्रान्तमें धार्मिक राज्य स्थापित न करनेके लिये चेतावनी दो और कहा कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया तो हमलोग सभासे उठ जायेंगे ।

दूसरे लीगी घटस्य मौलाना हसरत मोहनीने कहा कि इस प्रान्तकी भाषा उर्दू है और हिन्दू और मुसलमान दोनोंने समान समसे इसको उचित की है । आगे लोगी

सदस्यने चेतवनी देते हुए कहा कि यदि उर्दूको वर्तमान स्थितिसे गिरनेका प्रयत्न किया गया तो मुक्तप्रान्तमें अत्यस्पृश्यकाकी 'भातृहस्या' के लिये सुयुक राष्ट्रसंघसे मुक्तप्रान्तीय सरकारके विशद शिक्षायत की जाएगी।

लीगी सदस्य फकरुल इस्लामने हिन्दोका विरोध किया और उर्दू के बल मुसलमानों की ही भाषा नहीं है। कच्छियोंमें तथा अन्य कारबारमें पुराने जमानेसे उर्दूका उपयोग किया जाता है और साधारण आदमियोंके लिए यह यहुत सरल है।

लीगियों द्वारा समाचार—

अन्तमें मुसलिम लीगके उपनेता श्री जेड० एव० लारीने लीगका सशोधन अस्वीकृत हो जानेपर कहा कि इस सम्बन्धमें सरकारी नीतिके विरोधमें हम आज सभादे असहयोग करते हैं। इसके बाद मुसलिम लीग दलके करीब २४ सदस्य कंप्रेस सदस्योंके 'पाकिस्तान चले जाओ' के नारोंके बोच उठकर चले गये। जाते हुए लीगी सदस्योंमें से एकने जोरसे घोषणा की कि 'हम यहाँ ही पाकिस्तान बनायेंगे।'

अन्तमें प्रस्ताव मतदानके लिए पेश किया गया और सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हुआ। भारतीय इंसाई थी ई० राय० फिलिप्स तथा कंप्रेसी सदस्य पूर्णिमा बनजी ने अपना मत किसी पक्षमें नहीं दिया। (आज ६ नवम्बर १९४७)

हिन्दी राष्ट्रभाषा स्वीकार की जाय—

बम्बई, ४ नवम्बर। बम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभाने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें विधानपरिषद्के सदस्यसे अनुरोध किया गया है कि भारतमें हिन्दी भाषाको राष्ट्रभाषा मानकर वे 'एक राष्ट्र, एक भाषा, एक लिपि' की मांगको स्वीकार करें। आगे प्रस्तावमें कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिसे परिपूर्ण, सरल और सर्वसं अधिक प्रचलित होनेके कारण देवनागरी लिपिको ही राष्ट्र लिपि स्वीकार किया जाय।

(आज ६ नवम्बर १९४७)

भारतीय भाषाओं का मानचित्र—

[भारतीय भाषाओं के इस मानचित्रके द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि चालीस करोड़की जनसंख्यामें कितनी बड़ी जनसंख्या हिन्दी (हिन्दुस्तानी) भाषा व्यवहार करती है। पहाड़ी तथा गढ़वाली प्रदेशोंमें भी हिन्दी समझी और बोली जाती है। हिन्दीके ही ये विभिन्न रूप हैं। भारतीय भाषाओंमें सारे मारतमें इसी भाषाके माध्यमसे लोग अपना अन्तर्राष्ट्रीय काम करते हैं। मद्रास प्रान्तमें मन्दिरोंमें कोई चला जाय तो अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, उडिया, मराठी आदि अन्य कोई भाषा उसके मानविनिमयमें सहायक नहीं होती है, केवल हिन्दी ही (या संस्कृत) उसका काम चलाती है।]

The 400,000,000 people of India, with its varied topography, climate, natural cover, soils and productivity, speak no less than 225 languages. And it is no easy task to draw a linguistic map of India in a simple form. The map given here deals with only 33 of these languages, which have further been divided into two groups, 14 major languages and 17 minor ones. Most of the former have scripts, while none of the latter except Portuguese have.

Linguistic boundaries have been drawn mainly to indicate the extent of the 14 major language. The district has been chosen as the smallest unit to delimit the boundaries, and it has been classified according to the language spoken by the majority of its population. Naturally there is an overlap in the boundary district on one side or the other.

Hindustan covers a very large area in the Central part of India. Here two scripts, Urdu and Hindi, are used,

Urdu more towards the west and Hindi more towards the east. The Urdu script extends further towards the north-west.

Sindhi, Gujarati and Marathi are the most important languages of the western coast, but the latter extends eastwards into Central India.

Orissa, Bengali and Assamese are the languages of the north-east, and of these Bengali is the most important.

Hindustani is the most important language of the northern part of Central Provinces, Marathi is spoken in the south.

Kanarese is spoken in the southern part of Bombay Province, and extends over nearly the whole of Mysore and south-west Hyderabad. In the latter State Marathi is spoken in the north-west and Telugu in the east.

Southern India as a whole may be divided into four parts linguistically as shown in the map.

Punjabi and Lahnda are the spoken languages of the Punjab while the script used is called Gurmukhi. Pashtu is spoken in the extreme north-west. Baluchi is however the language of Baluchistan except for an area where Brahui is spoken, which paradoxically is similar to the Dravidian languages spoken in Central India, and thus lends colour to theories of tribal migration in the past.

(Statesman, 18th June, 1947)

LINGUISTIC MAP
of
INDIA

AFGHANISTAN

JHARKHAND
BENGAL
Bihar
JHARKHAND
KASHMIR
GUJARAT
RAJASTHAN
MADHYA PRADESH
HARYANA
PUNJAB
HIMACHAL PRADESH
KASHMIR
BALUCHISTAN
AFGHANISTAN

T I B E T

MARATHA
ASSAM

MALAYALAM
TAMIL
TELANGANA

Linguistic Boundaries—
Provincial Boundaries—

Miles
0 40 200-300 400 500

I shall take advantage of this calmer atmosphere and seek to stimulate thought on this subject without raising any controversy. While doing so I shall bring my readers face to face with one very important consideration, which will affect our view of Basic Hindustani in the north of India about which Jawaharlal Nehru's pamphlet has largely dealt.

The point that I am now making was brought before me very forcibly in a course of lectures on Arabic forty years ago at Cambridge by Prof E C Browne, and I have never forgotten it since. It may be stated briefly thus:

Wherever Islam is in great strength, and has remained true to its deepest religious instinct, it has profoundly modified the language of the country. Urdu is not the only language to day with Arabic and Persian roots. Swahili, Hausa, Malaya and many other languages have the very same characteristic. The inherent tendency of Islam is always to bring classical Arabic words into daily use. In this way, the sacred book, the Quoran becomes appreciated by common people. When they hear it read, they are able to follow its rhythm, at least in some measure.

Let me give one striking example from my own personal experience. In East Africa, the Swahili language is full of Arabic words. Though I did not understand Swahili, it was easy, every now and then, to catch a word that reminded me of Urdu. Once I heard this proverb: Harakat Harakat hai na barakat. It was quite easy to guess the meaning of that sentence in Swahili which was 'There is

no blessing in haste', or to put it into an English form, 'More haste, less speed'

Again at a time when I was on the West Coast of Africa I used carefully to notice how the Hausa language is full of Arabic. It is spoken by forty million people who are nearly all Muslims. This important African speech has been brought in its vocabulary very near to the language of distant Arabia. The same phenomenon I found also in the Malay Peninsula among the Malay Muslims. With regard to Muslims in China, I do not know much about what has happened, because I have never been there. I doubt, however, whether they have been able to modify the Chinese language.

Arabic shares with Greek the rare quality of Great lucidity of sound. It is liquid and vocal. There are of course exceptions in some of its gutturals which are not pleasing to the ear, but the clear open vowels and liquid consonants have a lovely music about them, like water running over pebbles in some mountain stream.

If, therefore this liquid character is a great and noble quality, as I believe it to be, and if some living touch with Arabic is an inner necessity of Islam, then while our common speech in India becomes more and more moulded by daily use, and our villages draw much nearer to the towns, it is essential that simple Arabic and Persian words should be welcomed and used in common every day Hindustani. They must be cultivated they must not be rejected. Only thus can the strong religious instinct so deeply

embedded within Islam, be fully satisfied Surely, there is nothing artificial in such a demand rather it is vital

In this approximation to the needs of Islam, the way forward may perhaps be led best by the Bengali language, which has an amazing faculty of adaptation It has been often pointed out that the songs of Rabindranath Tagore are sung all over Bengal in all the villages and that this is done in North and East Bengal where Islam predominates as well as in the west of the province where Hinduism prevails The Poet has created a style of his own, which fearlessly takes common words from common speech Thus he has already acclimatised many Arabic and Persian words in the Bengali language There is no reason why a multitude more should not be added

The millions of Muslims in East and North of Bengal as they become fully awake to the greatness of their own religious culture, will be certain to require more and more urgently that close touch with Arabic, in their common speech, which makes the recitation of their sacred Quoran and their daily prayers a perpetual inspiration to them We, who are not Muslims by religion, ought to welcome such a process with all our hearts, for that is religious tolerance of the best kind We should never for a moment seek to prevent it, but should rather encourage it

This introduction of Arabic and Persian words into the daily speech of Bengal, linking it up more closely with the whole Muslim word, has already (as I have shown) gone some way, but it will have to go much further if the two

diverse aspects of Bengali life, the Hindu and Muslim, are really to become united in their cultural aspects. The Bengali language can thus approach Islam because it is itself actively alive and sensitive to new thought of every kind and is never afraid of taking into its living structure a fresh vocabulary.

Furthermore, there is a pleasing liquid note in Bengali speech which makes the adoption of many more words from Arabic and Persian quite simple. Very much indeed will depend on the enthusiasm and intelligence of the modern Bengali writers. For it is necessary that the Bengali language should find authors and poets of the first magnitude among the very large Muslim community as well as among Hindus. Humayun Kabir, who is one of the most brilliant literary men of the younger generation, may be expected to set the example in this direction.

I am sure that Maharshi, the father of Rabindranath Tagore, loved the Persian poems of Hafiz as much for the beauty of their noble imagery and musical sound, as he did for the deep religious philosophy which they also contained.

II

Another point, which was emphasized by Professor E. G. Browne, in one of a remarkable series of lectures at Cambridge, many years ago, was the Aryan background of Persian speech, which brought it very near as the half way house to India. He was an Urdu scholar as well as a master of Persian and Arabic and Turkish. Indeed, he

was one of the most amazingly fluent linguists whom I have ever known I have dined with him at Cambridge while he kept the conversation going with three Oriental scholars who were seated near him and did not know a word of English To one he talked Arabic, to another he talked Persian and to the third he spoke in Turkish

The Persian language, he would tell us in his lectures, in spite of its being an Islamic language, is in some of its structural forms much more nearly akin to the Aryan speech of North India than to classical Arabic For Arabic is a Semitic language, and its fundamental structure is Semitic and not Aryan The ancient Persian script and vocabulary, which are found in the Avesta, are very near to Sanskrit and form a bridge between India and Persia

It follows from all this, that those old Persian phrases and words, which have become wholly associated with Islamic culture and religion, have more chance of obtaining a general recognition in the daily speech of India than purely Arabic words which have never been previously acclimatised in Persian The very fact that Persian had become so quickly accepted as the language of the Court, under Moghul rule, has even to day given it a prescriptive right to be cultivated as one of the classics of Modern India. This fact should surely give great satisfaction to Muslims who deeply love India as their mother country

While I was in Delhi, at St. Stephens' College, I noticed that many Hindus preferred to take Persian as a classical language rather than Sanskrit When I asked them the

reason for this, I was told that Persian was simpler to learn, it also gave them, they told me, more help towards the understanding of Urdu poetry which they greatly admired. This set me thinking, and the natural conclusion I came to was that Persian is what Professor Browne called it, namely the ideal half-way house between Arabic on the one hand and Sanskrit on the other - at least in North India. If such an opinion is correct, it makes this highly desirable process of accommodation to the needs of Islam less difficult than at first sight appears.

With Hindi speech in India, as commonly used among village people in every day life, there will have to be great flexibility and willingness to adopt Persian words if Urdu and Hindi are not to drift further apart. Dr Pragavan Das of Benares has admirably shown how simple Persian words may be used as alternatives to those Sanskrit forms which bear the same meaning, and can be made adaptable to every-day conversation. To take one very simple example the word Khuda is known in the villages of Northern India side by side with the word Bhagwan.

Pundit Jawaharlal Nehru has written fully in his pamphlet concerning 'Basic Hindustani' what he has said is good, practical, and full of common sense. It ought not to be at all difficult to spread a working knowledge of such a simple 'lingua franca' over the villages of India even in the South. Languages like Tamil in the South, which are different in vocabulary and structure, might borrow from this Hindustani vocabulary and thus make

it still easier for those who are not born in the North to have communication with those who live in the United Provinces and the Punjab

Personally I would go much further and urge that many simple Southern words should also have their place in it side by side with the vocabulary of the North and become acclimatised in the Northern languages. A true 'lingua franca' for the whole of India should neither be called Hindi nor Urdu, nor should it be confined to Northern Indian words. It might well be called 'Hindustani', but it should be as flexible as possible and should find its proper home rather in daily speech than in literary productions. It should be, that is to say, a language of daily convenience and should pick up words from the Northern provinces only.

Here come in at once the two points I have been trying to drive home. Let me repeat them in order to be absolutely clear —

(1) It should pick up words, in common speech, from the South as well as from the North, from the Dravidian stock as well as the Sanskrit and Arabic roots (2) It must be neutral, as far as Hinduism and Islam are concerned, and should form its own vocabulary both from Hindu and Islamic cultures. It must not become lopsided.

Thus a true 'lingua franca' for India should be basic in three directions. It should have, in its vocabulary, words from Persian as well as from Sanskrit stocks and should add gradually (as intercourse between North and

South becomes much more frequent) common Dravidian words also. The latter process will take much longer than the former, but should be borne in mind all the while. It will come about much more quickly when the use of English becomes less necessary than it is to-day both in the North and South. When India has her own rulers they are not likely to continue to speak to one another in English.

' Since I had the privilege of learning Urdu first of all in Delhi, under a Munshi, my own instinct goes quite naturally towards the Persian words which I learnt at that time when I began my studies. Perhaps for that very reason my anxiety is great that these words should be fully included in this Basic Hindustani, which might become the conversational, working language for every part of India.

But now to-day I would go much further still, as I have pointed out, and seek to include also words that are commonly used in daily speech in the languages of the South. Since I have been living in the South I have come to recognize this important need. There should be here again, as time goes on, a process of 'give and take'. The Southern languages have already accepted, within their own framework, a large vocabulary of Sanskrit words, which bring them fairly near to the Sanskrit rooted languages of the North, but there has been hitherto no reciprocity. Surely there is something wrong here which needs to be altered. There should not any longer remain, in the North, that

complete neglect of these Southern languages which unfortunately prevails to-day. They rightly complain when a Northern language is forced upon them without any reciprocity.

The question of script will be dealt with in the last of these articles, but here I would simply say that difficulties of script will loom much less large, if only there is a determination on both sides to assimilate each other's cultures.

To sum up the points I have made, I do not think that a working language for the whole of India is at all impossible. But it should not contain merely Sanskrit and Persian words; it should appropriate Dravidian words also. When the present exotic English culture has ceased to be the medium of communication between the South and the North, there will be much more readiness for those who travel southward to obtain a working knowledge of Tamil and Telugu, just as there is now a readiness for those who travel northward to get a working knowledge of Hindi. When broadcasting also becomes much more popular and is used as a daily necessity instead of as an expensive luxury, and when the cinema pictures become 'talkies' (using speech as well as sight), there will be a closer drawing together of the different languages of North and South. We are only at the very beginning of a great age of language simplification and union.

To-day we must not merely judge from the practice of the past. We have to think of the future. For, we have

suddenly been given tremendous powers of moulding and fashioning common speech which are far more potent than we ever had before. Broadcasting, the 'talkies', the public press, universal primary education, audiences of hundreds of thousands of people with loud speakers,—all these modern contrivances are levelling and unifying large areas of human speech and making a common intercourse more possible. Mere dialects will soon be only retained as curiosities in a museum. A common everyday language for India has become an absolute necessity. We cannot get on without it, I have very little doubt that a genuine, living 'Hindustani', (if that neutral word is finally chosen to describe it) containing a certain number of very common basic words and a minimum of grammar, will soon become an accomplished fact in India apart from all learned discussions about it. If the South takes a deep and intelligent interest in this process, during the present fluid and formative period, before this common speech of India becomes fixed in its own natural mould, it will certainly be able to add its own words to the general stock. Mussalmans also can have their own interest in it, not by way of any special regulations, but by freely mingling with those around them, as they did in those earlier days when Urdu took its present shape quite naturally as a current language among the camp followers of the Great Moghuls. The Congress, as it becomes more and more a unifying political factor and touches still more intimately the masses of the common people in the villages, can do much to help forward this process of unification.

Sannyasis and fakirs, in former days, used to travel all over India and managed somehow or other to make themselves understood, exchanging the small coin of common speech as they went about from place to place, wandering all over the country. Huge melas such as the Kumbh Mela, and also such pilgrimages as those to Jagannath Puri, Rameswaram, or Hardwar, encouraged a daily intercourse among the masses. All these things were an invaluable asset in forming the spiritual unity of India in the past. We have to find out to-day the modern equivalents of those old processes which may take their place. The vast congregation of villagers at Haripura reveals to us in one direction at least how modern life is shaping itself anew in India under these new conditions. The news has reached us through the press that Lord Samuel, the Liberal leader, who was present during the Congress, expressed himself immensely struck both by the remarkable orderliness and also by the unanimity of the whole proceedings. Each year, the coming together from every province on India of such vast numbers of intelligent people must surely bring about a realisation of the spiritual unity of the whole of India and also make abundantly clear the need of common intercourse through a common language. Such all India political movements mould, not only the social structure, but also the speech of the people.

III

Language, in this work-a-day world of ours, is a very practical affair. It is changing every day in some minute-way by a living process of its own. It laughs at all our

artificial planning, at our protracted arguments, and our academic discussions. It cuts its own channels, along which it is determined to flow. Like our big rivers in India, try as we may, we cannot force the different languages of India into channels of our own. Even the hint of this, as the recent alarm about compulsory Hindī in South India has clearly shown us, is enough to raise a storm.

Nevertheless, we can do much to widen or deepen the channel whenever such an engineering process is needed. We can also, by our marvellously ingenious modern methods, bring the customary village speech and the brand new town speech close together.

In our own generation, with the radio and cinema rapidly becoming an even more pervasive influence than the daily press, a widening of the area of daily speech, as it is commonly used by multitudes of people, is being rendered more feasible. Dialects are very rapidly dying out. Only the extensively used popular languages covering wide areas have any chance now on gaining a constant hearing. This forward movement, which has just begun has a long future before it. Merely to give a single example. Madras will want to 'listen in' to Delhi as well as to hear her own local news. Very probably, the daily Hindustani broadcast from the Capital, at New Delhi, if only it can be made sufficiently plain and simple and of general interest, will become the favourite item on the programme for the whole of India to which in the course of time millions will 'listen in'.

In the same way the cinema, where human speech is now regularly used along with the moving picture, at what are called 'talkies', will be a wonderful educator and leveller of language differences in the near future. For one common language, which is used over a very large area by millions of people, becomes a necessity for the success of any expensive film production. Unless the picture can be multiplied and used over a large area, it will not repay the heavy initial cost. The film producer gets no profit.

It may, at this point in my argument, be well to explain by a singularly good example the process whereby two currents of religious thought and culture meet and react upon each other. For the ultimate problem in the North of India, with which we have to deal is the reaction on human speech of Hinduism and Islam. How is this likely to work out without any clash of cultures or increase of communal bitterness?

Let me suggest a solution by an analogy in another sphere, where the same problem was successfully tackled and fruitful results were obtained.

Sir Walter Scott's 'Ivanhoe' used to be my favourite novel when I was a boy. Even to-day I can recall quite clearly the characters of Credic the Saxon, Rowena, Brian de Bois Gullbert, Isaac the Jew, Rebecca and others, though I am ashamed to say I have not turned back to read the book again for very many years. One of the main themes in the novel is the clash of Saxon and Norman cultures.

Out of that conflict and the subsequent intercourse of everyday speech, came at last the true English language.

which contains all the old Saxon words together with an enrichment of Norman-French. This double vocabulary has made the coming of new words by the great Elizabethan English writers remarkably easy and appropriate. For the Norman-French had the old classical Latin as its foundation, just as Hindi goes back to Sanskrit, and Urdu to Persian.

The puritan mind when tackling English composition has often tried to exclude as far as possible Norman-French and even the Latin words, in order to return to pure Anglo-Saxon. But that has been merely an academic and pedantic effort, just as it would be foolish and pedantic for Bengali or Marathi or Hindi to try to exclude Persian words. Language does not flow on through the centuries of human history in that way. How wasteful it would have been, if the two great currents of the Jumna and the Ganges, having met at Allahabad had separated afterwards into all kinds of divergent channels. Life, in its organic evolution, works differently.

To return to the English language, it would be absurd to-day to strain out the Norman-French or Latin words, while trying to get down to a simple basic speech of a thousand or more words which can be learnt to express the ordinary needs of daily life. That would not be 'Basic English' at all; for we use to-day words of Saxon and Latin origin quite indifferently in everyday conversation.

The only scientific way would be to take the ordinary words from 'either' source which have already proved by long experience to have got a survival value. We have

then to employ these thoroughly well grounded words for 'Basic English' This has been the natural process which has been adopted by all great English writers To give a very simple illustration, Shakespeare is quite catholic in his choice of English words He used Saxon and Norman and Latin words alike Here, for instance, is an almost pure Saxon line from Macbeth

'Methought I heard a voice cry " Sleep no more '

While this is Saxon, 'it would be easy to choose—equally random—another well known passage

' The lunatic, the lover, and the poet

Are of imagination all compact "

Here the non Saxon element prevails Almost every word comes from the Latin

Milton's 'organ music' of sound is nearly all derived from Latin words, many of which he has introduced into the English language for the first time But who would say that Milton had debased the English language because he loved to cultivate the sonorous Latin' part of it ?

Lately, I have been reading with great delight and profit Robert Bridges' last poem, called 'The Testament of Beauty' In it he tries to revive some of the old Saxon words yet, at the same time, he is quite fearless in his use of the longer and more difficult Latin words In this way, he is a 'modern' and avoids being a pedant

To come back to the main structure of the English language The important thing to notice is that where two words, one Saxon and one Latin exist side in the same

English speech', they very gradually take on different meanings. Thus they enrich the historical content of the whole literature by conveying two ideas instead of one.

Two very simple illustration may be given. The Saxon word 'love' has drifted apart in its meaning from the Latin word 'charity'. Again the Saxon word 'horsemanship' has got a very distinct difference of meaning from the Norman French word 'chivalry', which come from the French 'cheval', a horse. 'Chivalry' may now be used as equivalent to 'generosity' but 'horsemanship' could never bear that meaning!

Turning back to Hindi and Urdu—if 'both' vocabularies can become thoroughly acclimatised all over the north of India, we shall find subtle shades of meaning very gradually appearing. To take the first illustration that comes to my own mind, the three words, pawitr, pak and sada are likely very gradually to drift apart. In the end they may carry distinct shades of meaning.

The richness of any language can always be judged by its synonyms. The true literary artist mixes his colours in words, just as the painter uses various paints in painting his picture. We must be eager to know and to utilise each other's cultures, literatures and languages. We must not stand apart and isolate ourselves. Language-amalgamation is the way of life. The reverse process, which the fanatical nationalist, or the pedantic language-purist, desires to employ, is the way of death.

In a country, like India, where our supreme wish is to become more closely united, we ought to be gloriously 'Catholic' in our language tastes. There is no room for the sectarian or communally minded person. Just as Moghul architecture blended different styles in order to attain its finally perfect beauty, so must language do the same.

Furthermore, there is no reason why this blending of language and culture and art and music should be confined merely to Muslim and Hindu assimilation in the North. There has been hitherto a shameful neglect of the South and this must speedily be brought to an end. There will be needed, in the near future, a blending of the northern languages with the Tamil, Telugu, and Malayalam of the South. Modern India ought once more to recover that earlier fruitful contact between South and North, which took place many centuries ago. For ancient history shows us how the Sanskrit learning first passed southward from the Aryan North. But later on it was given back to the North in fullest measure, enriched in most vital ways, by the great teachers of the South. Sri Ramananda, from the South, was one of the earliest promoters of Hindu literature in the North. In all Indian history, it would be hard to find a greater or nobler figure.

We need badly to day to become less insular and provincial. This has been rendered possible, because the whole unifying process has been expedited owing to the conquest of land and air by King Speed. That Monarch now rules over all our ways and invites us to come closer to one an other. Just for the present, it is true, the

facility of using English helps to bridge over the gap in human intercourse, when South India goes North, and North India goes South. But that is not going to last for ever ; for it only affects the small circle at the top. What is needed is a common medium of intercourse between the masses (Amrita Bazar Patrika, Aug. 3, 1938.)

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर—

[कविकुल चूड़ामणि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर देश और विदेशकी कितनी ही मापाएँ जानते थे, अनेक साहिलोंसे भी उनका परिचय था, अपनी मातृभाषा बंगलाकी जो उन्होंने सेवा की वह तो अपर अक्षरोंमें लिखी जानेवाली चीज़ है। इन्तु, सब कुछ होते हुए भी देश और राष्ट्रकी सेवा उनके लिए पहले थी, उसके बाद काव्य और साहित्य सेवा। इसी भावनासे ग्रेरित होकर उन्होंने विना किसी संकोच, एक स्वरसे राष्ट्रभाषाके लिए हिन्दीका समर्थन किया था। उनके जैसे क्रियाशील व्यक्ति के बल राय देकर ही नहीं रद्द जाते, और न उपदेश देकर सन्तुष्ट होते हैं। अपने गुजरात-ध्रष्टव्यमें रवीन्द्रनाथ हिन्दी ही में भाषण दिया करते थे, इसका उल्लेख डा० सुनीतिकुमार चैटर्जीने कराँची साहित्य सम्मेलनके अधिवेशन में दिए गए अपने भाषणमें किया है।]

३। रुदेव (श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर) से एकबार पूछा गया कि राष्ट्रभाषाके विषयमें उनकी क्या राय है ? उन्होंने कहा कि बहुत क्षेत्रोंसे तो अंगरेजी ही हमारी राष्ट्रभाषा बनी हुई है, जो साधारण जनताकी यमनके बिलकुल बाहर है। अगर हम हर भारतीयके नैसर्गिक अधिकारोंके विद्वान्तको स्वीकार करते हैं, तो हमें उस भाषाको (राष्ट्रभाषाके रूपमें) स्वीकार करना चाहिए, जो देशके सभी बड़े हिस्सेमें बोली जाती हो और जिसके स्वीकार करनेकी विफारिश भवात्माजी

ने हम लोगोंसे की है, अर्थात् हिन्दी। और, इसी विचारसे हमें एक भाषाकी जहरत है भी।

(कलकत्ता हिन्दी प्रबन्धनेटिन, सितम्बर १९१८)


Rabindra Nath Tagore on Hindi.

On being asked as to the Lingua Franca of India, Poet Rabindra Nath has expressed that for many years our Lingua Franca has been English, but beyond the comprehension of the mass of the people. If we are to acknowledge the elemental right of every Indian, we should accept the language spoken over the largest area and which Mahatma ji has asked us to accept i.e. Hindi. There is necessity for one language for this purpose.

(Calcutta Hindi Club Bulletin, September, 1938)

श्री सुभाषचन्द्र बोस—

[नीचे १९३८ में भारतके राष्ट्रपति श्री सुभाषचन्द्र बोसका वक्तव्य दिया गया है। उस समय भारत स्वाधीनता प्राप्त करनेमें सर्वपरम सहमति था। राष्ट्रपतिने अनुभव किया कि राष्ट्रका, स्वाधीनता प्राप्तिका यह युद्ध किसी एक वाणीके द्वारा ही संचालित किया जा सकता है। अर. उन्होंने हिन्दीको अन्तर्राष्ट्रीय अर्थात् राष्ट्रीय वाणीके रूपमें स्वीकार किया और उसके विरोधमें छिए गए आन्दोलनोंकी तीव्र निन्दा करते हुए उन्हे देशकी प्रगतिमें वायक ठहराया। भारत एकताके सूत्रमें केवल इसी भाषाके द्वारा वधा रह सकता है, यह उनका विश्वास था।]

 नीचे दोनिंग इन्सटीट्यूट वर्षके दूसरे वर्द्धी सभामें धैयुत सुभाषचन्द्र बोस ने बहा कि उन्होंने सर्वदा ही यह अनुभव किया है कि भारतवर्षमें एक राष्ट्रभाषाका दाना अल्पावश्यक है। जो इस बताको नहीं मानते हैं, उन्हे एक भार विदेहीकी बात कर लेनी चाहिए। पिछले वर्षको एक पदनामका उन्नेत्र करते हुए

उन्होंने कहा कि जब वे बीयतामें अपने एक युरोपियन मिनके बहो अन्य कई भारतीयोंके साथ एक भोजमें सम्मिलित हुए, तो वहाँ वे आपसमें अप्रेज़ीमें ही बातचीत करने लगे। उनके युरोपियन मिनको इसपर यहाँ ही आधर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि वे अप्रेज़ीमें क्यों बातचीत कर रहे हैं? इस प्रश्नको सुनकर उन लोगोंको बड़ी ही रजाका अनुभव हुआ। श्रीयुत बोससे इस भ्रमका कि, हिन्दुस्तानीके कारण प्रांतीय भाषाओंकी प्रगतिमें बाधा पड़ेगी (मद्रासमें उन दिनों यह भ्रम बहुत ही व्यापक हो रहा था), निराकरण करते हुए कहा कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी तो केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारके लिये आवश्यक है। अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाएँ तो अपने-अपने प्रातोंमें प्रसुख रहेंगी ही।

इधी प्रकारका भ्रम बागलमें भी पैला हुआ है। कुछ लोगोंका विचार है कि बगला राष्ट्रभाषा हो, कारण इसमें उच्च कौटिका साहित्य है। हिन्दोंमें उच्च साहित्य है अवश्वा नहीं यह विवादप्रस्त विषय रठाना व्यर्थ है। हिन्दों व्यापक हमसे भारतमें बोली जाती है, और इसमें समझनशक्ति है तथा यह सरल है। 'सस्कृतनिष्ठ' अथवा 'फारसीयुक' हिन्दोंका व्यवहार नहीं चाहिए, बरन्, उत्तर भारतमें सर्वसाधारणमें जो बोली, बोली जाती है, वही हमारा स्तर रहेगा।

('एइवान्स'—जुलाई १९३८)

The second session of the Hindi Training Institute, Wardha which is being run under the auspices of the All-India Hindi Prachar Samiti, was inaugurated by Sreepukt Subhas Chandra Bose on Monday last Dr Rajendra Prasad, President of the Samiti presided over the function.

In welcoming the Congress President Dr Rajendra Prasad traced the history of the Hindi movement since 1918, and said that the Training Institute was started in Wardha last year with a view to training efficient and

national spirited youngmen in the work of Hindi Prachar in the non-Hindi speaking provinces

Mr Shriman Narayan Agarwal, the Honorary Secretary of the All India Hindi Prachar Samiti, presented his report on the Training Institute, and introduced the students to the Congress President.

In the course of his address to the students Sreejuli Subhas Chandra Bose said that he had always strongly felt the urgent need of having a National language for India. Those who were not yet convinced of such a necessity, he said, need once go to the foreign countries. Last year when the speaker was in Vienna, some of the Indians including the speaker himself were invited to dinner by a European friend. There, they began to speak in English among themselves. The European friend was rather surprised, and asked them why they conversed in English and they had to hang their heads in shame.

"Unfortunately," Sjt. Bose continued "there is a misunderstanding prevailing in some parts of our country about the spread of Hindustani as the Lingua Indica. For example, the public in the Madras Presidency is opposed to the introduction of Hindustani in the Secondary schools on the ground that Hindustani will oust or crush the Provincial languages. This is a grave misunderstanding. Hindustani is to be introduced only in place of English, as the medium of inter provincial intercourse. It is never meant to throttle the provincial languages and, thus, establish a linguistic domination over them. In the pro-

vinces, the Provincial language will surely have the first place, and Hindi or Hindustani can occupy only the second place, I hope, therefore that the public in the South, will try to understand the true spirit behind the Hindi movement, and cease the ill-advised agitation.

MISUNDERSTANDING

"Similar misunderstanding prevails in Bengal as well. Some persons contend that Bengali should be the Lingua Indica because it possesses a richer literature. But, we have not to bother about literature. Hindi is being spread not because its literature is rich (it is useless to enter into any controversy on their point) but because it is most widely spoken and understood, and as a language, is simple and flexible."

I hope the Hindi Pracharaks, after getting their training in this Institute, will spread the National Language in the right spirit, and remove the various unfortunate misconceptions prevailing in the country.

"We must understand that the National language should be neither over-Sanskritized nor over-Persianized. It must have a simple and natural style. We should not try to manufacture a mixed language, which will be neither Hindi nor Urdu, nor Hindustani. The language commonly spoken in the North, should be our standard."

Acharya Kaka Kalekar, Vice-President of the Hindi Prachar Samiti in the course of a short speech, traced the history of Hindi prachar from Lala Lajpat Rai to Mahatma Gandhi, and thanked the Congress President for

taking keen interest in the movement He also read out the following message from Mahatma Gandhi:

'I am glad to know that the Hindi Training Institute is entering its second year, and the Congress President is blessing it. The students have a difficult task before them. Hindi or Hindustani has to occupy a position which English is trying to but cannot occupy. The success depends on the efficiency, self-sacrifice and self-control of the students. Blessings from Bapu' - United Press (Advance, 1938 July 30th)

"दामेश ही भारतकी राष्ट्रीय सत्थाओंमें प्रतिनिधि स्थित है। इसके प्रेसीडेंटकी आवाज ही राष्ट्रकी आवाज है। उसकी पोषणा है कि हिन्दीके विरोधका कोई भी आनंदोलन राष्ट्रकी प्रगतिमें वाधक है। हिन्दी, जब कि राष्ट्रीय एकताकी ओर अप्रसर होनेमें एक ब्रह्म है, उसका विरोध करना अकारण है। यदि अन्तप्रन्तीय कार्यवाहीमें एक माध्यम स्वरूप रहेगी, और भारतीय एकताको एक सम्में वा इसकेमें सहायक होगी। इस प्रकार यदि हमारी स्वतन्त्रताकी ओर अप्रसर होनेमें पथचिङ्ग है। कामेशके मुख्य रचनात्मक कार्यक्रमोंमें से हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनाना एक कार्य है; मुझे हासिल आशा है कि वे, जो इसका विरोध कर रहे हैं, अपनी सरकारके रचनात्मक एवं प्रगतिशील कार्यक्रमके उद्देश्यको समझकर इन आनंदोंवालोंको रोकेंगे।"

"In as much as Congress is the one thoroughly representative national organisation of India, it is needless to stress that the speech of its President is the speech of the Nation. And he declares that any movement against Hindi tends to retard our national advance. There is no reason why the movement of Hindi should be opposed. Considering it will be a step forwards national unity. The importance of the study of Hindustani can not be

over estimated. It will serve as the medium of inter-provincial communication, as the lingua franca of India, and will thus promote our national unity. It will therefore, be another milestone in our march to Freedom. Moreover, it is perhaps not sufficiently understood that the adoption of Hindustani as the Lingua Franca of India is one of the important items in the constructive programme of the Congress. I earnestly hope that those who are opposing the introduction of Hindustani will realise the significance of progressive measure of their government and desist from the agitation they have been carrying on. The example set by the Madras Government will then be followed with advantage to the nation in other provinces too. The agitation against Hindi is detrimental to the highest interests of the Indian Nation".

(Calcutta Hindi Club Bulletin.
September. 1938)

श्री श्रीनिवास शास्त्री—

[माननीय श्री श्रीनिवास शास्त्रीजीके निम्नलिखित उद्धरणसे यह प्रकट हो जाता है कि वे भी हिन्दीको ही राष्ट्रभाषाके योग्य समझते थे। केवलमात्र इसी विचारके माध्यमसे ही राष्ट्रकी सेवा संभव है, ऐसा उनका विश्वास था। राष्ट्रके कल्याणके लिये भी वे समझते थे कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो। और, जिन ज्ञोरदार शब्दोंमें उन्होंने अपने मत ही नहीं, बरन् विश्वासका समर्थन किया, वे उन्हींके अनुरूप थे।]

“ये विषय में गणतन्त्रका सद्वायक और समर्पक हूँ, तथापि प्राय सौना करता हूँ कि किसी तरहसे यदि मेरे पास शक्ति होती तो कुछ क्षणोंके लिये मैं सारे भारतवासी डिक्टेटर बन जाता। यदि सौभाग्यसे उस पदको प्राप्त कर सकता तो कितनी ही आदर्श योजनाएँ कार्यस्थलमें परिणत कर लालता। वन सरोंमें भी सबसे पहला और महत्वपूर्ण मेहमान तो सारे देश भरके लिए यह होता कि मैं अपनी समस्त शक्ति अधिकारके द्वारा हुमसे देता कि सारे स्कूलों और कॉलेजोंमें गर्वनमेन्टके सारे दफ्तरोंमें और कच्चहरियोंमें हिन्दुआस्तानीको ही कार्यवाहीका माध्यम माना जाय। आप तो आमते हैं कि सभी देशोंमें और विदेशकर हमारे यहाँ इसी सम्प्राट या शासककी अवाय आज्ञा वड़ी प्रबल होती है। यह दुखकी ही बात है कि इन सम्राटोंने अपनी अमितशक्तिका व्यवसदा मानव कल्याणके लिए ही नहीं किया। किन्तु, मेरा विचार तो स्फुल ही था कि यदि लोग मेरी सत्ता स्वीकार करते हों मैं अपनी शक्तिका उपयोग उनके हितके लिए ही करता हूँ और जहातक में समझता हूँ इससे अधिक ने उनका कोई हित नहीं कर सकता था, कि मैं, न केवल उन्ह आज्ञा ही वै बरन आवस्यकता पड़ने पर शायद वाय भी करूँ कि वे एक भाषा और एक लिपिको स्वीकार कर ।”

(दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा १९३३-३४ के दीर्घान्त भाषणसे)

I have often wished, friend and champion of Democracy though I am, that it were in my power for a brief spell of time to act as Dictator of all India. I had a great many schemes to put through, if I had the good fortune to be elevated to that position. But among them all, a prominent place was assigned to the edict to go all over the country and to enforce with every authority that I could command, that *in all Schools and Colleges, in all the offices of Government and all its courts of justice, Hindustani should be recognized medium of communication.* You know that in all countries and

especially in this country, the absolute word of an Emperor, King, whose power is unchecked, goes very far. It is a pity that those kings and emperors used their unbridled power not always for the good of the people. I had however an excellent idea of using my power, so long as people chose to grant it to one, for their good. And, I could not further their good. it appeared to me, better than by commanding them and coercing them if necessary, to adopt a common language and a common script" (Right Honourable Shrinivas Shastri Address delivered at the convocation of Dakshin Bharat Hindi Prachari Sabha 1938 34)

महात्मा गांधी—

[पूर्ज्य महात्मा गांधीका हिन्दी राष्ट्रभाषा सम्बन्धी मत परिवर्तन सर्व विदित है। नीचे दिए गए उनके भाषण तथा समय-समय पर प्रकट किए गए विचार स्पष्ट कर देते हैं कि अधिक दिन नहीं हुए, जब कि वायू हिन्दी तथा हिन्दुस्तानीमें कोई भेद नहीं मानते थे। हिन्दीको राष्ट्रभाषा कह कर घोषित किया था। स्वयं उन्होंने उसके प्रचारमें जितनी तत्परता दिखाई थी, संभवतः उतनी अन्यत्र नहीं देख पड़ती। किन्तु हठात् समझौतेकी नीतिने उन्हें अन्य दिशाकी ओर आकर्षित किया। उन्होंने हिन्दी को छोड़ कर 'हिन्दुस्तानी' नाम राष्ट्रभाषाके लिये चुना। यहा तक तो बुता न था। किन्तु, समझौतेकी मावनासे प्रेरित होकर मापाका सास्कृतिक मूल्य भूल जाना, अस्त्रामाविक रूपसे अप्रचलित शब्दोंका मरना, एक नई भाषा और उसके लिये नए कोप (हरिजन सेवकमें नियमित रूपसे कोपके बुछ अशा प्रकाशित होते रहते हैं) के गढ़नेकी चेष्टा करना, जिस 'हिन्दी'

प्रचार सभा' के द्वारा एक दीर्घकाल तक राष्ट्रभाषाका प्रचार होता रहा, उसका नाम भी अपने मत परिवर्तनके साथ 'हिन्दुस्तानी प्रचार समा' कर देना, आदि 'प्रयोग' राष्ट्रशक्तिके अपव्यय ही कहे जाएँगे ।]

× × × ×

अ। पृथ्वी सहते हैं कि केवल दक्षिण ही में हिन्दी प्रचारके लिए क्यों ?

मेरा उत्तर यह है कि दक्षिण भारत कोई छोटा मुल्क नहीं है । वह तो एक महाद्वीप-सा है । वहाँ चार प्रान्त और चार भागाएँ हैं—तामिल, तेलुगु, मल्याली और कानडी । आबादी कीब सबा सात करोड़ है । इतने लोगोंमें यदि हम हिन्दी प्रचारकी नींव मजबूत कर सके तो अन्य प्रान्तोंमें बहुत ही सुभीता हो जायगा ।

यद्यपि मैं इन भाषाओंको सख्तकी पुनिया मानता हूँ, तो भी ये हिन्दी, उडिया, बगला, आसामी, पजाबी, सिन्धी, भरठी, शुजरातीसे भिन्न हैं । इनका व्याकरण हिन्दीसे विलकुल भिन्न है । इनको सख्तकी पुनिया कहनेखे मेरा अभिप्राय इतना ही है कि इन सबमें सख्त शब्द काफी हैं और जब सकट आ पड़ता है तब ये सख्त मात्राको पुकारती हैं और उसके नये शब्द स्था दूर फीती है । प्राचीन कालमें भले ही ये स्वतंत्र भाषाएँ रही हों, पर अब तो ये सख्तसे शब्द लेकर अपना गौरव यदा रही हैं । इसके अतिरिक्त और भी तो कई कारण इनको सख्तकी पुनिया कहनेके हैं, पर उन्ह इष्ट समय जाने दीजिये । × ×

× × क्या इतनी प्रगति सन्तोषजनक नहीं माना जा सकती ? क्या यहे दृश्यको हमें और भी न बढ़ाना चाहिये ? आज जब कि मुझे यह स्थान दिया गया है, तब भी मैं इस स्थानको चिरस्थायी बनानेका यत्न न करूँ तो मेरे लिए मूर्त्त कौन माना जा सकता है ? मुझको यदि दुराप्य यह पद देनेवाला कुछ भी अधिकार है, तो सिर्फ मेरे दक्षिण दिशा प्रचारके कार्यके कारण ही । भले ही दूसरे कार्यमें मैंने कोई पद लेकर काम न किया हो, पर दूसरतमें उस ग्रक्षको सौचर्जमें तो मैंने काफी दिसा लिया ही हूँ । × ×

× × पर तभ यह प्रध उठ सकता है कि क्या अन्य प्रांतोंकी बात छोड़ दी जाय ? क्या अन्य प्रांतोंमें हिन्दी प्रचार की जागरूकता नहीं है ? अपरब है। मुझे दक्षिणका पश्चिम नहीं है, और न अन्य प्रांतोंसे दैव। मैंने अन्य प्रांतोंके लिये भी काफी प्रयत्न किया है ; लेकिन व्यार्थकर्त्ताओंके आभावके कारण वहाँ इतनी क्या धौङ्खी भी सफलता न मिल सकी। × ×

XX मेरी रायमें अन्य प्रान्तोंमें भी हिन्दी प्रचार, सम्मेलनहा मुख्य कार्य बनाना चाहिये। यदि हिन्दीको राष्ट्र-भाषा बनाना है तो प्रचार कार्य सर्वव्यापी और मुसंगटित ही होना चाहिये। हमारे यहाँ शिक्षकोंका अभाव है। सम्मेलनके केन्द्र में हिन्दी शिक्षकोंके लिये एक विद्यालय होना चाहिये, जिसमें एक थोर तो हिन्दी प्रात्वासी शिक्षक तैयार किये जायें और उनको त्रिध प्रान्तके लिये वे तैयार होना चाहें, उस प्रान्तकी भाषा सिखायी जाय और दूसरी और अन्य प्रान्तोंके भी छात्रोंको भरती करके उन्हें हिन्दी शिक्षा दी जाय। XX

XX कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम प्रान्तीय भाषाओंको नष्ट करके हिन्दी को सारे भारतवर्षकी एकमात्र भाषा बनाना चाहते हैं। इस गलतफहमीसे आनंद होकर वे हमारे प्रचारका विरोध भी करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इस बारेमें अपनी नीति स्पष्ट करके ऐसी गलतफहमियाँ कर करनी चाहिये। मैं हमेशासे यह मानता रहा हूँ कि हम किसी द्वालतमें भी प्रान्तीय भाषाओंको मिटाना नहीं चाहते। हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रान्तोंके पारस्परिक सम्बन्धके लिये हम हिन्दी भाषा सीखें। ऐसा कहनेसे हिन्दीके प्रति हमारा कोई पश्चात नहीं प्रकट होता। हिन्दीको हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। वह राष्ट्रीय होनेके लायक है। वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है, जिसे अधिक-सख्त लोग जानते-नोलते हों और जो सीखनेमें मुगम हो। ऐसी भाषा हिन्दी ही है, यह बात यह सम्मेलन सन् १९१० से बता रहा है और इसका कोई वजन देने लायक विरोध आज तक सुननेमें नहीं आया है। अन्य प्रान्तोंने भी इस बातको स्वीकार कर ही लिया है।

काका साहबने कुछ लोगोंमें दूसरी गलतफहमी यह देखी कि वे समझते हैं कि

हम हिन्दीको अप्रेजी भाषासा स्थान देना चाहते हैं। तुछ तो यहाँ तक मममते हैं कि अप्रेजी ही राष्ट्रभाषा बन सकती है, और वन भी नहीं है।

यदि हिन्दी अप्रेजीका स्थान ले तो कमसे कम मुस्ते तो अच्छा ही रगेगा। लेकिन अप्रेजी भाषाके मूल्यको हम अच्छो तरह जानते हैं। आधुनिक ज्ञानकी प्राप्ति, आधुनिक साहित्यके अध्ययन, सारे जगत्के परिचय, अर्थ प्राप्ति, राज्याधिकारियके साथ समर्पण करने और ऐसे ही अन्य कार्योंके लिये अप्रेजी ज्ञानकी हमें आवश्यकता है। इच्छा न रखत हुए मी हमको अप्रेजी पढ़नी होगी। यही ही भी रहा है। अप्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है।

लेकिन अप्रेजी राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती। आज इसका सामाज्य सा जहर दिखाई देता है। इससे बचनेके लिये काफ़ी प्रयत्न कारं हुए भी हमारे राष्ट्रीय कार्योंमें अप्रेजीने बहुत बड़ा स्थान ले रखता है। लेकिन इससे हमें इस व्यापक प्रान्तमें हम आसानीसे कर सकते हैं। यगाल उधा दक्षिण भारतको ही लेजिये, जहाँ कि अप्रेजीका प्रभाव सबसे अधिक है। वही यदि जलतारी मार्फत हम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो वह आज हिन्दी द्वारा मठे ही न कर सके। पर अप्रेजी द्वारा तो नहीं ही कर सकते। हिन्दीके दो-चार शब्दोंसे हम अपना भाव तुछ तो प्रकट कर ही देंगे। पर अप्रेजीसे तो इतना भी नहीं कर सकते। हाँ, यह अवश्य भाना जा सकता है कि बच तक हमारे यहाँ एक भी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाए है। अप्रेजी राज भाषा है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। अप्रेजीका दृष्टिकोण से बहुता में असम्भव समझता हूँ, चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय। हिन्दुत्त्वात्मको अगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो—चाहे कोई माने या न माने राष्ट्र भाषा तो हिन्दी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिन्दीको प्राप्त है वह किसी युरोपी भाषाको भी नहीं मिल सकता। हिन्दूसुखलभान दोनोंको मिला कर, द्वीप व दैस कोइ मनुष्योंकी भाषा भौड़े बहुत पेरफारें—हिन्दी हिन्दुत्त्वानी ही है। इसलिये उचित और सामव तो यही है कि प्रत्येक प्रान्तमें उस प्रान्तकी भाषा, सारे देशके पारस्परिक व्यवहारके लिये हिन्दी, और अन्तर्राष्ट्रीय। उपर्यागके

लिये अंग्रेजोंका व्यवहार हो । हिन्दी बोलने वालोंकी साल्या करोंको रहेगी, इन्तु अंग्रेजी बोलने वालोंकी संख्या कुछ साथसे आगे कभी नहीं बढ़ सकेगी । इसका प्रयत्न भी करना जनताके साथ अन्याय करना होगा ।

मैंने अभी 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' शब्दका प्रयोग किया है । रन् १८ में जब आगे सुकको यही पद दिया था, तब भी मैंने यही कहा था कि हिन्दी उस भाषा का नाम है जिसे हिन्दू और सुसलम्मान उदरती तौर पर बगैर प्रवन्नके बोलते हैं । हिन्दुस्तानी और उर्दूमें कोई फर्क नहीं है । देवनागरी लिपिमें लिखी जाने पर वह हिन्दी और अरबीमें लिखी जाने पर उर्दू कही जाती है । जो लेखक या व्याख्यानदाता चुन-चुन कर सकता या अरबी-फारसीके शब्दोंका ही प्रयोग करता है, वह देशका अद्वित बनता है । हमारी राष्ट्र-भाषामें वे सब प्रकारके शब्द आने चाहियें, जो जनतामें प्रवलित हो गये हैं । श्री घनश्यामदासजी बिहारी ठोक ही कहा है कि राष्ट्रभाषा-वादियोंको चाहिये कि विभिन्न प्रान्तोंय भाषाओंमें जो शब्द रुद्र बन गये हैं और जो राष्ट्रभाषामें आनेके लायक हैं, उन्हें वे ले लें । हर व्यापक भाषा में यह प्राइक शक्ति रहती ही है । इसीलिये तो व्यापक बनती है । अंग्रेजीने क्या नहीं लिया है ? लैटिन और ग्रीकमें से कितने ही महावरे अंग्रेजीमें लिये गये हैं । आधुनिक भाषाओंको भी वे लोग नहीं छोड़ते । इस बारेमें उनकी निष्पक्षता सराहनीय है । हिन्दुस्तानी शब्द अंग्रेजीमें काफी बा गये हैं । कुछ अफ्रिकाएं भी लिये गये हैं । इसमें उनका 'फ्री ट्रेड' कायम ही है । पर मेरे यह सब कहनेका मतलब यह नहीं कि बगैर अवसरके भी हम दूसरी भाषाओंके शब्द लें, जैसा कि आज-कल अंग्रेजी पहेलिये युवक किया करते हैं । इस व्यापारमें विवेक दृष्टि तो रखनी ही होगी । हम कगाल नहीं हैं, पर कजूस भी नहीं चतेंगे । कुरसी-छो खुशीसे कुरसी कहेंगे, उसके लिये 'चतुष्णाइ पीठ' शब्दका प्रयोग नहीं करेंगे ।

इस भौके पर आपने दुखकी भी कुछ कहानी कह दी । हिन्दी भाषा राष्ट्र-भाषा

बने या न बने, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुलसीदासका पुजारी होनेके कारण हिन्दी पर नेहा मोह रहेगा ही। * ५५५

(महात्मा गांधीका अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलनके २४ वें अधिक्षेत्र इन्डोरके सभापतिके पदसे प्रदत्त भाषणसे उद्भृत। २० अप्रैल १९३५)

संस्कृतकी 'पुत्रियोंके लिये एक लिपि

उपर्युक्त शीर्षकका एक छेष लिखते हुए महात्मा गांधीजी कहते हैं कि बड़ती हुई भ्रातीयताकी हानिकारक भाषाओंमें संस्कृतकी पुत्रियोंके लिए एक लिपिके सम्बन्धमें कुछ कहना दुस्साहस करना है। किन्तु एक लिपिके विषयमें कहना अत्यावश्यक है। मुझे याद है कि दक्षिणी अफ्रीकामें मैंने भारतीय पर्यावरणके लिए देवनागरी लिपिको अपनाया था। अन्तर्राष्ट्रीय कार्योंमें भिज भिज प्रांतोंकी भाषाओंके जाननेसे अधिक सुविधा होगी। मैं सारे भारतकी भाषाओंके जाननेका प्रेमी हूँ, मैंने यथासंभव अधिकसे अधिक लिपियोंके सीखनेका प्रयत्न किया है। यदि नेरे पास समय होता तो आभी भी ५० साल्को उम्रमें मैं और भी भाषाएँ सीख लेता। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे इतने प्रयास करने पर भी मैं सब लिपि नहीं सीख सकता। मुझे प्रान्तोंकी मुख्य भाषाओंका काम चलाने योग्य ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त कर लेना चाहिये। देवनागरी लिपि आकार-प्रकारमें बहुत सुन्दर है और मुझे आशा है कि शिल्प-समाज मेरी सल्लह पर जहाँ विचार करेंगे। यदि वे देवनागरी लिपि स्वीकार कर लेते हैं तो वे अगमी युगको अस्थिक परिव्रम तथा मनवके अपव्ययसे बचा कर आशोर्वाद प्राप्त करेंगे। (अमृतबाजार पत्रिका, धरगढ़, ५, ११३८)

Mahatma Gandhi writing under the caption "One script for daughters of Sanskrit" says "The question of having one script for the Indian languages which are

* उपर्युक्त भाषणसे प्रकट हो जाता है कि 'हिन्दी हिन्दुस्तानी' और 'हिन्दुस्तानी' और उद्दृत में कोई फर्क नहीं मानवें थे। और 'सारे देशके पारस्परिक व्यवहारके लिये हिन्दी' का व्यवहार ही उन्हें स्वीकृत था। —हे*

daughters of Sanskrit by birth or adoption has been before the public for a number of years. Yet in these days of aggressive provincialism, perhaps a plea for one script will be regarded as an impertinence. But the literacy campaigns raging all over the country should compel a hearing for the advocates of one script. I have been one such for years. I remember having even adopted in South Africa Devnagri script for my Indian correspondence with Gujaratis in select cases. Inter Provincial intercourse will be much facilitated by such adoption and the learning of the various provincial languages will be made infinitely easier than it is to-day. If the educated people of the land were to put their heads together and decide upon one script, its universal adoption should be an easy thing. To the millions, who are illiterate, it is a matter of indifference what script is prescribed to them. If the happy consummation comes to pass there will be only two scripts in India—Devnagri and Urdu, and every nationalist will deem his duty to master the two scripts. I am a lover of All Indian languages. I have tried too to learn as many scripts as possible. And if only I had the time, even at the age of 70 I have energy enough to learn more Indian languages. That would be a recreation for me. But in spite of all my love for the languages I must confess that I have not learnt all the scripts. I should pick up a workable knowledge of the principal languages of the provinces in very little time and Devnagri has nothing to be ashamed of in point of symmetry or beauty. I hope that those who are engaged in the literacy campaigns will give

a passing thought to my suggestion If they will adopt Devnagri script, they will save for the future generations tons of labour and time and earn their blessings"—

Associated Press. (Amrita Bazar Patrika Aug. 5th 1938)

गांधीजी खाली उर्दूको हिन्दुस्तानी नहीं मानते हिन्दी-उर्दूके मेलके पक्षपाती : हिन्दुस्तानी प्रचार, सम्मेलनमें दिये हुए भाषणका अधिकृत विवरण

गत २६ और २७ फरवरीको बधाइमें हिन्दुस्तानी प्रचार सभाकी बैठकमें महात्मा गांधीने जो भाषण दिया था और समाचार-पत्रोंमें उसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उससे हिन्दी भाषा-भाषियोंमें गलतफहमी पैदा होकर काफी असरतोष्फैल बना था। इसलिये महात्माजीके प्राइवेट सेक्रेटरी श्री प्यारेललजीके अभी दिलो आनेके समय 'हिन्दुस्तान' के प्रतिनिधिने उनसे मिल कर इस बारेमें स्पष्टोऽरणके लिये बहा। इस पर उन्हाने महात्माजीके 'हिन्दुस्तानी' में दिये गये भाषणका जो अमेजी सार भेजा, उसका हिन्दुस्तानी अनुवाद यहाँ दिया जाता है। आशा है इससे हिन्दी बालोंमें फैला हुआ अम दूर हो जायगा।

आरम्भमें महात्माजीने इस बात पर खेद प्रकट किया कि उनकी शारीरिक पूजी सीमित होनेके कारण वह सभाको अविक समय नहीं दे सकते। उन्हाने बहा—“अगर मैं इस पूजीकी अच्छी तरह हिफाजत न करूँ तो वह एक महीनेमें ही रामात हो जायगी। लेकिन सत्याग्रही अथवा अहिंसाके द्विमायतींवा वह तरीका नहीं हो सकता। मौका धाने पर अपना सब कुछ बाजी पर लगाया जा सकता है, लेकिन सत्याग्रही अने शरीरको इंसरको घरोदर मानता है, जिसकी पूरे ध्यानसे हिफाजत को जानी चाहिये और जो केवल इंसरकी सेवमें काममें लगाई जानी चाहिये।”

हिन्दुस्तानी प्रचार सभाकी स्थापनाका आदि घोत और उसके उद्देश्य बताते हुए महात्माजीने बहा—“स्वर्गीय सेठ जमनालाल बाज और मेरे मनमें संयुक्त स्व में इसकी कल्पना हुई। सभाकी स्थापनाके त्रुत्त्व बाद ही सेठ जमनालालजी परलोड-

सी हो गये और उसे युछ अधिक समय नहीं हुआ होगा कि मैं युद्ध भी गिरफतार करा जाकर नजरबन्द कैम्पमें रख दिया गया। बीमारीके कारण रिहाई होने पर मैंने वहाँसे उसको शुभ्रात की है, जहाँ कि अगस्त १९४२ में वह छोड़ दी थी।

“सभामें वही लोग बुलाये गए हैं, जिनसे सभाके काममें मदद पानुचनेको भाषा की गई थी और जो इसी इरादेसे आये हैं। इसीलिये जो इसका विरोध करना चाहते हैं, उनके लिये इसमें स्थान नहीं है। इसकी यह वजह नहीं है कि मैं उन्हें निकाल-बाहर करना चाहता हूँ, बल्कि सभाका जो क्षेत्र और उद्देश्य है वह विवादके उपयुक्त नहीं है, इसीलिये उन्हें अलग रखना पड़ रहा है। जो लोग उसकी आलोचना करना चाहते हैं वह अपने चिचार बादमें उद्देर्पास भेज सकते हैं।

‘हिन्दुस्तानीका प्रचार यह चाहता है कि वह सब लोग जो लोग कि उर्दू लिपि जानते हैं वह उसके साथ ही नामरी लिपि सीखें, जो नामरी जानते हैं वह उसके साथ उर्दू लिपिका अभ्यास करें और जो दोनोंमेंसे एक भी नहीं जानते, वह दोनों ही सीखें। उन्हें भाषाके दोनों स्व भी जानना चाहिये। बहुत असीं नहीं हुआ उत्तरीय भारतके लोगोंकी भाषा एक ही थी। वह उर्दू और देवनागरी लिपियोंमें लिखी जाती थी। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, दोनों एक दूसरेसे जुदा होती गईं। उर्दू-लेखक अरवी और फारसीके कठिन शब्दोंका प्रयोग करने लगे और इसी तरह हिन्दीके लेखक सफून शब्दोंका। ऐसिन एक साधारण ग्रामीण न तो ऊँचे दर्जेकी उर्दू समझता है, न उच्चकोटिकी हिन्दी। वह तो सीधी-सादी हिन्दी-उर्दू मिली हुई हिन्दुस्तानी समझता है। इसीलिये दोनों भाषाओंके बीचकी झाइको और अधिक चौड़ा होनेसे रोकनेके लिये दरेक हिन्दुस्तानीका यह कर्तव्य है कि वह दोनों ही लिपिया सीखे और मेरा मन अन्दर ही अन्दर ऐसा कहता है कि बहुत देर नहीं है जब कि हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाएँ मिल कर एक ही जायेंगी।

“दोनों लिपियां सदा-सर्वदा रह सकती हैं। मुझे चिन्ता नहीं, यदि आप हिन्दुस्तानमें प्रचलित सभी लिपिया सीख लें। उत्तर भारतके लोगोंको कम-से-कम

दक्षिण भारतकी एक भाषा तो अवश्य सीखनी चाहिए। यह कोई बहुत लम्बी-चौड़ी मांग नहीं है। लेकिन आज हम दिमागी और पर बहुत सुस्त हो गए हैं। अप्रेजीके बोमने इसारी मानसिक शक्तिको पंगु बता दिया है। एक विदेशी भाषा-अप्रेजीको सीखनेमें वर्षों लगा देनेकी हम परवा नहीं करते, लेकिन हम एक भाषा अधिनात् अपनी राष्ट्र-भाषाकी दो लिपियों और दो स्थोंका सीखना मुसोबत समझते हैं। यह एक अल्यन्त दुर्साद अवस्था है।”

अन्तमें महात्माजीने कहा—“हम हिन्दुस्तानी हैं और हमें हिन्दुस्तानके करोड़ों निवासियोंके बीच रहना है। लगर हमें इन करोड़ोंके हृदयों तक पहुँचना और उनकी सेवा करना है तो हमें दोनों ही लिपिया सीखनेका निधय करना चाहिये, जिनमें कि हिन्दुस्तानी लिखी जाती है। आर्मी जनता बड़े-बड़े शब्दोंकी चाहे वे फारसीसे लिये गये हों, चाहे सरक्तसे, परवा नहीं करती। उनके पास पण्डिताईके प्रदर्शनके लिये समय नहीं है। वह तो अपनी रोब्रकी रोटी पैदा करनेके धर्ममें लगे रहते हैं। वह जो भाषा बोलते हैं, केवल वही भारतकी राष्ट्र-भाषा हो सकती है और दरेक हिन्दुस्तानीका कर्तव्य है कि वह उसे सीखे। अगर इसका महत्व समझ लेंगे तो इसमें हांने वाली मेहनत पर बाहु-भी न चढ़ावेंगे और जैसे-जैसे दनका उत्साह और लगन बढ़ती जायगी, धर्म-वैदेशी ही उनकी मेहनत भी हल्की एवं भवो-रंजक होती जायगी। हिन्दुस्तानी ने लिये एक आस्थाका विषय बन गया है और इसके अगोचर किये जाने और विकासमें मैं महत्वर्ण परिणामोंकी कल्पना करता हूँ।”

यहाँकी समाप्ति पर, अपने आपमें महात्माजीने हिन्दी साहिल-सम्मेलन के साथ छिप तरह उनका सम्बन्ध हुक्म और किस तरह उन्होंने बहुत समय पहले १९१७ में साहिल-सम्मेलनके इन्दौर अधिवेशनके भौके पर ही दोनों ही लिपियोंके सीधनेके विचारका समावेश किया, इसका इतिहास बुलाते हुए कहा—“मैंने बादको इस विचारको और भी अलो बढ़ाया, लेकिन वागे चल कर तम्मेलनने इससे कदम फैले हुए लिया। इसलिये १९४२ में मैंने धी जमनालालजीके साथ ‘हिन्दुस्तानी प्रचार सभा’ कायम की। नाशपुरमें, जैसा कि श्री अम्बुद्धूद्ध राहसने बताया,

मैंने गलती की और इसलिये उसके बाद किरणभी भारतीय साहिल परिपद्धि बैठक न बुला कर उस गलतीको दुष्कृत किया ।

‘मैंने जिस मरवसे आपको बुलाया है, वह है भाषाके दो शोतों-हिन्दी और उर्दूसे राष्ट्र-भाषा अर्थात् हिन्दुस्तानीका विचार करनेके काममें मदद देना ।

“इसके लिए किसी एक या दूसरेकी तरफसे सकेत या चेष्टाकी प्रतीक्षामें बैठे रहनेकी ज़हरत नहीं । यत्याप्रह हमें दूसरे कुछ करें या न करें, इसकी परवाह किये विना अपना कर्तव्य करते जाना और बाकीको ईश्वर पर छोड़ देना सिखाता है । अच्छे कामके लिये किया गया प्रयत्न कभी निर्णयक नहीं जाता ।” बम्बईमें होनेवाली, अजुमन ए-टर्टु परिपद्धके लिये मुमसे सन्देश मांगा गया था । मैंने इसके जवाबमें, उर्दूमें पत्र भेजते हुए लिया था—

‘मैं आयन्दा अदेली हिन्दी या उर्दूकी दिमायत नहीं कर सकता । मैं दोनोंको ही फूलती-फलती देसका चाहता हूँ, लेकिन साथ ही उम्मोद करता हूँ कि एक दिन आयगा जबकि दोनों मिल कर एक हो जायगी ।’

महात्माजीने आगे कहा—“जैसा कि डा० ताराचन्दने बतलाया हिन्दुस्तानी अभी भी मौजूद है और उसे अपने सुन्दर साहित्यका भी अभिमान है । लेकिन हम केवल उसके यशोगानसे ही सन्तुष्ट नहीं रह सकते । यद्यपि भूतकालसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अरने वर्तमान और भविष्यकी हमें अपिक चिन्ता करनी चाहिए । यहुतसे लोग अब उर्दू बनाम हिन्दीके क्षणमें बुरी तरह परेशान हैं । एक पक्ष जहाँ तक बन पहता है, भाषाको फारसीमय यना देना चाहता है तो दूसरा गरुतमय । लेकिन आग जनता दोनों ही को नहीं जानती । वह तो सीधी सादी हिन्दुस्तानी समस्ती और उसीको पसन्द करती है । यही वह भाषा है जिसकी आपको रक्षा और बढ़िया करनी है । यदि जो कीमत मारती है, वह है सिर्फ दोनों लिपियोंका लोखना । मुझसे कहा गया है कि हिन्दू लड़के तो उर्दू लिपि सीखनेको तैयार रहते हैं, लेकिन मुसलमान लड़के नागरी सीखनेसे इनकार कर देते हैं । इस पर मेरा जवाब यही है कि फ्रेयदा उसीका है जो दोनों लिपियां सीखता है । जो

लोग अपने ज्ञानमें एक उपयोगी बुद्धिके लिए उचित परिप्रमाणे जी तुरायने, नुकसानमें बेही रहेंगे ।

“भारतकी जनताके लिए एक अन्तर्ग्रान्तीय भाषाका विकास उसके अपने दिनकी दृष्टिसे उपयुक्त प्रयास है और हमारे अधिकसे अधिक परिप्रमाणी अपेक्षा रखता है । इसलिए हम संख्यामें धोड़े हैं ग्रा बहुत, इस बातकी परवाह नहीं करती चाहिए । अगर हम ढटे रहे तो हमारे प्रयत्नोंमें सफलता निश्चित है ।”

(हिन्दुस्तान १९४६)

ईनाबेन तैयबजीके प्रत तथा उनके तकोंका (हिन्दुस्तानीके तथा नागरीके पक्षमें) उत्तर देवे हुए गांधीजीने कहा—

“हम दो जाति नहीं हैं, बरन् एक जाति हैं । जिनका यह विश्वास है कि हिन्दू और मुसलमान दो भिन्न जातियां हैं, वे इन दोनोंकी तथा भारतकी क्षति करते हैं । यदि ब्राह्मदे आजम, हिन्दू और मुस्लिम जातीयताको भिन्न मानते हैं, अपवा उछ हिन्दू भी ऐसा ही समझते हैं, तो समझ करें । अगर सारी दुनिया यहती कर रही हो तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी यहती करें । ऐसा करारि नहीं होना चाहिए ।

यदि ‘हिन्दुस्तानी’ राष्ट्रभाषा स्वीकृत हो जाती है तो स्वभावतः दोनों लिपियाँ नागरी और उर्द्दू साथ ही साथ स्वीकृत हो जाती हैं । यदि सरकार ‘हिन्दुस्तानी’ लिखनेके लिये नागरी लिपिको स्वीकार कर देती है तो हमारे अप्यसंख्यक भाई मुसलमानोंका रमण आते ही यह स्वीकृति अन्याय की प्रतीत दोती है और हमारा अपराध बढ़ जाता है ।

मेरा कभी भी यह तात्पर्य नहीं रहा कि भारतकी चालीसों करोड़ जनताको दोनों लिपि सीखनी ही पड़ेगी । मेरा मतलब यह रहा है कि जो अन्तर्ग्रान्तीय सुन्दर्यको रखना चाहते हैं, और ऐसल अपने ही ग्रान्तको नहीं, बल् उसे भारतकी सेवा

* यापूँ इसके पहले ही कह चुके हैं कि हमारी जातीयता एक है, हम दो नहीं हैं तब ‘अप्यसंख्यक और अहुसंख्यक’ का मेद ही क्यों उस्थित हो ?

बरना चाहते हैं, तो उन्हें दोनों लिपियोंका शान रहना चाहिए। कारण स्टट है। वे, चाहे नागरी हो अथवा उर्दू हो, पढ़ लें। अतः यह आवश्यक है कि दोनों लिपि राष्ट्रीय रूपमें स्वीकृत हों।

यदि हिन्दी राष्ट्रीय भाषा स्वीकृत हो जाती है, तो नागरी ही केवल स्ट-लिपि होगी। यदि उर्दू उस स्थानको प्रदण करती है तो किस उर्दू लिपि ही राष्ट्र-लिपि होगी।
छिन्नु यदि 'हिन्दुस्तानी' जो कि हिन्दी और उर्दूके सम्मिलित सभी लिपियोंका शान होना आवश्यक है।" × ×

Answering the arguments of Rajnabehn Tyabjee who favoured Hindustani as the inter-provincial language written exclusively in Nagri, Mahatma Gandhi expressed that, "We are not two nations. Those who believe the Hindus and the Muslims to be two nations harm both the communities and India. It should not matter that the Quid-e-Azam believes The Hindus and the Muslims of India to be two nations or that there are Hindus too who entertain the same belief, surely, it does not follow that because the whole world is in error, we, who believe otherwise, should follow it. This should never happen.

If Hindustani is taken to be the inter-provincial language of India, it follows that both the scripts, Nagri and Urdu, should be equally acceptable. If the state, recognizes only Nagri as the character in which Hindustani should be written it would certainly be

* इसी भाषात्मक परिभाषा ने ही 'हिन्दुस्तानी' शब्दकी रूपाति नष्ट कर दी। 'हिन्दुस्तानी' के सबन्धमें ग्रो० ललिताप्रसाद सुकुल लिखित 'यह बदनाम हिन्दुस्तानी' शीर्पक लेखमें यथेष्ट सूचनाएँ प्राप्त होंगी। —ले०

unjust to our Muslim brethren and when it is remembered that they are a minority the guilt is enhanced.

I have never contented that all the forty crores of Indians have to learn both the scripts, I have, however held that those who have inter-provincial contacts and who want to serve not merely their own province but the whole of India should know both the scripts. The reason is obvious. They ought to be able to read letters written whether in the Nagri or the Urdu scripts. Hence, it is necessary that both the scripts are accepted as national!

If Hindi is to be the national language, naturally Nagri alone will be the national script and if Urdu is to take that place, Urdu script alone will be the national script. But if Hindustani, which is a resultant of the junction of Hindi and Urdu, is to be the national language, a knowledge of both the scripts is essential in the manner indicated by me x x x x "

(Harijan November 9th 1947)

पढ़ित जवाहरलाल नेहरू—

[माननीय पढ़ित जवाहरलाल नेहरूके निम्नलिखित विचारोंसे प्रगट हो जाता है कि हिन्दी और उर्दूम वृक्षोंइ अन्तर नहींमानते। हिन्दीके राष्ट्रभाषा होनेपर उर्दू पर कोई असर नहीं पड़ता, काण दोनों मूळ रूपमें एक हैं। उर्दूके पृष्ठरोपक इसे अस्तीमार नहीं कर सकते कि स्वयं पढ़ित नेहरू जिस वार्गीका व्यवहार करते हैं, वह उनके तथाकथित उर्दूके अति निष्ठ है वर्ल. धंगाड़ आदि प्रानोंमें कमी-कमी उनके माणसी समझनेमें कठिनोंको कठिनाई भी होती है, किन्तु उनकी व्यवहृत मापा हिन्दीकी ही एक दौली है।]

Hिन्दी प्रचार सभा भवनके उद्घाटनके समय कोमेस ग्रेडीडेन्ट पडित जवाहरलाल नेहरूजीने हिन्दीको राष्ट्रभाषाके योग्य बताते हुए कहा था कि यदि इसमें राष्ट्रीय मुकार न होती तो अहिन्दीभाषी इसे इतनी तत्परताके साथ न सीखते । हिन्दीका ज्ञान, गण्डीयताको प्रोत्साहन देता है और हिन्दी अन्य भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक राष्ट्रभाषाके योग्य है । श्री नेहरूजीने, हिन्दीके कारण अन्य बोलियोंकी प्रगतिमें वाधा पहुँचेगी, इस भयका निराकरण करते हुए कहा कि विभिन्न स्थानविशेषको बोलिया अपने अपने स्थानविशेषमें प्रमुख रहेंगी, किन्तु भारतको एक सूक्तमें चापनेके लिये हिन्दीको ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए । 'हिन्दी' 'उर्दू' के म्हणेके सम्बन्धमें आपने आगे चलकर कहा कि इन दोनों भाषाओंमें कोइ अन्तर नहीं है सिवा इसके कि हिन्दी, नागरी लिपिमें लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपिमें कुछ प्रान्तोंमें हिन्दीमें सहज शब्द अधिक व्यवहारमें लाए जाते हैं और कुछ प्रान्तोंमें फारसी शब्द अधिकतर व्यवहृत होते हैं । उन्होंने कहा स्वयं वे शुद्ध उर्दू (शुद्ध फारसी युक्त हिन्दी) का व्यवहार करते हैं । यह बड़े दुसको बात है कि हिन्दी-उर्दूको धार्मिक म्हणेका रूप दे डाला गया है ।

(एडवान्स अक्टूबर, १९३६)

On the occasion of opening of the Hindi Prachar Sabha Buildings Pandit Jawaharlal Nehru, Congress President, emphasised the value of Hindi as the national language of India and said that had it not been for national call, the people who did not speak Hindi as their mother tongue would not have learnt that language as enthusiastically as they had done. Knowledge of Hindi would promote the spirit of nationalism, and further Hindi was the language most suited to be the Lingua Franca of the country.

The Pandit dispelled the fear that the progress of Hindi might result in the supersession of the local dialects

by Hindi. Hindi, he said, was not intended to supersede the local dialects. The principal language of India should be the principal language of the respective areas in which they were spoken. And there was no question of any of them being superseded by Hindustani. But the speaker emphasised that Hindi would be the linguistic link to bind India together.

Pandit Nehru next referred to Hindi-Urdu controversy and said there was no difference between the two languages except that Hindi was written in Devanagari script and Urdu in the Persian script. Further, in some areas there might be a large admixture of Sanskrit words in the language whereas in certain other areas there might be a large number of Persian words. Pandit Jawaharlal said he spoke pure Urdu in conversation with friends. It was unfortunate that the Hindi-Urdu controversy was considered a communal question. It had no communal aspect, he emphasised.—United Press.

(Advance Oct '37)

× × ×

हिन्दी-उर्दू विवाद

हिन्दी-उर्दूके विवादके सम्बन्धमें नेहरूजीने आप्ती विस्तृत व्याख्या की। आपने वही व्याप्तिके साथ कहा कि मैं भाषाके प्रभावों इतना महत्व नहीं देने दूँगा कि वह हमारे स्वतंत्रताके बुद्धके रास्तेका एक रोड़ा बन जाय। आपने छेद प्रकृति किया कि आज हिन्दी और उर्दूके हिमायती बजाय अपनी-अपनी भाषाको अधिक सम्मानकूल बनानेके दूसरी भागकी उपराही चर रहे हैं। आपने इस विचारको

कास्याद्वय बताया कि लोग इष्टज्ञ सत्का प्रयत्न करे कि उनकी भाषा क्वचित्तियोंकी भाषा बना ली जाय तो वह देशकी भाषा हो जायगी ।

नेहरूजीने रेद प्रकट किया कि हमें यह मतना पड़ता है कि हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषाएं आज संसारकी पिछले हुई भाषाएँ हैं । उनमें क्विता इत्यादिका अमना निजी साहित्य चाहे कितना ही क्यों न हो, यह बात तो सष्ठ ही है कि वर्तमान कालमें हम इनके रहारे ही अपने रब विचार व्यक्त नहीं कर सकते, उनकी शब्दावली इन्हीं कम है और हमारे विचार इतने दक्षिणांशों और संधीं हैं कि हम अपनी इन भाषाओंको बढ़ाने ही नहीं देते ।

पडितजीने कहा कि भाषा तो संस्कृतिकी घोतक द्वारा ही है कि आज अप्रेजी भाषा सासारकी सबसे शक्तियाली भाषा हो गई है, उसके समान प्रचलित भाषा संसारमें दूसरी है ही नहीं । अप्रेजी भाषामें रोज ही नये शब्द बढ़ते जा रहे हैं और पिछले पचास वर्षोंमें उसमें नये शब्दोंकी इतनी शृद्धि हुई है कि पचास वर्ष पहलेकी अप्रेजी भाषा आज इस्तेमाल की ही नहीं जा सकती ।

आपने बताया कि वर्तमान कालमें किसी भाषाको अच्छाई इस बातसे नहीं देखो जा सकती कि उसका व्याकरण कितना पूर्ण है, वहिं कि वह तो इस विष्णिकोणसे देखी जाती है कि किस भाषाको लिखने, छानने और प्रयोग करनेमें सबसे ज्यादा सहृदयित होती है, यह सर्वमान्य है कि सस्कृत संसार की सबसे ज्यादा पूर्ण भाषा है और उसका व्याकरण सबसे पूर्ण है, मगर वह इन्हीं कारणोंसे इतनी कठिन भी है कि वह जन साधोरणस्थि भाषा बन ही नहीं सकतो । आपने बताया कि चीनी भाषामें कोई व्याकरण है ही नहीं और वह धीरे धीरे आगे बढ़ती चलो जा रही है, यहाँ तककि आज वह इतनी आगे बढ़ गयी है कि संसारकी किसी भी भाषाको कोई अच्छी पुस्तक प्रकाशित हुए नहीं कि उसका चीनी भाषामें अनुवाद नहीं हुआ । हमारी हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओंमें इसकी वेद्यत कमी है, वर्तमान काल की कोई भी पुस्तकें इन भाषाओंमें ही ही नहीं, बजाय आपसकी तू-तू में-में के हिन्दी और उर्दूके हिमायतियोंको चाहिये कि वह समयानुकूल साहित्य तेयार कराये ।

भाषाओंके प्रसारका मार्ग बताते हुए नेहरूजीने कहा कि हिन्दी और उर्दू सहज और अच्छो, फारसीके बठिन शब्दोंके बदानेसे उन्नति नहीं कर सकेंगी, बल्कि मज़दूरों और साधारण जनताके रोज़के बोलबालके शब्दोंको अपने कोपमें स्थान देनेसे वह आगे बढ़ सकेंगी। उदाहरणकी तरह आपने बताया कि तिर्क़ मोटरगाड़ीके आविष्कारसे ही अज़रेज़ी भाषामें लगभग एक हजार शब्द यह गये, क्योंकि उसके हर दिससेका अलग नाम था। अज़रेज़ी भाषाने इन सब चीजोंके नामोंको अपने कोपमें स्थान दिया और इससे उसकी उन्नति हुई। × × ×

(विश्वमित्र २२-६-४५)

× × × ×

(पडित जवाहरलाल नेहरूने पी० ई० एन० के अनिवार्यनमेभाषा सम्बन्धी तुछ विचार प्रकट किये थे। आपने कहा कि भारतीय भाषाओंमें इमिग्रेशन भाषाओंका प्रश्न नहीं उठना चाह दो भाषाओंकी समस्या उपस्थित होती है। हिन्दी और उर्दू—जो मौलिक रूप एक ही रूप से प्रेरणा प्राप्त करती हैं। अन्तर है केवल साहित्यिक शब्दोंका।)

पडित जवाहरलाल नेहरू पी० ई० एन० के भाषण में से। हिन्दुस्तान टाइम्स
अन्द्रवर २२ १९४५)

Pandit Jawaharlal Nehru, initiating discussion on whether the development of Indian literatures was unifying force pointed out that superficial observers might think that such development would create more provincial barriers "But in reality" he said when we take about this question, it does not relate to a dozen languages, but only to two, namely Hindi and Urdu—which is one language with different literary forms drawing inspiration from the same fountain head "

(Pandit Jawaharlal Nehru Hindusthan Times P. E. N.
conf speeches. October 22nd 1945)

× × × ×

'हिन्दुस्तानी' के लिये ठीक शब्द 'हिन्दी'* होगा, चाहे हम उसे मुल्के लिये, चाहे सस्ततिके लिये और चाहे आनी भिज परस्यार्थके तरीयी सिलसिलेके लिये इस्तेमाल करें। यद्यलक्ष्मि हिन्दसे बता है जोकि हिन्दुस्तानका छोटा है। अब भी हिन्दुस्तानके लिये हिन्द शब्दका आम तौर पर प्रयोग होता है। पच्छिमी एशियाके मुङ्गार्में, ईरान और टर्कीमें, ईराक, अफगानिस्तान, मिस्र और दूसरी खगहार्में हिन्दुस्तानके लिये चरावर हिन्द शब्दका इस्तेमाल किया जाता है और इन सभी जागहोंमें हिन्दुस्तानीको 'हिन्दी' कहते हैं। हिन्दीका मजाहबसे कोई सम्बन्ध नहीं है और हिन्दुस्तानी, मुख्लमान और ईसाई दसी तरहसे हिन्दी हैं, जिस तरह कि एक हिन्दू मतका माननेवाल। अमरीकाके लोग, जो कि सभी हिन्दुस्तानियोंको हिन्दू कहते हैं, बहुत खलती नहीं करते। अगर वह हिन्दी शब्द हिन्दुस्तानमें, एक खस लिपिके लिये इस्तेमाल होने लगा है—यह भी सरकृतकी देवनागरी लिपिके लिये—इसलिये इसका व्यापक और स्वाभाविक अर्थमें इस्तेमाल करना कठिन हो गया है। शायद जब आजकलके मुवाहसे खत्म हो लें तो हम फिर इस शब्दका उपयोग उसके मौलिक अर्थमें कर सकें और वह ज्यादा सतीपजनक होगा। आज हिन्दुस्तानके रहने वालेके लिये 'हिन्दुस्तानी' शब्दका इस्तेमाल होता है और जादिर है कि वह हिन्दुस्तानसे बनाया गया है, लेकिन बोलनेमें यह बड़ा है और इसके साथ वह ऐतिहासिक और साकृतिक रायाल नहीं जुड़े हुए हैं, जो कि हिन्दीके साथ जुड़े हैं। निश्चय हो पाचीन कालकी हिन्दुस्तानकी सस्ततिके लिये हिन्दुस्तानी लफजका इस्तेमाल अटपटा जान पड़ेगा। —('हिन्दुस्तानी' कहानी' पृ० ८१) × × ×

* "हिन्दी है हम बतन है हिन्दोस्ता हमारा"—(इच्छाल)

इसमें इच्छाल साहबने हिन्दुस्तानके निवासियोंके लिये 'हिन्दी' के प्रयोगमें अर्थी परपराका अनुसरण किया है। अतः 'हिन्दी' यदि राष्ट्र भाषा बनाई जाय, तो इसमें विरोधकी गुजायश रही रह जाती है? —छे०

× × × आज ललकी उद्देश्यमें, जो कि सुर एक भारतीय भाष्यकारा है। ८० फो सदी लक्ष्मण साहृतके हैं, अपनर मह बनाना मुदित्त हो जाता है कि कोई खुसल लक्ष्मण साहृतके वा कर्त्तव्य से वा या दे वा कर्त्तव्य से, क्योंकि इन दोनों भाषाओंमें मूल धन्व अवश्यर एक से हैं। युछ वाचरजकी बात है कि दक्षिणाधी दक्षिण भाषाओंने, अपने यह मूलमें विलग्नुल अल्पादी भाषाएँ हैं, साहृतके दृष्टने शब्द जाननेमें ले लिये हैं कि ब्राह्म-ब्राह्म उनमें थाघ शब्द कंप साहृतके मिलता है। (वही० पृ० ११७) XX

× × मौजूदा जगनेकी हिन्दुस्तानी भाषाएँ जो साहृतके निकली हैं और इसी-लिये भारतीय-भार्य भाषाएँ कहलाती हैं, यह है : हिन्दी, उर्दू, बंगाली, मणिली, गुजराती, दक्षिणा, असामी, राजस्थानी (जो कि हिन्दीका ही एक रूप है), पंजाबी, तिथी, पश्तो और काश्मीरी। दक्षिण भाषाएँ यह हैं : तमिल, तेलंगाना, कन्नड और मलायलम। इन पन्द्रह भाषाओंमें सारे हिन्दुस्तानी भाषाएँ आ जाती हैं, और इनमेंसे हिन्दी (अपने रागन्तर उर्दूके साथ) सबसे ज्यादा रायज्ञ है और जहाँ यह बोली भी नहीं जाती, वहाँ भी समझ ली जाती है। इन भाषाओंको छोड़ कर कुछ बोलियाँ और अविविसित भाषाएँ हैं, जो कि बहुत छोटे इलाकोंमें वा विछट्ठी हुई पहाड़ी और जगली जानियों द्वाये बोली जाती हैं। बार चार दुहराई जाने वाली यह कहानों कि हिन्दुस्तानमें पाच सौ वा इससे ज्यादा जगानें हैं, भाषा बैह निछों या मर्दु मशुम रोके कमिशनरके दिमागकी गटत है, जो कि बोलियोंके छोटे छोटे भेदोंको और आमाम, बगाल और बर्माके सरहदही पहाड़ी जानियोंकी दरएक बोलेको गिन लेते हैं, चाहे वह बोली कुछ सौ वा दूजार लोगोंकी ही बोली हो। इन सैद्धों को इन्हीं करने वाली भाषाओंमें से - ज्यादतर हिन्दुस्तानके पूर्वी सरहद वा पूर्वमें बर्माके सरहदी इलाकोंकी बोलिया हैं, जो तरीका मर्दु मशुमारके कमिशनरोंने अविन्धार दिया है, उसकी नकल की जाय सौ यूरोपमें सेकड़ी भाषाएँ निकलेंगी और जर्मनीमें मेरा ल्यल है, साड़ बताइं गई हैं।

हिन्दुस्तानमें ज़गनके मध्येत्र इस विविधतासे कोई तात्पुर नहो। यह मध्यवा हिन्दी उर्दूग्न है, यानी एक जगन्नाथ विष्यके कि दो साहित्यिक स्पष्ट हैं और जिसकी दो लिखियाँ हैं। बोलीमें दोनोंमें शायद हो ज्यादा फर्क हो ; लिखनेमें, खात दौरसे

साहित्यक शैलीमें, यह भेद बड़ जाता है। इस भेदको कम करनेकी और एक आम सूत जिसे कि हिन्दुस्तानी कहते हैं,* पैदा करनेकी भी कोशिशें हुई हैं, और अब भी ब्रारी हैं। और यह आम ज्ञानकी शालमें, जो कि सारे हिन्दुस्तानमें समझी जा सके, तरफ़ी कर रही है। † (वद्दो० पृ० ११८)

× × × The correct word for 'India', as applied to country or culture or the historical continuity of our varying traditions, is 'Hindi' from 'Hind', a shortened form of Hindustan. 'Hind' is still commonly used for India. In the countries of Western Asia, in Iran and Turkey, in Iraq, Afghanistan, Egypt and elsewhere India has always been referred to, and is still called, Hind, and everything Indian is called 'Hindi'. 'Hindi' has nothing to do with religion and a Muslim or Christian Indian is as much as a Hind as a person who follows Hinduism as a religion. Americans who call all Indians Hindus are not far wrong.

* नेहरूजीके इस कथनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे भी उर्दू हिन्दी मिथित हिन्दुस्तानी नामक किसी नवगठित 'आमफहम' ज्ञानकी कल्पनामें यत्नम हैं। इतिहास और भाषा विज्ञानकी दृष्टिसे यह कल्पना किन्तु निराधार है, इसका परिचय 'यह बदनाम हिन्दुस्तानी' लेखमें पढ़ा जा सकता है।

† उपर्युक्त उद्घात अश 'हिन्दुस्तानकी कहानी' के हैं। मौलिक पुस्तक अमेजीमें Discovery of India के नामसे प्रसिद्ध है। जग ध्यान देने पर पता चलेगा कि सहस्रान्निष्ठ हिन्दी और फारसी निष्ठ हिन्दी अर्थात् तथाकथित हिन्दी और उर्दूका समन्वय कर हिन्दुस्तानी भाषामें यह अनुदाद किया गया है। भाषाका प्रयाद इस जोर जबर्दस्तीके कारण रुक गया है और दोनों ही भाषाओंके शब्द अपरसे खोसे रुए बांदसे जान पड़ते हैं। इस राजनीतिक फरेकी ढकोसछेकी सर्वधेषु बानगी भाषके सामने है। —ले०

they would be perfectly correct if they used the word 'Hindi'. Unfortunately the word 'Hindi' has become associated in India with a particular script—the Devnagri Script of Sanskrit—and so it has become difficult to use it in its larger and more natural significance. Perhaps when present day controversies subside we may revert to its original and more satisfying use. To day the word 'Hindustani' is used for Indian, it is of course derived from Hindustan. But this is too much of a mouthful and it has no such historical and cultural associations as Hindi has. It would certainly appear odd to refer to ancient periods of Indian culture as 'Hindustani.' × × ×

(Discovery of India P P 54)

× × × I have no idea of the number of people who understood Latin in the Europe of Dante's time, nor do I know how many understand Sanskrit in India to day. But the number of these latter is still large, especially in the South. Simple spoken Sanskrit is not very difficult to follow for those who know well any of the present day Indo Aryan languages—Hindi, Bengali, Marathi, Gujarati etc. Even present day Urdu, itself wholly an Indo Aryan language, probably contains 80% words derived from Sanskrit. It is often difficult to say whether a word has come from Persian or Sanskrit, as the root words in both these languages are alike. Curiously enough the Dravidian languages of the South, though entirely different in origin, have borrowed and adopted such masses of words from the Sanskrit that nearly half their vocabulary is very nearly allied to Sanskrit. × × ×

(Ibid P P 135)

× × × The modern Indian languages descended from the Sanskrit, and therefore called Indo-Aryan languages, are Hindi, Urdu, Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, Assamese, Rajasthani (a variation of Hindi), Panjabi, Sindhi, Pashto and Kashmiri. The Dravidian languages are —Tamil, Telugu, Kanarese and Malayalam. These fifteen languages cover the whole of India and, of these Hindi, with its variation Urdu, is by far the most widespread and is understood even where it is not spoken. Apart from these, there are only some dialects and some undeveloped languages spoken, in very limited areas, by some backward hill and forest tribes. The oftrepeated story of India having five hundred or more languages is a fiction of the philologists and the census commissioner's mind, who note down every variation in dialect and every petty hill tongue on the Assam Bengal frontier, with Burma as a separate language, although sometimes it is spoken only by a few hundred or a few thousand persons. Most of these so called hundreds of languages are confined to this eastern frontier of India and to the eastern border tracts of Burma. According to the method adopted by census commissioners, Europe has hundreds of languages and Germany was, I think, listed as having about sixty.

The language question in India, has nothing to do with this variety. It is practically confined to Hindi-Urdu, one language with two literary forms and two scripts. As spoken there is hardly any difference, as written especially in literary style, the gap widens. Attempts have been made, and are being, made to lessen this gap and the

develop a common form which is usually styled Hindustani. This is developing into a common language understood all over India. × × × (Ibid P P 136)

श्री डा० राजेन्द्रप्रसाद—

[डा० राजेन्द्रप्रसादजीके दोनों वचन्योंसे स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। कहीं-कहीं दवी जगत्से उन्होंने हिन्दुस्तानीका नाम अवश्य लिया है। इसके द्वारा आजकी प्रचलित की जानेवाली तथाकथित 'हिन्दुस्तानी' के कृपिम रूपके वे कहाँ तक समर्थक हैं, यह सदिग्ध है। क्योंकि, जिस शैलीमें वे लिखते हैं या बोलते हैं तथा जिस इद तक सञ्चार, ईमानदारी और स्वामाविकरणके वे उपासक हैं उससे प्रमाण तो हिन्दीके ही समर्थनका मिलता है (अभी उस दिन प्रयाग विश्वविद्यालय की रजत जयन्तीके अवसर पर दिये गये उनके दीक्षान्त मापणको देखिये ।]

७ यिन भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभाके २८ वर्षोंके कार्यकी प्रशस्ता करत हुए आपने कहा कि जब हिन्दी (या हिन्दुस्तानी) को राष्ट्रभाषाके स्पर्म स्वीकार करनेके लिये कहा जाता है तो उससे आशय भाषाके उस स्पर्मसे होता है जो अधिकाश लोगोंकी समझमें सरलताए साती है। इसका आशय यह कदापि नहीं होता कि हिन्दुस्तानी प्रान्तीय भाषाओंकी जगह अपनाना चाहती है। प्रान्तीय भाषाएं तो अपनी-अपनी जगहों पर रहेंगी ही। हिन्दीका मार्गम ऐसे स्थलों पर उपयोगी सिद्ध होगा जहा विविध प्रान्तों विविध बोलियोंके बोलनेवाले लोग एकनित हो और चर्चा ऐसे विषय पर हो जिसका सवध सबसे हो ।

हिन्दी और हिन्दुस्तानीका भेद समझते हुए उन्होंने कहा कि इनम कोइ विशेष अन्तर नहीं है। शब्दावलीका योग सा अन्तर हो सकता है, किन्तु छिंसी भाषाका स्पर्म उसकी शब्दावलीही अपेक्षा उसके व्याकरणके ढांच पर अधिक निर्भर रहता है ।

हिन्दी और उर्दू के व्याकरण का ठीका एक है। शब्दोंका आदान-प्रदान सभी भाषाएँ करती हैं, हिन्दुस्तानी भी एक सजीव भाषा है, उसमें भी शब्दोंका आदान-प्रदान हुआ करता है। अपने इस विचारके समर्थनमें उन्होंने आकर्सफोर्ड डिक्शनरीके उत्तरोत्तर बड़नेवाले कलेवरका जिक्र किया था। अपनी भाषाका सकेत करते हुए उन्होंने कहा कि वे न सस्कृत जानते हैं न फारसी, लेकिन उनकी भाषामें दोनों ही के शब्द आते रहते हैं। ज्यो-ज्यों इस भाषाका प्रचार बढ़ता जायगा त्यों-त्यों इसमें तमाम प्रचलित शब्दोंका समानेश होता रहेगा। यही विशेष कारण है जिससे प्रेरित होकर वे हिन्दुस्तानीके प्रचारको बेखटके सिफारिश करते हैं और कहते हैं कि उसे राष्ट्रभाषा के रूपमें स्वीकार करना चाहिये क्योंकि बिना छिपी छोली, सम्प्रदाय या धर्मसे संबंधित पश्चातके यह भाषा देशवासियोंके द्वारा समझी जाती है और व्यवहृत भी होती है।

स्वाधीनता प्राप्तिके बाद हिन्दुस्तानीका महत्व और भी बढ़ गया है। विधान-परिषद्के सामने यह प्रश्न विशेष महत्वका था कि विचारोंके आदान-प्रदानका माध्यम किस भाषाके द्वारा होना चाहिये। इसीके हल स्वस्य उन्होंने परामर्श दिया था कि देशका भावी :विधान 'हिन्दुस्तानी' में होना चाहिये। यदि यह विधान अप्रेज़ी में होता और आगे चलकर उसकी व्याख्याके सबधर्में यदि मतातर होता तो उन्हें बख्बख विदेशी पडितोंका मुख्यापेक्षी होना पड़ता और तब वाध्य होकर आजकी इस 'विधान परपरा' को उर्योंका त्यों रखना ही पड़ता। किन्तु, जब विधान हिन्दुस्तानी में होगा तो आगे आनेवाली भारतकी सन्तान उसकी अपने ढगसे व्याख्या कर सकेगी और देशके लिये जो द्वितीय होगा उसी रूपमें वह माना जायगा।

स्वाधीन भारत विदेशी सभाओंमें अपने प्रतिनिधि भेजेगा। अन्य देशोंके प्रति-निधियोंकी तरह हमारे प्रतिनिधि अपने व्याख्यानोंमें अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीका प्रयोग करेंगे और अन्य राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंकी भाषाओंमें जैसे फ्रेंच, रुसी इत्यादि हैं—हिन्दुस्तानी व्याख्यानोंके अनुवाद भी हुआ करेंगे।

Hindustani the Best Common Medium of the Masses

I have been associated with this institution for a long time and am conversant with the progress it had made during the last 28 years, in all directions. Whenever I came to South India, I have tried to visit the Sabha and say publicly something about its work. When I toured South India as the President of the Indian National Congress, I was immensely pleased to find the amount of work turned out by the Sabha at various centres, qualitatively and quantitatively. It was also a source of pleasure to me when at some places people asked me to address them in Hindustani.

In adopting Hindustani as the common language for India, it was their intention to adopt the language in that form and style as would be understood by a large number of people. It was not their intention to replace provincial languages by Hindustani. Tamil, Telugu, Malayalam, Kanada and other languages had their own places in the respective regions. Hindustani was sought to be made the common medium of expressions at all gatherings where people from different provinces and people talking different languages assembled to transact business common to them all.

There was not much difference between Hindustani and Hindi. There might be a slight difference in vocabulary. The form of a language was not determined by its vocabulary, but by its grammar. The grammar for Hindustani and Urdu was the same. Every language has borrowed

freely from their sister languages Hindustani has gone on expanding, borrowing freely from other languages That was also the case with English They would have noticed that the size of the Oxford Dictionary was increasing every time it was published By the time the words beginning with Z were printed, so many additions would have been made, necessitating an appendix Hindi has drawn freely from Sanskrit, Urdu, Persian and Arabic

The Hindustani, they would buildup, ultimately would retain the grammar which was commonly drawn from the vocabulary of both and also incorporate all the words in current use by the masses He was addressing them in Hindustani He knew neither Persian nor Sanskrit That was his weakness and also his strength because he could view things without bias That was why he considered it their duty to spread the standard Hindustani among the people so that they might have it as their common language, for, it was understood by all people, irrespective of differences based on dialects creeds or religion

With the advent of independence the importance of Hindustani has increased In the Constituent Assembly they were faced with the question of finding a medium of expression understood by all persons That was the reason why he had suggested that they should frame their future Constitution in Hindustani If the Constituent was framed in English, doubts might arise in respect of interpretation some years later They might then be put to the necessity of going to foreign jurists to interpret their laws They

would also have to perpetuate all the legal machinery they were now having. By framing the Constitution in Hindustani, they would help the generations to come to interpret the Constitution correctly themselves and to the best advantage of the country.

When India became free she will be sending her own representatives to foreign Conferences. Like the representatives of every other nation, the representatives of India would be speaking the Hindustani and their speeches would also be translated into the languages of the representatives of other nations, just as French, Russian and other languages were being translated now.

(Azad Hind 25th May, 1917)

हिन्दी ही राष्ट्रभाषा क्यों ?

में इस बातकी आवश्यकता नहीं समझता कि आज भारतवर्षके लिये राष्ट्रभाषा को आवश्यकता अधवा उपयोगिताकी वहस छेदी जाय। यह सर्वसम्मत है कि कोई भी देश अपनी गाष्ट्रीय भावनाकी विदेशी भाषा द्वारा न तो उचिति कर सकता है और न ठीक-ठीक व्यक्त ही कर सकता है। यह भारतका दुर्भाग्य था और विदेशी भाषा द्वारा शिक्षका दोष था कि यहां यह कहने वाले भी कुछ निकले कि हमारा सार्वदेशिक संस्थाओं और प्रगतियोंके लिये विदेशी भाषा आवश्यक है। आज इस विचारके लोग कहीं हों भी तो उनका कोई झुनने वाला नहीं है। इसी तरह यह भी एक प्रकारसे सर्वसम्मत है कि वही राष्ट्रभाषा हो सकती है और है जिसको उत्तर भारतकी जनता साधारण रीतिसे समझ लेती है। इसको हम हिन्दी कहते हैं। इसका प्राचीन साहित्य उम्मीटिका है और आधुनिक साहित्य भी वही तेजीके साथ बढ़ता आ रहा है। उसके बोलने वालोंकी सख्त्या १५ करोड़से अधिक होगी और उन्होंको वह बोली नहीं है, वही भी बहुत बड़ी सख्त्या ऐसे लोगोंकी है जो उसको

समझ और बोल लेते हैं। उसमें इतनी योग्यता और लचक भी है कि वह सब प्रश्नोंके विचारों और भावनाओंको सरलतासे व्यक्त कर सकती है।

हिन्दी—राष्ट्रभाषा

भारतवर्षमें कई प्रान्तीय भाषाएँ प्रचलित हैं, जिनका अलग-अलग उच्चकोटिका प्राचीन और नवीन साहित्य है, जिन पर उनके बोलने वाले ठीक अभिनान करते हैं और जिनके प्रति वे अगाध अद्वा रखते हैं। भारतको किसी एक भाषाको राष्ट्र-भाषा बनाना था और इसके लिये सबसे उपयोगी हिन्दी समझ गया, इसलिये उसको राष्ट्रने राष्ट्रभाषाका पद दिया और उसके प्रचारमें इतने लोग उत्साह और ल्यागपूर्वक लो हुए हैं। इस राष्ट्रभाषाकी किसी भी प्रान्तीय भाषाके साथ प्रतियोगिता नहीं है। वह किसी भी प्रान्तीय भाषाको अपने स्थानसे छोड़ना नहीं चाहती। मैं मानता हूँ कि प्रान्तीय भाषा और प्रान्तीय साहित्यकी उन्नतिसे राष्ट्रभाषाकी उन्नति होगी और उसके साहित्यका भण्डार परिपूर्ण होगा। इसलिये किसी प्रान्तके लोगोंके हृदय में ऐसा सन्देश नहीं होना चाहिये कि राष्ट्रभाषाका प्रचार किसी तरहसे उसकी भाषा के साथ द्वेष अथवा प्रतिवृद्धिताके भावसे भ्रेति हो रहा है। राष्ट्रभाषाका क्षेत्र भी मर्यादित है। वह अन्तर्राष्ट्रीय और सार्वदेशिक प्रशृतियोंके लिये ही काममें लायी जानी चाहिये। प्रान्तका काम तो वहाँकी भाषामें होता है और होना चाहिये। उसकी प्रतिदृन्दिता अगर है तो अप्रेजीसे है, न कि किसी भारतीय भाषासे। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि अगर इस बातमें किसीको कुछ भी सन्देश हो तो वह दूर हो जाना चाहिये और इसके प्रचारमें वैसा ही उत्साह और तत्परता यदा भी अपेक्षित है, जो दक्षिण भारतमें और दूसरे अहिन्दी प्रान्तोंमें हम देखते और अनुभव करते हैं।

हिन्दी उर्दू का झगड़ा

राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें एक दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ गया है, जिससे इसके प्रचारमें कठिनाई सम्भावित है। यह है हिन्दी और उर्दूका मानक। इस विषय पर घण्डे दिलसे विचार करना आवश्यक है। मूलमें हिन्दी और उर्दू दोनों एक हैं। दोनोंका व्याकरण बहुत अशमें एक है और अगर आधारवाणी हिन्दी और

उद्देश्य के शब्द इकट्ठे किये जायें तो मेरा विश्वास है कि १०० में ८० से भी अधिक एक ही होंगे। इतना ठीक है कि दोनोंकी शब्दावलीमें बहुत कई पक्षता है और जहाँ हिन्दी संकृतको आपार मान कर नये शब्द गढ़ती वा लेती है वहाँ उर्दू, पारसी और अरबीके शब्दको ही ऐना प्रसन्न करती है। युछ अंशमें यह भी कहना ठीक है कि कभी-कभी उन शब्दोंका रूप पारसीके व्याकरणके अनुसार बदलता भी है और इस प्रकार जो युद्ध हिन्दीका व्याकरण है, वह युछ बदल जाता है। उपर्युक्त और राष्ट्रीय कामोंके लिये देश भरको भाषा है, तभी प्रचलित और सर्व-स्वीकृति हो सकती है, जब उसको नीव और व्याकरण निर्धारित हों और उसमें नये शब्दोंके लिये दर्जाजा खुला रहे। व्याकरणके सम्बन्धमें किसी प्रकारका हेरफेर होना विलुप्त गलत होगा। इसलिये अगर वोइ विदेशी शब्द लिया भी जाय तो उसको हिन्दी व्याकरणके बन्धनको स्वीकार करना चाहिये और वह उसीके अनुसार व्यवहारमें लाया जाना चाहिये। उदाहरणके लिये अज्ञरेजीके ही बहुतेरे शब्द हिन्दीमें प्रचलित होते जा रहे हैं। इसी तरह अरबी और पारसीके भी बहुतेरे शब्द प्रचलित होते जा रहे हैं, जैसे—ट्रेन और खत। इन दोनोंको हिन्दीसे निकालनेका प्रयत्न गलत होगा। साथ ही इनको अज्ञरेजी और पारसीके व्याकरणके अनुसार बहुवचन ट्रैन्ज और खतून बनाना भी यैसा ही गलत होगा। हिन्दीमें हिन्दी व्याकरणके अनुसार ही इनका बहुवचन बनाना चाहिये। यदि इस रीतिसे इस विषय पर विचार किया जाय तो केवल शब्दोंके लेने और न लेनेका ही प्रश्न रह जाता है। आजके समाजमें जब दूर-दूर देशोंके साथ आना-जाना और विचार-विनिमय बहुत सहज हो गया है और होता जा रहा है, संसारकी भाषाओंका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है और जिस तरह और विषयोंमें हम एक दूसरेसे अदूते नहीं रह सकते हैं, उसी तरह भाषाके सम्बन्धमें हम विलुप्त अलग नहीं रह सकते हैं।

हिन्दीको अगर भारतवर्षके लिये सर्वव्यापी भाषा बनाना है तो वह अपने शब्द-क्षेत्रको संकुचित नहीं बना सकती और न वह बहिष्कारकी नीतिया अवलम्बन कर सकती है। उसका दर्जाजा खुला रहना चाहिये। दर्जाजा खुला रहनेका अर्थ यह नहीं कि कोई दूसरा आठवर उसमें बैठ जाय। घर तो उसका अस्ता ही चाहिये और

बाहरसे जो शब्द आयें, वह उसीका ल्प-रग धारण करते जावें—इस प्रकार हिन्दी की उन्नति होगी ।

मैं यह नीति केवल फारसी और अरबीके शब्दोंके सम्बन्धमें ही निर्धारित नहीं करना चाहता, पर प्रान्तीय भाषाओंके शब्द भण्डार भी कुछ कम नहीं हैं—उनमेंसे भी बहुतेरे शब्द हिन्दीमें लिये जा सकते हैं और लेने भी चाहियें । आज भी बहुतेरे ऐसे शब्द आ गये हैं और दिन प्रति दिन आते जायेंगे ; विशेष दरके दक्षिण भारतके शब्द, जिनका सस्तृतसे कोई सम्बन्ध नहीं है । गाँवोंकी बोलियोंमें भी अनेक शब्द हैं जो बहुत ही मार्मिक अर्थ रखते हैं और जिनके द्वा जानेसे हिन्दी भाषाकी उन्नति हो दी जाएगी । इन बोलियोंमें नये शब्द गढ़नेकी नीति भी सुन्दर और विलक्षण है और उसको अपना लेना हिन्दीके लिये द्वितकर होगा ।

भाषा सहज हो

राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें हमको यह भी याद रखना है कि यह भाषा ऐसी होनी चाहिये जो जहाँ तक हो सके आसानीसे सीखी जा सके । इसलिये अहिन्दी-प्रान्तोंके निवासियोंकी सुविधा पर भी हमको ध्यान देना हो जाएगा और जहाँ तक सम्भव है ऐसे शब्दोंको और नियमोंको हमें मानना होगा जो अधिकष्ट अधिक प्रचलित हैं । इसका भी अर्थ यह नहीं मानना होगा कि हिन्दी भाषाका अस्तित्व लोप करके कोई एक नई पिचड़ी भाषा बना दी जाय, जिसका न अपना कोई शब्द-कोष हो और न व्याकरणके नियम हों । इसका अर्थ इतना ही मात्र है कि अगर कहीं नियमोंमें सशोधन आवश्यक प्रतीत हो तो उससे हिचकचा नहीं चाहिये और न अप्रचलित शब्दोंके लेनेमें ही बाधा होनी चाहिये । यदि इम प्रकारसे हम सारे प्रश्न पर विचार किया जाय तो कोई कठिनाई ऐसी न होगी जिसको हम दूर न कर सकें ।

हम हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानते हैं और इसका प्रचार—जहाँ यह न समझे जाती है वहाँ करनेके प्रयत्नमें भी लगे हैं । वहाँके लोगोंकी सुविधाका भी ख्याल करते हैं । एक और इस सरद इसका प्रचार और प्रसार बढ़ाना चाहते हैं तो क्या इसमें कोई बुद्धिमानी है कि दूसरी ओरसे हम इसका रूप-विशेष कर शब्द-कोष जान

यूक कर ऐसा बना दें कि जो लोग हमे समझ और बोल सकते हैं, वह इसका समझे और बोलनेमें कठिनाई अनुभव करते लगें। अगर दक्षिणके करोड़ों हिन्दुओंको हमें हिन्दी सिखाना है—और यह जल्दी है तो उत्तर भारतमें करोड़ों मुसलमानोंको, जो इसे आज समझ और बोल सकते हैं, हम बहिकारकी नीतिका अबलम्बन करके इससे अपरिचित नहीं बना सकते। हिन्दी और उर्दूका साहित्य दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। उसकी प्रगति हम न रोक सकते हैं और न हमको रोकनी ही चाहिये। साहित्यकी भाषामें भी अन्तर देखनेम आता है। कविवर अयोध्यासिंह उपाध्यायजी की भाषामें बहुत अन्तर देखा जा सकता है। उसी तरह उर्दू लेखकोंकी भाषामें भी बहुत अन्तर पड़ता है। कुछ ऐसी भाषा भी रिक्ष देते हैं जो हिन्दीके बहुत नज़दीक होती है और कुछ ऐसे भी हैं जो हिन्दीसे बहुत दूर चले जाते हैं। उसी तरह हिन्दीके लेखकोंमें कुछ उर्दूके बहुत निकट पहुचते हैं और कुछ उससे बहुत दूर चले जाते हैं। इस प्रकारका भेद और अन्तर रहेगा। हम राष्ट्रभाषाके अन्दर इन दोनों प्रकारके लेखकोंको बहुत-कुछ सम्मिलित कर सकते हैं। और कोइ भी प्रतिभाशाली लेखक किसी व्यक्ति या सत्याके बनाये नियमोंके अन्दर अपनेको पूरी तरह नहीं बापता और उसकी प्रतिभा इसी तरह तुल और खिल सकता है। मानूली कारोबारके लिये नियम बनते हैं, पर जब हम राष्ट्रभाषाका सम्बन्धमें विचार करते यैठते हैं तब हम उच्छ्वोटिके प्रतिभाशाली साहित्यिक लेखकोंका अपने सामन नहीं रखते, बस्ति जन-साधारणकी दिन प्रतिनिवृत्ती कारबाही भाषाको ही सामने रखते हैं और उसमें मेरा विचार है कि मर्तैस्वको बहुत गुजाइश है। राष्ट्रभाषा, सकृदार्थ सम्बन्ध रखने वाली भगवा, मराठी, गुजराती भाषाओंके बोलने वालोंमें अगर प्रचलित हाना चाहती है, तो वह सकृदार्थ आश्रय नहीं ढोड़ सकती, क्योंकि वहा के निवासियोंके लिये सकृदार्थ प्रचलित होनेके कारण पूर्ण परिचित हैं और उनके स्थान पर पारसी या अरबीके शब्दोंको साक्षर रखना प्रचारर्म बायक होगा। उसी तरह दक्षिण प्रदेशमें भी वर्षरि वह'की भाषा सकृदार्थ मूर्ति नहीं है, सकृदार्थके बनेकानेक घन्ड प्रचलित हो गये हैं और उनके लिये भी सकृदार्थ परिचय अरबी और कारसीके मुद्दाबठे न रही अपिछ मुश्यम है, वहाँके लिये भी

संस्कृतका आधार भावस्थक है। साथ ही हमको यह भी याद रखना है कि कहुँ सौ वर्षोंका मुसलमानी संसर्ग और मुसलमानी राज्य बिना प्रभाव ढाले नहीं सके हैं। सभी प्रान्तोंकी भाषाओंमें फारसी और अरबीके बहुतेरे शब्द आ गये हैं और प्रचलित हो गये हैं, विशेषकर उत्तर भारतमें उर्दूके द्वारा उनका और भी प्रचार हो गया है। आज उनको प्रान्तीय भाषाओंमेंसे अथवा राष्ट्रभाषामेंसे निकालना उन भाषाओंको दुर्बल बना देगा। इसलिये इन सब दृष्टिकोणोंसे इस जटिल प्रश्न पर ठण्डे दिलसे विचार करना चाहिये।

एक बात और ध्यान देने योग्य है। प्रचलित शब्दोंका तो हम विद्यकार नहीं कर्तं पर आज नित नये वैज्ञानिक विचार, यंत्र और भावनायें हमारे सामने आ रही हैं, उनके लिये उपयुक्त नये शब्दोंको बनाना पड़ता है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके पर्यायवाची शब्द संस्कृतमें मिलते हैं। हो सकता है कि अरबी और फारसीमें भी हों पर हिन्दीमें न तो संस्कृतका ही शब्द और न फारसी-अरबीका ही आज प्रचलित है। ऐसी अवस्थामें क्या संस्कृतके आधार पर नये शब्द गढ़े अथवा फारसी या अरबीके शब्दोंको ? मैं समझता हूँ कि ऐसी अवस्थामें हमको संस्कृतका आश्रय लेना उचित है। और राष्ट्रभाषाको उसी का आश्रय लेना चाहिये। तिर्फ यह ख्याल रहे कि यथासाध्य उनका स्वरूप आसान अथवा तद्द्रव हो। मैंने ऊपर जो कुछ कहा है, वह केवल प्रचलित शब्दोंके सम्बन्धमें ही है।

संस्कृतके आधार पर

मैं अपने विचारोंको दो-तीन वाक्योंमें रख देना चाहता हूँ जिसमें उन पर विद्वानोंका ध्यान जा सके।

(१) राष्ट्रभाषाके लिये विद्यकारकी नीति अनुचित और हानिकर है। जितने शब्द प्रचलित हैं वह कहोंसे आये हों प्रचलित रहने ही चाहियें।

(२) नये शब्दोंको भी लेनेमें हिचकिचाना नहीं चाहिये। वह विदेशी भाषाओंसे, भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें प्रचलित भाषाओंसे और गांवोंकी बोलियोंसे लिये जा सकते हैं।

(३) हिन्दीका व्याकरण ही राष्ट्रभाषाद्या व्याकरण है और उन्होंने चाहिये, इसमें अहिन्दी प्रान्तोंकी उचिताके लिये लगते छोटभोट परिवर्तन भावदपक्ष ममका जाय तो उसे करना चाहिये पर व्याकरण के गौलिक सिद्धान्त उसके तर्फेरहने चाहिये ।

(४) जो विदेशी शब्द लिये जाए उनको राष्ट्रभाषाद्या आमा पढ़ना लेना होगा और राष्ट्रभाषामें उल मिल जाना होगा । वह अपने पैतृक 'नियन्त्रिका' बोक्स राष्ट्रभाषा पर नहों ढालने पायें ।

(५) साधारण शब्दोंके अतिरिक्त ऐसे परिनायिक शब्द जो हिन्दीमें प्रचलित नहीं है वह सहजतके आधार पर ही लिये जा सकते हैं क्योंकि उनमें वही रूप अधिक परिचित हो सकेगा और ज़इ हो सकेगा ।

(विश्वनित्र १ लो अगस्त १९४७)

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी—

[माननीय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारियरजी अहिन्दी प्रान्तमें हिन्दीको सरकारी तौरपर राष्ट्रभाषा घोषनेमें सबसे प्रमुख रहे । सन् १९४७-४८में, जबकि भारत स्वाधीनता सप्ताहमें जुटा हुआ था, तभी उन्होंने हिन्दीकी उपयोगिता का अनुमत कर दिया था, और इसीलिये उसे कार्यरूपमें तत्काल परिणत भी कर दिया । उनके सामने हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानीकी समस्या नहीं थी । वे इन तीनों नामोंमें से किसी नाम को भी हिन्दीका पर्यायशाली मानते थे । इस ओर उनका यह मुक्ताव बहुत ही उपयुक्त एवं विचारणीय है कि उर्दू मायाका संबंध मुमलमानोंके धर्मसे कोई सरोकार नहीं रखता । इसलादी धार्मिक माया तो अखी है, फारसी भी नहीं । उर्दूकी उत्पत्तिका अवैश्व रहते हुए श्री राजगोपालाचारियरजीने अख्खरके हिन्दू अर्थ सचिवको उर्दूका जन्मदाता माना है । उर्दू माया और उसके साहित्यका इतिहास उनके

इस मतका समर्थन नहीं करता। वे उसी भाषाको हिन्दी, हिन्दुस्तानी जानते हैं जिसे भारतकी सर्वाधिक जनता बोल लेती है और समझ लेती है।]

मुद्रास असेम्बलीमें खान बहादुर खलीफुशाह साहवने हिन्दीका विरोध करते हुए कहा कि उर्दूको भारतकी राष्ट्रभाषा होना चाहिये न कि हिन्दी को। माननीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (उस समय मद्रासके प्रधान मन्त्री थे) ने विरोधी दलकी आपत्तियोंका उत्तर देते हुए कहा कि सरकार हिन्दी शिक्षाकी स्वीकृति आपसमें काम चलानेके लिये दे रही है। इसके द्वारा उत्तर और दक्षिणके कार्यमें, तथा भाव विनिमयमें सुविधा होगी। उन्होंने मुसलमानोंके बमके सबंधमें कहा कि यह बिलकुल भ्रमात्मक धारणा है कि उर्दूकी उत्पत्ति इस्लाम से हुई है। उर्दूको इस्लाम और हिन्दीको हिन्दूभाषा मानना बिलकुल गलत है। अकबरके अर्थ सचिवने उर्दूको बनाया और स्वयंवारमें लिया। जिस भी लिपिमें लिखी जाय, भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी है, इसके नामसे भी ऐसा ही बोध होता है। अतः ये विरोधी आन्दोलन भ्रमात्मक धारणाओंके कारण ही हुए हैं।

(अमृत बाजार पत्रिका मार्च २१-१९३८)

In the Madras Assembly to-day, the singing of 'Vande Mataram' and compulsory introduction of Hindi in schools formed the main subjects of discussion during the debate on the budget demand for a grant of Rs 199,49,400 under Education.

Several Muslim members, headed by Khan Bahadur Khalifullah Saheb, ex-interim Minister, opposed compulsory introduction of Hindi in Schools, which they characterised as a "foreign language".

Khan Bahadur Khalifullah declared "If there should be a common language for India at all, it should be Urdu

and not Hindi. The Government have no mandate from the electorate that Hindi should be made a compulsory language. Had they stated this intention of theirs at the time of the election, I am afraid they, would not have been elected to the places they occupy now"

Referring to the Wardha scheme of education, the Muslim members conceded that education should be vocational, but entertained misgivings about the theory of making it self-supporting. They felt gratified that the latter theory was not a live issue to day.

PREMIER'S REPLY

The Hon'ble Mr C Rajagopalachariar, Premier, replying to the Opposition's objections to the introduction of Hindi, said that Government's policy in this respect was merely aimed at imparting a working Knowledge of Hindi, which was spoken in a major part of India to students of this presidency, so that communication between the south and north might, be facilitated. There was no question of evolving a common language for India at present. He said that the agitation against Hindi on the part of Muslims - was based on misunderstanding, and he would meet them half way by making the script for the study of Hindusthani optional for Muslim boys.

A WRONG IMPRESSION

Concluding, the Hon'ble Premier said that Muslims were under an utterly wrong impression when they thought that Urdu was their own language and had its origin in Islam. He said "Let nobody imagine that Urdu is Islam.